चतुर्थ माला, खण्ड 33, अंक 1 | सोमवार, 17 नवम्बर, 1969/26, 1891 कार्तिक (शक)
Fourth Series, Vol. XXXIII, No. 1 | Monday, November 17, 1969/Kartika 26, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—1, सोमवार, 17 नवम्बर, 1969/26 कार्तिक, 1891 (शक)
No.—1, Monday, November 17, 1969/Kartika 26, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	1—4
व्यवस्था का प्रश्न	POINT OF ORDER	5—6
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	6—13

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	
1.	उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई जान व माल की हानि का अनुमान लगाने के लिये समिति	Committee to Assess the losses of Life and property caused by floods in Uttar Pradesh 6—9
2.	भारत कृषक समाज द्वारा डबल्यू० ए० एफ० मैमोरियल फार्मर्स ट्रस्ट को भारी धन राशि का हस्तान्तरण	Transfer of huge sums by Bharat Krishak Samaj to WAF Memorial Farmers' Trust 9—13

प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.		
3.	भारतीय अर्थ-व्यवस्था की असंतोषजनक स्थिति	Unsatisfactory state of Indian Economy 13
4.	पिछड़े राज्यों के प्रति न्यायोचित व्यवहार	Fair Deal to Backward States 14—15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5. पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर शांतिलाल शाह समिति का प्रतिवेदन	Shantilal Shah Committee Report on pricing of petroleum products	15
6. आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने संबंधी विशेषज्ञ समिति	Export Committee on Second Oil Refinery for Assam	15—16
7. नेफ्था का उत्पादन	Production of Naptha	16
8. आयकर निर्धारण के अनिर्णीत मामले	Pending cases of Income Tax Assessment	17—18
9. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहकारी संस्थाओं को सहायता	Assistance to Co-operatives by IFC	18—20
10. राज्यों में पैट्रोलियम उत्पादों पर छूट	Rebate on Petroleum products in States	20
11. राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा-राशि में वृद्धि	Increase in deposits of Nationalised Banks	20—21
12. खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम द्वारा कर का भुगतान न किया जाना	Non-payment of tax by Shri Jagjivan Ram, Minister of Food and Agriculture	21—22
13. आदर्श नेत्र अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली को अनुदान	Grant to Adarsh Netra Hospital Lajpat Nagar, New Delhi	22
14. पाँचवे वित्त आयोग की सिफारिशें	Recommendations made by Fifth Finance Commission	22—23
15. राजनीतिक नेताओं, मन्त्रियों तथा अधिकारियों के विदेशी दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Fereign Exchange spent on tours of political leaders, Ministers and Officers	23
16. विश्व बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तनों का प्रस्ताव	Proposal for structural changes in the management of World Bank	23—24
17. केन्द्रीय राजस्व महालेखा पाल भवन, नई दिल्ली में विस्फोट	Explosion at AGCR Building, New Delhi	24—25
18. संश्लिष्ट धागे की कमी	Shortage of Synthetic Fibres	25—26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
19. काले धन का परिचलन	Black money in circulation	26
20. अनार्ह डाक्टरों को मान्यता	Recognition to unqualified Doctors	27
21. आयल इन्डिया लिमिटेड को तेल की खोज करने के अधिकारों का दिया जाना	Handing over of oil prospecting right to Oil India Ltd.	27
22. मन्त्रियों की विदेश यात्राएं	Foreign tours of Ministers	27—28
23. आयकर के लिये मन्त्रियों की आय का ब्यौरा	Income tax returns of Ministers	28
24. चौथी योजना के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Coal based Fertilizer Plants during Fourth Plan	28
25. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त संसोधन	Additional Resources as a Result of Nationalisation of Banks	28—29
26. पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय ऋण	Central Loan to West Bengal Government	29
27. औषधों तथा दवाइयों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission Report Regarding prices of Drugs and Medicines	29—30
28. जीवन बीमा निगम की आय से निम्न आय वर्गों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Lower Income Groups from LIC Income	30
29. जीवन बीमा निगम की निधियों का उपयोग	Utilisation of LIC Fund	30—31
30. चिकित्सा न होने के कारण मौतें	Deaths without Medical Care	31—32

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.		
2. परिवार नियोजन के लिये गर्भनिरोधक गोलियों सम्बन्धी कर्यक्रम का विस्तार	Expansion of the Pill Programme for Family Planning	32
3. बिहार में कोयला खानें	Coal Mines in Bihar	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Rural Areas	33—34
5.	तस्कर माल का मूल्य	Value of Smuggled Goods	34
6.	गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों को खनिज रियायतों का दिया जाना	Grant of Mineral Concessions to Private and Public Sectors	34
7.	कोरबा तापीय केन्द्र	Korba Thermal Station	35—36
8.	सरकारी उपक्रमों की परियोजनाओं के अनुमान	Estimates of projects of public Undertakings	36
9.	सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादित सामान का मानकीकरण	Standardisation of stores items by Public Sector Undertakings	36—37
10.	उत्पादन शुल्क कम लगाये जाने के कारण हुई हानि	Loses due to under assessment of Excise Duties	37
11.	निर्धारण के लिये विचाराधीन व्यापारिक मामले	Business cases pending Assessment	37—38
12.	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Committee on Public Undertakings	38
13.	तृतीय योजना के दौरान कोककर कोयले का उत्पादन	Production of coking coal during Third Plan	38—39
14.	गुजरात के देहातों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Gujarat	39—40
15.	गुजरात में खनिज संसाधनों के लिए सर्वेक्षण	Survey for Mineral Resources in Gujarat	40
16.	गुजरात में खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey in Gujarat	40—41
17.	गुजरात में पैट्रो रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Complex for Gujarat	41
18.	गुजरात में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	Major and Medium irrigation projects in Gujarat	41—42
19.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति	Appointment of Civil Assistant Engineers in C. P. W. D.	42—43

तारांकित प्र० संख्या U S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
20. राज्यों में बिजली बोर्डों का कार्य	Working of Electricity Boards in States	43—44
21. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ की स्थिति के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशें	Recommendation of Patel Commission on Floods in Eastern Districts of Uttar Pradesh	44
22. मनीपुर राज्य में गैस की उपलब्धता	Availability of Gas in Manipur State	44—45
23. बम्बई के निकट गहरे समुद्र में ड्रिलिंग	Deep Sea Drilling near Bombay	45
24. वैस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में अनधिकृत रूप से घेरे गये आवास को पुनः किराये पर दिया जाना	Sub-letting and Unauthorised occupation of accommodation in Western Court, New Delhi	45—46
25. भारत कृषक समाज की आय पर आयकर	Income tax on Earnings of Bharat Krishak Samaj	46
26. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मधुमेह के रोगियों को औषधियों का दिया जाना	Issue of Medicines to Diabetic Patients from CGHS	46—47
27. स्नातकों को वित्तीय सहायता देने की स्टेट बैंक की योजना	State Bank Scheme for Financial Assistance to Graduates	47—48
28. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे उधार लेने वालों को ऋण देने सम्बन्धी बीमे की योजना	Insurance Scheme for granting loans to Small Borrowers by Nationalised Banks	48—49
29. मकानों के निर्माण के लिये सस्ते और शीघ्र बनाने के तरीकों की विशेषज्ञ समिति	Expert Committee for cheap and Quick Techniques for Construction of Houses	49
30. नर्मदा जल विवाद संबंधी न्यायाधिकरण	Tribunal on Narmada Water Dispute	50
31. खनिज उत्पादन प्रविधि का आधुनिकीकरण	Modernisation of Mineral Production Technique	50—51
32. घटिया किस्म की तथा नकली औषधियों की बिक्री	Sale of sub-standard and Spurious Drugs	51—52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
33. आसाम में तेल शोधन का दूसरा कारखाना	Second Oil Refinery in Assam	52
34. बैंकों में जमा धन पर ब्याज की दर	Interest Rates on Bank Deposits	52—53
35. जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में परिवर्तन	Changes in the LIC Premium Rate	54
36. कृषि तथा लघु उद्योगों के लिये राष्ट्रीय बैंकों से ऋण	Credit to Agriculture and Small Scale Industries by Nationalised Banks	54—55
37. आसाम तथा नेफा में अशोधित तेल का उत्पादन	Output of Crude Oil in Assam and NEFA	55
38. हिमालय क्षेत्रों का विकास	Development of Himalayan Region	55—56
39. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले छात्रों के लिये चिकित्सा कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats in Medical Colleges for students who serve in Rural Areas	56
40. सिन्दरी उर्वरक कारखाने में बोनस अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Bonus Act in Sindri Fertilizers	56
41. गोआ में बिड़ला बन्धुओं द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना	Establishment of a fertiliser factory by Birla Brothers in Goa	57
42. बैंकिंग उद्योग में संगणकों का प्रशिक्षण	Training in Computors in Banking Industry	57—58
44. कन्नर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड की ओर बकाया राशि	Amount in default by the Cannanore Spinning and Weaving Mills Ltd.	58
45. बेरोजगार खनन इंजीनियर तथा भू वैज्ञानिक	Unemployed Mining Engineers and Geologists	58
46. नई दिल्ली के यूनेस्को अधिकारों की विदेश यात्रा	Foreign Trip of UNESCO Official of New Delhi	59
47. राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks	60—61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
48. गंगा में अगस्त-सितम्बर, 1969 में आई बाढ़ से मुंगेर तथा पटना जिलों में गांवों का नष्ट होना	Destruction of Villages in Monghyr and Patna Districts by Floods in Ganga during August-September, 1969	61—62
49. राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	62—63
50. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के सरकारी कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों का आरक्षण	Preseryation of Residential Accommodation for scheduled caste and Scheduled Tribe Government Employees	63
51. डा० भगवान दास स्मारक-न्यास नई दिल्ली द्वारा निर्मित इमारतें	Building constructed by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust New Delhi	63—64
52. सुनौली पोखरा राजपथ निर्माण के अन्तर्गत लोअर डिवीजन कलर्क पद से पदोन्त किये गये अपर डिवीजन कलर्क	Lower Division Clerks promoted to Upper Division Clerks in Sunoulipokhra Highway Construction Project	64
53. बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना	Balladila Iron Ore Project	64—65
54. कार्मिक वर्ग सूचकांक के संकलन आदि का पुनर्विलोकन	Review of Compilation of working class index	65
55. पुनः बीमा सम्बन्धी मुरारका समिति की सिफारिशें	Recommendation of the Morarka Committee on Re-insurance	65
56. बम्बई के श्री कुडीलाल जी सेक्सरिया की ओर आयकर की बकाया राशि	Income tax outstanding against Shri Kudilal G. Seksaria of Bombay	66
57. श्रीकृष्ण नगर हाउसिंग कालोनी, पटना (बिहार)	Shrikrishna Nagar Housing Colony, Patna (Bihar)	66—67
58. विदेशों में परियोजना तथा परियोजनातिरिक्त सहायता	Project and non-project aid from Foreign Countries	67
59. मैसर्ज मेटल बाक्स आफ इण्डिया लि० कलकत्ता की आयकर की बकाया राशि	Income tax due from M/s Metal Box of India Ltd. Calcutta	67—68

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
60. हैदराबाद की फर्म मैसर्स श्रीराम भगवान दास श्रीराम हेम राज की ओर बकाया आयकर की राशि	Income Tax due from M/s Sriram Bhagwandas Sriram Hem Raj, Hyderabad	68
61. मैसर्स एस्सो स्टैन्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के नाम आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from M/s. Esso Standard Refining Company of India Ltd., Bombay	68—69
62. मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मन्युफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई के नाम आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from M/s. Bharat Barel and Drum Manufacturing Co. Ltd. Bombay	69
63. नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceilling on the Holdings on Urban Property	70
64. चीन का ब्रह्मपुत्र नदी का रूख बदलने का प्रयत्न	Chines attempt to divert course of Brahmaputra River	70
65. मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री की विदेश यात्रा	Foreign Tour of Chief Minister of Madhya Pradesh	70—71
66. आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	71
67. गाँधी स्मारक निधि पर आयकर की राशि	Income Tax on Gandhi Memorial Fund	72
68. विदेशों में अर्थिक सम्मेलन	Economics Conference Abroad	72
69. गाँधी सिक्कों की बिक्री	Sale of Gandhi Coins	73
70. साउथ एवेन्यु (नई दिल्ली) के फ्लैटों के बरामदों की खिड़कियों में शीशा लगाना	Glazing of verandah/Windows of South Avenue Flats, New Delhi	73—74
71. राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य संचालन	Function of Nationalised Banks	74
72. पश्चिमोत्तर भारत में एक नये तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of a new oil refinery in North West India	74—75

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
73. फरक्का बांध का डिजाइन तथा प्रबन्ध के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़	Floods in West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh due to Design and Management of the Farraka Barrage	75
74. खेतरी तांबा परियोजना	Khetri Copper Project	75—76
75. चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन	Violation of Customs Rules by persons in the Film Industry	76
76. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange regulation Act, 1947	76—77
77. नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Nangal Fertilizer Factory	77
78. कलकत्ता के श्री हरिदास मूंदड़ा पर आयकर की बकाया धनराशि	Income tax due from Shri Haridas Mundra, Calcutta	77—78
79. इंडियन ओवरसीज बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का वेतन	Pay of probationary Officers of Indian Overseas Bank	78—79
80. बिहार तथा मध्य प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Major Irrigation Projects in Bihar and Madhya Pradesh	79
81. बिहार में कृषि प्रयोजनों के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण	Amount given by World Bank for Irrigation purposes in Bihar	80
82. इंडियन बैंक और इन्डियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारीयों के वेतनमान	Pay scales of the Staff of Indian Bank and Indian Overseas Bank	80
83. राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमों में समानता	Uniformity in Rules of Nationalised Banks	80—81
84. स्वर्ण निक्षेप	Gold Reserves	81
85. भारत में नोटों का परिचालन	Paper currency in circulation in India	81—82
86. दिल्ली में बिजली का बड़ा संकट होने की आशंका	Possibility of Major Power Break down in Delhi	82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
87.	भेषज और औषधियों के ऊंचे मूल्य	High prices of Drugs and Medicines	82—83
88.	तीसरा वेतन आयोग	Third Pay Commission	83
89.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अक्तूबर 1969 में बैठक	Meeting of International Monetary Fund in October, 1969	84
90.	ब्रह्मपुत्र आयोग का गठन	Constitution of Brahmaputra Commission	84
91.	आसाम में भूमिगत जल की उपलब्धता	Availability of Ground Water in Assam	84—85
92.	चिकित्सा को होम्योपैथी प्रणाली को लोकप्रिय बनाया जाना	Popularisation of Homoeopathic System of Medicines	85—86
93.	दिल्ली में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों की खराब स्थिति	Dilapidated Condition of Quarters of the Class IV Employees in Delhi	86
94.	सेवा नगर औषधालय, नई दिल्ली	Sewa Nagar Dispensary, New Delhi	86—87
95.	नई दिल्ली में नार्थ तथा साउथ एवेन्यु में होमियोपैथी औषधालय की स्थापना	Setting up of Homoeopathic Dispensary in North and South Avenues, New Delhi	87
96.	कोलम्बो शक्तियों का सम्मेलन	Conference of Colombo Powers	87—88
97.	नई दिल्ली स्थित "स" बिजलीघर को भट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Furnace Oil to 'C' Power Station, New Delhi	88—89
98.	नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of cities	89
99.	मकानों के निर्माण के लिये नई विधियां	New Techniques for construction of Tenements	89—90
100.	राज्यों में कोयले पर स्वामित्व का भुगतान	Payment of Royalty on coal to States	90
101.	बम्बई में नया डी० डी० टी० कारखाना	New DDT Plant at Bombay	90—91
102.	लोक भविष्य निधि योजना	Public Provident Fund Scheme	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
103. खम्भात की खाड़ी में तट से से दूर समुद्र में ड्रिलिंग के लिये संयंत्र	Plant for Off Shore Drilling Gulf of Cambay	91—92
104. आयकर विभाग में अग्रिम योजना	Pilot Scheme in the Income Tax Department	92—93
105. पश्चिमी बंगाल सरकार को केन्द्रीय ऋण	Central Loan to West Bengal Government	93
106. बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States to provide relief to the flood Affected people	93—94
107. तूतीकोरिन, तमिलनाडु में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant in Tuticorin, Tamil Nadu	94—95
108. धनबाद (बिहार) के समीप कोलकर कोयला खान में आग	Fire in coking coal Quary near Dhanbad (Bihar)	95
109. जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of LIC	95—96
110. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC Recommendations on Central Direct Taxes Administration	96
111. झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग	Underground fire in Jharia Colliery Fields	96—97
112. शहरी क्षेत्रों में सरकारी डाक्टरों का निजी चिकित्सा व्यवसाय	Private practice by Government Doctors in Urban Areas	97
113. नई दिल्ली के बिड़ला हाउस का अधिग्रहण	Taking over of Birla House, New Delhi	97—98
114. पदमा नदी में फरक्का बांध द्वारा पैदा हुई गाद के बारे में पाकिस्तानी समाचार पत्रों में समाचार	Press Reports in Pakistan about siltation caused by the Farakka Barrage in the river Padma	98
115. सरकारी क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of study team on oil Refining capacity in public sector	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
116.	जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विभिन्न संस्थाओं को ऋण	Loans given by LIC IFC and IDB to various institutions	99
117.	दिल्ली के नागरिकों के लिये सामूहिक आवास योजना	Group Housing Scheme for citizens of Delhi	99—100
118.	जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन	Investment of Life Insurance Corporation Funds	100
119.	फरक्का बांध के लिये जापान से खराब माल का आयात	Import of defective material from Japan for Farakka Barrage	100—101
120.	चीन को बिस्कुटों की तस्करी	Smuggling of Biscuits to China	101
121.	लिंक और पैट्रियाट में श्रीमती अरुणा आसफ अली द्वारा खरीदे गये अंश	Shares held by Smt. Aruna Asaf Ali in Link & Patriot	101—102
122.	हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड में अधिकारियों का तबादला	Transfer of Officer in Hindustan Latex Ltd.	102
123.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड केरल के विश्राम गृह	Rent houses maintained by Fertilizers and Chemicals Travancore, Limited Kerala	102—103
124.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विकल्प ऋण योजना के अन्तर्गत रोजगार सुविधाएं	Employment facilities under alternative loan scheme by the Union Bank of India	103
125.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के केराविल विमान द्वारा कथित तस्करी	Alleged smuggling by Caravelle Aircraft of Indian Airlines Corporation	103—104
126.	कोककर कोयले पर उपकर	Le on Coking Coal	104—105
127.	हैमिसिन औषधि पर लाक्षणिक परीक्षण	Clinical tests on Hamycin Drug	105—106
128.	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स में प्रोत्साहक योजना	ntive Scheme in Sindri Fertilizer	106
129.	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा राज्यों को वितरित ऋण	Loans Distributed by the Agricultural Refinance Corporation to States	106—107

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
130. कोर्बा (मध्य प्रदेश) में कास्टिक सोडा कारखाने की स्थापना	Establishment of Caustic Soda Unit in Korba (M. P.)	107
131. चोरी छिपे चीन से भारत में जाली नोटों का आना	Smuggling of Fake Currency Notes into India from China	107—108
132. रूस से मिट्टी के तेल का आयात	Import of Kerosen Oil from USSR	108
133. दिल्ली में राजनैतिक दलों पर किराये की बकाया राशि	Arrears of Rent due from Political Parties in Delhi	108
134. दिल्ली में अधिक संख्या में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक डिस्पैंसरियां खोलना	Opening of More Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries in Delhi	109
135. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को ऋण	Credit to Unemployment Engineers by Nationalised Banks.	109—110
136. डा० एस० सी० सील को अखिल भारतीय आरोग्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्था में अनुसन्धान कार्य करने की अनुमति	Permission to Dr. S. C. Seal for doing Research at all India Institute of Hygine and Public Health	110
137. सिंचाई क्षमता का प्रयोग	Utilisation of Irrigation potential	111—112
138. परियोजनाओं में निर्माण उपकरणों का अप्रयुक्त रहना	Non-Utilisation of Construction Equipment at Projects	112—113
139. जीवन बीमा निगम की त्रिचूर शाखा से धन का गबन	Misappropriation of Money from Trichur Branch of Life Insurance Corporation	113
140. खम्भात प्रदेश में तट-दूर क्षेत्र में छिद्रण के बारे में ब्रिटिश सलाहकार की रिपोर्ट	British Consultant's Report on Offshore Drilling in Cambay Region	113—114
141. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्य में कटौती	Reduction in price of imported Crude Oil by Foreign Oil Companies	114—115
142. जीवन बीमा निगम की पूंजी का कृषकों तथा लघु उद्योगों के लिये उपयोग	Capital of LIC used for Farmers and Small Scale Industries	115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
143. पंग सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास	Accommodation for Handicapped Government Employees	115
144. डा० भगवान दास स्मारक न्यास तथा अखिल भारतीय तेल सुधार संघ के लेखों में घाटा दिखाया जाना	Deficit accounts of Dr. Bhagwan Das Trust and Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh	116
145. डा० भगवान दास स्मारक न्यास, लाजपत नगर, नई दिल्ली को अनुदान	Grants to Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust Lajpat Nagar, New Delhi	116
146. डा० भगवान दास स्मारक न्यास, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi	116—117
147 नई दिल्ली स्थित आदर्श नेत्र अस्पताल के लेखों की जाँच	Auditing of Accounts of Adarsh Netra Hospital, New Delhi	117—118
149. फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक के अवमूल्यन का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव	Effect of Devaluation of French Franc on Indian Economy	118
150. आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और भूमि के कटाव को रोकने के लिये उपाय	Measures to Control Floods and Erosion in Brahmaputra in Assam	119
151. उर्वरकों सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता	World Bank's assistance to public sector projects for Fertilizers	119—120
152. देश में बीमारियों का फैलना	Spread of diseases in the country	120—121
153. औषध निर्माण सम्बन्धी अनुसन्धान करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को धन का नियतन	Allocation to UP for Research in Pharmaceuticals during Fourth Plan	121
154. उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for different schemes in U. P.	121—122

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
155. उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for irrigation schemes in Uttar Pradesh	122
156. उत्तर प्रदेश में बिजली के विकास के लिये योजनाओं में धन का नियतन	Allocation of funds in Plans for development of electricity in Uttar Pradesh	122
157. भूमि के अर्जन और विकास तथा नगरीय विस्तार के लिये आवर्तक निधियां	Revolving funds for acquisition and development of land and urban expansion	123
158. चौथी योजना में मध्य प्रदेश की डिम्बापन बिजली तथा बारगी परियोजनाओं को शामिल करना	Inclusion of Dimba Hydel and Bargi projects of M. P. in 4th Plan	123—124
159. अध्ययन अवकाश पर विदेशों में गये अधिकारी	Officers permitted to go abroad on study leave	124
160. भारत नेपाल सीमा पर तस्करी	Smuggling on Indo-Nepal Border	124
161. दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पता लगाना	Unearthing of international smuggling Racket in Delhi	124—125
163. सिन्दरी फर्टिलाइजर्स द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाना	Implementation of Wage Board Recommendations by Sindri Fertilizer	125
164. राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in States	125—126
165. बम्बई की फर्म मैसर्ज प्रकाश कोटन मिल्स के नाम आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from M/s. Prakash Cotton Mills, Bombay	126
166. फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के नाम बकाया आयकर की राशि	Income tax Outstanding in the Name of Filmistan Private Ltd., Bombay	127
167. देश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय	Ayurvedic Universities in the country	127

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
168.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क की दरों में अन्तर	Different Rates of Stamp Duty in State/UTS.	128
169.	चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान को पेय जल सम्भरण योजनाएं	Drinking water supply schemes of Rajasthan during Fourth Plan Period	128—29
170.	खनिजों का स्वामित्व	Royalty on Minerals	129
171.	अशोधित तेल के मूल्य कम करना	Reduction in price of Crude Oil	129—30
172.	योगाश्रम को नई दिल्ली स्थित गोल डाकखाने के निकट भूमि का दिया जाना	Allotment of land to Yogashram near Gole Post Office, New Delhi	130—31
173.	परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी कानून	Law for Family Planning Programme	131
174.	राजस्थान में हाल की बाढ़ से हुई हानि	Damages caused by recent floods in Rajasthan	131—32
175.	दिल्ली जनता के लिये दांतों की सुविधाएं	Denture facilities foı general public in Delhi	132—133
176.	पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशें	Fifth Finance Commission Recommendations	133
177.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच केन्द्रों का आवंटन	Allocation of Centres among the Nationalized Banks	133
178.	बर्मा शैल मार्केटिंग को रुपयों में पूंजी वाली कम्पनी में परिवर्तित करना	Conversion of Burmah Shell Marketing into Rupee Company	133—134
179.	प्रधान मन्त्री आवास का नवीकरण	Renovation of Prime Minister's House	134
180.	जीवन बीमा निगम दिल्ली क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकर्ता	Field workers of LIC Delhi Area	134—35
181.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् गरीब लोगों की आर्थिक दशा में सुधार	Improvement of Economic condition of poor people after Bank Nationalisation	135

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
182. मंगलौर में ऐमोनियम-यूरिया उद्योग समूह की स्थापना	Setting up of Ammonia Urea complex in Mangalore	135—36
183. कोचीन रफाइनरी से एर्णाकुलम के लिये रेलवे लाईन का निर्माण	Construction of Railway Line from Cochin Refinery to Ernakulam	136—37
184. मद्रास तेल शोधक कारखाने के निकट पैट्रो-रसायन उद्योग	Petro Chemical complex near Madras Refinery	137
185. गंगा नदी को दक्षिण की नदियों के साथ मिलाना	Linking of Ganga with Southern Rivers	137—38
186. बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को पेट्रोल पम्पों का नियतन	Grant of Dealership of Petrol Pumps to Educated Unemployed	138—39
187. पटना सुधार न्यास द्वारा भूमि के अर्जन के विरुद्ध दुजारा के निवासियों का अभ्यावेदन	Representation of Residents of Dujara against the Acquisition of Land by the Patna Improvement Trust	139
188. पटना इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट	Patna Improvement Trust	139—40
189. बैंकों में केन्द्रीय मन्त्रियों के खाते	Central Ministers' Accounts in Banks	140
190. विदेशी गैर सरकारी पूंजी	Foreign Private Investments	140
191. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकौर लिमिटेड	Fertilizer and Chemical Travancore Ltd.	141
192. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकौर लिमिटेड में मित-व्ययिता	Economies in Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	141—42
193. एक विदेशी नागरिक द्वारा आयात शुल्क न देकर सीमा शुल्क विभाग का ठगना	Defrauding the Customs of Import duty by a Foreign National	142
194. चांदी शोधक कारखाने का कलकत्ते से खेतरी को स्थातान्तरण	Shifting of Silver Refinery from Calcutta of Khetri	143
195. विदेशी बैंकों पर नई शाखाएं खोजने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Foreign Banks for opening new branches	143

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
196. बिड़ला की फर्मों पर छापे	Raids on Birla Firms	143—44
197. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों की सेवा की शर्तें	Conditions of Service of Chairman and Managing Directors of Nationalised Banks	144—45
198. संसद सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों को आवासीय भुखण्डों का आवंटन	Allotment of Housing plots to M. Ps. and Government Servants	145
199. कपड़ा व्यापार पर पण्यावर्त कर	Turn over Tax on Textile Trade	146
200. 1 जुलाई, 1969 को विरोध दिवस	Protest Day on 1st July, 1969	146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	146—153
गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riots in Gujarat	146—48
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	148—49
श्री यशवन्तराव चौहान	Shri Y. B. Chavan	149—153
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	154
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा से दुर्व्यवहार तथा उनकी गिरफ्तारी	Manhandling and arrest of Shrimati Tarkeshwari Sinha	154
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	154—160
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	160
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of joint Committee	160
साक्ष्य ;	Evidence ;	161
ज्ञापन/अभ्यावेदन और अध्ययन टिप्पणियां	Memoranda/Representations ; and Study Notes	161
भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक	Indian Medicine and Homoeopathy Central Council Bill	161
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ; और साक्ष्य	Report of Joint Committee ; and Evidence	161—62

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक (श्री आनन्द नारायण मुल्ला का)	Enlargement of the Appellate (Criminal) Jurisdication of the Supreme Court Bill by Shri Anand Narain Mulla	162
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन साक्ष्य ; और ज्ञापन/अभ्यावेदन	Report of Select Committee ; Evidence ; and Memoranda/Representations	162
भुसावल-झांसी यात्री गाड़ी और डीजल माल गाड़ी के बीच दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Collision between Bhusaval-Jhansi Passenger and Diesel Goods Train	162
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon	162
उपाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Deputy Speaker	163
पेटेंट विधेयक	Patents Bill	163
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	163
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक-पुरस्थापित	Central Excise Bill	163
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के लिये नियत किये गये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Select Committee	163—64
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक-पुरस्थापित	Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill—Introduced	164
बेरोजगार व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने के बारे में	Re. Presentation of pentition by Unemployed Persons and Students	164—65
खुदा बख्श औरियण्टल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक	Khuda Bakhsh Oriental Public Library Bill	165—71
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	165
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	165—71
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	166—167
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	167

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	167—68
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	168
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	168
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	168
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	168—69
श्री एस० कन्दप्पन	Shri S. Kandappan	169
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	169—70
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	170
खण्ड 2 से 8	Clauses 2 to 8	171—74
स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment	175
भारत का रबात में हुए इस्लामिक सम्मेलन में भाग लेना	India's participation in Islamic Conference at Rabat	175—200
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	175
श्री जी० भी० कृपालानी	Shr J. B. Kripalani	175—77
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha	177—78
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta	178—81
श्री सन्त बख्श सिंह	Shri Sant Bax Singh	181
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	181—82
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	182—85
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	185—87
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	187
श्री स्वैल	Shri Swell	187—88
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad	188
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	188—89
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	189
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	189—91
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	191—92
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	192—93

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अंबाजागन, श्री (तिरूचेंगोड)
अंबुचेजियान, श्री (डिंडीगुल)
अगडी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अदिचन, श्री (अडूर)
अनिरुद्धन, श्री क० (चिरयिन्कील)
अब्राहम, श्री के० एम० (कोट्टयम)
अमात, श्री दे० (सुन्दरगढ़)
अमीन, श्री रा० की० (ढ़ंढुका)
अमीन, श्री रामचन्द्र ज० (मेहसाना)
अयरवाल, श्री राम सिंह (सागर)
अरुमुगम, श्री (टेंकासी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
असगर हुसैन, श्री (अकोला)
अहमद, डा० इ० (गिरिडीह)
अहमद, श्री ज० (घुबरी)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आत्म दास, श्री (मुरैना)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फाजिल्का)

उ

उइके, श्री (मंडला)
उमानाथ, श्री (पुद्दूकोटै)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारदगा)
उलाका, श्री राम चन्द्र (कोरापुट)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
एस्थोस, श्री (मुवत्तुपुजा)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओबराय, श्री एम० एस० (हजारीबाग)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कथम, श्री बी० ना० (ललपाईगुड़ी)
कन्डप्पन, श्री (मैदूर)
कपूर, श्री लखन लाल (किशनगंज)
कमलनाथन्, श्री (कृष्णगिरि)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह (बीकानेर)
कलिता, श्री वीरेश्वर (गोहाटी)
कस्तुरे, श्री ग्र० श्री० (खामगांव)
कांबले, श्री (लातूर)
कामराज, श्री के० (नगरकोइल)
कामेश्वर सिंह, श्री (खगरिया)
कावड़े, श्री भा० रा० (नासिक)
काहानडोल, श्री ज० मं० (मालेगांव)
किकर सिंह श्री (भटिंडा)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री अ० कु० (झाड़ग्राम)
कुंटे, श्री दत्तत्रेय (कोलाबा)
कुचेलर, श्री (वेल्लोर)
कुन्दू, श्री म० (बालासौर)
कुरील, श्री बै ना० (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री शफी (अनन्तनाग)
कुशवाह, श्री यशवन्त सिंह (भिंड)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कृपालानी, श्री जी० भा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गोंडा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन्, श्री (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री (हस्कोटे)
कृष्णमूर्ति, श्री (कडलूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
कोठारी, श्री स्वतन्त्र सिंह (मंदसौर)
कौशिक, श्री कृ० मा० (चांदा)

ख

खन्ना, श्री प्रे० कि० (शाहजहांपुर)
खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां, श्री गयूर अली (कैराना)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां श्री मु० अ० (कासगंज)
खां, श्री लताफत अली (मुजफ्फरनगर)
खाडिलकर, श्री (खेड़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
गणेश, श्री (अंडमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरिजा कुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गिरिराज शरण सिंह, श्री (मथुरा)
गुडाडिन्नी, श्री ब० क० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (हिसार)
गुप्ता, श्री लाखन लाल (रायपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गोपालन, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लिचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
गोयल, श्री श्रीचन्द (चंडीगढ़)
गोविन्ददास, डा० (जबलपुर)
गोडर, श्री मुत्तु (त्रिपत्तूर)
गौड, श्री गाडिलिंगन (कुरनूल)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गौडा, श्री हुच्चे (तिकमगलूर)
गौतम, श्री चिं० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री गणेश (कलकत्ता-दक्षिण)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची)
घोष, श्री विमल कान्ति (सेरामपुर)

च

चक्रपाणि, श्री (पोन्नाणि)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चटर्जी श्री नि० चं० (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (जहाँनाबाद)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चह्वाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चह्वाण, श्री यशवन्तराव बलवन्तराव (सतारा)
चित्ती बाबू, श्री (चिंगलपट)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा-पश्चिम)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बाल्मीकि (हाजीपुर)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)

छ

छत्रपति, श्रीमती विजयमाया (हथकनंगले)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जमीर, श्री स० चु० (नागालैंड)
जगैया, श्री को० (ओंगोल)
जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जमुना लाल श्री (टोंक)
जय सिंह, श्री (होशियारपुर)
जयपाल सिंह, श्री (खुन्टी)
जाधव, श्री तुलसीदास (बारामती)
जाधव, श्री वें० नं० (जालना)
जेना, श्री (भद्रक)
जेवियर श्री (तिरुनेलवेल्लि)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)
जोशी, श्री जगन्नाथराव (भोपाल)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शिव चन्द्र (मधुबनी)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)

ठ

ठाकुर, श्री गुणनन्द (सहरसा)
ठाकुर, श्री प्र० रं० (नवद्वीप)

ड

डाँगे, श्री श्री० अ० (बम्बई मध्य-दक्षिण)

ढ

ढिल्लन, श्री गुरदयाल सिंह (तरनतारन)

त

तापड़िया, श्री सु० कु० (पाली)
तारोडकर, श्री वें० बा० (नाँदेड)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतियां)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (मुरादाबाद)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

द

दंडपाणि, श्री (धारापुरम)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दांडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
दामानी, श्री (शोलापुर)
दार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
दास चौधरी, श्री बे० कृ० (कूच बिहार)
दास, श्री न० ता० (जमुई)
दास श्री सी० (तिरूपति)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गं० च० (खंडवा)
दीपा श्री अनिरुद्ध (फूलबनी)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरिच्च)
दुरायरासु, श्री (पेरम्बलूर)
देव, श्री क प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री धीरेन्द्र नाथ (अगुंल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देवधरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देविन्द्र सिंह, श्री (लुधियाना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शं० (परभणी)
देसाई, श्री चं० चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धरंगधरा, श्री श्रीराज मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री अ० कु० (झाड़ग्राम)
कुंटे, श्री दत्तत्रेय (कोलाबा)
कुचेलर, श्री (वैल्लोर)
कुन्दू, श्री म० (बालासौर)
कुरील, श्री बै ना० (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री शफी (अनन्तनाग)
कुशवाह, श्री यशवन्त सिंह (भिंड)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कृपालानी, श्री जी० भा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गोंडा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन्, श्री (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री (हस्कोटे)
कृष्णमूर्ति, श्री (कडलूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
कोठारी, श्री स्वतन्त्र सिंह (मंदसौर)
कौशिक, श्री कृ० मा० (चांदा)

ख

खन्ना, श्री प्रे० कि० (शाहजहांपुर)
खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां, श्री गयूर अली (कैराना)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां श्री मु० अ० (कासगंज)
खां, श्री लताफत अली (मुजफ्फरनगर)
खाडिलकर, श्री (खेड़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
गणेश, श्री (अंडमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरिजा कुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गिरिराज शरण सिंह, श्री (मथुरा)
गुडाडिन्नी, श्री ब० क० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (हिसार)
गुप्ता, श्री लाखन लाल (रायपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गोपालन, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लिचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
गोयल, श्री श्रीचन्द (चंडीगढ़)
गोविन्ददास, डा० (जबलपुर)
गोडर, श्री मुत्तु (त्रिपत्तूर)
गौड, श्री गाडिलिंगन (कुरनूल)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गौडा, श्री हुच्चे (तिकमगलूर)
गौतम, श्री चिं० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री गणेश (कलकत्ता-दक्षिण)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची)
घोष, श्री विमल कान्ति (सेरामपुर)

च

चक्रपाणि, श्री (पोन्नाणि)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चटर्जी श्री नि० चं० (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चह्वाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चह्वाण, श्री यशवन्तराव बलवन्तराव (सतारा)
चित्ती बाबू, श्री (चिंगलपट)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा-पश्चिम)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बाल्मीकि (हाजीपुर)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)

छ

छत्रपति, श्रीमती विजयमाया (हथकनंगले)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जमीर, श्री स० चु० (नागालैंड)
जगैया, श्री को० (ओंगोल)
जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जमुना लाल श्री (टोंक)
जय सिंह, श्री (होशियारपुर)
जयपाल सिंह, श्री (खुन्टी)
जाधव, श्री तुलसीदास (बारामती)
जाधव, श्री वें० नं० (जालना)
जेना, श्री (भद्रक)
जेवियर श्री (तिरुनेलवेल्लि)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)
जोशी, श्री जगन्नाथराव (भोपाल)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शिव चन्द्र (मधुबनी)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)

ठ

ठाकुर, श्री गुणनन्द (सहरसा)
ठाकुर, श्री प्र० रं० (नवद्वीप)

ड

डाँगे, श्री श्री० अ० (बम्बई मध्य-दक्षिण)

ढ

ढिल्लन, श्री गुरदयाल सिंह (तरनतारन)

त

तापड़िया, श्री सु० कु० (पाली)
तारोडकर, श्री वें० बा० (नाँदेड)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतियां)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (मुरादाबाद)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

द

दंडपाणि, श्री (धारापुरम)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दांडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
दामानी, श्री (शोलापुर)
दार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
दास चौधरी, श्री बे० कु० (कूच बिहार)
दास, श्री न० ता० (जमुई)
दास, श्री सी० (तिरूपति)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गं० च० (खंडवा)
दीपा श्री अनिरुद्ध (फूलबनी)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरिच्च)
दुरायरासु, श्री (पेरम्बलूर)
देव, श्री क प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री धीरेन्द्र नाथ (अगुंल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देवधरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देविन्द्र सिंह, श्री (लुधियाना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शं० (परभणी)
देसाई, श्री चं० चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धरंगधरा, श्री श्रीराज मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नम्बियार, श्री (तिरुचिरापल्लि)
नायनार श्री इ० के० (पालघाट)
नाघनूर, श्री मु० न० (बेलगांव)
नाथ भाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री गुरु चरण (क्योंझर)
नायक, श्री रा० रें० (रायचूर)
नायडू, श्री चेंगलराया (चित्तूर)
नायर, श्री क० कृ० (बहराइच)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (पीरमाडे)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नारायणन, श्री (पोलाची)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निर्लेप कौर, श्रीमती (संगरूर)
निहालसिंह, श्री चंदौली)
नैयर, डा० सुशीला (झांसी)

प

पटेल, श्री जे० एच० (शिमोगा)
पटेल, श्री ना० नि० (बुलसर)
पटेल, श्री पाशाभाई (बड़ौदा)
पटेल, श्री बाबूराव (शाजापुर)
पटेल, श्री मणिभाई जे० (दमोह)
पटेल, श्री मनुभाई (डभाई)
पद्मावती देवी, श्रीमती (राजनन्दगांव)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री द० रा० (पाटन)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पस्वान श्री केदार (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिन्डौन)
पाओकाई हाओकिप श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री धू० अ० (धूलिया)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री ना० रा० (भोर)
पाटिल, श्री स० का० (बनासकांठा)
पटिल, श्री स० दा० (सांगली)
पाटिल, श्री से० ब० (बागलकोट)
पाटोदिया, श्री देवकीनन्दन (जालोर)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाण्डेय, श्री काशीनाथ (पदरौना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (गाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री (राजमपेट)
पालचौधरी, श्रीमती इला (कृष्णनगर)
पुनाचा, श्री चे० मु० (मगलौर)
पुरी, डा० सूर्य प्रकाश (नवादा)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधानी श्री ख० (नौरंगपुर)
प्रमाणिक, श्री जि० ना० (बलूरघाट)
प्रसाद, श्री य० ऊ० (मचिलीपट्टणम)

फ

फरनेन्डीज, श्री जार्ज (बम्बई-दक्षिण)

ब

बख्शी, श्री गुलाम मुहम्मद (श्रीनगर)
बजाज, श्री कमलानयन (वर्धा)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरमन, श्री किरित विक्रमदेव (त्रिपुरा-पूर्व)
बरुआ, श्री बेदब्रत (कलियाबोर)
बरुआ, श्री राजेन्द्रनाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (मंगलदाई)
बसवन्त, श्री (भिवंडी)
बसी, श्री सोहन सिंह (फिरोजपुर)
बसु डा० मैत्रेयी (दारजीलिंग)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अनेठी)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री प० ल० (गंगानगर)
बिड़ला, श्री राधा कृष्ण (झुंझनू)
बिरुआ, श्री कोलाई (सिंहभूम)
बिष्ठ, श्री जं० ब० सिं० (अलमोड़ा)
बिस्वास, श्री जि० मो० (बांकुरा)

बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बृज भूषण लाल, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (भरतपुर)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री स० च० (दुमका)
बेहरा, श्री बेधर (जाजपुर)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री अमीय नाथ (आरामबाग)
बोहरा, श्री ओंकार लाल (चित्तौड़गढ़)
ब्रह्म प्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)
ब्रह्मानन्द, स्वामी (हमीरपुर)

भ

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री (तेजपुर)
भगवान दास, श्री (मौसग्राम)
भट्टाचार्य, श्री चपलाकांत (रायगंज)
भण्डारे, श्री रा० ढो० (बम्बई-मध्य)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भानु प्रकाश सिंह, श्री (सीधी)
भारती, श्री महाराज सिंह (मेरठ)
भार्गव, श्री ब० ना० (अजमेर)

म

मंगलाथुमाडम, श्री (मवेलिक्करा)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री जुगल (उलुबेरिया)
मंडल, श्री बि० प्र० (माधोपुरा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मधुकर, श्री क० मि० (केसरिया)
मधोक, श्री बलराज (दिल्ली दक्षिण)
मनोहरन, श्री (मद्रास उत्तर)
मयाबन, श्री (चिदाम्बरम)
मरंडी, श्री (राजमहल)
मरन, श्री मु० (मद्रास-दक्षिण)
मलहोत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
मसानी, श्री मो० रु० (राजकोट)
मसुरियादीन, श्री (चायल)
महतो श्री भजहरि (पुरूलिया)
महाजन, श्री विक्रम चन्द (चम्बा)
महादेव प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
महादेवप्पा, श्री रामपुर (गुलबर्गा)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महीडा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माझी, श्री महेन्द्र (मयूरभंज)
माने, श्री शंकरराव दत्तात्रय (कोल्हापुर)
मास्टर, श्री भोलानाथ (अलवर)
मिनीमाता, अगमदास गुरू, श्रीमती (जंजगीर)
मिर्जा, श्री बाकर अली (सिकन्दराबाद)
मिश्र, श्री स० एन० (कनौज)
मिश्र, श्री ग० शं० (छिन्दवाड़ा)
मिश्र श्री जनेश्वर (फूलपुर)
मिश्र, श्री विभूति (मोतिहारी)
मिश्र, श्री श्रीनिवास (कटक)
मिश्र, श्री श्रीपति (सुल्तानपुर)
मीना, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
मुकने, श्री यशवन्त राव (दहानु)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुत्तुस्वामी, श्री सी० (करूर)
मुल्ला, श्री आनन्द नारायण (लखनऊ)
मुहम्मद इमाम, श्री जे० (चित्रदुर्ग)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)
मुहम्मद यूसुफ, श्री (सीवन)
मुहम्मद शरीफ, श्री (रामनाथपुरम)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मृत्युन्जय प्रसाद, श्री (महाराज गंज)
मेघ चन्द्र श्री (आन्तरिक मनीपुर)
मेनन, श्री कृष्ण (मिदनापुर)
मेनन, श्री गोविन्द (मुकन्दपुरम)
मेनन, श्री विश्वनाथ (एरणाकुलम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)

मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मोडक, श्री वि० कु० (हुगली)
मोडी, श्री पीलु (गोधरा)
मोलहू प्रसाद, श्री (बांसगाँव)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़-दक्षिण)
मोहिन्द्र कौर, श्रीमती (पटियाला)

य

याज्ञिक, श्री (अहमदाबाद)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव श्री जगेश्वर (बांदा)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (देहरादून)

र

रंगा, श्री (श्रीकाकुलम)
रघुरामैया, श्री (गुन्टूर)
रजनीदेवी श्रीमती (रायगढ़)
रणजीत सिंह, श्री (खलीलाबाद)
रणधीर सिंह, श्री (रोहतक)
रमानी, श्री (कोयम्बत्तूर)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजशेखरन, श्री (कनकपुरा)
राजाराम, श्री (सेलम)
राजू, डा० द० स० (राजमंड्रि)
राजू, श्री द० ब० (नरसापुर)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (धनबाद)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राघाबाई, श्रीमती (भद्राचलम)
राने, श्री एस० आर० (बुलडाना)
राम, श्री तु० (अरारिया)
रामचरण, श्री (खुर्जा)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
रामधनी दास, श्री (गया)
राम भद्रन, श्री टी० डी० (तिन्द्रीवनम्)
राम मूर्ति, श्री (मदुरै)
राम मूर्ति, श्री एस० पी० (शिवकाशी)
राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सुभग सिंह, डा० (बक्सर)
राम सेवक, श्री (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रोबर्ट्सगंज)
राय, श्री चितरंजन (जयनगर)
राय, श्री रवि (पुरी)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती उमा (माल्दा)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, डा० वी० के० आर० वी० (बेल्लारी)
राव, श्री क० नारायण (बोबिबली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री रामपथी (करीम नगर)
राव, श्री तिरूमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (नगर कुरनूल)
राव, श्री रामेश्वर (महबूब नगर)
राव, श्री नरसिम्हा (पार्वतीपुरम)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एन्थनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरियीलगुडा)
रेड्डी, श्री दशरथ राम (कावली)
रेड्डी, श्री नारायण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री नीलम संजीव (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्रीमती सुधा (मधुगिरी)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री क० (तुमकुर)
लक्ष्मी कान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (मेडक)
ललित सेन, श्री (मन्डी)
लास्कर, श्री नि० रं० (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मुंघेर)
लुत्फुल हक, श्री (जंगीपुर)
लोबो प्रभु, श्री (उदिपि)

व

वंश नारायण, श्री (मिर्जापुर)
वर्मा, श्री प्रेमचन्द (हमीरपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
विजयराजे श्रीमती (छतरा)
विद्यार्थी, श्री रामस्वरूप (करौलबाग)
विश्वनाथन, श्री (वंडीवाश)
विश्वनाथन श्री तेन्नेटि (विशाखापटनम)
विश्वम्भरम, श्री (त्रिवेन्द्रम)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वेंकटासुब्बया, श्री पें० (नन्दयाल)
वेंकटा स्वामी, श्री (सिद्धिपेट)
व्यास, श्री रमेशचन्द्र (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शम्भू नाथ, श्री (सैदपुर)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (भंजनगर)
शर्मा, श्री दी० चं० (गुरदास पुर)
शर्मा, श्री ना० स्व० (डुमरियागंज)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री यज्ञदत्त (अमृतसर)
शर्मा, श्री योगेन्द्र (बेगुसराय)
शर्मा, श्री रामावतार (ग्वालियर)
शर्मा, श्री वेणी शंकर (बंका)
शर्मा, श्री शिव (विदिशा)
शशि भूषण श्री (खारगोन)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शारदानन्द, श्री (सीतापुर)
शालवाले, श्री राम गोपाल (चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (हापुड़)
शास्त्री, श्री रघुवीर सिंह (बागपत)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिव कुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाह, श्री टी० पी० (कांकर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाह, श्री वीरेन्द्र कुमार (जूनागढ़)
शाह, श्री शान्तिलाल (उत्तर-पश्चिम-बम्बई)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शिकरे, श्री (पंजिम)
शिन्दे, श्री अन्नासाहिब (कोपरगांव)
शिव चंडिका प्रसाद, श्री (जमशेदपुर)
शिव चरण लाल, श्री (फिरोजाबाद)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिवप्पा, श्री (हसन)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपुरेम्बदूर)
शुक्ल, श्री शं० ना० (रीवा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमंद)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
श्रीधरन, श्री (बडागरा)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संजीरूपंजी, श्री (दादरा तथा नगर हवेली)
संत बक्स सिंह, श्री (फतेहपुर)
संतोषम, डा० म० (तिरुचेंडर)
संबन्धन, श्री (तिरुताणि)
सईद, श्री प० मु० (लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सेट, श्री अब्राहीम सुलेमान (कोजीकोडे)
सत्य नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
सप्रे, श्रीमती तारा (बम्बई-पूर्वोत्तर)
सलीम, श्री मु०यू० (नलगौंडा)
सहगल, श्री अ० सिं० (बिलासपुर)
सांघी, श्री न० कु० (जोधपुर)
साम्भली, श्री इस्हाक (अमरोहा)
साधू राम, श्री (फिल्लौर)
साबू, श्री श्रीगोपालन (सीकर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
साम्बसिवम, श्री (नागपट्टिणम)
साल्वे, श्री न० कु० (बेतूल)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)

साहा, डा० शि० कु० (वीरभूम)
सिंह, श्री जि० ब० (साहाबाद)
सिंह, दि० ना० (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री दे० वि० (सतना)
सिंह, श्री मुद्रिका (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम कृष्ण (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्यनारायण (दरभंगा)
सिद्दय्या श्री (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद श्री (नालंदा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सुदर्शनम, श्री म० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुन्दर लाल, श्री झा० (बस्तर)
सूपकार श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सुब्रावेलू, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर सिंह, श्री (झाबुपुर)
सूर्य नारायण, श्री को० (एलूरू)
सेक्वीरा, श्री (मरमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री तु० म० (कच्छ)
सेठी, श्री प्र० चं० (इन्दौर)
सेतुरामे, श्री नं० (पांडिचेरी)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री अ० कु० (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री देवेन (आसनसोल)
सेन, श्री द्वैपायन (कटवा)
सेन, श्री फ० गो० (पूर्णिया)
सैयद अली, श्री (जलगांव)
सोंधी, श्री मनोहर लाल (नई दिल्ली)
सोनार, डा० अ० ग० (रामटेक)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोमसुन्दरम, श्री (थंजावूर)
सोमानी, श्री नन्दकुमार (नागौर)
सोलंकी, श्री प्र० सं० (कैरा)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधी नगर)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)
स्वेल, श्री (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हजरनवीस, श्री (चित्तूर)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रुगढ़)
हनुमन्तय्या श्री (बंगलौर)
हरिकृष्ण, श्री (इलाहाबाद)
हाल्दर, श्री कं० (मथुरापुर)
हिम्मतसिंहका, श्री (गोड्डा)
हीरजी भाई, श्री (बांसवाडा)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लन

उपाध्यक्ष

रिक्त

सभापति तालिका

श्री गाडिलिंगन गौड

श्री वासुदेवन नायर

श्री एम० बी० राणा

श्री एस० आर० राने

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

श्री क० ना० तिवारी

सचिव

श्री श्याम लाल सकसेना

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वैदेशिक व्यापार मंत्री	श्री ब० रा० भगत
गृह-कार्य मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
खाद्य तथा कृषि और श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री	श्री जगजीवन राम
विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री	श्री गोविन्द मेनन
पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री	डा० त्रिगुण सेन
शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री	डा वी० के० आर० वी० राव
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री	श्री के० के० शाह
वैदेशिक-कार्य मन्त्री	श्री दिनेश सिंह
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री	डा० कर्ण सिंह
प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री	श्री स्वर्ण सिंह
सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री	श्री सत्य नारायण सिंह

राज्यमन्त्री

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री भागवत झा आजाद
शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री भक्त दर्शन
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	डा० श्री चन्द्रशेखर
पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री दा० रा० चव्हाण
विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमन्त्री	डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री	श्री इ० कु० गुजराल
पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री जगन्नाथ राव
पूर्ति मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री र० के० खाडिलकर
प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री ल० ना० मिश्र

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री	श्री रघुरामैया
सिंचाई और विद्युत मन्त्री	श्री कु० ल० राय
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री प्र० चं० सेठी
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री अन्नासाहिब शिन्दे
गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री	श्री विद्या चरण शुक्ल
सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री	श्री शेर सिंह
उप-मन्त्री	
रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री डा० एरिंग
शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री स० चु० जमीर
प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री मं० रं० कृष्ण
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप-मन्त्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी
गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री के० एस० रामस्वामी
वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री	चौधरी राम सेवक
विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री	श्री मु० यूनस सलीम
उप-मन्त्री	श्रीमती अन्दिनी सत्पथी
सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
औद्योगिक विकास, आंतरिक न्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री भानु प्रकाश सिंह
संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री इकबाल सिंह
वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 17 नवम्बर, 1969/26 कार्तिक, 1891 (शक)
Monday, Nov. 17, 1969/Kartika 26, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने पांच मित्रों, अर्थात् श्री वी० वाई० तामस्कर, महन्त दिग्विजय नाथ, श्री सुबिमन घोष, श्री सीताराम अस्थाना और श्री वी० बी० गांधी के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री तामस्कर मध्य प्रदेश के दुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनका 7 सितम्बर, 1969 को 67 वर्ष की आयु में दुर्ग में स्वर्गवास हो गया।

महन्त दिग्विजय नाथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निर्वाचन-क्षेत्र से इस सभा के सदस्य थे। 1967 से अपने चुनाव के समय से उन्होंने सभा के कार्य में बहुत रुचि ली। वह बहुत लोकप्रिय सदस्य थे।

वह बड़े परिपक्व विचारों के व्यक्ति थे। अपने समय में वह एक बड़े क्रान्तिकारी रहे। उनका 28 सितम्बर, 1969 को गोरखपुर में अकस्मात ही देहान्त हो गया। उस समय उनकी 74 वर्ष की आयु थी।

श्री सुबिमन घोष 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उनका 21 अक्तूबर, 1969 को बर्दमान में देहान्त हो गया।

श्री सीताराम अस्थाना 1952 से 1957 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। उनका 3 नवम्बर, को 79 वर्ष की आयु में आजमगढ़ में देहान्त हो गया।

श्री वी० बी० गाँधी 1952 से 1957 तक प्रथम लोक सभा के और 1962 से 1967

तक दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे । वह लोक-सभा और संसदीय समितियों के कार्यों में बहुत रुचि लेते थे । वह 1955-1957 में लोक लेखा समिति के सभापति रहे। उनका 3 नवम्बर 1969 को 73 वर्ष की आयु में बम्बई में देहान्त हो गया ।

हमें इन मित्रों के निधन पर बहुत दुख है । मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवारों को संवेदना सन्देश भेजने में सदन मेरे साथ शरीक है ।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अपने दिवंगत सहयोगियों के निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं । श्री तामस्कर लम्बी अवधि के अनुभव के बाद यहां आये थे । सार्वजनिक कार्यों में अब हमें उनके अनुभव का लाभ नहीं हो सकेगा ।

महन्त दिग्विजय नाथ ने शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में बहुत सम्मान प्राप्त किया । उन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में विशेष रूप से भाग लिया था । वह गोरखनाथ मन्दिर के प्रसिद्ध महन्त थे और उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करायी । श्री सुबिमन घोष फारवर्ड ब्लाक के और बाद में प्रजा समाजवादी दल के एक प्रमुख सदस्य थे । श्री सीताराम अस्थाना एक अध्यापक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे ।

श्री वी० बी० गांधी एक विख्यात अर्थ शास्त्री थे । वह पहली और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे । वह लोक लेखा समिति के सभापति और दूसरे वेतन आयोग के सदस्य रहे । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संतप्त परिवारों को सभा का संवेदना सन्देश भेजें ।

अध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : आप उनको पहले बोलने के लिये कैसे अनुमति दे रहे हैं ।

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : We are very grieved to...

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस प्रश्न को निधन सम्बन्धी उल्लेख के दौरान उठाना नहीं चाहता था । परन्तु यहां यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष महोदय उन दलों को मान्यता देते हैं जो सभा के अन्दर और सभा से बाहर कार्य कर रहे हों । हमें मालूम नहीं है कि डा० राम सुभग सिंह ऐसे किस दल के नेता हैं । इस पर विचार किया है ।

Shri Atal Bihari Bajpayee (Balrampur) : Sir, if such points of order were to be raised, we could also have raised one when the Prime Minister had risen. We could say that she had been expelled from the Congress Party. We are referring to the passing away of our colleagues. Keeping in view the seriousness of the matter, we did not raise that point.

It is not proper to raise a point of order at such a movement.

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न उठाने के लिए और भी अवसर आयेंगे । इस समय मैं किसी भी सदस्य को बोलने के लिए बुला सकता हूँ । इस समय यह प्रश्न उठाना अनुचित है ।

Dr. Ram Subhag Singh : These five friends served the country through their parties and Parliament. Shri Tamaskar had earned good name not only in Madhya Pradesh but in foreign countries also. Mahant Digvijay Nath had done a great deal of work in the political and educational fields. He was responsible for the establishment of Gorakhpur University.

Shri Subiman Ghosh was a senior member of the Forward Block. Shri Sita Ram Asthana was a respected Congress worker of Eastern V. P. Shri V. B. Gandhi's, contribution as Chairman of Public Accounts Committee was commendable.

We pay our tribute to these departed friends and pray for peace to their souls.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) दिवंगत सदस्यों के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं मैं भी उनके साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

ये सभी मित्र देश भक्त थे । श्री वी० बी० गांधी को मैं निजी रूप से जानता था । वह एक विद्वान व्यक्ति थे । उनका सभा में योगदान बहुत अधिक था । मैं चाहता हूं कि इन सभी व्यक्तियों के संतप्त परिवारों को संवेदना सन्देश भेजे जायें ।

Shri Atal Bihari Vajyayee : Sir, when we meet in the Session, we find that some of our colleagues are no more with us. Only a few days back we were in the company of Shri Digvijay Nath and Shri Tamasker. They are no more in this world now. Shri Digvijay Nath took great interest in and worked actively in the struggle for freedom. He left Congress Party on the question of nationalism and communalism. He joined Hindu Mahasabha thereafter. He had clear views on various subjects.

Shri Tamasker was a member of P.S.P. He did service in the capacity of a member of M. P. Vidhan Sabha and Parliament. Shri V. B. Gandhi represented the predominantly labour constituency of Bombay. His contribution as Chairman of Public Accounts Committee will always be remembered. Shri Ghosh had great interest in matters pertaining to labour. As Deputy-Chairman of the All India Station Masters Association he fought for the interests of wotking class. Shri Asthana was a member of Third Lok Sabha. I pay my tribute to the departed friends and request you to convey our condolences to the bereaved families.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : संसद में डी० एम० के० दल की ओर से मैं इन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आप कृपया संतप्त परिवारों को हमारा संवेदना सन्देश भेज दें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इन पांच दिवंगत साथियों के प्रति जो भावनायें व्यक्त की गई हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । इनमें से तीन सदस्यों के साथ मेरे घनिष्ट सम्बन्ध थे । महन्त दिग्विजय नाथ जी देश के स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्धित रहे थे । वह शिष्टाचार की मूर्ति थे । श्री सुबिमन घोष एक प्रतिष्ठित नेता थे और पश्चिमी बंगाल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत योगदान दिया । उनके निधन से जो हानि हुई है वह पूरी नहीं हो सकती ।

श्री वी० बी० गांधी को मैं प्रथम लोक सभा के समय से जानता हूं । वह आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ थे । श्री तामस्कर और श्री अस्थाना का भी विशेष योगदान था हमें इनके निधन पर बहुत शोक है । आप कृपया उनके संतप्त परिवारों को हमारा संवेदना सन्देश भेज दें ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, my Party-Sanyukat Socialist Party—associates itself with the sentiments expressed on the passing away of these five elderly Members. I would request you to convey our condolences to the bereaved families.

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : अपने दल की ओर से मैं अपने आपको यहां व्यक्त की गई भावनाओं से सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया संतप्त परिवारों को हमारा संवेदना सन्देश भेज दें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इन दिवंगत साथियों के निधन पर मैं अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री अस्थाना को छोड़ शेष सभी को मैं घनिष्ठता से जानता था। श्री सुबिमन घोष हमारे दल में शामिल हो गये थे। गत चुनावों में उन्होंने बंगाल विधान सभा के लिये चुनाव लड़ा था।

यह बड़े दुख की बात है कि जब हम लोक-सभा के सत्र के लिए समवेत होते हैं तो पहले दिन हमें अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलियां अर्पित करनी पड़ती है। इन मित्रों ने देश की बहुत सेवा की। हम संतप्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : निर्दलीय संसदीय ग्रुप की ओर से मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। श्री महन्त दिग्विजय नाथ जी की मृत्यु से न केवल गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को हानि हुई है बल्कि इससे समूचे देश को हानि हुई है। वह उदयपुर के राणा परिवार में पैदा हुए थे। उनके चाचा ने उन्हें 5 वर्ष की आयु में गोरखपुर ट्रस्ट को सौंप दिया था। वहीं पर वह एक बड़े महन्त बने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। अन्त में वह हिन्दू महा सभा में आये। उस संगठन में मैं उनके सम्पर्क में आया। उनका सभी लोग आदर करते थे। बंगाल में अकाल के दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं उनकी आत्मा के लिए शान्ति की कामना करता हूँ।

श्री सुबिमन घोष बर्दवान के एक प्रमुख वकील थे। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Shri Mahant Digvijay Nath was the greatest Nath Mahant. But he also took active part and contributed a lot to political and educational activities. He was responsible for the establishment of Gorakhpur University and Rana Pratap College. He took great interest in Parliamentary activities. I pay my tribute to him and to other friends who are no more with us.

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Sir, Mahant Digvijay Nath was an active member of our Group here. He was given over to Guru Gorkhnath Temple when he was only four years old. He was born in the family Ranas of Udaipur.

Mahant Digvijay Nath established many educational institutions. His services will be long remembered. Shri Tamaskar was an eminent lawyer. He was leader in the M. P. Vidhan Sabha. His work there was a very high order.

Sir, I associate myself with the sentiments expressed by hon. friends in regard to other departed friends. I request you to convey our condolences to the bereaved families.

(इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे)

(The members then stood in silence for a short while.)

व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : खड़े हुए ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : पहले प्रश्न काल होना चाहिए ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : प्रश्न काल पहले होना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री क० लकप्पा : उन्हें किस नियम के अनुसार बोलने की अनुमति दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दी है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, before you take up questions, I want to raise an important point of order and want you to give your ruling on that. I have given notice of this to you. Sir, today is a day of historical importance. (*Interruptions*.) Sir, I am speaking with your permission. I am sorry that I am not being allowed to proceed..... We have parliamentary democracy here. It functions on the basis of democratic parties. The party which obtains majority vote is invited to form Government. Congress Party secured majority in 1967 elections. It elected Shrimati Indira Gandhi as its leader. Now she has been removed from that Party. I want to know which is the ruling party now ?

Secondly, this Government do not command majority in this House anymore. This is a Government of a minority party now. I want that the credentials of the Indira Gandhi Government should be discussed first. (*Interruptions*.)

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस समय प्रश्न यह उत्पन्न होता है । ...(**अन्तरबाधाएं**)...यह इन्दिरा गांधी की सरकार हो सकती है परन्तु यह कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है । मैं जानना चाहता हूँ आप उनको कैसे शासक दल मानते हैं । जबकि उनके अध्यक्ष ने आपको तथा राष्ट्रपति को सूचना दे दी है कि वह कांग्रेस पार्टी में नहीं है । कांग्रेस पार्टी का नेता आज मेरे साथ बैठा है । मैं इस प्रकार की परिस्थिति की गत 20 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था । मैंने प्रधान मन्त्री के पिता को भी इसकी चेतावनी दी थी ।

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : इस सदन के सदस्य के रूप में मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ नियमों के अन्तर्गत प्रश्न सरकार से पूछे जायेंगे और इस समय सरकार यहां पर विद्यमान है । संसद में कांग्रेस पार्टी है और इसका अपना संविधान हैं । उसके अनुसार प्रधान मन्त्री को बहुमत का विश्वास प्राप्त है और वही दल की नेता है ।

डा० राम सुभग सिंह : कच्छ के विवाद के मामले में विधि मन्त्री ने सरकार को गलत सलाह दी थी और उसके फलस्वरूप सभी कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं सभी कानूनी विषयों पर उनकी सलाह बाद में गलत सिद्ध होती है । इस मामले में भी यही स्थिति है ...(**अन्तर्बाधाएं**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका ध्यान प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

यदि सदस्य समझते हैं कि सरकार का सदन में बहुमत नहीं रहा तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिये अनेक तरीके सुझाये गये हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव लम्बित हैं। यदि आप चाहें तो उस पर जोर दे सकते हैं। कई अन्य उपाय भी सुझाये गये हैं परन्तु इस प्रश्न को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता। अब हम प्रश्नों को लेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Committee to Assess the Losses of Life and Property caused by Floods in Uttar Pradesh

*1. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had appointed some Committee to look into and assess the losses of life and property as a result of floods in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the details in regard to the said losses according to the report of the Committee : and

(c) whether the Committee has made some suggestions in their report in regard to the remedial measures against floods ; if so, the details thereof ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b). No Committee has been appointed by the Central Government to look into and assess the loss of life and property as a result of floods in Uttar Pradesh. However, as is usual at the time of natural calamities, on the request of the Government of Uttar Pradesh, the Government of India deputed a team of officers in September-October, 1969 for an on the spot assessment of the relief measures. In their report, the Team has recommended a ceiling of expenditure of Rs. 40 lakhs for restoration of irrigation works (embankments), Rs. 75 lakhs for repair to roads and bridges, Rs. 150 lakhs for Relief items such as free distribution of foodgrains and cash assistance, house building grants, test relief works and Rs. 25 lakhs for loan for purchase of cattle and other agricultural purposes, as floods of relief measures in Uttar Pradesh during 1969-70.

(c) The Central Team is not a technical team and its main function is to ascertain the extent to which the requirements of funds for the relief operations can be met from the annual plan provision, and to what extent additional expenditure on major works and on various types of gratuitous relief and on the unproductive works is required.

Shri Ram Sewak Yadav : It has been stated in the statement laid on the Table of the House that a Committee visited U. P. to evaluate the assistance being given to the flood victims of that State. That Committee indicated certain amounts after making its assessment. I want to know the basis of that assessment ? Was that based on the losses suffered and the requirements to that effect or on the some other considerations ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : योजना आयोग द्वारा नियुक्त दल की उस क्षति का अनुमान लगाना है जिसकी मरम्मत की शीघ्र आवश्यकता है। दल ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया तथा

उसके आधार पर निर्धारण किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता एवं शीघ्र मरम्मत के कार्यों के लिए कुल 2.9 करोड़ रुपया दिया जाए।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated that the Central Committee which visited there, made an assessment of the loss of life and property suffered there. May I know the extent of loss caused to crops in Uttar Pradesh floods, how many lives have been lost, how many cattle heads perished and the number of bridges etc. which collapsed and the value thereof ?

It has been stated in the statement that the Committee was not a technical one. Then what was the basis on which the Committee has suggested that some specified amount should be given for the works regarding bridges etc. ? Is the aid proposed is sufficient in view of the losses suffered ?

डा० कु० ल० राव : कुल 38 करोड़ रुपये की क्षति हुई जिसमें से 24 करोड़ रुपये फसलों की, 3 करोड़ रुपए मकानों की तथा शेष अन्य वस्तुओं की थी। क्षति का यह निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही किया गया है।

इस दल का सीमा क्षेत्र सीमित था और यह केवल अधिकारियों का दल था जिसे सहायता कार्यों के लिए धन देने के लिए भेजा गया था। इसे बांधो की क्षति एवं उनकी मरम्मत पर कोई टिप्पणी नहीं करनी थी। इसे तो केवल यही बताना था कि सहायता तथा मरम्मत के कौन से कार्य शीघ्र करने चाहिए। इसे इस बात का अनुमान नहीं लगाना था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी क्षति हुई है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What are the factors which the Government keep in view while giving assistance to flood-affected areas. Floods have occurred in various States, to which assistance has also been given. The grievance of Uttar Pradesh is that it is a big State and floods have caused greater havoc there but even then the Government has given less assistance to it due to political considerations. How far it is true ?

डा० कु० ल० राव : भारत सरकार दो तरह की सहायता देता है ; एक शीघ्र मरम्मत कार्यों के लिए और दूसरे सहायता कार्यों के लिए। भारत सरकार ने केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आसाम आदि के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में एक समिति को भेजा और इस समिति ने आवश्यक मरम्मतों और सहायता कार्यों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें बड़ी बड़ी मरम्मत की योजनाएं भेजती हैं जिन के लिए धन की आवश्यकता होती है। वह धन प्रायः राज्य की योजना से दिया जाता है और बहुत कम मामलों में सहायता बाह्य स्रोतों से दी जाती है। उदाहरण रूप से पश्चिम बंगाल को कुछ सहायता बाहर से दी गई थी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के कथन में विशेष सार नहीं है।

Shri Chandrika Prasad : Do the Government contemplate to give assistance to these families who lost their men and cattle in the floods in East districts of Uttar Pradesh ?

The Uttar Pradesh Government has asked for 3 crores rupees for remodelling of bridges. May I know whether the Government have given that amount to U. P. Government and if not, do they propose to do so ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश में, विशेषतः बहराइच गोंडा और बस्ती

आदि जिलों में भारी क्षति हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए सहायता कार्यों पर व्यय किए हैं। वे अधिक सहायता के लिए कहते आ रहे हैं। भारत सरकार उस पर विचार कर रही है।

Shri Chandrajeet Yadav : The hon. Minister has admitted that heavy damage has been caused in Uttar Pradesh due to floods and the State Government spent three crores of rupees on relief works. Has the Central Goverament taken a decision regarding the quantum of assistance to be given to that State ? The losses have generally been suffered by the poor people living on river banks. They have lost their houses, cattle and crops. In view of all this would the assistance of three crores of rupees asked for by Uttar Pradesh Government be granted ? Are the Government considering any plan, in consultation, with the State Government, to prevent the repeated losses by floods in these areas ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने पहले बताया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपया वितरित किया हैं और मुझे विश्वास है कि केन्द्र उसकी प्रति पूर्ति कर देगा। दूसरे उपाय जुटाने के बारे में एक योजना तैयार की गई है जिसकी क्रियान्विति धन की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

Shri Prakash Vir Shastri : There are certain places in Uttar Pradesh that are affected by floods every year and hon. Irrigation Minister visited some of them. Thousand of acres of land is affected by floods as a result of which cattle heads and crops perish. In respect of some of these places the hon. Irrigation Minister had taken a decision that a survey would be conducted to see if dams could be constructed there. May I know that the time by which a final decision would be taken in the matter and the time by which the work could commence ?

डा० कु० ल० राव : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य गंगा घाटी में खादर क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। वहां 30 निचली स्तर के क्षेत्र है और 16 लाख एकड़ भूमि उसके अन्तर्गत है। वहाँ की धरती बड़ी उपजाऊ है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। माननीय सदस्य ने हसनपुर तहसील का उल्लेख किया है। आशा है कि जनवरी, 1970 तक योजना तैयार हो जाएगी।

Shri Arjun Singh Bhadoria : The floods and drought have been occurring every year during the last 22 years. May I know whether the Central Goverument has drawn any permanent scheme of flood central in U. P. ?

How does the ratio of assistance given to other States in respect of floods and drought compare with that given to Uttar Pradesh ? So far as we know Prime Minister visits a State, dressed like a Sadhu, at might and returns after giving a sum of 14 crores of rupees as flood relief. May I know the reason for neglecting the large State of Uttar Pradesh ?

डा० कु० ल० राव : मैं स्वीकार करता हूँ कि बाढ़ अब भी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। आसाम, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह समस्या बनी हुई है। स्वाधीनता के बाद हमने उत्तर प्रदेश में बाढ़ सम्बन्धी कार्यों पर 20 करोड़ रुपए व्यय किया है। हमारे पास योजनाएं तो हैं, परन्तु समस्या धन की है। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ कार्यों के लिए धन दिया जाना चाहिए।

Shri Sarjoo Pandey : Narayani, Ghagra and Ravati river valley project was being discussed. Has the Government given an assurance to finance it as a permanent remedy for flood central ?

The Government formulated a scheme for raising the level of villeges to check floods, which was later on given up. Has the Government again suggested for raising the level of the villages or not ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने बताया, ऐसा दल जिसके सदस्य केवल अधिकारी हैं। धन के बारे में आश्वासन नहीं दे सकता। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3500 गांवों के स्तर ऊंचे करने के लिए कहा था। तीन करोड़ रुपये की यह अच्छी योजना है। उन्होंने इसके लिए वित्तीय सहायता के लिए लिखा है और प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

Shri Sharda Nand : Is the hon. Minister aware that there was a Government proposal to deepen the rivers in order to check the floods and for that purpose certain areas were surveyed. If so, what progress has been made in the implementations of that scheme ?

Mr. Speaker : The question relates to the attaintment of a Committee on floods and not to the scheme.

I want to tell the hon. Members at the opening of the session that they should ask a straight question and should avoid lengthy prefaces. That would enable the members to take up more questions I attended the Speaker's Conference and also enquired of the Speaker of the House of Commons. He told me that they allowed the first member to ask one question and one supplementary question was allowed and that we have a strange procedure ; there is so much freedom in India. If the hon. members do not want to reduce the number of question, they should at least give up introductions or prefaces.

श्री विश्वनाथ राय : क्योंकि भारत सरकार ने पहली लोक सभा में घोषणा की थी कि जो राज्य बाढ़ सूखे....

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि यह प्रश्न एक विशेष समिति के बारे में है ?

श्री विश्वनाथ राय : उस अवस्था में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई योजना भेजी हैं जिसमें बाढ़ सम्बन्धी सहायता के लिए अपेक्षित धन की बात हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

प्रश्न संख्या 2 ; श्री पीलु मोदी।

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : इससे पहले कि प्रश्न का उत्तर दिया जाय क्या मैं नए मन्त्री श्री खाडिलकर का परिचय दूं, जो प्रश्न का उत्तर देगें।

श्री पीलु मोदी : मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था।

भारत कृषक समाज द्वारा डब्ल्यू० ए० एफ० मैमोरियल फार्मर्स ट्रस्ट को भारी धन राशि का हस्तान्तरण

+

*2. **श्री पीलु मोदी :**   **श्री श० को० प्रबीन :**
श्री गु० च० नायक :   **श्री महेन्द्र माझी :**

श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कृषक समाज ने, जिसके प्रधान केन्द्रीय खाद्य मन्त्री हैं, डब्ल्यू०ए०एफ० मैमोरियल फार्मर्स ट्रस्ट के नाम हाल में कई लाख रुपये हस्तान्तरित किये थे ;

(ख) क्या यह हस्तान्तरण नियमानुसार था ;

(ग) क्या कृषक न्यास ने हस्तान्तरित राशि को बाद में किसी गैर-सरकारी संस्था में लगा दिया था जिसे अब लगभग बट्टे खाते में डाल दिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात से अवगत कर दिया गया है और यदि हाँ, तो इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

वित्त मन्त्रालय में मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) वस्तुस्थिति यह है कि भारत कृषक समाज ने 1964 में एक न्यास बनाया और इसे विश्व कृषि मेला स्मारक कृषक कल्याण न्यास संस्था के नाम से रजिस्टर कराया। समाज ने 1964 में अपनी ही निधि से 9.83 लाख रुपये की रकम इस न्यास के नाम अन्तरित कर दी। जहां तक केन्द्रीय खाद्य मन्त्री का सम्बन्ध हैं, वे इस समाज के अध्यक्ष अभी 1968 में बने हैं।

(ख) से (घ). कृषक न्यास संस्था के नाम इस रकम का अन्तरण भारत कृषक समाज के उद्देश्यानुकूल ही था। सरकार के जानने में आया है कि कृषक कल्याण न्यास संस्था ने इस रकम का उपयोग कनाट प्लेस में एक इमारत खरीदने में किया है, जिस इमारत से संस्था को लगभग 4,000 रु० महीने की किराये की आमदनी हो रही है। यह आय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में काम आ रही है।

श्री पीलु मोदी : सदन में अत्याधिक शोर होने के कारण मैं मंत्री महोदय के उत्तर को को सुन नहीं सका। जो कुछ उन्होंने कहा है मुझे मान्य नहीं है। क्या यह सच है अथवा नहीं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस न्यास में हुई कुछ अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा था और यदि हां तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय कोई सुझाव दिया गया था कि ऐसे निकायों से सरकार के किसी मंत्री का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि खाद्य मंत्री 1968 में इस समाज के प्रधान बने। मैं यह जानना चाहता था कि क्या ऐसा हुआ है कि 1968 में इस बात का पता लग गया था कि इस संस्था ने इतना अधिक धन एकत्रित कर लिया है।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह तो आक्षेप लगाया गया है। मैं नहीं समझती कि मेरे लिए इसका उत्तर देने की आवश्यकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, this is for you to decide whether there is any insinuation in this question or not. If you have allowed any question, the hon. Minister cannot refuse to answer that. Kindly ask the hon. Minister to give reply to it.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि आप किसी मन्त्री महोदय को उत्तर न देने की अनुमति देंगे तो यह खतरनाक पूर्वोदाहरण बन जायेगा। यदि कोई प्रश्न आक्षेप पूर्ण, अपमानजनक अकीर्तिकर है तो उस प्रश्न को अस्वीकार करना आप पर निर्भर करता है। यदि आप एक बार प्रश्न करने की अनुमति देते हैं तो मन्त्री महोदय को उसका उत्तर देना ही पड़ेगा।

श्री म० ला० सोन्धी : यह कहना कि 'यह आक्षेप है' सदन का अपमान करना है।

श्री पीलु मोदी : मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं सूचना दे रहे हैं। सूचना देने के बजाए अच्छा होता कि वह सीधा प्रश्न करते। माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने उत्तर सुना नहीं। अतः मैं मन्त्री महोदय से अपना उत्तर दोहराने के लिए निवेदन करूंगा ताकि माननीय सदस्य पुनः सुन लें।

श्री पीलु मोदी : मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं और न ही मैंने निवेदन किया है। इसके लिए आप क्यों कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के उत्तर को सुने बिना अनुपूरक प्रश्न कैसे किया जायेगा ?

श्री खाड़िलकर : मैं उत्तर पढ़कर सुनाता हूं :

(क) वस्तुस्थिति यह है कि भारत कृषक समाज ने 1964 में एक न्यास बनाया और इसे विश्व कृषि मेला स्मारक कृषक कल्याण न्यास संस्था के नाम से रजिस्टर कराया। समाज में 1964 में अपनी ही निधि से 9.83 लाख रुपये की रकम इस न्यास के नाम अन्तरित कर दी। जहां तक केन्द्रीय खाद्य मन्त्री का सम्बन्ध है, वे इस समाज के अध्यक्ष अभी 1968 में बने हैं।

(ख) से (घ) : कृषक न्यास संस्था के नाम इस रकम का अन्तरण भारत कृषक समाज के उद्देश्यानुकूल ही था। सरकार के जानने में आया है कि कृषक कल्याण न्यास संस्था ने इस रकम का उपयोग कनाट प्लेस में एक इमारत खरीदने में किया है, जिस इमारत से संस्था को लगभग 4,000 रुपये महीने की किराये की आमदनी हो रही है। यह आय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में काम आ रही है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल अब समाप्त हो गया है।

श्री पीलु मोदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू को लिखा था कि इस विशिष्ट समाज के क्रिया कलाप विधि विरुद्ध हैं और ऐसी संस्थाओं के साथ मन्त्रियों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहिए मुझे वह भी पता चला है...

श्री खाड़िलकर : साधारणतः यह एक सुझाव था। परन्तु जब किसी संस्था का उद्देश्य समाज सेवा हो तो इसे गम्भीर नहीं समझा जा सकता। वह अपवाद है। यह एक संस्था है जो विशेष क्षेत्र में जनता की सेवा कर रही है। अतः इस बात का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री पीलु मोदी : क्या इस संस्था द्वारा दिये जाने वाले आय-कर सम्बन्धी प्रश्न का कभी निर्णय किया गया है ? जहां तक मुझे ज्ञात है कि इस संस्था का को आय-कर से मुक्त कराने सम्बन्धी इस मामले को अनेक वर्ष पूर्व उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भेजा गया था। परन्तु मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार, यह आश्चर्य की बात है कि, इसे आय-कर से मुक्त करने सम्बन्धी मामला अभी तक प्राधिकारियों के विचाराधीन है। क्या इस आय-कर सम्बन्धी मामले का सम्बद्ध मन्त्री महोदय से कोई सम्बन्ध है ?

श्री खाड़िलकर : मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहां तक इस कृषक समाज की निधियों का सम्बन्ध है, इन पर नियंत्रण समाज के अध्यक्ष का रहता है। जहां तक आय-कर का मामला है इस की जांच सम्बद्ध विभाग कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या संस्था को आय-कर से मुक्त कर दिया गया है अथवा नहीं ?

Shri Madhu Limaye : On a Point of Order, I want to draw your attention to rule 46, which reads as under :

> "A question not reached for an oral answer may be answered after the end of the question Hour with the permission of the Speaker, if the Minister represents to the Speaker that the question is one of special public interest to which he desires to give a reply."

I want to know from the hon. Minister through you whether he would like to give a reply to my question No. 12 regarding Shri Jagjivan Ram in public interest ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वह उत्तर देने में क्यों आनाकानी करते हैं। हमारे पास काफी समय है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shall we take it that the hon. Minister is hesitant to reply ?

Shrimati Indira Gandhi : Reply has been given.

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से नहीं कह सकता। यदि मन्त्री महोदय मेरे से कहेंगे तो मैं उन्हें अनुमति दे दूंगा।

Shri Madhu Limayee : I am asking from the hon. Finance Minister through you whether he is prepared for that ?

Mr. Speaker : Not through me.

श्री बलराज मधोक : मन्त्री महोदय को अपनी स्थिति स्पष्ट करते के लिए जल्दी से जल्दी अवसर लेना चाहिए। उनके लिए यह सुअवसर है। वह इस सुअवसर का लाभ क्यों नहीं उठाते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता।

श्री रंगा : मन्त्री महोदय इससे क्यों कतराते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की असंतोषजनक स्थिति

***3. श्री मधावन : श्री रा० बरुआ :**

श्री वेंगलराया नायडू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति पूर्णरूपेण संतोषजनक नहीं है और सुव्यवस्थित विकास कार्य पूर्ण गति से पुनः आरम्भ करने से पहले कई स्तरों पर उत्तम कार्य-निष्पादन की आवश्यकता होगी ;

(ख) यदि हां, तो देश की आर्थिक स्थिति के बारे में इस प्रतिवेदन में अन्य क्या बातें कही गई हैं ; और

(ग) देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हाँ। परन्तु यह बात इस संदर्भ में कही गयी है :—

"वर्ष के दौरान औद्योगिक स्थिति में फिर से सुधार होने, निर्यात में वृद्धि होने और क्रमिक रूप से अधिकाधिक क्षेत्रों में नये तकनीकों के उपयोग द्वारा और अधिक संख्या में फसलें उगा कर खेती की उपज के निरन्तर बढ़ने से अर्थ-व्यवस्था की स्थिति इतनी अनुकूल हो गयी है कि अब आर्थिक उन्नति की वह प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है जिसे पिछले कुछ वर्षों में धक्का लगा था।" 1968-69 में अर्थ-व्यवस्था में जो इतनी अच्छी प्रगति हुई है, उसकी प्रशंसा करते हुए रिपोर्ट में, मूल्यों को स्थिर रखने की कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गयी सफलता की ओर आगे बढ़ाने की, औद्योगिक क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को और कम करने की, जनता की बचतों की रकमों को खास तौर पर अधिक मात्रा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में लगाने की और हमारे निर्यात की प्रतियोगितात्मकता को बनाये रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया है ताकि भविष्य में तेजी से विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

(ग) सरकार इन समस्याओं से परिचित है और उसकी नीति बराबर इन समस्याओं को सुलझाने की रही है। चौथी आयोजना के शुरू हो जाने से सरकारी निवेश में वृद्धि हो जायगी और इससे उद्योगों को लाभ होगा । कृषि के क्षेत्र में नये तकनीकी को लागू करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। कुछ समय से मूल्यों पर पड़ने वाला दबाव अब कम हो गया है और निवेश की स्थिति में और सुधार होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमारे निर्यात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर नीति सम्बन्धी उपयुक्त परिवर्तन किये जाते हैं ।

पिछड़े राज्यों के प्रति न्यायोचित व्यवहार

*4. **श्री बै० कृ० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उन छः पिछड़े राज्यों के साथ न्यायोचित व्यवहार न किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार की आलोचना की है जिनका उल्लेख वांचू समिति ने किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पिछड़े राज्यों की उपेक्षा न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 'पिछड़े इलाकों का पता लगाने' और 'पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्व सम्बन्धी और वित्तीय प्रोत्साहन देने' से सम्बन्धित कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर 26 सितम्बर, 1969 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की बैठक में विचार किया गया, जिसमें अन्य राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त किये ।

सभा की मेज पर एक विवरण रखा गया है जिसमें बताया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की बैठक में क्या निश्चय किये गये थे ।

विवरण

26 सितम्बर, 1969 को राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की बैठक में किये गये निश्चय

(क) वित्तीय संस्थाओं और ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा उद्योगों की वित्त-व्यवस्था के लिए दी जाने वाली सामान्य रियायतें सभी राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों को उपलब्ध होनी चाहिए ;

(ख) ऐसे पिछड़े इलाकों का पता लगाने के लिये, जिन्हें औद्योगिक विकास के लिये प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है; वित्तीय और ऋण देने वाली संस्थायें राज्य सरकारों और योजना आयोग से सलाह करके उपयुक्त मापदण्ड निर्धारित करेंगी ;

(ग) भारत गरकार पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिये राज-सहायता देगी ; यह राज-सहायता सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की उन प्रायोजनाओं के लिये, जिनमें से प्रत्येक की पूंजीगत लागत 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, कुल पूंजीगत लागत के दसवें भाग के बराबर होगी ;

(घ) यह राज सहायता, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के नौ राज्यों में से प्रत्येक राज्य के दो-दो जिलों की औद्योगिक योजनाओं के लिये उपलब्ध होगी। अन्य राज्यों में, यह राज-सहायता प्रत्येक राज्य

के एक एक जिले में उपलब्ध होगी। प्रत्येक संघीय राज्यक्षत्र के भी एक जिले में इस प्रकार की राज-सहायता मिल सकेगी।

(ङ) केन्द्रीय राज-सहायता और वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली रियायतें, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगी।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर शांतिलाल शाह समिति का प्रतिवेदन

*5. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री जनार्दन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को शांतिलाल शाह समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण के ब'रे में विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या-क्या मूल्य सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, 1-11-1969 को।

(ख) से (घ) समिति की रिपोर्ट का सरकार इस समय मुआइना कर रही है और शीघ्र ही मुहैया कर दी जायेगी।

आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

*6. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री हेम बरुआ : **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ग) प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने उसके सुझावों को मान लिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) से (घ). रिपोर्ट की जाँच की जा रही है ।

नेफ्था का उत्पादन

*7. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों के एक अध्ययन के अनुसार 1975 तक नेफ्था कि कमी 21.3 करोड़ टन हो जाने की संभावना है और सरकार का विचार भविष्य में कच्चे माल के रूप में नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित नहीं करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार मिट्टी का तेल तथा अन्य सम्बद्ध उत्पादों का उत्पादन कम करके और नेफ्था उत्पादन बढ़ा कर नेफ्था की माँग और पूर्ति के अन्तर को दूर करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार नेफ्था की कमी कहां तक दूर हो जाने की आशा है ;

(घ) मिट्टी के तेल की मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल का कितना अधिकतम उत्पादन करने का विचार है ; और

(ङ) मिट्टी के तेल की कमी दूर करने के लिये कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नेफ्था के लिए विशेषज्ञ अध्यापन दल ने 1975 में नेफ्था की 213 मिलियन मीटरी टन नहीं, बल्कि 2 मिलियन मीटरी टन से कुछ अधिक कमी का पूर्वानुमान लगाया था । इस लिए, सरकार उर्वरकों के उत्पादन के लिये, प्रत्येक स्थान की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं सम्भव हो, इंधन तेल, कोयला आदि जैसे वैकल्पिक कच्चे माल के प्रयोग का प्रोत्साहन देती है ।

(ख) इस समय मिट्टी के तेल तथा अन्य सम्बद्ध उत्पादों के खर्च पर नेफ्था का उत्पादन निहित नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). मिट्टी के तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु कमी को आयात से पूरा करना पड़ेगा ।

आयकर निर्धारण अनिर्णित मामले

*8. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने मामले हैं जिन के बारे में सितम्बर मास के अन्त तक आय-कर निर्धारण नहीं हुआ था ; और

(ख) इन मामलों को जल्दी ही निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) दिनांक 30.9.1969 को ऐसे मामलों की संख्या 33,45,517 थी ।

(ख) आय-कर निर्धारणों को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किये गये विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) आयकर अधिकारियों की संख्या में 500 की वृद्धि ।

(2) आयकर विभाग में कर्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना चालू करना, जिसके अनुसार कर निर्धारण के कार्य को आयकर अधिकारी के अन्य कार्यों से अलग कर दिया गया है, जिससे इस काम पर ध्यान देने में गति और एकाग्रता आ सके ।

(3) आयकर निर्धारणों को पूरा करने की कानूनी मियाद को धीरे धीरे करके 4 वर्ष से 2 वर्ष कर देना ।

( ) केन्द्रीय कार्यक्षेत्र में आयकर आधिकारियों की संख्या बढ़ाना, जिससे आयकर निर्धारणों के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके, जिनमें जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होती है ।

(5) कम्पनियों के कर-निर्धारणों के मामलों को निपटाने में फुर्ती लाने के लिये कम्पनी सर्किलों की संख्या में वृद्धि ।

(6) छोटी आय के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये 16 अक्टूबर 1967 से अल्प आय योजना को उदार बना दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत, कम्पनी भिन्न मामलों में निर्दिष्ट वित्तीय सीमा तक की विवरणियों को स्वीकार करने में निर्धारितियों को आयकर कार्यालयों में नहीं बुलाया जाता, परन्तु ऐसा करने में कुछ प्रतिशत जांच और राजस्व के हित में निरुपित अन्य सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखा जाता है ।

(7) आयकर आयुक्तों द्वारा निपटान का लक्ष्य-निर्धारण तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उनकी समीक्षा, जिससे आयकर विभाग को उपलब्ध वर्तमान कर्मचारी संख्या से सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के लक्ष्य की पूर्ति हो सके ।

इन कर-निर्धारणों को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसका सही अनुमान लगाना

सम्भव नहीं है। तथापि, कर-निर्धारणों को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने और इनमें से अधिकांश को 31 मार्च 1971 तक निपटा देने की पूरी कोशिश की जा रही है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहकारी संस्थाओं को सहायता

*9. **श्री के० रमानी :** **श्री गणेष घोष :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री प० गोपालन :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने गत तीन वर्षों में सहकारी संस्थाओं को कम सहायता दी है और स्थिति यहां तक है कि निगम ने निर्णीत आवेदन-पत्रों का निपटान आगामी वर्ष में भी नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी समितियों से धन वसूल करने में निगम को कोई कठिनाई अनुभव हो रही है ;

(घ) क्या यह निगम साधारण तथा वित्त मन्त्रालय के माध्यम से राज्य सरकार को इस मामले की सूचना देती रही है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को पिछले वर्षों में जो सहायता दी है उसका ब्योरा नीचे की सारणी में दिया गया है :-

सारणी

करोड़ रुपयों में

30 जून को समाप्त हुए वर्ष में	वर्ष में मंजूर की गयी कुल वित्तीय सहायता (सकल रकम)	वर्ष में औद्योगिक संस्थाओं के लिए मंजूर की गयी सहायता (सकल रकम)	स्तंभ 2 के प्रति स्तंभ 3 का प्रतिशत
1	2	3	4
(क) पहले दो वर्षों में			
1965	33.44	2.63	8.0
1966	43.52	2.43	5.6
(ख) पिछले तीन वर्षों में			
1967	22.55	1.60	7.0
1968	26.73	13.20	49.0
1969	30.66	11.46	38.5

निगम द्वारा 1966-67 में पहले की अपेक्षा कम वित्तीय सहायता दिये जाने का कारण यह था कि उस समय उसके पास सीमित साधन थे और इसलिए निगम को पारस्परिक प्राथमिकता की एक प्रणाली अपनानी पड़ी जिसके अन्तर्गत चीनी उद्योगों और वस्त्र उद्योगों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी गयी थी। यह नीति विषयक प्रश्न भी विचाराधीन था कि क्या औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की उसी सामान्य दर से ऋण दिया जाना उचित होगा जब कि सहकारी संस्थाओं के लिए मंजूर किये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में केन्द्रीय/राज्य सरकारें गारंटी देती हैं तथा सरकार द्वारा गारंटी शुदा ऋणों पर साधारणतया 6½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है। इस प्रश्न पर, अगस्त, 1967 में अन्तिम रूप से निर्णय किया गया और औद्योगिक वित्त निगम को यह सलाह दी गयी कि वह औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को पहले की तरह 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण देता रहे। कुल मिलाकर पिछले तीन लेखा-वर्षों के आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होगा कि निगम ने औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को कम सहायता नहीं दी है।

जहां तक सहकारी संस्थाओं से प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्रों के निपटारे का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति नीचे की सारणी में बतायी गयी है :-

सारणी

सहकारी संस्थाओं से प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या	1966-67	1967-68	1968-69
(i) वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन आवेदन-पत्र	11	18	28
(ii) वर्ष में प्राप्त आवेदन-पत्र	10	30	3
	21	48	31
(iii) वर्ष में निपटाये गये आवेदन-पत्र			
(क) रद्द किये गये	—	—	—
(ख) वापस लिये गये	1	—	3
(ग) मंजूर किये गये	2	13	16
(iv) वर्ष के अन्त में विचाराधीन रहे आवेदनपत्र	18	28	12

1966-67 में, अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने के कारणों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। वे कारण थे :- साधन की अपर्याप्ता और सरकार द्वारा गारंटी-शुदा ऋणों के सम्बन्ध में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर के बारे में विचाराधीन प्रश्न।

जहां तक 30 जून 1968 को समाप्त हुए वर्ष के अन्त में विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि 1967-68 में 30 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे

और चूंकि उनमें से अधिकतर आवेदन-पत्रों में कुछ कच्चापन था इसलिए विस्तृत कार्यप्रणाली के अनुसार उन पर विचार नहीं किया जा सका। खास कर सूती वस्त्र सहकारी संस्थाओं के मामले में, उस समय विद्यमान स्थिति को देखते हुए, योजनाओं की आर्थिक सक्षमता संदेहास्पद थी। 1968-69 में अधिकतर आवेदन को निपटा दिया गया।

(ग) से (ङ). 30 सितम्बर, 1969 को छः चीनी सहकारी समितियों और दो सूती वस्त्र सहकारी समितियों के पास ऋण की रकमें बकाया थीं। सरकारी समितियों को जो ऋण दिये जाते हैं उनकी गारंटी केन्द्रीय सरकार या सम्बन्ध राज्य सरकार देती है। निगम सामान्यरूप से यह पद्धति अपनाता है कि जब कभी कोई सरकारी समिति ऋण नहीं चुकाती तब उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (सहकारिता विभाग) मन्त्रालय तथा सम्बन्धित राज्य सरकार को दी जाती है। यदि समिति इसके बाद भी ऋण नहीं चुकाती तब वित्त मन्त्रालय से भी यह अनुरोध किया जाता है कि वह इस विषय में संबंधित मन्त्रालय के साथ लिखापढ़ी करे।

राज्यों में पैट्रोलियम उत्पादों पर छूट

*10. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री नम्बियार :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सभी प्रकार के पैट्रोलियम उत्पादों सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं पर, राज्य-वार, कितनी-कितनी छूट दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि छूट देने के मामले में विभिन्न राज्यों से भेदभाव किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द्वा० रा० चव्हाण) : (क से (ग). सरकार ने विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये हैं। भारतीय तेल निगम इन सीमाओं के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के लिए विक्रय मूल्य निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं। भारतीय तेल निगम द्वारा, समय-समय पर प्रत्येक उपभोक्ता को छूट देना जो स्पर्धा की तीव्रता एवं अन्य सम्बद्ध तथ्यों पर निर्भर है, एक केवल व्यापारिक विषय है तथा उसे भेदभाव नहीं कहा जा सकता। समय-समय पर प्रत्येक उपभोक्ता को दी गई छूट को बताना, भारतीय तेल निगम के व्यापारिक हित में नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि में वृद्धि

*11. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत चौदह वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में, उनके राष्ट्रीयकरण के बाद, वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 18 जुलाई, 1969 से 31 अक्टूबर, 1969 तक की अवधि में, जमा रकमों में 63 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम द्वारा कर का भुगतान न किया जाना

*12. **श्री मधु लिमये :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री जय सिंह :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री एस० ए० अगड़ी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री स० कुन्डू :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री रवि राय :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम द्वारा आयकर तथा धनकर अपवंचन अथवा भुगतान न किये जाने के बारे में श्री मोरारजी देसाई की टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इस गलती को 'भूल' बताया है ;

(ग) वित्त मन्त्रालय से हटाये जाने से पूर्व श्री देसाई ने क्या अनुदेश दिये थे ;

(घ) क्या इन अनुदेशों का पालन किया गया है, इनमें परिवर्तन किया गया है अथवा इन्हें रद्द कर दिया गया है ; और

(ङ) अनुदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मन्त्रियों द्वारा (कर सम्बन्धी) विवरणियां देर से दाखिल किये जाने के बारे में श्री मोरारजी देसाई की प्रैस को कही गई बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) कोई बात समझा देने का प्रश्न ही नहीं था।

(ग) और (घ) : रिकार्ड में कोई हिदायतें नहीं हैं। लेकिन, एक फाइल में श्री मोरारजी देसाई ने इस आशय का मत व्यक्त किया है कि बहुत देर से दाखिल की गयी विवरणी को स्वेच्छा से दाखिल की गयी विवरणी नहीं माना जा सकता।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के इस आशय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामले में आयकर/धनकर अधिकारियों को अपने स्वयं के विवेक तथा स्वतन्त्र निर्णय को कानून के अनुसार प्रयुक्त करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में आयकर/धनकर अधिकारियों को किसी प्रकार की हिदायतें जारी करना उचित नहीं समझा गया है।

Grant to Adarsh Netra Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi

***13. Shri Molahu Prashad** : Will the minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Dr. Bhagwan Das Memorial Trust executed a bond for the fulfilment of certain conditions for receiving the grant ; if so, the date, since when the policy of getting the bond filled in for giving grants has been adopted ;

(b) the dates on which grants of Rs. 12,000/- and Rs. 1,000/- were given to the Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2F, Lajpat Nagar New Delhi ;

(c) whether the requisite bond was got filled in at the time of giving the above grant also ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The Dr. Bhagwan Das Memorial Trust did not execute a bond because the condition requiring the furnishing of a bond was imposed in September, 1964 whereas the grants were given to the Trust prior to that date.

(b) The grants of Rs. 12,000/- and Rs. 1,000/- were sanctioned to the Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi, on the 17th January, 1964 and the 9th July, 1964 respectively.

(c) and (d). As the condition requiring furnishing of a bond was imposed in September, 1964, the question of executing of a bond did not arise.

पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशें

*14. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री दे० अमात :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री जे मुहम्मद इमाम :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विश्वम्भरन : **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :**
श्री मंगलाथुमाडोम : **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **श्री अजमल खां :**
श्री मीठा लाल मीना : **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री शिवकुमार शास्त्री : **श्री एम० सुदर्शनम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करों तथा सहायक अनुदानों के नियतन के बारे में पांचवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कुछ राज्य सरकारों ने आपत्तियां उठाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार ने इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) इन अभ्यावेदनों में कहा गया है कि वित्त आयोग ने जितने राजस्व के अन्तरण की सिफारिश की है वह अपर्याप्त है और इससे प्रादेशिक असंतुलन और बढ़ जायगा ।

वित्त आयोग द्वारा बहुमत से की गयी सिफारिशों को सरकार ने हमेशा पंच-फैसले के रूप में माना है और आयोग द्वारा आंकी गयी राज्यों की आवश्यकताओं पर आपत्ति करना ठीक नहीं समझा जाता । हां, किसी राज्य विशेष की कठिनाइयों की औचित्य के आधार पर, जांच की जायगी ।

Foreign Exchange spent on Tours of Political Leaders, Ministers and Officers

*15. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of foreign exchange sanctioned and spent from the 15th August, 1969 to date by Government in connection with foreign tours of different political leaders, officers and Ministers ;

(b) whether it is a fact that the amount of foreign exchange so spent is much more in proportion than what has been spent during the last few months ; and

(c) the action being contemplated by Government in future to avoid heavy expenditure of foreign exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P, C. Sethi) : (a) and (b). The relevant information in respect of M. Ps., Non-officials, Ministers and officers is being collected categorywise and will be laid on the Table of the House as soon as it is available. It will not be possible to furnish separate information in respect of political leaders as a distinct category. Information can be furnished under the two broad categories of M. Ps. and Non-officials, as specified above.

(c) Proposals for deputation of Government officials abroad are scrutinised strictly by a Committee of senior Secretaries and ordinarily only such deputations are permitted as are unavoidable or are likely to lead to substantial saving in foreign exchange or relate to Defence efforts or to training requirements. Proposals for deputation abroad of Ministers require the approval of the Finance Minister and the Prime Minister. In view of this, no further step is considered necessary.

विश्व बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तनों का प्रस्ताव

*16. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा विशेष आहरण अधिकारों 'पेपर गोल्ड' में की गई वृद्धि को देखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर ने विश्व बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विकसित देशों को प्राप्त होने वाले कुल लाभों की तुलना में विकास-

शील देशों को सामान्य तौर पर और भारत को विशेष रूप में इससे कुल कितना लाभ प्राप्त होगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : विशेष आहरण अधिकार विश्व बैंक के तत्वावधान में नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के तत्वावधान में बनाये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और विश्व बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की वार्षिक बैठक में भाषण देते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में भारत की ओर से गवर्नर हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में कोटों (नियत अंशों) के प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख किया और कहा कि इस बात की व्यवस्था करने के लिये कि विकासशील देशों का इस निधि द्वारा किये जाने वाले फैसलों में पर्याप्त हाथ हो, यह जरूरी है कि कुल कोटों में इन देशों का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक हो ताकि इन देशों की स्थिति में इन की बदली हुई हैसियत और जिम्मेदारियों के अनुसार, अलग-अलग और सामूहिक रूप से काफी सुधार हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात विश्व बैंक—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि परिवार के संबंध में, और अधिक बल के साथ लागू होती है जिसमें कि विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की और अधिक आवाज होने की जरूरत है और वे इसके अधिकारी भी है।

1 जनवरी, 1970 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के दौरान, 9.5 परब डालर के मूल्य के विशेष आहरण अधिकारों का नियतन किये जाने का फैसला किया गया है यह नियतन 1970 में 3.5 अरब डालर का और 1971 और 1972 दोनों वर्षों में 3-3 अरब डालर का किया जायगा। अलग-अलग देशों के संबंध में यह नियतन, इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को निधि में उनके कोटे के अनुपात में किया जायगा। इस आधार पर यह अनुमान है कि 9.5 अरब डालर के विशेष आहरण अधिकारों के कुल नियतन में से, विकासशील देशों के नाम 2.66 अरब डालर का नियतन किया जायगा और इनमें से भारत को 34 करोड़ डालर की रकम प्राप्त होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय राजस्व महालेखा पाल भवन, नई दिल्ली में विस्फोट

*17. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री वेघर बेहेरा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 सितम्बर, 1969 को केन्द्रीय राजस्व महालेखा पाल भवन, नई दिल्ली में एक विस्फोट में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कई कर्मचारी घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन स्थानों पर काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु क्या उपाये किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां। 17 सितम्बर, 1969 को एकाउन्टेन्ट जनरल सेन्ट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में एक विस्फोट में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सात कर्मचारी घायल हुए थे।

(ख) ट्रान्सफार्मर में तेल की शीर्षीकरण (टापिंग अप) के लिए उच्च विभव तेल परिपथ मंजक (हाई टैंशन आयल सरकिट ब्रेकर) का सवृनीकरण (शट डाउन) किया गया। तेल के शीर्षीकरण के बाद 17 सितम्बर, 1669 को लगभग 10.15 बजे उच्च विभव तेल परिपथ भंजक (एच० टी० ओ० सी० बी०) का स्विच खोल दिया गया। यह सूचित किया गया है कि एच० टी० ओ० सी० बी० तुरन्त चल पड़ा (ट्रिप्पड इमिडियेटली)। ड्यूटी के स्टाफ ने ओ० सी० बी० को दूसरी बार तब बंद करने का प्रयत्न किया जबकि एच० टी० ओ० सी० बी० के ऊपर लपट (फ्लेश) निकली तथा उपर्युक्त व्यक्ति घायल हो गये। विस्तृत जांच से पता चला है कि यह घटना एच० टी० ओ० सी० बी० में पर्याप्त मात्रा में तेल के अभाव के कारण घटित हुई।

(ग) निम्न विभव (लो टेंशन) तथा उच्च विभव (हाई टेंशन) तेल, परिपथ मंजक (सरकिट ब्रेकर्स) तथा ट्रान्सफार्मरों के तेल के स्तर की परीक्षा तथा जांच के प्रति आश्वासित होने के लिए अधीक्षक इन्जीनियरों (सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर्स) को निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

संश्लिष्ट धागे की कमी

*18. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में विस्कोस, लम्बे धागों (स्टैपल फाइबर) और पोलिस्टर धागों जैसे संश्लिष्ट धागों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है।

(घ) क्या पोलिस्टर फाइबर के निर्माण के लिये देश में कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथ धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). सभी अनुमोदित स्कीमों में अभी तक उत्पादन शुरू न होने के कारण कुछ कमी है। चौथी योजना अवधि में संश्लिष्ट धागों (जैसा समझा गया है) में विस्कोस शामिल नहीं है।

(ग) चौथी योजना अवधि में अनुमानित मांग के अनुसार लाइसैंसों/आशय पत्रों द्वारा निम्नलिखित क्षमताएं पूरी की गई हैं :

नायलोन यार्न	27,080	मीटरी टन	प्रति वर्ष
पोलिस्टर धागा	24,400	मीटरी टन	प्रति वर्ष
एकराइलिक धागा	11.500	मीटरी टन	प्रति वर्ष
पोलीपरोपाइलीन धागा	3,000	मीटरी टन	प्रति वर्ष

10/12,000 मीटरी टन/प्रतिवर्ष पी० वी० ए० फाइबर के निर्माण के लिए एक उपयुक्त परियोजना स्थापित करने के यत्न भी किए जा रहे हैं। इन स्कीमों के चालू हो जाने पर किसी कमी की सम्भावना नहीं है ।

(घ) पहले से अनुमानित 24,000 मीटरी टन की क्षमता से अनुमानित मांग के पूरा जाने की आशा है । लाइसैंस के लिये कोई और प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

काले धन का परिचलन

*19. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानत: कुल कितना काला धन परिचलन में है ;

(ख) काला धन रखने के कारण पिछले दो वर्षों में कितने और कौन-कौन से व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ग) काले धन के समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कितना काला धन इन दिनों चलन में है, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं हैं ।

(ख) हिसाब-बाह्य धन का पता लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 1967-68 में तथा 1968-69 में जिन मामलों में कार्यवाही की गयी उनकी संख्या और जो कार्यवाही की गयी उसका स्वरूप नीचे दिया गया है :

कर अपवचन के सम्बन्ध में चलाये गये मुकदमे	38
स्रोत पर काटे गये आयकर को जमा नहीं कराने के कारण चलाये गये मुकदमें	424
तलाशियां	178
उन मामलों की संख्या जिनमें आय छिपाने के कारण दण्ड लगाये गये	60,657

इसके अलावा, धारा 133 ए के अन्तर्गत, बहुत सारे मामलों में सर्वेक्षण कार्य किया गया जिन व्यक्तियों के मामलों में उपर्युक्त कार्यवाही की गयी, उनकी सूची उपलब्ध नहीं है । इस सूची को तैयार करने में बहुत समय और श्रम लगेगा ।

(ग) जो उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है वे इस विवरण-पत्र में दिये गये हैं, जो सदन की मेज़ पर रखा जा रहा है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1089/69] कर अपवंचन को और कर टालने को रोकने की समस्या की बराबर समीक्षा होती रहेगी और समय समय पर यथोचित उपाय किए जाते रहेंगे ।

Recognition to Unqualified Doctors

*20. **Shri Raghubir Singh Shastri :**
Shri Muhammad Sheriff :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government elicited the opinion of States on their proposal for granting recognition to unqualified doctors :

(b) if so, the opinions expressed by various State Governments thereon ; and

(c) the action taken by Government in this connection ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Uttar Pradesh, Kerala, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Haryana, Gujarat and Maharashtra are agreeable to the proposal while Mysore, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal and Tamil Nadu have dissented. Nagaland and Orissa have no comments to make while Assam, Rajasthan and Punjab have not sent their replies.

(c) The matter is still under the consideration of Government.

ग्रायल इण्डिया लिमिटेड को तेल की खोज करने के ग्रधिकारों का दिया जाना

*21. **श्री वेदव्रत वरुग्रा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रायल इन्डिया लिमिटेड भारत सरकार से यह ग्रनुरोध करता रहा है कि समूचे पूर्वोत्तर भारत में तेल की खोज करने का ग्रधिकार तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग को न देकर उसे दिया जाये ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Tours of Ministers

*22 **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent to which the foreign tours of Ministers have increased after the resignation of Shri Morarji Desai ; and

(b) the amount of expenditure likely to be increased in terms of foreign exchange in excess of the budget provision for the year 1967-68, consequent upon the increase in the foreign tours of Ministers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Visits by members of the Council of Ministers to foreign countries are regulated in terms of broad guidelines settled some time ago. The variation in the number of such visits has nothing to do with who the Finance Minister is. A statement of visits made by members of the Council of ministers during 1967-68 and 1968-69 is being prepared and will be laid on the Table of the House. The budget provision made for Ministers' travelling allowances for 1967-68 was Rs. 12,00,000 and the actual expenditure was only Rs. 10,58,700.

The budget provision for the current year is Rs. 12,00,000. However, the actuals will not be known until next year. No separate provision in terms of foreign exchange expenditure is made in the budget for Ministers' tour abroad. Any foreign exchange expenditure incurred is debited against the budget provision in the same manner as rupee expenditure.

आयकर के लिए मंत्रियों की आय का ब्यौरा

*23. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री जे० अहमद :**

श्री समर गुह : **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ मन्त्रियों ने पिछले कई वर्षों से आयकर अधिकारियों को अपनी आय का ब्यौरा नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो आयकर अधिकारियों ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्री की ओर से आयकर की विवरणियां दाखिल होना बाकी नहीं है ।

(ख) विवरणियां देर से दाखिल करने पर जहां आवश्यक होता है, सक्षम अधिकारियों द्वारा कायदे-कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

चौथी योजना के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना

*24. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री जि० मो० विश्वास :**

श्री कं० हाल्दर :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार ने देश में तालचर (उड़ीसा) रामागुंडम (आंध्र प्रदेश) तथा कोरबा (मध्य प्रदेश) में कोयले पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का सिद्धांत रूप में फैसला कर लिया है । प्रत्येक संयंत्र की यूरिया के रूप में 228,000 मीटरी टन नाइट्रोजन उत्पादन करने की क्षमता होगी ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त संसाधन

*25. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री देवेन सेन :**

डा० प० मंडल : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को कितने अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ख) उनका किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ; और

(ग) इसमें राज्यों का कितना हिस्सा होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). बड़े-बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने से राज्यों को दिये जाने के लि उपलब्ध साधनों में आप से कोई वृद्धि नहीं हो जायगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति यह है कि उनके पास जो रकमें जमा हों उनका उपयोग राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुसार ऋण देने और पूंजी लगाने के लिये किया जाय। इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा राज्यों के बिजली बोर्डों आदि जैसे अर्धसरकारी निकायों के ऋण लेने के कार्यक्रमों में ऋणों के रूप में सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय ऋण

*26. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री ने 22 जुलाई, 1969 को उनसे अपनी भेंट के दौरान अनुरोध किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार को अर्थोपाय पेशगी दी जाये ताकि राज्य सरकार केन्द्रीय ऋण और ब्याज की चालू वर्ष की किस्त का भुगतान कर सके ;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई 20 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगी कब तक दी जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को यदि कोई शर्तें पूरी करनी है, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। 22 करोड़ रुपये का अग्रिम पिछले वर्ष न चुकाये गये केन्द्रीय सरकार के ऋणों और ब्याज की रकमों को चुकाने के लिए मांगा गया था।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने, दामोदर घाटी निगम के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को जो ऋण दिये थे, उनसे सम्बद्ध ब्याज की बकाया रकम चुकाने के लिए 7.36 करोड़ रुपये का अग्रिम देना स्वीकार कर लिया है। शेष बकाया रकमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इन्हें वर्तमान वर्ष में, सुविधानुसार किस्तों में चुका दे।

औषधों तथा दवाइयों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

*27. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या औषधों तथा अन्य दवाइयों के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं, यह अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम की आय से निम्न आय वर्गों के लिए मकानों का निर्माण

*28. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम की प्रीमियम से होने वाली आय में से 5 प्रतिशत राशि को निम्न आय वर्गों के लोगों के लिये मकान बनाने में लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). यद्यपि ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु जीवन बीमा निगम ऋण सम्बन्धी कार्यक्रमों के जरिए, विभिन्न वर्गों के लिए आवास सुविधाओं के विकास में सहायता कर रहा है और इनमें निम्न आय वर्ग भी शामिल है। अब जिन वर्गों के ऋण दिये जाते हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(i) 'अपनी मालिकी का घर बनाओ योजना' के अन्तर्गत व्यक्तिगत पालिसी-धारियों को ऋण ।

(ii) नये मकान बनाने के लिये बन्धक-ऋण ।

(iii) बहुत बड़ी-बड़ी सहकारी निर्माण समितियों को ऋण ।

(iv) ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों को उनके कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए ऋण ।

(v) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा बनायी गयी सहकारी समितियों को ऋण ।

(vi) राज्य सरकारों को आवास-निर्माण के निमित्त ऋण ।

Utilisation of L. I. C. Fund

***29. Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of L. I. C. funds utilised for farmers, small industries and weaker sections of the society, annually after the nationalisation of the Life Insurance, the way in which it was utilised and its percentage ;

(b) whether it has been decided to reduce the rates of permium in order to provide relief to the common man ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons for the inordinate delay ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance, (Shri R. K. Khadilkar) : (b) It is not possible to furnish any figures as the information

for these categories is not separately compiled by the Life Insurance Corporation L. I. C's contribution to co-operatives and land mortgage banks and State Electricity Boards benefit the farmers. Similarly the small-scale industries benefit through State Finance Corporations and Industrial Co-operatives in which L. I. C. invests its funds.

(b) and (c). The matter is under consideration of the Government and the decision is expected to be announced shortly.

चिकित्सा न होने के कारण मौतें

*30. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महापञ्जीयक द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 57 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु चिकित्सा न होने के कारण होती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मरने वालों में 30 प्रतिशत बच्चे होते हैं और यदि हां, तो मृत्युओं की इस अत्यधिक संख्या को कम करने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अक्तूबर 1965 से जुलाई, 1967 के बीच विभिन्न अवधियों में दस राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के महापञ्जीयक द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किसी संस्था या पेशेवर डाक्टर द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न किये जाने के कारण, सर्वेक्षण के अनुसार रिकार्ड की गई 12786 मौतों में से, 56.8 प्रतिशत मौतें हुई सर्वेक्षण में इनका कोई कारण नहीं बताया गया है। इसका कारण व्यक्तिगत गरीबी, अज्ञानता और जनता को सुविधाएं न मिलना है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालयों के अतिरिक्त 4919 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा और उपचार की व्यवस्था है। वर्ष 1965 और 1966 में किये गये अध्ययन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 व्यक्ति उपचार के लिये आये। औषधालयों में उपस्थिति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि क्या मरने वाले व्यक्ति प्राथमिक केन्द्रों या अन्य औषधालयों में उपचार के लिये गये थे अथवा नहीं।

(ग) भारत के महापञ्जीयक द्वारा अन्य अवधि अर्थात् अक्तूबर, 1965 से जुलाई, 1967 तक 10 राज्यों में किये गये इसी प्रकार के अन्य अध्ययन द्वारा पता लगता है कि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मौतों में से 28 प्रतिशत मौतें शिशुओं की जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम थी हुईं।

शिशुओं की मृत्यु दर में कमी करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है ;

(1) जन्म से पूर्व स्वास्थ्य की देखभाल के लिये विकसित प्रसूति सुविधाएं ; जन्म के समय तथा जन्म के बाद कुशल डाक्टरों द्वारा सहायता।

(2) शिशुओं को सामान्य तौर पर लगने वाले रोग जैसे काली खांसी, डिप्थीरिया, पेशी तनाव (टिटानस) के लिये विकसित स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था का किया

जाना और शिशुओं के लिये दूध, बालाहर आदि जैसे पोषाहार तत्वों की व्यवस्था करना ।

(3) मातृ और शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा माताओं को स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी शिक्षा दिया जाना ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों का खोला जाना और शहरों में प्रसूति-गृह और परिवार कल्याण आयोजन केन्द्रों का खोला जाना ।

(5) योग्यता प्राप्त बालरोग विशेषज्ञों की देख रेख में जिला मुख्यालय स्तर पर शिशुओं के अस्पतालों और बालरोग-चिकित्सा केन्द्रों का विकास ।

(6) गांवों में काम करने वाली परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देना।

(7) नये पैदा हुए बच्चे के जीवन को बचाने के विचार से परिवार नियोजन और एक शिशु और दूसरे शिशु के पैदा होने में अन्तर और परिवार की संख्या का विनियमन ।

(8) मलेरिया उन्मूलन, चेचक उन्मूलन तपेदिक नियंत्रण, रतिरोग नियंत्रण आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा संचारी रोगों पर नियंत्रण करने के बारे में कार्यवाही करना।

(9) शुद्ध पीने के पानी और विकसित वातावरण की व्यवस्था ।

(10) माताओं और शिशुओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिये फिजीशियन, धात्रीविद्या-विशेषज्ञों, बालरोग विशेषज्ञों, महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों, सहायक नर्सों और दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाना । निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा शिशुओं की मृत्यु-दर में कमी होने का उल्लेख किया गया है :—

1000 पैदा होने वाले बच्चों में शिशु मृत्यु-दर इस प्रकार है ।

वर्ष	संख्या
1941-50	183
1951-60	146
1961-65 (प्रोजेक्शन्स)	126
1968-70 (प्रोजेक्शन्स)	113

परिवार नियोजन के लिये गर्भ निरोधक गोलियों सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार

2. **श्री न० रा० देवघरे :** **श्री रा० बरुआ :**

श्री मयावन : **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों के एक दल ने केन्द्रीय सरकार से गर्भनिरोधक गोलियों

के कार्यक्रम का विस्तार करने के बारे में शीघ्र निर्णय करने के लिए अनुरोध किया है, विशेषकर जबकि समस्त विश्व में परिवार नियोजन के इस तरीके की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या परिवार नियोजन के इस तरीके में कुछ कठिनाइयों हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय कार्यक्रम में खाने वाली गर्भनिरोधक गोली का प्रयोग एक समुचित पैमाने पर शुरू करने की सलाह दी है। तथापि उन्होंने यह सिफारिश की है कि इस देश में खाने वाली गोली का प्रयोग बड़े पैमाने पर चिकित्सा और समाज की स्वीकृति एवं उपयोगिता के विषय में सतत निरीक्षण के साथ किया जाना चाहिए।

(ख) देश में इसकी उपयोगिता और कारगरता के बारे में गहन अध्ययन शुरू किये गये हैं। इन अध्ययनों के परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त अध्ययनों के परिणाम मालूम होने पर ही इसका पता चलेगा।

Coal Mines in Bihar

3. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total number of coal mines in Bihar ; and

(b) the number out of them which are working ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b). There are 490 coal mines in Bihar State at present, of which 401 are working.

Family Planning Programme in Rural Areas

4. **Shri Sheopujan Shastri : Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Family Planning Programme is being carried out in the rural areas ;

(b) if so, the nature of work being done thereunder ; and

(c) whether a need for changing that programme has been felt ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) The work undertaken in rural areas includes :

A. Motivational and Educational : For popularising Family Planning Programme in rural areas, following measures have been taken :

(i) Mobile publicity through exhibitions and film shows.

(ii) Organisation of orientation camps and seminars for local leaders.

(iii) Use of mass media such as folk songs, bhajan, Kirtan mandlies, Katha vachaks, dramas etc.

(iv) Painting of slogans and symbol of Family Pianning on walls in villages.

(v) Distribution of printed literature on Family Planning.

For supporting the Programme, local leaders are identified and appointed as Helpers (Sahayaks) after giving them necessary orientation and using them as channel of communication.

B. Services. (1) Regular free services for sterilization and IUCD insertions and and free supplies of conventional contraceptives are provided in the rural areas through Rural Family Planning Centres at the Primary Health Centres, Sub-Centres act as focal points for Maternity and Child Health and Family Planning Services and follow up. In addition, mobile sterilization/IUCD Units visit rural areas for rendering services and giving supplies and Service. Camps are also periodically held depending upon demand.

(2) Supply of Nirodh through commercial channels and Depot holders (through post offices) has also been started in selected rural areas. This will be cxpanded further.

(c) No basic change has been considered necessary but efforts are being made to strengthen services and supplies in rural areas not far covered by establishing Primary Health Centres and Sub-Centres and by providing special incentives to doctors for being posted in difficult rural areas.

तस्कर माल का मूल्य

5. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सोने, चांदी तथा अन्य तस्कर माल का मूल्य क्या है जो सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा भ्रष्टाचार-निरोध स्वाडों द्वारा गत तीन वर्षों में पकड़ा गया था ;

(ख) उस सोने, चांदी, मसालों तथा उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य क्या है जो गत 3 वर्षों में, रिजर्व बैंक, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक, राज्य व्यापार निगम तथा सहकारी समितियों को दिया गया था ; और

(ग) उस सोने तथा चांदी का मूल्य क्या है जो अभी भी विभिन्न सरकारी विभागों के पास पड़ा हुआ है तथा उन विभागों के नाम क्या हैं और उस सोने तथा चांदी को रिजर्व बैंक को न सौंपने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा संभव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों को खनिज रियायतों का दिया जाना

6. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों को खनिज रियायतें तब तक देने से मना कर दिया है जब तक कि सम्बद्ध पार्टी खनिज को राज्य के अन्तर्गत स्थापित उद्योग के उपयोग में लाने के लिये सहमत न हो जाय ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और किन खनिजों के सम्बन्ध रियायतें नहीं दी जा रही है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में सक्षम होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को क्यों मानती है ;

(घ) क्या प्रादेशिकता के संकीर्ण विचारों ने उद्योगों के विकास तथा देश के खनिज स्रोतों के प्राकृतिक अन्वेषण में बाधा उपस्थित नहीं की है ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में न्यायालय में गई हैं, यदि हां, तो किस और कब?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कोरबा तापीय केन्द्र

7. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री मृत्युजय प्रसाद :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के टरवाइन विशेषज्ञ के भारत से अचानक चले जाने के कारण गत 6 महीनों से कोरबा तापीय केन्द्र बेकार पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि भारत में अन्य रूसी विशेषज्ञ विद्यमान हैं तथापि केन्द्रीय सरकार द्वारा तार तथा पत्र भेजे जाने के बावजूद रूस की सरकार ने उसकी खराबियों को दूर करने के लिए अपने विशेषज्ञ को नहीं भेजा ;

(ग) हमारे सहयोग कर्ताओं के इस उदासीनतापूर्ण व्यवहार के कारण क्या हैं ;

(घ) इस कारण सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ा है ; और

(ङ) यूनिट नम्बर 1 कब चालू हो जायेगा और उसकी मरम्मत पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कोरबा में 50-50 मैगावाट की चार यूनिटें हैं । केवल एक यूनिट को वार्षिक मरम्मत तथा सफाई के लिए बन्द किया गया है । शेष तीनों सैट ठीक प्रकार से चल रहे हैं और थनमल स्टेशन वर्तमान मांग को पूरा करनें में समर्थ है । मरम्मत का कार्य पूरा होने में छः महीने की देरी इसलिए हो गई क्योंकि कोरबा में जो सोवियत विशेषज्ञ था वह भारत से चला गया था और देश में दूसरे उपयुक्त सोवियत विशेषज्ञ अन्य परियोजनाओं का कार्य देखने में व्यस्त रहे । परियोजना के अनुरोध पर सोवियत अधिकारियों ने कार्यवाही की तथा सरकार सोवियत यूनियन से एक विशेषज्ञ की प्रति नियुक्ति का प्रबन्ध कर रही है । इस बीच नैवेली पर कार्य कर रहे सोवियत विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध की गई और वह इस समय कार्य की देख-भाल कर रहा है ।

(घ) कोई राजस्व की हानि नहीं हुई है। यह उत्पादन यूनिट सफाई के लिए बन्द की गई थी और अन्य तीनों यूनिटें ठीक कार्य कर रही हैं।

(ङ) इस उत्पादन यूनिट के दो मास में चालू होने की आशा है। मरम्मत की अनुमानित लागत 25,000/- रुपये हैं।

सरकारी उपक्रमों की परियोजनाओं के अनुमान

8. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों की परियोजनाओं के अनुमानों में वृद्धि के विषय में उपक्रम तथा मंत्रालय स्तर पर विचार करने के लिए कोई नियम निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) परियोजनाओं के अनुमानों में वृद्धि को किस अवस्था तथा किस स्तर पर मंत्रालय को और किस अवस्था में मन्त्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकारी उपबन्धों द्वारा उनके पूंजीगत व्यय पर कड़ा रखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नये पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में यह निर्धारित किया गया है कि निवेश करने से पहले, योजना आयोग द्वारा विशेष रूप से उस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी नियम पुस्तिका में दिये गए सिद्धांतों के अनुसार उचित सम्भाव्यता अध्ययन अवश्य किये जाने चाहिए और विस्तृत प्रायोजना-रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए जिनमें सभी तकनीकी, आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय पहलुओं का समावेश हो।

जहाँ तक पूंजीगत लागत में फेर बदल के लिए मंजूरी दिये जाने का सम्बन्ध है, इसके लिए विस्तृत हिदायतें जारी की गयी हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) स्वीकृत अनुमानों में घटबढ़ के मामले में, जो किसी खास भाग के लिए 10 प्रतिशत से अधिक न हो, निदेशक-मंडल सरकार से पूछे बिना, व्यय की स्वीकृति दे सकता है बशर्ते कि प्रायोजना के क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन न हो।

(ii) पूंजीगत लागत के अनुमानों में 10 और 20 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने के मामले में, प्रशासनिक मन्त्रालय को, सामान्य तरीके के अनुसार, वित्त मन्त्रालय की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

(iii) पूंजीगत लागत के अनुमानों में 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक वृद्धि होने के मामले में मन्त्रि मण्डल की मंजूरी अवश्य ली जानी चाहिए।

सरकारी उपक्रमों की पूंजीगत लागत के अनुमानों और उनमें होने वाली वृद्धि की मांग के लिए निर्धारित उपर्युक्त हिदायतों की ओर प्रशासनिक मंत्रालयों का ध्यान भी दिलाया गया।

सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादित सामान का मानकीकरण

9. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकारी उपक्रम ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक संस्था अथवा किसी अन्य ऐसे ही अभिकरण के समन्वय से सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादित सामान के मानकीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि एक जैसी वस्तुओं का सामान स्तर रखा जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध समिति ने अपनी 40वीं रिपोर्ट में सामग्री-प्रबन्ध के बारे में जो सिफारिशें की हैं उनके अनुसार सरकार ने, और बातों के साथ साथ, सरकारी उपक्रमों का ध्यान समिति की उन विशिष्ट सिफारिशों की ओर आकर्षित किया है जिनका सम्बन्ध वस्तुओं के मानकीकरण और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की संख्या में कमी करके तालिकागत मूल्य में कमी करने से है। इस सम्बन्ध में, उपर्युक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी उपक्रमों को भारतीय मानक संस्था और अन्य विशिष्ट अभिकरणों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकारी उपक्रम निस्सन्देह भारतीय मानक संस्था द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट विवरणों को यथा सम्भव अपनाते रहते हैं। सरकारी उद्यम कार्यालय कुछ चुने हुए उपक्रमों के तालिकागत सामान के बारे में अध्ययन कर रहा है और अध्ययन के समय इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जिस उपक्रम का अध्ययन किया जा रहा है, उसमें पहले की अपेक्षा अधिक मानकीकरण किया जाय।

उत्पादन शुल्क कम लगाये जाने के कारण हुई हानि

10. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छूट आदेश और उत्पादन शुल्क की दरों को ठीक प्रकार से लागू न किये जाने तथा कम शुल्क निर्धारित किये जाने के कारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के माध्यम से वर्ष 1968-69 में सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है ; और

(ख) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). छूट आदेश और उत्पादन शुल्क की दरों को ठीक प्रकार से लागू न किये जाने के कारण सरकार को वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में 1,24, 115.71 रुपये की हानि हुई। इसमें से 1,14,879.37 रुपये की हानि, जो मिश्रित धागे के रूप निर्धारण से सम्बन्धित है, संगत छूट-अधिसूचना की गलतव्याख्या के कारण हुई। गलत व्याख्या के कारण हुई संदिग्धता को अधिसूचना में उचित संशोधन कर बाद में दूर कर दिया गया था। बाकी 9,236.40 रुपये की हानि के बारे में जांच हो रही है।

निर्धारण के लिये विचाराधीन व्यापारिक मामले

11. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को कुल कितने ऐसे व्यापारिक मामले थे जिनका निर्धारण नहीं हुआ था तथा ये मामले अनुमानतः कितने राजस्व के थे ;

(ख) निर्धारण के कुल मामलों में से ऐसे मामले कितने प्रतिशत हैं जो 15000 रुपये की आय से अधिक राशि के हैं ; और

(ग) निर्धारण के कुल मामलों में से ऐसे मामले कितने प्रतिशत हैं जो 15000 रुपये की आय से कम राशि के हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आंकड़े 7,500 रुपसे से ऊपर की

आय के व्यापारिक मामलों के बारे में रखे जाते हैं : 31 मार्च 1969 को विचाराधीन ऐसे मामलों की कुल संख्या 6,21,951 थी ।

व्यापारिक मामलों में ग्रस्त राजस्व के बारे में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है ।

(ख) 31-3-1969 को 15,000 रुपये से ऊपर की व्यापारिक आय के निर्धारण के विचाराधीन मामलों की संख्या का विचाराधीन मामलों की कुल संख्या से अनुपात 19.9 प्रतिशत था ।

(ग) 31-3-1969 को विचाराधीन रहे, 15,000 रुपये से नीचे की व्यापारिक आय के निर्धारण के मामलों की और निर्धारण के अन्य मामलों की संख्या का विचाराधीन कुल मामलों की संख्या से अनुपात 80.3 प्रतिशत था ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

12. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक उपक्रम ब्यूरो का विचार सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों की वास्तविक कार्यान्विति का रिकार्ड रखने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान ऐसी कितने प्रतिशत सिफारिशें कार्यान्वित की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकारी उपकमों संबंधी समिति की प्रत्येक रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्टों में इन सिफारिशों के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है, जो सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई हैं, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए और आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किये गये हैं और जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । सरकारी उद्यम कार्यालय के पास समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में और कोई जानकारी नहीं है ।

तृतीय योजना के दौरान कोककर कोयले का उत्पादन

13. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कोककर कोयले के उत्पादन के लिए तीसरी योजना के क्या लक्ष्य थे तथा वर्ष 1961-62 से 1968-69 तक वर्ष-वार, वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) यदि उत्पादन कम हुआ हो तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन खानों में कोककर कोयले के उत्पादन का वर्तमान स्तर लगभग उतना ही है जितना 1961-62 में था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या चौथी योजना के दौरान कोककर कोयले की आवश्यक पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकारी क्षेत्र में कोकिंग कोयले के उत्पादन के लिए तीसरी योजना का लक्ष्य प्रति वर्ष 75 लाख टन था। वर्ष-अनुसार उत्पादन निम्न प्रकार से था :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)
1961-62	29.1
1962-63	30.1
1963-64	30.2
1964-65	27.6
1965-66	27.8
1966-67	28.9
1967-68	30.3
1968-69	34.3

(ख) धातुकर्मीय उद्योगों द्वारा कोकिग कोयले की मांग में कमी और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कुछ कोकिंग कोयला खानों से सम्बद्ध कोयला धोने के कारखानों की स्थापना से देरी के परिणाम स्वरूप उत्पादन में गिरावट हुई।

(ग) उत्पादन का वर्तमान स्तर 1961-62 से प्राप्त स्तर से लगभग 7.0 लाख मैट्रिक टन अधिक है।

(घ) जी, हां।

गुजरात के देहातों में बिजली लगाना

14. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के देहातों में शीघ्र बिजली लगाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात में केवल 1700 देहातों में बिजली लगाई गई है जबकि केरल के शतप्रतिशत और तामिलनाडु के 60 प्रतिशत देहातों में बिजली लग चुकी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी गुजरात के केवल 15,000 कुओं के लिए बिजली दी गई जबकि अन्य बहुत से राज्य इस स्थिति से बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं ; और

(घ) गुजरात में देहातों में बिजली लगाने के कार्य की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1966-6 से

ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में तेजी लाई गई है जिसमें पम्पिंग सेटों के ऊर्जन का विशेष ख्याल रखा गया है। गुजरात में 31-3-1966 तक केवल 17,155 पम्पिंग सेट ऊर्जित किये गये थे परन्तु ऊर्जित किये गये पम्पिंग सेटों की संख्या 31-3-1969 को 41,859 थी।

(ख) 31-3-1969 तक गुजरात में 2875 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ था जो कि ग्रामों की कुल संख्या का 15.50% हैं, जबकि केरल में 72.10% तथा तमिलनाडु में 62.10% ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(ग) गुजरात में 31-3-1951 तक 910 सिंचाई पम्प सैट ऊर्जित हो गये थे परन्तु मार्च 1969 तक ऊर्जित किये गये पम्प सैटों की संख्या 41,859 है। आठ अन्य राज्यों में ऊर्जित नलकूपों की संख्या अधिक है।

(घ) गुजरात में अधिक तादाद में कुओं के ऊर्जित न होने का मुख्य कारण वित्तीय संशाधनों की तंगी है।

गुजरात में खनिज संसाधनों के लिए सर्वेक्षण

15. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए गुजरात राज्य में बाबड़ा जिले में छोटा उदेपुर पंचमहल जिले में देवधाट बारिश और लूनाबाड़ा और भडौच जिले में राजपीपल में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप अम्बाडोगर में फ्लुओर-स्पार; छोटा उदयपुर प्रदेश में स्फटिकीय डोलीमाइट और डोलामाइटी चूना-पत्थर; पंचमहल के देवगढ़ बरिया क्षेत्र में क्रिस्टलीय चूना पत्थर, डोलामाइट, संगमरमर, ग्रैफाइट, क्वार्टज और सिलिका बलुआपत्थर और इमारती-पत्थर के निक्षेपों तथा राजपीपला क्षेत्र में लिग्नाइट, ऐगेट और कार्मिलियन, बाक्साइट, फ्लोर-स्पार, कैल्साइट, कैल्क-ट्यूफा, मिट्टी, चूना पत्थर और ग्रिट पत्थर के पाये जाने का पता लगाया गया है।

गुजरात में खनिज सर्वेक्षण

16. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ये सर्वेक्षण किन-किन स्थानों पर किये गये थे ;

(ग) क्या वर्ष 1969-70 के लिये इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और किन-किन जिलों में सर्वेक्षण करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

17. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह उद्योग समूह कितना बड़ा होगा और उस में कितनी पूंजी लगाये जाने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में कोवाली स्थित तेल शोधक कारखाने के निकट एक एरोमैटिक यूनिट एवं बेंजीन तथा बूटाडाइन के निष्कासन सहित एक नेफ्थ क्रैकर संयंत्र को मिला कर एक पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना की जायेगी । लगभग 7 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित एरोमैटिक यूनिट पर 18 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमान है । बेंजीन तथा बूटाडाइन के निष्कासन सहित नेफ्था क्रैकर की लागत का अनुमान 34 करोड़ रुपये हैं जिस में 12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अंश शामिल है ।

गुजरात में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

18. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई तथा** विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में आरम्भ की जाने वाली बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उन पर कितनी कितनी धनराशी खर्च करने का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). गुजरात में चौथी योजना के लिए सिंचाई कार्यों का कार्यक्रम जैसा कि योजना आयोग ने बताया है, निम्नलिखित है :

	अनुमानित लागत	चौथी योजना में लाई गई शेष राशि	चौथी योजना में परिव्यय
संतत स्कीमें			
बृहत् स्कीमें			
उकाई	81.15	42.90	35.00
नर्मदा	109.70	105.10	10.00

1	2	3	4
कडाना	18.39	15.67	14.50
कक्रापार	18.05	0.65	0.65
माही-चरण-1	24.57	7.15	7.15
मध्यम स्कीमें	8 76	6.01	6.01
नई स्कीमें			28.19
सर्वेक्षण, गवेष्णा तथा वर्कशाप			3.50
कुल गुजरात			105.00

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति

19. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 14 अप्रैल और 5 मई, 1969 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 6197 और 8498 के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अस्थायी रिक्त स्थानों को भरने हेतु द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों के लिए सीधी भर्ती समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के साथ किये गये पत्र व्यवहार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से वितीय श्रेणी के अस्थायी रिक्त स्थानों को भरने और उनके लिए पृथक वरिष्ठता सूची बनाये रखने का प्रयोजन क्या है ;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बड़े प्रमाने पर की जा रही सीधी भर्ती का उद्देश्य क्या है जबकि वहां पर कार्य करने वाले नवयुवक पहले ही से असन्तुष्ट हैं ;

(घ) विभागीय रूप से पदोन्नत किये जाने वाले और सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों में असंतुलन को कम करने के विचार से सभी नियुक्तियों संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कब तक की जाने लगेंगी ; और

(ङ) क्या इस प्रकार की भर्ती से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी जब किसी भी अधिकारी को बिना किसी की सेवा निवृति अथवा कार्यभार में वृद्धि के बिना पदोन्नत नहीं होगी ; और क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत अयोग तथा अन्य विभागों में भर्ती के ऐसे नियम बनाये गये है उन विभागीय अधिकारियों के पक्ष में है जिन की कार्य क्षमता सिद्ध हो चुकी है न की उनके पक्ष में जिनका शिक्षा सम्बन्धी रिकार्ड अच्छा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) संघ लोक सेवा आयोग को 15 मार्च, 1967 को मूल संदर्भ भेजा गया और अस्थाई रिक्तियों में श्रेणी दो के पदों में सीधी भर्ती बंद करने के प्रस्ताव पर असहमति का, आयोग का अन्तिम उत्तर 9 मई, 1968 को प्राप्त हुआ ।

(ख) सहायक इन्जीनियर के ग्रेड में अस्थायी रिक्तियों की 0 प्रतिशत सीधी भर्ती, नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कोटा के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई इन्जीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से, की जाती है।

उन द्वारा कोई पृथक रूप से वरिष्ठता सूचि नहीं रखी जाती।

(ग) भर्ती नियमों के अनुसार, सीधी भर्ती के कोटा में रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती केवल सी० ई० एस० श्रेणी II में की जा रही है।

(घ) सीधी भर्ती एक अनवरत प्रक्रिया है और भूतकाल में सीधी भर्ती में यथेष्ठ कमी रही है। यह बता सकना संभव है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कब तक सारी भर्ती की जायगी।

(ड़) जी, नहीं। यह पता चला है कि सी० डबलयू० एण्ड पी० सी० में सेवा की श्रेणी II में सीधी भर्ती नहीं की जाती। आवश्यकता के अनुसार एक विभाग के भर्ती नियम दूसरे विभाग से भिन्न होते हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेवा की क्षेणी II में रिक्तियों की कुछ संख्या सीधी भर्ती के लिए उद्दिष्ट हैं।

Working of Electricity Boards in States

20. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Mayavan :**
Shri R. Barua : **Shri N. R. Laskar :**
Shri Chengalraya Naidu : **Shri R. K. Birla :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Electricity Boards set up in the States have suffered heavy losses during the period from 1966 to 1969 ;

(b) if so, the complete details in this regard ; and

(c) the details of the steps proposed to be takeh to remedy the cause or the cause of the said losses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). For the period 1966-67 to 1968-69, some of the State Electricity Boards have suffered losses. The details in this regard in respect of all the State Electricity Boards are given below :

Name of the Board	1966-67	1967-68	1968-69	Total for 3 years
1	2	3	4	5
	(Figures in lakhs of rupees)			
Andhra Pradesh	−433	− 8	+187	−254
Assam	−326	−358	−385	−1069
Bihar	−277	−582	−510	−1369
Gujarat	− 34	−129	+ 63	− 100
Haryana (created from 3.5.67)	−	+ 50	+ 75	+ 125
Kerala	−124	−265	−270	− 659
Madhya Pradesh	+ 6	−156	+ 52	− 93

1	2	3	4	5
Maharashtra	+184	+413	+281	+ 878
Mysore	+110	− 29	− 69	+ 12
Orissa	− 85	− 8	+ 98	+ 5
Punjab (created from 3.5.67)	−	+154	+ 95	+ 249
Rajasthan	−213	−309	−171	− 693
Tamil Nadu	+116	+129	+186	+ 431
Uttar Pradesh	−385	−797	−634	−1816
West Bengal	+ 76	+ 97	+116	+ 289

(c) Steps taken by the State Electricity Boards to improve their financial position are :

reduction in energy losses by strengthening of the transmission and distribution network ;

closing down of uneconomic generating units to reduce the cost of power ;

streamlining the procedure for billing and collection of revenue ;

better management of cash resources and inventory control : effecting economies in establishment expenses ; and increase in terrifs.

Recommendations of Patel Commission on Floods in Eastern Districts of Uttar Pradesh

21. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Chandrika Prasad :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Patel Commission appointed to look into the poverty, backwardness and unemployment of the Eastern Uttar Pradesh have made any recommendations also in regard to the measures to be taken against the devastating floods every year in Eastern Districts of Uttar Pradesh in their report ;

(b) if so, whether Government have examined this part of the report ; and

(c) the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. A joint study team was appointed by the Planning Commission and the Government of Uttar Pradesh under the Chairmanship of Shri B. P. Patel in 1962 to study economic and social conditions of the four backward districts of Uttar Pradesh and to suggest administrative and development measures for accelerated progress. This team submitted its report in 1964.

(b) and (c). The study Team had recommended the acceleration of the flood control programme which had already been drawn up earlier by the State Government. The State Government have been taking action within the resources available.

Availability of Gas in Manipur State

22. **Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that in the course of a geological survey of Manipur State, it was found that a large quantity of gas is available there ; and

(b) if so, the full details thereof ; and

(c) the action being taken by the Government to extract and utilise the gas ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Deep Sea Drilling near Bombay

23. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether his Ministry is drawing up a scheme for drilling under the sea for ascertaining the deposits of petrol on the sea-coast near Bombay ;

(b) if so, the nature of the scheme and the time when this work would commence ;

(c) whether the assistance of any foreign company is being taken to execute the aforesaid work ; and

(d) if so, full details thereof ?

Tbe Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). The Minister is examining, in consultation with the Oil and Natural Gas Commissioh, the various technical, operational and manpower aspects of ONGC conducting exploratory drilling in the deepwaters off the Arabian sea adjoining Bombay Boast, under "assisted owner operation" method, whereby a suitable mobile drilling platform would be built and operated initially with some technical assistance from abroad. Since it would take about two years to fabricate the equipment, commencement of drilling in the area may be expected two years after finalisation of the scheme.

(c) and (d). Dialogues will be started soon with foreign groups for obtaining the necessary foreign exchange and technical assistance.

वैस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में अनधिकृत रूप से घेरे गये आवास को पुन: किराये पर दिया जाना

24. **श्री भजहरि महतो** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन संसद सदस्यों सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों की एक सूची सभा पटल पर रखेगी जो जुलाई, 1969 से वैस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में लगभग स्थाई रूप से रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को शिकमी देने अथवा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने के मामलों का पता चला है ; और

(ग) वैस्टर्न कोर्ट के मेह से खाना खाने को अनिवार्यता से वहां पर रखने वाले किन-किन लोगों को छूट दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) एक सूची जिसमें विवरण दिया गया है संलग्न है (परिशिष्ट "क") । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1955/69]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) अनिवार्य खाने से जिन व्यक्तियों को छूट दी गई है उनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ख") । [ग्रन्थालय में रखा गिया । देखिये संख्या एल० टी० 1955/69]

भारत कृषक समाज की आय पर आयकर

25. **श्री पीलु मोदी :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री गु० च० नायक :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री कृ० मा० कोशिक:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कृषक समाज द्वारा 1969 से नई दिल्ली में और हाल ही में बम्बई में आयोजित दो कृषि मेलों से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) उक्त दो मेलों से तथा इन के अन्य कार्यों से होने वाली आय पर समाज द्वारा दिये गये आय-कर का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि समाज ने कोई आयकर नहीं दिया, तो क्या इसे आय-कर देने से छूट मिली हुई हैं और यदि नहीं, तो भारत सरकार समाज को इतनी अधिक आय पर आय-कर वसूल करने में कैसे असफल रही है ;

(घ) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने 29 अगस्त, 1961 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री को लिखे हुए पत्र में इस पर घोर आपत्ति की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायगी ।

(ग) भारत कृषक समाज ने 29 मई 1964 को दरख्वास्त दी थी उसे धर्मार्थ न्यास माना जाकर, आयकर अधिनियम,1961 की धारा 11 के अधीन, आयकर से छूट दी जाय । इस दावे की आयकर अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है ।

(घ) तत्कालीन वित्त मंत्री ने, इस समाज के सम्बन्ध में अपने पत्र में इस समाज की आयकर की देनदारी के प्रश्न का कोई उल्लेख नहीं किया था ।

(ङ) उन्होंने आयकर के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मधुमेह के रोगियों को औषधियों का दिया जाना

26. **श्री आ० ना० मुल्ला :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभानुभोगी मधुमेह के रोगियों को

"रैस्टिनन" तथा अन्य औषधियां केवल 6 महीने तक मिल सकती है और उस के बाद नहीं मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार जीवन निर्वाह की लागत अत्यधिक होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के रोगियों को लाभ पहुँचाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मधुमेह के रोगियों को मधुमेह निरोधी औषधियों की सप्लाई प्रारम्भिक तीन मास तक की जाती है। किन्तु ऐसी जटिलताएं उत्पन होने पर जिनमें विशेष नियंत्रण की आवश्यकता हो औषधियां इतना अधिक समय तक दी जाती है जितना कि विशेषज्ञ आवश्यक समझें।

(ख) से (घ). ऐसा समझा जाता है कि औषधियों का मुफ्त तथा निरन्तर दिया जाना रोगियों को आहार तथा प्रथम नियमों के पालन करने में हतोत्साहित कराने के साथ साथ सरकार पर भी असीमित उत्तरदायित्व बढ़ाना होगा। अतः वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

स्नातकों को वित्तीय सहायता देने की स्टेट बैंक की योजना

27. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयाबन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उन स्नातकों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना बनाई है, जो खेती करते हैं और जिनके पास कृषि उत्पादन संबंधी उपयोगी परियोजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) कौन-कौन से केन्द्र चुने गये हैं ;

(घ) उन्हें कुल कितनी सहायता दी जायेगी और किन शर्तों पर ; और

(ङ) इसको कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) कृषक स्नातक योजना का उद्देश्य उन स्नातक कृषकों के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना है, जिनके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता और कृषि उत्पादन के लिये उपयुक्त खेत विकास प्रायोजनाएं तो हों लेकिन जो पर्याप्त साधनों के अभाव में इन प्रायोजनाओं को शुरू न कर सकते हों।

(ग) यह योजना भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा देश भर में चुने हुए केन्द्रों में, इस योजना की सफलता की संभावनाओं के आधार पर धीरे-धीरे अमल में लायी जायेगी।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अग्रिमों की कुल रकम के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत स्नातक कृषक को अधिक से अधिक 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने का पात्र होने के वास्ते, आवेदक के लिये यह जरूरी है कि :—

(1) वह ईमानदार और सच्चरित हो,

(2) उसके पास कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान, दुग्धशाला विज्ञान अथवा कृषि इंजीनियरी की डिग्री हो ; और

(3) उसके पास

(i) अपने खुद के नाम या दूसरों के साथ भागीदारी में या संयुक्त हिन्दू परिवार के संदायाद (कोपार्सनर) के रूप में या जोतदार (टीनेंट) अथवा पट्टेदार के रूप में जमीन हो,

(ii) कृषि विकास और/अथवा सम्बन्ध कार्यों की उपयुक्त प्रायोजना हो,

(iii) फारम को चलाने की आवश्यक तकनीकी योग्यता हो ; और

(iv) जोखिम उठाने की भावना और अपने ज्ञान तथा विचारों का लाभदायक ढंग से उपयोग करने का संकल्प हो।

(ङ) यह योजना कुछ चुने हुए केन्द्रों में शुरू की जा चुकी है।

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा छोटे उधार लेने वालों को ऋण देने संबंधी बीमे की योजना

28. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयाबन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे उधार लेने वालों को ऋण देकर ली गयी ऋण-जोखिमों को पूरा करने के लिए सरकार का एक व्यापक बीमा योजना आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नयी योजना वर्तमान ऋण गारंटी योजना का स्थान लेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या-क्या होंगी ; और

(घ) क्या इस योजना को तैयार करने हेतु एक समिति नियुक्त की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : खुदरा व्यापार, छोटे पैमाने के व्यापार, छोटे मोटे मरम्मत के उद्योगों, छोटे पैमाने पर खेती और खुद काम करने वाले

लोगों के लिये बैंकों द्वारा दिये जाने वाले छोटे ऋणों के लिये गारंटियों की एक सरल लेकिन व्यापक प्रणाली तैयार करने के लिये नियुक्त किए गये कार्यकारी दल ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

मकानों के निर्माण के लिए सस्ते और शीघ्रकारी तरीकों की विशेषज्ञ समिति

29. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री मयाबन :
श्री अविचन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सरजू पांडेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बड़ी भारी संख्या में मकानों के निर्माण के लिये सस्ते और शीघ्रकारी तरीके निकालने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ; और

(घ) इससे जनता को कितना लाभ होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। बड़े नगरों जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास अहमदाबाद तथा कानपुर, में बड़े पैमाने पर कम लागत के मकानों का निर्माण करने के लिये पद्धति के अध्ययन के हेतु सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।

(ख) विशेषज्ञ समिति में भवन निर्माण क्षेत्र की विभिन्न विशेष विधायें हैं तथा उसमें सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट तथा स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग रिसर्च सेन्टर, रूड़की, प्लानिंग कमीशन, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी तथा नेशनल बिल्डिंग अर्गनाईजेशेन के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य करेगी तथा मान्यता के योग्य व्यक्तियों से भी सहायता लेगी।

(ग) समिति से यह कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1970 तक प्रस्तुत करदे तथा सरकार फिर उसकी सिफ़ारियों पर विचार करेगी।

(घ) इसमें सामूहिक आवासीय निर्माण कार्यक्रमों को किफायत से तथा और तेजी से आरम्भ करने में सहायता मिलेगी।

नर्मदा जल विवाद संबंधी न्यायाधिकरण

30. **श्री मयाबन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री मं० रं० कृष्ण
श्री ए० श्रीधरण :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नर्मदा जल विवाद पर तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस न्यायाधिकरण को क्या क्या बातें विचार करने के लिए सौंपी गई हैं ;

(ग) वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा । और

(घ) क्या उसका निर्णय सम्बन्धित पक्षों के लिए अनिवार्य होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने 6 अक्तूबर, 1969 को एक नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया था जिसके अध्यक्ष श्री जस्टिस वी रामस्वामी, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज, और सदस्य श्री जस्टिस वी० पी० गोपालन नम्बियार, केरल हाई कोर्ट के जज और श्री जस्टिस जी० सी० माथुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं । गुजरात और राजस्थान की सरकारों की शिकायतों के परिणाम स्वरूप अन्तर्राज्यीय नदी नर्मदा और नदी घाटी से सम्बन्धित जल विवाद को न्यायाधिकरण के पास न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है । नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा । चूंकि न्यायाधिकरण ने अभी हाल ही में कार्य शुरू किया है, इस लिए इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि इसको निर्दिष्ट मामलों पर यह अपना निर्णय कब होगा । अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में यह कहा गया है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और विवाद के दोनों पक्षों पर लागू होगा और वे इस पर अमल करेंगे ।

खनिज उत्पादन प्रविधि का आधुनिकीकरण

31. **श्री मयाबन :**
श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन कार्यों के सामयिक परिणाम सुनिश्चित करने के हेतु खनिज उत्पादन आयोजन की विधि में आमूल परिवर्तन लाने के लिये सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये नये परिवर्तन का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम है ;

(ग) क्या यह सच है कि पोलैण्ड की सरकार एक आयोजन केन्द्र स्थापित करने के लिये भारत को सहायता देने के लिये सहमत हो गई है जिस में इंजीनियरों को आधुनिक आयोजन प्रवधि में प्रशिक्षित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). समस्याओं के सक्रिय प्रस्ताव का विकसित करना और निर्माण लागत को कम करने तथा उत्पादन के युक्ति संगत स्तर की प्राप्ति को गति देने के लिये अपनी आयोजना पद्धतियों को पुन : अनुकूल बनाना सरकार का सतत प्रयास है जिससे कि प्रायोजनाओं को शीघ्र तिथि से उपादेय बनाया जा सके ;

(ग) पोलैण्ड की सरकार ने इस देश के खनिज विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग देने में अपनी उत्सुकता व्यक्त की है । उन्होंने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को, निगम की बढ़ रही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उस संस्था में एक समुचित आयोजना कक्ष को सुदृढ़ करने और स्थापित करने में सहायता करने का भी प्रस्ताव किया है । योजना के अनुसार 3 से 4 मास की अवधि के लिये एक खनन इंजीनियर, एक बिजली/यांत्रिक इंजीनियर और एक अर्थ शास्त्री को प्रशिक्षण दिया जाना है । सारी योजना सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

घटिया किस्म की तथा नकली औषधियों की बिक्री

32. **श्री मयाबन :** **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में घटिया किस्म की तथा नकली औषधियों की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे पर केन्द्रीय सरकार ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दुराचार का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अन्य किन-किन उपायों का सुझाव दिया है ; और

(घ) राज्य सरकारों ने उन्हें किस हद तक माना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे समुचित आकर्षक वेतन दरों पर प्रभावी स्तरों पर पर्याप्त स्टाफ भरती करें तथा पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधायें एवं मिलावट के मामलों का पता लगाने और मुकद्दमा चलाने की सक्षम एजेंसिओं की व्यवस्था करें।

(घ) ये राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

आसाम में तेल-सोधन का दूसरा कारखाना

33. **श्री मयाबन :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री बीचन्द गोयल :
श्री रा० बरुआ :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में राज्य के स्वामित्व में तेल-शोधन का दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर आन्दोलन चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम की जनता की मांग पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने आसाम राज्य में अतिरिक्त (तेल) शोधन क्षमता की स्थापना की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

बैंकों में जमा धन पर ब्याज की दर

34. **श्री क० प० सिंह देव :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकरों की समिति ने नियुक्ति रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि पर ब्याज की दर के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए की थी, सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा इस विषय में की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने समिति की सिफारिशों को किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) बैंकरों की समिति ने रिजर्व बैंक को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें मुख्य जो सिफारिशें ये हैं :—

(1) चालू जमा रकमों पर 45 दिन तक कोई ब्याज न दिया जाय ;

(2) 46 से 90 दिन के लिए जमा रकमों पर 8.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाय ;

(3) अनुसूचित बैंकों को कुल जमा रकमों के आधार पर चार श्रेणी में ।

विदेशी बैंक ; (दो) 25 से 50 करोड़ रुपये तक की जमा रकमों वाले बैंक ;

(एक) 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक जमा रकमों वाले बैंक और सभी विदेशी बैंक ;

(दो) 25 से 50 करोड़ रुपये तक की जमा रकमों वाले बैंक ;

(तीन) 10 से 25 करोड़ रुपये तक की जमा रकमों वाले बैंक ;

(चार) 10 करोड़ रुपये से कम जमा रकमों वाले बैंक ।

छोटे बैंकों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे जमा के लिए अधिक रकमें आकृष्ट कर सकें, 90 दिन से अधिक अवधि की जमा रकमों पर दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के बैंकों को, पहली श्रेणी के बैंकों में जमा रकमों की सामान्य ब्याज दर से क्रमशः 1/5 प्रतिशत, $\frac{1}{4}$ प्रतिशत और $\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक ब्याज देने की मंजूरी दे दी जाय और पहली श्रेणी के बैंकों को वर्तमान दरों पर ही ब्याज देते रहने दिया जाय । बचत बैंक के खातों के सम्बन्ध में, पहली से तीसरी श्रेणी तक के बैंकों के लिए ब्याज की दर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की जाय । पर चौथी श्रेणी के बैंकों को 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने की अनुमति दी जाय ।

(4) ब्याज की दरें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए निदेश से निर्धारित की जानी चाहियें ।

(5) जमा रकमों की दलाली पर रोक लगा दी जाय ।

(6) शहरी और देहाती क्षेत्रों में ब्याज की दरों में किसी प्रकार के अन्तर की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) और (घ). रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श करने के बाद उपर्युक्त सभी मुख्य सिफारिशें मान ली हैं सिवाय इसके कि 15 से 45 दिन के लिए जमा रकमों पर अधिकाधिक $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर मंजूर की गयी है ।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में परिवर्तन

35. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री जनार्दनन :
श्री लखनलाल कपूर :
श्री कं० मि० मधुकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जय सिंह :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री शारदानन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने प्रीमियम दरों में परिवर्तन के **बारे** में, जैसी कि मोरारका समिति द्वारा सिफारिश की गई है, सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; **और**

(ग) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा व्यक्त किये गये विचार को **स्वीकार** कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर): (क) से (ग). मामला निगम तथा सरकार, दोनों के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी ही निर्णय होने की आशा है ?

कृषि तथा लघु उद्योगों के लिये राष्ट्रीय बैंकों से ऋण

36. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री हेमराज :
श्रीमती सुशीला नायर :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री मधु लिमये :
श्री कार्तिक उरांव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री अद्धाकरसुपकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने और उन बैंकों द्वारा कृषि तथा लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों को ऋण देने के लिये कोई योजना बनायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके फलस्वरूप कृषि, लघु तथा बड़े उद्योगों को क्या लाभ होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार के लिए समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से बैंकरों की एक समिति नियुक्त की है। आशा है, जल्दी ही इस समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जायगा। जहां तक कृषकों, और बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने का सम्बन्ध है, इस विषय में नीति यह है कि इस बात की निश्चत व्यवस्था की जानी चाहिए कि बड़े छोटे सभी उत्पादक उद्यमों की ऋण संबंधी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जाय। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण के बाद कई बैंकों ने किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देने की योजनाएं बनायी है और आशा है, कुछ और बैंक भी ऐसा ही करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्यतः किसानों की अल्पावधि पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उर्वरकों जैसी खेती के काम आने वाली मुख्य वस्तुओं के वितरण के लिए वित्त-प्रबन्ध करना और ट्रेक्टरों, पम्प-सेटों और खेती के काम आ वाले अन्य उपकरणों की खरीद के लिये मध्यम-अवधि के ऋण देना है।

आसाम तथा नेफा में अशोधित तेल का उत्पादन

37. **क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी आयल कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से आसाम तथा 'नेफा' के पूर्व क्षेत्रों में अशोधित तेल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). आयल इंडिया लि० ने, भारत सरकार और वर्मा आयल कम्पनी, जिसमें प्रत्येक के 50 प्रतिशत शेयर हैं, 1970-73 की अवधि के दौरान आसाम और नेफा के पैट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेन्स क्षेत्रों में 6 कुंओं के अध्ययन के लिए (अपने पूर्व प्रयत्नों के सिलसिले में) एक अन्वेषण कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम पर अनुमानित व्यय 5 करोड़ रुपये होगा।

हिमालय क्षेत्रों का विकास

38. **श्री जे० के० चौधरी** :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय क्षेत्र में पेय जल, सिंचाई तथा बिजली की व्यवस्था को बढ़ाने हेतु उपाय सुझाने के लिये सरकार ने राज्य तथा कुछ केन्द्रीय मंत्रियों की एक समिति स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरा साथ लगे उपबन्ध में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल०टी० 1956/69] ।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले छात्रों के लिये चिकित्सा कालेजों में स्थानों का आरक्षण

39. **श्री जे० के० चौधरी :** **श्री ए० श्रीधरन ।**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री नि० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ : **श्री मयाबन :**
श्री क० लकप्पा : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को चिकित्सा-महाविद्यालयों में छात्रों के लिये स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया है, जो एम०बी०बी०एस० की परीक्षा पास करने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को तैयार हों ; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ;

(ख) डाक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए इस सुझाव पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है । इस सुझाव के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के बारे में अभी कोई पत्र नहीं मिला है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में बोनस अधिनियम क्रियान्विति

40. **श्री के० रमानी :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री भगवान दास :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने में बोनस अधिनियम को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ; और

(ग) उक्त अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोआ में बिड़ला बन्धुओं द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना

41. **श्री के० रमानी :** **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री राममूर्ति :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ सरकार ने गोआ के सनकोले गांव में बिड़ला जुआरी एग्रो-कैमिकल को क्या सुविधायें दी हैं ;

(ख) उर्वरक कारखाने को पानी सप्लाई करने हेतु ओपा वाटर वर्क्स (पौंडा जिले) से मारमागोआ में सनकोले गांव तक जिनके बीच की दूरी 40 किलोमीटर है पाइप लाइन बिछाने का व्यय कौन वहन करेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि गोआ सरकार एक भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी कालोनी अल्बीनो नारनोह को, जो कि इस समय बिड़ला बन्धुओं के पास काम कर रहा है, नागोआ काम्यूनीटेड का (नागोआ गांव का पुराना कम्यून जिसकी अपनी भूमि है) अध्यक्ष नामजद करने पर विचार कर रही है ताकि कम्यूनीटेड से बहुत सस्ती दरों पर लगभग 150 हैक्टर भूमि प्राप्त की जा सके ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) उर्वरक सन्यन्त्रण के लिए बिरला ग्वालियर प्राइवेट लि० को स्थायी पट्टे पर सनकोले गांव में पहाड़ी और बंजर भूमि के 500 हैक्टरज दिये गये हैं ; जिसका वार्षिक किराया लगभग 50,000 रुपये है इसके अतिरिक्त, गोआ प्रशासन स्वीकृत दर पर बिजली की सप्लाई करेगा।

(ख) गोआ सरकार ओपा से मोरमागोआ तक पाइप-लाइन बिछाने की लागत को पूरा करेगी और बिरला ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड पानी के लिए 50 पैसे प्रति घन मीटर की दर से अदायगी करेगी।

(ग) काम्यूनीडेड सालसेट, एक अर्ध सरकारी विभाग ने, नगोआ काम्यूनीडेड के प्रधान पद के लिए श्री कारलोस अल्बीनो नारनोह, (जो नगोआ काम्यूनीडेड में शेयरधारी है) को सिफारिश की थी और सिविल प्रशासन के कलक्टर तथा निदेशक ने काम्यूनीडेडस की संहिता के उपबन्धों के अनुसार तीन वर्षों की अवधि के लिए इसकी स्वीकृति दी है। काम्यूनीडेडस की सहिता के अनुसार, सरकार की पूर्व-स्वीकृति के बिना न ही प्रधान और न ही प्रबन्ध-समिति काम्यूनीडेड की भू-सम्पति को बेच या स्थायी आधार पर पट्टे पर दे सकती है अत: यह कहना ठीक नहीं कि क्योंकि श्री नारनोह नागोआ काम्यूनीडेड के प्रधान नियुक्त हुए हैं ; इसलिए उस काम्यूनीडेड द्वारा बिरला ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड को, भूमि सस्ते मूल्य या काम्यूनीडेड के हितों के प्रतिकूल बेची या पट्टे पर दी जायेगी।

बैंकिंग उद्योग में संगणकों का प्रशिक्षण

42. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग में भी संगणकों का प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो बैंकों में संगणक लगाये जाने के परिणाम फालतू होने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने ले लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कन्नूर स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स लि० की ओर बकाया राशि

44. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री प० गोपालन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्नूर स्पीनिंग एण्ड बीविंग मिल्ज लिमिटेड, कन्नूर (केरल) ने वर्ष 1968 में औद्योगिक वित्त निगम को कुल कितनी राशि का भुगतान नहीं किया ;

(ख) निगम ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही नहीं की गयी, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

बेरोजगार खनन इंजीनियर तथा भूवैज्ञानिक

45. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री जनार्दनन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार खनन इन्जीनियरों तथा भूवैज्ञानिकों की सहायता करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). खनन इंजीनियरों में बेरोजगारी का प्रश्न भारत सरकार के लिये गंभीर चिन्ता का विषय रहा है और देश के भीतर तथा बाहर उन्हें नौकरी देने के सभी सम्भव मार्ग ढूंढे जा रहे हैं । परन्तु, केवल बेरोजगार खनन इंजीनियरों तथा भूवैज्ञानिकों की सहायता करने के लिये ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

नई दिल्ली के "यूनेस्को" अधिकारियों की विदेश यात्रा

46. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के भारत स्थित विशेषीकृत अभिकरणों के पास भारतीय मुद्रा है जिसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है अतः क्या इन अभिकरणों को यात्रा के लिये धन लेने के लिये भारत के रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति का लेना या 'पी' फार्म का पृष्ठांकन करना आवश्यक नहीं है ;

(ख) क्या श्री एस० पी० दीवान ने, जो कि नई दिल्ली स्थित "यूनेस्को" कार्यालय के एक पदाधिकारी हैं और जिन्होंने वर्ष 1966 के जून मास के दूसरे सप्ताह से अगस्त मास के अन्तिम सप्ताह तक विदेशों का दौरा किया था इस कारण रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति नहीं ली थी कि उन्होंने पी' फार्म में यह प्रमाणित किया था कि यह उनका सरकारी दौरा था और उसके व्यय की अदायगी "यूनेस्को" ने की थी ;

(ग) क्या इस यात्रा के लिये यात्रा एजेंटों को वास्तव में श्री दिवान ने स्वयं अपनी आय में से यात्रा व्यय का भुगतान किया था ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बद्ध यात्रा एजेंटों अथवा श्री दिवान के विरुद्ध भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग). सम्भवतः यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा संगठन की ओर से हवाई जहाज द्वारा की गयी विदेश यात्राओं के बारे में है। ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में, यदि कुछ शर्तें पूरी की गयी हों तो हवाई जहाज कम्पनियों/यात्रा ऐजेंटों के लिये रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार जारी किये गये टिकटों के बारे में रिजर्व बैंक को नियमित रूप से सूचित करना होता है। नई दिल्ली स्थित युनेस्को कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, श्री एस० पी० दीवान का यात्रा टिकट जून, 1966 के पहले सप्ताह में, इसी प्रकार प्रत्यायोजित अधिकार के अधीन जारी किया गया था। बाद में पेश किये गये नकली 'पी' फ़ार्म पर श्री दीवान के हस्ताक्षर और युनेस्को की रबर की मोहर अंकित है। किराये के भूगतान की रकम का स्रोत भी युनेस्को द्वारा किया गया बताया गया है। युनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से पूछताछ करने से पता चला है कि श्री दीवान की यात्रा कार्यालय के काम के सम्बन्ध में थी और युनेस्को कार्यालय ने इस यात्रा के लिये श्री दीवान को नकद रकम में अदायगी की थी।

(घ) इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर, श्री दीवान अथवा यात्रा-एजेंटों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कारण नहीं दिखाई देता।

राष्ट्रीयकृत बैंक

47. श्री मधु लिमये :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
डा० रानेन सैन :
श्री बेदव्रत बरुआ :
श्री गणेश घोष :
श्री प० गोपालन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सेझीयान :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री मोगेन्द्र झा :
श्री रविराय :
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
डा० प० मंडल :
श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बैंकों को अपने नियंत्रणाधीन लिये जाने के पश्चात् वह आगे के लिये क्या-क्या उपाय करने का विचार कर रही है अथवा इस प्रयोजनार्थ क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था में क्या-क्या संगठनात्मक परिवर्तन करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के बाद आगे के लिए कई उपाय किये गये हैं । कई बैंकों ने छोटे ऋण लेने वालों की उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नयी योजनाएं प्रस्तुत की हैं । दूसरी ओर हाल ही में नियुक्त एक अध्ययन दल गारण्टी की एक ऐसी प्रणाली तैयार करने वाला है जिसके अनुसार बैंक खुदरा व्यापार, छोटे मरम्मत उद्योग, छोटे पैमाने की खेती और अपना काम स्वयं करने वाले व्यक्तियों जैसे अब तक अपेक्षाकृत अपेक्षित क्षेत्रों को ऋण दे सकेंगे । सरकार, दल की सिफारिशों पर तत्काल विचार करेगी और उसके बाद की कार्यवाही यथासम्भव जल्दी से जल्दी की जायगी । तीसरी बात यह है कि अभिरक्षकों की एक समिति, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देश भर में शाखाएं खोलने का एक व्यापक कार्यक्रम बना रही है । चौथे, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों और स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने एक परिषद् बनाई है जो सामान्य हितों के मामलों में संयुक्त कार्यवाही करने के तरीके निकालने के लिए एक सामान्य मंच का काम देगी । अंत में, पिछले दो महीनों से प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक आन्तरिक प्रबन्ध-समिति कार्य कर रही है

जिसमें अभिरक्षक, बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और रिजर्व बैंक द्वारा नामित एक व्यक्ति होता है।

(ख) संगठनात्मक ढांचे में इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

गंगा में अगस्त-सितम्बर, 1969 में आई बाढ़ से मुंगेर तथा पटना जिलों में गांवों का नष्ट होना

48. **श्री मधु लिमये ;**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त और सितम्बर, 1969 में गंगा नदी में आई बाढ़ में मुंगेर तथा पटना जिलों में अनेक गाँव नष्ट हो गये हैं ;

(ख) ऐसे गांवों के नाम क्या हैं और जिन लोगों के मकान तथा फारम बह गये हैं अथवा नष्ट हो गये हैं उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उक्त दो जिलों में प्रभावित लोगों के स्थायी पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ;

(घ) इन प्रभावित लोगों के आवास के लिए कितनी भूमि अर्जित की गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मुंगेर और पटना जिलों में दियारा क्षेत्रों में पड़ने वाले बहुत से ग्राम गंगा नदी की हाल ही की बाढ़ों द्वारा किए गए कटाव से प्रभावित हुए हैं।

(ख) मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्रों में ये ग्राम कटाव द्वारा गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं चारापट्टी, सम्भो, अकबरपुर, सनबट्टोला, पिढ़ोली गोसाई टोला, सोनबरसा (रहीमपुर टोला), मंगल टोला, बारखंडी टोला, नया टोला, बन्नी बाबू, बगीचा सलारपुर, भरसाव, विशौनी, कोरेहका, भरतखंड और मतीहनी। पटना जिले के जो ग्राम कटाव समस्या का मुकाबला कर रहें हैं वे ये हैं : रामनगर, शेरबुखा जम्मुनीपुर, बड़िया टोला, बादल टोला, नकू टोला, नायकाटोला (पू०) नायक टोला (प०) नाया टोला, हाथी टोला, केबाथान, नीलकण्ठ टोला, शंकर पुर, 'पुरानी बींड टोली सुवाराणा, रामपुर, परसादी, राय टोला, गंगा टोला, भागू टोला, हीरा टोला, भूनीधर टोला नव दियारिला, बेंगवान, बघाही, नोनिया टोला, गंगापुर फतकवा टोला और विजयगढ़, कितने लोगों के घर तथा फार्म बह गये हैं अथवा कट गये हैं, यह सही ज्ञात नहीं है। किन्तु राज्य सरकार के अनुसार, पटना जिले में 3414 परिवार कटाव प्रभावित हुए हैं।

(ग) से (ङ). कटाव द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक विशेष पदाधिकारी के कार्यभार में राजस्व विभाग में एक विशेष कक्ष खोला गया है। पटना जिले में, कटाव द्वारा प्रभावित 3414 परिवारों में से, 1145 को पुन: बसा दिया गया है मुंगेर में सोनकरसा ग्राम

के रहीमपुर टोला जो कि पूर्ण रूप से कट गया था, के सभी प्रभावित परिवारों को पुनः बसा दिया गया है। अन्य लोगों को बसाने के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। राज्य सरकार ने लोगों को पुनः बसाने के कार्य में सहायता देने के लिए भूमि अर्जन की समस्त लागत को स्वयं वहन करने का फैसला किया है। प्रत्येक परिवार गृह निर्माण अनुदान के रूप में अधिकतम 200 रुपये लेने का हकदार है।

राजस्थान नहर परियोजना

49. **श्री मधु लिमये :** **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री नवलकिशोर शर्मा :**
श्री हेम राज :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नंगल प्रणाली में राजस्थान नहर परियोजना की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस वृहत परियोजना को क्रियान्वित करने में अपनी पूर्ण असमर्थता होने के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में तत्कालिक संकट को दूर करने तथा उस क्षेत्र में बार-बार पड़ने वाले अकालों के स्थायी हल के लिए इस परियोजना को अपने हाथ में लेने तथा इसको उच्चतम प्राथमिकता वाली योजना के रूप में क्रियान्वित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस परियोजना को अपने नियंत्रणाधीन न लिए जाने के कारण क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान नहर परियोजना पर कार्य की वर्तमान प्रगति निम्नलिखित है :

राजस्थान नहर का प्रथम चरण जो कि 122 मील तक वितरण प्रणाली समेत है, 1973-74 तक पूरा होने की सम्भावना है। 134 मील का कुल राजस्थान फीडर, राजस्थान नहर का 60 मील का पहला चरण, नोरंगडोसर, रावतसर, जेरावरपुर, खोदान तथा खेतवाली रजवाहे पूरे हो गए हैं। राजस्थान नहर के 60 मील से 110 मील के बीच, सरदारपुरा, चूली तथा जेसाभाटी रजवाहे, लिफट चैनल तथा सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा की वितरण प्रणाली पर कार्य चल रहा है। सम्पर्क चैनल पर मिट्टी का कार्य भी पूरा हो गया है जो अनूपगढ़ शाखा के साथ घग्घर व्यपवर्तन नाली को जोड़ती है।

(ख) राजस्थान सरकार परियोजना के निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है परन्तु संसाधनों की तंगी इसको सीमित कर रही है।

(ग) तथा (घ). 1964 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद् की कृषि तथा सिंचाई सम्बन्धी समिति ने वृहत सिंचाई स्कीमों को केन्द्र द्वारा हाथ में ले लेने के प्रश्न पर विचार किया

गया था। सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए इस समिति ने सिफारिश की थी कि वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए पृथम् रक्षित केन्द्रीय सहायता का प्रर्याप्त प्रावधान होना चाहिए और ये परियोजनाएं राज्य योजना का ही भाग बनी रहनी चाहिये। सितम्बर, 1965 की अपनी बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन सिफारिशों को नोट कर दिया था।

इन सिफारिशों के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना राज्य योजना का अंग बनी हुई है।

Reservation of Residential Accommodation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government Employees

50. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarted Question No. 1964 on the 4th August, 1969 and state :

(a) whether Government have since looked into the question of according priority to the scheduled castes and scheduled Tribes in respect of allotment of quarters from the general pool ;

(b) if so, the results thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Honsing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees' working in eligible offices in Delhi/New Delhi and entitled to type III and above from the general pool, the percentage of satisfication is satisfactory as compared to the overall percentage of satisfaction in the general pool. However, the percentage of satisfaction in the case of e mployees entitled to types I and II is comparatively low and it has been decided that 5% of the vacancies in the general pool in Delhi/New Delhi should be made available for allotment to such employees.

Building Constructed by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust New Delhi

51. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether he is the Life-Member of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether it is a fact that the said Trust has constructed the houses without the plans duly approved and the houses have been fetching rent amounting to about three thousand rupees per month for the last fifteen years till last year ;

(c) whether it is also a fact that the said Trust has constructed many houses, oil-godowns, iron or tent godowns in such a way what their doors open towards the main road ;

(d) whether it is also a fact that the roads remain blocked by the carts and cots of the tenants ; and

(e) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) Land had been leased to the All India Blind Relief Society and not to the Dr. Bhagwan Das Memorial Trust. Subsequently, the Society surrendered the demised premises in favour of the Dr. Bhagwan Das Memorial Trust by executing a currender deed. There are about 30 residential quarters on the land. No plans in respect of these quarters have so far been sanctioned by the Land and Development Officer. Government have no information about the rents received by the owner (s) of the quarters.

(c) The Land and Development Officer inspected the site on 14th November, 1969 and found that about 12 quarters were occupied by the staff of the Blind Relief Society and that the remaining quarters had been rented out to different tenants. Some portions of the rented quarters were being used as milk dairy, tent godown, dry cleaning and washing factory and Esso kerosene depot. Some of the doors of the quarters open on the service road and not on the main road.

(d) On inspection of the site the roads were not found occupied or blocked.

(e) Action will be taken to enforce the terms of the lease.

Lower Division Clerks Promoted to Upper Division Clerks in Sunouli-Pokhra Highway Construction Project

52. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Lower Division Clerks promoted to Upper Division Clerks in the Sunouli-Pokhra Highway construction project ; and

(b) the number of employees regularly absorbed in CPWD amongst the Indian Nationals, who have shifted to Nepal in connection with construction of the Sunouli-Pokhara Highway and the time by which the remaining employees would be absorbed after completion of the construction work of the said Highway ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना

53. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री क० लक्कप्पा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के निक्षेप-संख्या 5 का विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ; और

(ग) इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). 40 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष पिंड अयस्क के उत्पादन वाली बेलाडिला के निक्षेप संख्या 5 पर आधारित लौह अयस्क खान का विकास जापान को निर्यात करने के लिए तथा किरिबूर अयस्क, जिसका अब निर्यात किया जा रहा है, के बोकारो इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिक्परिवर्तन की स्थिति में इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया

जा रहा है। जापान को दिये गये वचन के अनुसार इस खान से निर्यात जनवरी 1974 से प्रारंभ होने हैं। खान के विकास को विशाखापत्तनम बाह्य बन्दरगाह के विकास, जो कि अयस्क के बाहर भेजे जाने के लिए बन्दरगाह होगी, का समकालिक भी रखा जाना है।

खान के विकास का कार्य उपरि तालिका के अनुसार प्रगति कर रहा है। विस्तृत सर्वेक्षण आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मई, 1966 में खान के विकास के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिए जाने के पश्चात् प्रारम्भ किये गये थे। संयंत्र और उपकरणों की मुख्य मदों के लिए हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को आदेश दे दिये गये हैं। सिविल कार्य की आवश्यक मदों के लिए भी ठेके जल्द ही दिए जा रहे हैं।

कार्मिक वर्ग सूचकांक के संकलन आदि का पुनर्विलोकन

54. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री लखन लाल कपूर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कार्मिक वर्ग सूचकांक के परिकलन तथा संकलन के पुनर्विलोकन का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्विलोकन कार्य आरम्भ करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पुनर्विलोकन कार्य किसी गैर-सरकारी संगठन को सौंपा जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार आंकड़ों की विभिन्न शृंखलाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर समीक्षा करती रहती है। इन शृंखलाओं में श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी शामिल है। हाल ही में इस सूचकांक की समीक्षा गयी थी, पर इस सूचकांक का संकलन करने के तरीके में बुनियादी तौर पर परिवर्तन करने की कोई विचार नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पुनः बीमा सम्बन्धी मुरारका समिति की सिफारिशें

55. **श्री लखन लाल कपूर :** **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी समवायों के साथ पुनः बीमा करने की व्यवस्था समाप्त करने के बारे में मुरारका समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) (क) और (ख). 'मोरारका समिति' की सिफारिशों पर अभी भी विचार किया जा रहा है। कुछ सिफारिशों पर सरकार का निर्णय शीघ्र ही होने की आशा है।

बम्बई के श्री कुडीलाल जी सेक्सरिया की ओर आयकर की बकाया राशि

56. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के श्री कुडीलाल जी सैक्सरिया तथा अन्य लोगों के नामों में आयकर की 1,30,000 रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी राशि कब से बकाया है ; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) इस समूह के श्री कुडीलाल जी० सक्सेरिया तथा अन्यों के नाम इस समय वसूली के लिए बकाया रहे आयकर की कुल रकम 1,63,48,481 रुपये है, 1,30,000 रुपये नहीं ।

(ख) वसूली के लिए कर की बकाया रही रकमों का सम्बन्ध विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों से है जिनके लिए मांगें अलग अलग तारीखों को जारी की गयी थी । सबसे अधिक पुरानी मांग 34 मार्च 1952 से बकाया है ।

(ग) 15,29,210 रुपये के करों की वसूली स्थगित रखी गयी है क्योंकि इसका सम्बन्ध संरक्षणात्मक कर-निर्धारण से है । मांगों के विरुद्ध अलग अलग अवस्थाओं में अपीलें की गयी हैं । बकाया कर की सारी रकम की वसूली के लिए अतिरिक्त कलक्टर को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं । अचल सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम का एक भाग इन बकाया रकमों के खाते में समायोजित किया गया है । अतिरिक्त कलक्टर से प्रार्थना की गयी है कि शेष अचल सम्पत्ति भी नीलाम कर दी जाय । निर्धारिती के खाते वसूलियों जैसी चल परिसम्पत्तियों का भी अभिग्रहण कर लिया गया है ।

श्रीकृष्ण नगर हाउसिंग कालोनी, पटना, (बिहार)

57. **श्री क० लकप्पा :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ये दिनांक 16 अक्तूबर, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार को पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने जिसने कि श्री कृष्ण नगर हाउसिंग कालोनी पटना (बिहार) के कांड की जांच की थी कुछ अधिकारियों को दोषी पाया है और उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(ग) इस लापरवाही के कारण सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इस मामले से सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशों से परियोजना यथा परियोजनातिरिक्त सहायता

58. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से परियोजना तथा परियोजनातिरिक्त सहायता के रूप में भारत को प्राप्त धन का क्या ब्यौरा है तथा वर्ष 1969-70 में कितने धन की प्राप्ति की संभावना है ; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में 1969-70 में इस सहायता में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में 1966-67 से 1968-69 तक के वर्षों में प्राप्त होने वाली प्रायोजना और प्रायोजना-भिन्न सहायता का ब्यौरा दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1957/69] ।

अनुमान है, 1969-70 में प्रायोजना-भिन्न और प्रायोजना सहायता की रकम क्रमशः 60 करोड़ डालर और 25 करोड़ डालर होगी । पिछले वर्ष के मुकाबले कमी की सम्भावना का कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने प्रायोजना-भिन्न सहायता के वचन की रकम घटा दी है ।

मैसर्ज मैटल बाक्स आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता की ओर आयकर की बकाया राशि

59. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज मेटल बाक्स कम्पनी आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता के नाम आयकर की भारी धन राशि बकाया है :

(ख) यदि हां, तो सरकार को कब से और कितना आयकर लेना बाकी है ; और

(ग) आयकर वसूल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) और (ख) : मैसर्ज मेटल बाक्स आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा फिलहाल कोई आयकर देय नहीं है क्योंकि इस कम्पनी के नाम जारी की गई मांग की वसूली अपील का निर्णय होने तक रोक दी गई है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद की फर्म मैसर्स श्रीराम भगवान दास श्रीराम हेमराज की ओर बकाया आय-कर की राशि

60. **श्री क० लकप्पा :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद की फर्म मैसर्स श्रीराम भगवान दास श्रीराम हेमराज, के नाम में आयकर की बडी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो आयकर की कितनी राशि बकाया है और कब से बकाया है ; और

(ग) इसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : मैसर्स श्रीराम भगवान दास श्रीराम हेमराज, हैदराबाद के नाम में आयकर की 56,32,000 रुपये की रकम बकाया है जो 1951 से लगाकर बाकी है ।

(ग) निर्धारिती की भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में फैली हुई 29 सम्पत्तियां थीं । कर-वसूली अधिकारी ने सभी सम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया था, परन्तु वे हैदराबाद राज्य बैंक के पास बन्धक थीं, इसलिये उक्त अधिकारी द्वारा सम्पत्तियों को बेचने की आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकी । इसके अलावा, तीसरी पार्टी द्वारा आपत्ति-याचिकाएं दायर की गयी हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

मैसर्स ऐस्सो स्टैंडर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के नाम आयकर की बकाया राशि

61. **श्री क० लकप्पा :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ऐस्सो स्टेन्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के नाम आयकर की भारी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है और कब से बकाया है ; और

(ग) इसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : मैसर्स ऐस्सो स्टैण्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के नाम पर इस समय आयकर की निम्नलिखित रकमें बकाया हैं ।

कर-निर्धारण वर्ष	रकम	तारीख जिसको देय हुई
1962-1963	64,29,091 रु०	8-8-1968
1963-1964	53,12,686 रु०	4-5-1969

लेकिन अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा अपीलों का फैसला होने तक इन मांगों की वसूली स्थगित रखी गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के नाम आयकर की बकाया राशि

62. **श्री ए० श्रीधरन :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री क० लकप्पा : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की मैसर्ज भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के नाम आयकर की बहुत बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां तो आय-कर की बकाया राशि कितनी है और यह कब से देय है ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : आय-कर की बकाया रकम 14,76,399 रुपये है जो 2-7-1965 से 5-5-1967 के बीच अलग-अलग तारीखों को देय हुई ।

(ग) निर्धारिती कम्पनी का मामला जालान समूह के मामलों में से है । कुल बकाया मांग का एक महत्वपूर्ण भाग का सम्बन्ध धारा 271 (i) (सी) के अधीन लगाये गये दण्ड से है. जिसकी वसूली, ऐसे दण्डों की वैधता के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने तक रोक दी गयी है । बकाया कर की शेष रकम की वसूली किस्तों की एक योजना द्वारा की जा रही है जिसके अनुसार यह समूह नवम्बर 1969 से शुरू करके 2 लाख रुपये की मासिक किस्तों में 31-3-1970 से पहले-पहले 10 लाख रुपये की अदायगी करेगा ।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत करना

63. श्री ए० श्रीधरन : श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री क० लकप्पा : श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री एस० एम० कृष्ण : श्री देवेन सेन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का इस प्रयोजनार्थ कब तक विधान लाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) और (ख) : शहरी आमदनियों और सम्पत्ति की सीमाएं निर्धारित करने और सम्बद्ध विषयों के बारे में विभिन्न विशिष्ठ सुझावों की सरकार द्वारा गहराई और सक्रियता से जांच की जा रही है ।

(ग) इस समय कोई ठीक-ठीक तारीख नहीं बताई जा सकती ।

Chinese Attempt to Divert Course of Brahmaputra River

64. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Shardanand :
Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal : Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Suraj Bhan : Shri Virendrakumar Shah :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that China is trying to change the course of Brahmputra River in Tibet ;

(b) whether it is a fact that Chinese Officials have also surveyed Mansarover area for this very purpose ; and

(a) if so, the reaction of Government in this regard and the action proposed to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b). Government of India do not have information regarding the attempts to divert Brahmputra or surveying of Mansarover areas by the Chinese.

(c) Does not arise.

Foreign Tour of Chief Minister of Madhya Pradesh

65. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Madhya Pradesh was scheduled to undertake a foreign tour for a fortnight from the 13th September, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that he had to cancel the said tour as he was refused foreign exchange ; and

(c) if so, the reasons for not sanctioning the foreign exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Chief Minister was advised that it is the practice that Ministers ıould not accept passage hospitality. The proposal for a foreign tour was not pursued ıereaft er.

Income Tax Arrears

66. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Dhireshwar Kalita :**
Shri Vasudevan Nair : **Shri Ranjeet Singh :**
Dr. Ranen Sen : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri K. Halder : **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri C. Janardhanan : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of Income tax arrears all over the country, which is yet to be recovered ; and

(b) the action proposed to be taken by Government in future to recover the arrears of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministery of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) As on 30th June, 1969, the arrears of Income-tax amounted to Rs. 554.08 crores.

(b) The following specific measures have been devised for an early realisation of arrears of tax :

(i) Taking over of recovery work hitherto done by officials of the State Government.

Work taken over fully in Commissioners' charges at Delhi, Andhra Pradesh, Gujarat and Rajasthan.

Work taken over partly in Commissioners' charges of West Bengal, Madras, Mysore, Uttar Pradesh, Bombay and Poona.

Efforts are being made for taking over recovery work in the remaining charges also as soon as possible.

(ii) Close administrative supervision over recovery of arrear demand.

(iii) Further improvements in the Functional Distribution Scheme under which the work of collection of taxes is made the specific function of one or more Income-tax Officers in the Range.

(iv) Review of cases of arrear demand exceeding Rs. 5 lakhs by Director of Inspection (Research, Statistics and Publication).

(v) Responsibility for appropriate action in cases where arrears are outstanding, has been fixed on particular Officers as under—

Income-tax Officer	Cases of arrears below Rs. 1 lakh.
Inspecting Assistant Commissioners	Cases of arrears over Rs. 1 lakh and below Rs. 5 lakhs.
Commissioner of Income-tax	Cases of arrears over Rs. 5 lakhs.

(vi) Greater emphasis on collection of demands created during the current year.

(vii) Recovery measures are being enforced in a systematic manner against outstanding demands.

(viii) Acceptance of crossed cheques by the Department and opening of special receipt counters for this purpose in the Income-tax Offices.

(ix) Arrear Clearance Fortnights are being observed all over the country. During the period, special emphasis will be laid on carrying out pending adjustments/ rectifications, giving effect to appellate orders and collecting the net demands due from the assessees.

Income Tax on Gandhi Memorial Fund Question

67. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of income-tax assessed by Government on Gandhi Memorial Fund prior to 1st January, 1966 and from January, 1966 to date ;

(b) the amount of income-tax recovered by Government from this Institution during the above period and the amount of arrears yet to be recovered ; and

(c) the action being contemplated by Government to recover the arrears of income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Nil. Gandhi Smarak Nidhi (Gandhi Memorial Fund) is not liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

(b) and (c). Do not arise.

विदेशों में आर्थिक सम्मेलन

68. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सितम्बर-अक्तूबर 1969 में विदेशों का दौरा किया और विदेशों में हुए आर्थिक सम्मेलनों में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और उन सम्मेलनों में भाग लेने के परिणामस्वरूप क्या विशिष्ट सफलताएं प्राप्त हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के राष्य मंत्री, श्री प्रकाश चन्द सेठी ने 25 और 26 सितम्बर, 1969 को बारबाडास में हुई राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों की बैठक में और 28 से 31 अक्तूबर, 1969 तक कनाडा में विक्टोरिया नामक स्थान पर, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास के संबंध में कोलम्बो आय की सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया। बारबाडास में हुई बैठक में भाग लेने के अवसर का लाभ उठाते हुए, श्री सेठी लन्दन और वाशिंगटन भी गये जहां वे प्रमुख व्यवसायियों, और आर्थिक सहायता तथा वित्तीय मामलों से संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से और इसके अलावा विश्व बैंक के अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध निदेशक से मिले और उनसे बातचीत की। उन्होंने भारत को मिलने वाली सहायता की सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कोट पर पुनर्विचार और विशेष आहरण अधिकारों के नियतन आदि उन विषयों पर भी बातचीत की, जिनका भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। कोलम्बो आयोजना विषयक बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गयी उनका संबंध कोलम्बो आयोजना देशों के आर्थिक विकास से है जैसे : कृषि के क्षेत्र में प्रगति, विकास की बनाये रखने के लिये आवश्यक सहायता, पूंजी-निवेश में वृद्धि, सहायता की शर्तों ऋण परिशोधन की समस्या और विकास-ससाधनों का बेहतर उपयोग।

गांधी सिक्कों की बिक्री

69. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री कमलनाथन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हेम राज :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अक्तूबर को प्लास्टिक की एक डिबिया में 11.70 रुपये (10 रु०, 1 रु०, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के) के गांधी सिक्के विज्ञान भवन में 20 रुपये में बेचे गये थे और तब से देश में अन्य स्थानों पर भी बेचे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में चोर-बाजारी को रोकने वाली विधि होने के बावजूद ऐसी घटना होने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 2 अक्तूबर, 1969 को विज्ञान भवन में 10 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 20 पैसे के अपरिचालित महात्मा-गांधी-जन्मशताब्दी-स्मारक सिक्कों के कुल विशेष फोल्डर 20 रुपये प्रति फोल्डर के हिसाब से बेचे गये थे और इसके बाद ये फोल्डर बम्बई की टकसाल से उसके द्वारा प्राप्त आर्डरों के आधार पर बेचे गये थे। "अपरिचालित सिक्कों" के बारे में मुद्राशास्त्रीय मान्य परिपाटी के अनुसार, ये सिक्के, जो सीधे टकसालों से जारी किये जाते हैं (जो उन "परिचालित सिक्कों" से भिन्न होते हैं, जिन्हें अंकित मूल्य पर निर्गम बैंक द्वारा जारी किया जाता है) उन व्यक्तियों के हाथ अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं, जो उन्हें खरीदना चाहते हों।

साउथ एवेन्यू (नई दिल्ली) के फ्लैटों के बरामदों की खिड़कियों में शीशा लगाना

70. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ ऐवेन्यू में संसद-सदस्यों के फ्लैटों में बरामदों की खिड़कियों में शीशा लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने खाली पड़े फ्लैटों में तथा कितने आबाद फ्लैटों में ऐसा किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें शीशा लगाने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका से विशेष अनुमति मांगी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो कितने फ्लैटों के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका से अनुमति ली गई थी और कितने फ्लैटों में अनुमति लिये बिना शीशा लगाया गया था ; और

(ङ) नई दिल्ली नगरपालिका से अनुमति लिये बिना बरामदों की खिड़कियों में शीशा लगाने के क्या कारण थे और अपेक्षित अनुमति के लिये कितने फ्लैटों के मामले नई दिल्ली नगरपालिका के विचारधीन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) एक सूची सभा पटल पर रख दी है। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिये** संख्या एल० टी० 1958/69] जिसमें दखल ले लिए हुए और खाली फ्लैटों में पूरे हुए काम को अलग-अलग दिखाया गया है।

(ग) से (ङ). बरामदों में शीशे लगाने आदि जैसे सभी परिवर्तन/परिवर्द्धन के प्लानों का नई दिल्ली नगर पालिका से अनुमोदन आवश्यक है और सूची में बताये गये सभी फ्लैटों के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। नई दिल्ली नगरपालिका से प्लान के अनुमोदन के बिना किसी भी फ्लैट में शीशे नहीं लगाये गये हैं। 22, 40, 112, 148 और 163 नम्बर के पांच और फ्लैटों के प्लानों को नई दिल्ली नगर पालिका को भेज दिया गया है। किन्तु अभी तक उनका अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। ज्योंही उनका अनुमोदन प्राप्त हो जायेगा, इन फ्लैटों में कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-संचालन

71. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अधिनियम में दिये गये प्रयोजन के लिये काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों का बुनियादी काम ज्यादा से ज्यादा शाखाएं खोल कर अधिक से अधिक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधायें प्रदान करना है। बहुत से बैंकों ने छोटे व्यापारियों, कारीगरों, छोटे उद्यमकर्त्ताओं, छोटे किसानों और अपना स्वयं करने वाले लोगों जैसे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों लोगों के लिए ऋण देने की योजनाएं तैयार की हैं। हाल ही में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है जो शीघ्र ही उन क्षेत्रों को ऋण देने के लिए गारंटी की एक कार्यप्रणाली तैयार करने वाला है, जो अब तक अपेक्षाकृत उपेक्षित रहे हैं। अभिरक्षकों की एक समिति एक व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है जिसके अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक देश भर में अपनी शाखायें खोलेंगे।

पश्चिमोत्तर भारत में एक नये तेल शोधक कारखाने की स्थापना

72. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मंगलापुमाडोम :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पश्चिमोत्तर भारत में एक नया तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह तेल-शोधक कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). सरकार ने मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

फरक्का बांध का डिजाइन तथा प्रबन्ध के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़

73. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री स० कुन्दू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में हाल में आई बाढ़ का कारण फरक्का बांध का डिजाइन तथा प्रबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन राज्यों में आई इस बाढ़ के कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। बराज अभी पूरा नहीं हुआ है और न ही इसे चलाया गया है। इस के अतिरिक्त, बराज के चलाने से इन राज्यों में बाढ़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) और (ग). ये बाढ़ें गत मानसून के दौरान गंगा और इस की उपनदियों के ऊपरी बाह क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण आई थीं ।

खेतरी तांबा परियोजना

74. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री बेघर देहरा :
श्री स० कुन्दू :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतरी तांबा परियोजना के जनरल मैनेजर का पद गत कई महाने खाली रहा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को पुनः नियुक्त किया गया है जिसकी सेवाएं एक बार समाप्त कर दी गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पद को इतनी लम्बी अवधि तक खाली रखने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा सीमाशुल्क नियमों का उल्लंघन

75. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में चलचित्र उद्योग के लोगों के विरुद्ध सीमा-शुल्क नियमों के उल्लंघन के अनेक मामले दर्ज हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सीमाशुल्क कानून भंग के अपराधों का रिकार्ड सम्बन्धित सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए कालक्रमानुसार रखा जाता है, अपराधों में ग्रस्त व्यक्तियों के व्यवसाय अथवा वर्ग के अनुसार नहीं रखा जाता । प्रश्न में मांगी गयी सूचना को पिछले तीन वर्षों के अपराधों के विविध रिकार्ड में से छांटना और संग्रहित करना पड़ेगा । सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 का उल्लंघन

76. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में फिल्म उद्योग के लोगो के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के उल्लंघन के कई मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन लोगों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अक्तूबर, 1966 से अक्तूबर, 1969 की अवधि में प्रवर्तन निदेशक ने फिल्म उद्योग के एक व्यक्ति, अर्थात् कुमारी

कमर सुल्ताना, द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन पकड़ा। कुमारी कमर सुल्ताना पर विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की व्यवस्थाओं के अधीन 1,000 रुपये जुर्माना किया गया।

नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार

77. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार करने के लिये सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके वित्तीय पहलू क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुन सेन) : (क) से (ग). भारतीय उर्वरक निगम के नंगल यूनिट के विस्तार का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है। स्कीम के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कलकत्ता के श्री हरिदास मूंदड़ा पर आयकर की बकाया धनराशि

78. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हरिदास मूंदड़ा, कलकत्ता, के नाम आयकर के रूप में 2,45,000 रुपये की धनराशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी धनराशि कितने समय से बकाया है ; और

(ग) उक्त धनराशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) श्री हरिदास मूंदड़ा की तरफ फिलहाल आयकर की कुल बकाया रकम 2,45,000 रुपये नहीं है, 1,97,27,319 रुपये हैं।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित बकाया मांग का सम्बन्ध कर निर्धारण वर्ष 1941-42 से 1963-64 तक के बहुत से कर निर्धारण वर्षों से है। सबसे पुरानी मांग वर्ष 1954 में जारी की गई थी।

(ग) निर्धारिती की अचल और चल, सारी सम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है उनकी बिक्री निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के सम्बन्ध में सक्षय न्यायालयों के निर्णय होने तक रोक लगा दी गयी है :

(i) ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों में हिस्से :

(क) धुराराम जोशी के बेनामी नाम में मेसर्स लोदना कोलियरी कम्पनी लिमिटेड में 12,500 हिस्से ;

(ख) मेसर्स कमर्शियल कम्बाइन लिमिटेड के नाम में मेसर्स उस्मानशाही मिल्स लिमिटेड में 7,850 हिस्से ;

(ग) मेसर्स एफ० सी० ओसलर (इण्डिया) लिमिटेड में 89,400 हिस्से ;

(घ) ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लिमिटेड में 2,08,300 हिस्से ;

(ङ) मेसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड में 56,000 हिस्से ।

नोट—उक्त (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित हिस्सों के सम्बन्ध में मेसर्स ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड तथा चारटर्ड बैंक लिमिटेड द्वारा दावा दरख्वास्तें दायर की गयी हैं ।

(ii) नम्बर 2, राय लेन में स्थित मकान । यह सम्पत्ति बेमानीदार के नाम है जिसने अभिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति दायर की है ।

(iii) मेसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी में निर्धारिती के हितों और हिस्सों का अभिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन मेसर्स ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लिमिटेड ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय में, मुकदमा नम्बर 93/1959 द्वारा, इन हिस्सों के सम्बन्ध में अपने पूर्वाधिकार का दावा दायर किया है । एक अदालती रिसीवर नियुक्त किया गया है । इन हिस्सों का लाभांश-आय तथा मेसर्स ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लिमिटेड द्वारा सब-जज की अदालत में जमा करायी गयी 8,59,116 रुपये की रकम का अभिग्रहण कर लिया गया है ।

(iv) श्री मूंदड़ा ने कलकत्ता के उच्च न्यायालय में मुकदमा संख्या 600/1961 दायर किया जिसमें मेसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 5। प्रतिशत साधारण हिस्से खरीदने के विकल्प के विशिष्ट निष्पादन के हक का दावा किया है । उक्त मुकदमें में श्री मूंदड़ा के पक्ष में डिगरी दी गयी और प्रमाण-पत्र अधिकारी द्वारा विकल्प-अधिकार का अभिग्रहण कर लिया गया । रिसीवर के अधिकार में स्थित हिस्सों का अभिग्रहण करने की अनुमति के लिए, कर वसूली अधिकारी की दरख्वास्त कलकत्ता उच्च-न्यायालय में विचाराधीन है ।

इन्डियन ओवरसीज बैंक के परीवीक्षाधीन अधिकारियों का वेतन

79. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ओवरसीज बैंक अपने परिविक्षाधीन अधिकारियों को

उनकी सेवा के प्रथम वर्ष में 4 0 रुपये प्रतिमास और द्वितीय वर्ष में 500 रुपये प्रतिमास वेतन देता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य भारतीय बैंक अपने परिविक्षाधीन अधिकारियों को उक्त अवधि में क्रमशः 560 रुपये और 590 रुपये प्रतिमास देते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अन्य भारतीय बैंकों द्वारा परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पहले वर्ष 300 रुपये और 605 रुपये के बीच तथा दूसरे वर्ष 325 रुपये और 650 रुपये के बीच वेतन दिया जाता है । परिलब्धियों की रकम सम्बद्ध बैंकों के निदेशक मण्डलों द्वारा निर्धारित की जाती है और इन परिलब्धियों में जो अन्तर है उसके कई कारण हैं, जैसे बैंक का आकार, उसका कार्य-क्षेत्र और कमाने की क्षमता, अधिकारियों के लिये निर्धारित योग्यताएं, काम का स्वरूप, परिवीक्षा की अवधि और अनुभव आदि ।

(घ) इस ओर तथा इससे सम्बद्ध मामलों की ओर सरकार ध्यान दे रही है ।

बिहार तथा मध्य प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता

80. **श्री जमुना प्रसाद मण्डल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों को उन राज्यों मे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई सहायता दी गई है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि मंजूर किया गया धन पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार उन राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुछ अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने के बारे में पुनर्विचार करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग). चौथी पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार बिहार और मध्य प्रदेश की परिव्यय राशियां क्रमशः 441.61 करोड़ रुपये और 355.96 करोड़ रुपये हैं । इसमें से केन्द्रीय सहायता क्रमशः 338 करोड़ रुपये और 262 करोड़ रुपये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है और इसका सम्बन्ध किसी एक स्कीम, स्कीमों के समूह अथवा विकास शीर्ष से नहीं जोड़ा जाना है ।

योजना आयोग ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निकाले गए फार्मूलों के आधार पर दी है ।

बिहार में कृषि प्रयोजनों के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

81. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में सिंचाई प्रयोजनों के लिये विश्व बैंक ने भारत सरकार को कितनी राशि दी है और उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 1953 में विश्व बैंक ने बिहार और पश्चिमी बंगाल में स्थित दामोदर घाटी में सिंचाई और बिजली की सुविधाओं के विकास के लिए 105 लाख डालर का एक ऋण दिया था । इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, बिहार में सोन सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने और उसका विस्तार करने के लिए 1962 में 150 लाख डालर का ऋण दिया था । एक विवरण संलग्न है, जिसमें इन दो ऋणों का ब्योरा दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल०टी० 1959/69] ।

इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान

82. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन बैंक की प्रदत्त पूंजी और कुल जमा राशि इंडियन ओवरसीज बैंक की तुलना में कम है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते इंडियन बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों के समान करने का है क्योंकि दोनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है और वित्तीय दृष्टि से दोनों की स्थिति लगभग समान है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें संबद्ध बैंकों के भूतपूर्व निदेशक मण्डलों द्वारा निर्धारित की गई हैं और इन शर्तों में जो अन्तर है उसके कई कारण हैं—जैसे बैंक का आकार, उसका कार्यक्षेत्र तथा उसकी लाभ कमाने की क्षमता । सरकार इस मामले पर तथा इससे सम्बद्ध अन्य मामलों पर विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय बैंकों के नियमों में समानता

8 . **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक परिवीक्षाधिकारी के रूप में नियुक्ति के

लिए अभ्यर्थियों से नकद जमानत माँगते हैं और उनसे उस बैंक में कुछ वर्ष तक काम करने का बांड भरवाते हैं जबकि कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऐसी कोई योजना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणी के प्रत्येक ऐसे बैंक का नाम क्या हैं और उक्त भेदभाव के के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी बैंकों के राष्ट्रीयकरण अर्थात् 19 जुलाई, 1969 के बाद नियुक्ति की गई है सब राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमों में समानता लाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों में से चार बैंकों में अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, युनाइटेड कमर्शियल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में परिवीक्षाधिकारियों से एक बांड भरवाने के अलावा नकद जमानत भी ली जाती है, जबकि दो बैंक अर्थात् सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और सिण्डीकेट बैंक केवल बाण्ड ही भरवाते हैं। नियुक्ति की शर्तें सम्बद्ध बैंकों के भूतपूर्व निदेशक मण्डलों द्वारा निर्धारित है।

(ग) और (घ). सरकार इस मामले पर और इससे सम्बद्ध अन्य मामलों पर विचार कर रही है।

स्वर्ण निक्षेप

84. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिये गये किसी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप देश के किसी भाग में स्वर्ण निक्षेप विद्यमान होने के संकेत मिले हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा देश के विभिन्न भागों में हाल ही में किये गये सर्वेक्षणों के दौरान सोना अयस्क की कोई महत्वपूर्ण उपलब्ध राशियां सिद्ध नहीं की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में नोटों का परिचालन

85. **श्री न० रा० देवघरे** :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितनी संख्या में नोट परिचालन में थे ;

(ख) नोटों की संख्या में वृद्धि/कमी करने से देश में मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में, वर्षवार, नोटों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होने और उसका मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पिछले तीन वर्षों में जो नोट परिचालन में थे उनका ब्यौरा इस प्रकार है : –

अन्तिम शुक्रवार	(करोड़ रुपयों में)
1966-67	2976.60
1967-68	3150.79
1968-69	3453.50

(ख) मूल्यों में होने वाली घट-बढ़, परिचालित मुद्रा में तथा कृषि और औद्योगिक उत्पादन के स्तर में होने वाले परिवर्तनों जैसे कई कारणों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होती है। परिचालित मुद्रा में होने वाले परिवर्तन का अर्थ-व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उसे अर्थ-व्यवस्था को एक साथ प्रभावित करने वाले अन्य कारणों के प्रभाव से अलग नहीं किया जा सकता।

(ग) इस प्रकार के अनुमान पहले से नहीं लगाये जाते।

Possibility of Major Power Break-Down in Delhi

86. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri B. K. Daschowdhury :**
Shri S. M. Krishna : **Shri A. Sreedharan :**
Shri K. Lakkappa :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an apprehension of a major power break-down in Delhi in the near future and there is a possibility that the supply of power to Haryana and Uttar Pradesh may be discontinued ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by the Government to ensure adequate supply of power in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Though Unit No. 3 (62.5 MW) of the Indraprastha Power Station of Delhi Electric Supply Undertaking is under major repairs, the power requirements of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh are being met. All efforts are being made to expedite the repairs of Unit No. 3 so that difficulty in maintaining power supply in Delhi and to Haryana and Uttar Pradesh is avoided.

High Prices of Drugs and Medicines

87. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Mohammad Ismail :**
Shri K. M. Madhukar : **Shri K. Halder :**
Shri Yashwant Singh Kushwah : **Shri Ganesh Ghosh :**
Shri Jyotirmoy Basu : **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Badrudduja :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the prices of even the patent

medicines meant for common diseases are very high in the country and common man cannot afford to purchase them ;

(b) the action taken by Government to bring down the prices of medicines in order to bring them within the reach of common man ; and

(c) the prices charged for each antibiotic drug-both indigenous or imported, year-wise during the last three years ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) It is not correct to say that the prices of all patent medicines needed for the treatment of common diseases are high in the country. It is well known that the essential drugs are available under different names and formulations at different levels of prices, thereby providing scope for choice for the buyer. While the prices of certain medicines such as cortico-steroids, Broad Spectrum antibiotics are high, the prices of certain medicines such as penicillin, streptomycin sulphate, vitamin preparations and analgesics are reasonable.

(b) The steps taken by Government to bring down the prices of medicines are as follows :

(i) the prices of drugs and medicines are regulated by the Drugs Prices (Display and Control) Order, 1966. This order stipulates that prior approval of Government is required for fixation of prices of new drugs, new preparations and for increasing the prices of existing drugs. Drugs which are included in the specified pharmacopoeias and marketed under pharmacopoeial names and Ayurvedic and Unani drugs are, however, exempted from the provisions of the Order ;

(ii) two of the raw marerials, namely, sugar and alcohol are made available at controlled prices ;

(iii) to enable the manufacturing units to utilise their capacity fully, the industry has been included in the list of priority industries and full requirements of imported raw materials are made available ; and

(iv) since there was a complaint about high prices charged by manufacturers, Tariff Commission were requested to enquire into the prices of 18 important basic drugs and their formulations. Their report which has since been received is under consideration.

(c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Third Pay Commission

88. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Tulshidas Jadhav** :
Shri Chandra Shekhar Singh : **Shri Nihal Singh** :
Shri P. C. Adichan : **Shri Shiv Charan Lal** :
Shri K. Halder : **Shri Srinibas Misra** :
Shri K. M. Madhukar : **Shri Hardayal Devgun** :
Shri Ramavatar Shastri : **Shri Manglathumadam** :
Shri J. M. Biswas : **Shri S. M. Krishna** :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the LABOUR COMMISSION has recommended the setting up of a Pay Commission for Central Government employees ; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The National Commission on Labour have recommended the setting up of a Pay Commission for Industrial Employees of the Cental Government.

(b) The recommendation is under Consideration of Government.

Meeting of International Monetary Fund in October, 1969

89. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri K. P. Singh Deo : Shri Himatsingka :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of International Monetary Fund took place in Washington during September and October, 1969 ;

(b) if so, the subjects discussed and the decisions taken ; and

(c) the manner in which these decisions are likely to affect the Indian interests ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). The Annual Meeting of the Board of Governors of the International Monetary Fund was held in Washington during September 29 and October 3, 1969. Besides considering the Annual Report of the Executive Directors of the Fund for the year ended April 30, 1969, the Board of Governors decided to allocate Special Drawing Rights (SDR's) amounting to $9.5 billion among the members participating in the recently created Special Drawing Rights Scheme, during the three years commencing from 1st January, 1970. The allocation is expected to be of the order of $3.5 billion in 1970 and $3.0 billion each in 1971 and 1972. The allocation of SDR's is to be based on the quotas of individual member countries. On this basis it is expected that India would get about $130 million in 1970 and $105 million each in 1971 and 1972. The Board of Governors also adopted a resolution inviting the Executive Directors to formulate proposals by the end of December, 1969 for the fifth quinquennial review of IMF Quotas.

ब्रह्मपुत्र आयोग का गठन

90. **श्री वेदव्रत वरुआ : श्री क० लकप्पा : श्री यमुना प्रसाद मंडल : डा० सुशीला नैयर : श्री एस० एम० कृष्ण : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र आयोग स्थापित किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस आयोग के लिये अपेक्षित धन नियत कर दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के आयोजन एवं क्रियान्वयन के लिए "ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड" के नाम से एक स्वायत्तशासी संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

आसाम में भूमिगत जल की उपलब्धता

91. **श्री वेदव्रत वरुआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने आसाम में भूमिगत जल की कुल उपलब्धता का अनुमान लगा लिया है ; और

(ख) क्या यह पानी आसाम राज्य में भविष्य की कृषि आवश्यकता के लिये पर्याप्त होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा चयित क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का केवल आंशिक मूल्यांकन किया गया है।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा इस संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

Popularisation of Homoeopathic System of Medicines

92. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unlike other systems of medicines, Government are not paying full attention to the Homoeopathic System of medicine ;

(b) if so, whether Government propose to propagate Homoeopathic System of medicine more in future so that more people could benefit from it ;

(c) whether it is also a fact that Homoeopatic System of medicine is cheaper from other system of medicines, if so, whether Government propose to make the said system popular throughout the country keeping in view the difficulties faced by the poor masses ;

(d) whether it is also a fact that even the chronic diseases can be cured under the Homoeopathic System of medicine ; and

(e) whether it is also a fact that the said system has particularly proved more effective in case of children diseases ; and if so, the steps proposed to be taken by Government to make this system more popular ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Health is a State subject and it is for the State Governments to take whatever steps they wish to propagate the Homoeopathic System of medicine Attention is invited to the reply given to Unstarred Question No. 3712 in the Lok Sabha on 18th August, 1969. The Central Government have opened two homoeopathic dispensaries in Dehli under the Central Government Health Scheme.

(c) Because of the efficiency of Homoeopathic medicines for a large number of diseases and less comparative cost of the medicines, the Government have already advised the State Governments to utilise the said system by starting dispensaries and hospitals in the States.

(d) and (e). Homoeopathy may also be useful and efficacious in the treatment of some chronic and children diseases.

The following steps have been taken to popularise the system :

(i) A sum of Rs, 1½ crores has been proposed for education and research purposes in the Fourth Plan period for this system.

(ii) The Government of India have approved a uniform four year diploma course and additional two-year course for a degree under this system of medicine,

Some of the States have already started implementing these courses in their States.

(iii) A Bill has been introduced in Parliament for constitution of a Central Council for Indian Medicine and Homoeopathy. Through the Council it is proposed to bring about uniform standards of training in Homoeopathy in all States as well as to regulate the practice of homoeopathy.

(iv) The Government have also constituted this year an autonomous Central Council for Research in Indian Sysytems of Medicine and Homoeopathy on the lines of the Indian Council of Medicine Research.

Dilapidated Condition of Quarters of the Class IV Employees in Delhi

93. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quarters of the Class IV employees in Delhi are in a very dilapidated condition ;

(b) whether it is also a fact that the doors of bathrooms and latrines of the quarters in the colonies of Class IV employees are broken and no proper arrangements have been made for their repairs, particularly the condition of quarters in Sewa Nagar is very pitiable in this regard and this causes much inconvenience to women in utilising bathrooms and latrines ;

(c) whether it is also a fact that when complaint is lodged with the enquiry office of C. P. W. D. in this regard, no action is taken on the plea that contractors would do this work and this practice continues for the last many months ;

(d) if so, whether Government propose to remove these difficulties and the time by which they would be removed ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir. The old type I quarters in the D. I. Z., Minto Road, Timarpur and Punchkuin Road areas, however, require constant attention.

(b) Excepting Sewa Nagar, the doors of bathrooms and latrines of quarters in other colonies, are in order.

In regard to Sewa Nagar, the work of replacement of doors is in progress and is expected to be completed shortly.

(c) No, Sir. Prompt action is taken to attend to the complaints.

(d) and (e). Do not arise.

Sewa Nagar Dispensary, New Delhi

94. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the behaviour of the staff and even the doctors of the Sewa Nagar Dispensary with the patients is not good ;

(b) if so, the reasons thereof ;

(c) whether Government propose to transfer the afforsaid staff from there ; and

(d) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S Murthy) : (a) and (b) A complaint purporting to be in the name of the Honorary Secretary of the Class IV Kalyankari Sabha, Kasturba Nagar, was received. It contained allegations about the behaviour of the medical officer and other staff. The complainant was examined and he denied having written the complaint the Medical Officer-in-Charge and expressed satisfaction at the working of the dispensary.

(c) No.

(d) Does not arise.

Setting up of Homoepathic Dispensary in North and South Avenues, New Delhi

95. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have demanded that a Homoeopathic Dispensary should be set up in the North Avenue and the South Avenue under the C. G. H. Scheme ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of beneficiaries covered by the existing C. G. H. S. dispensaries does not justify the opening of any more dispensaries in these areas. A Homoepathic dispensary is already functioning in Gole Market area, Members of Parliament who wish to take Homoeopathic treatment can make use of it.

कोलम्बो शक्तियों का सम्मेलन

96. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर 1969 के अन्तिम भाग में कनारा में हुए कोलम्बो शक्तियों के सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य निर्णय किये गये ;

(ख) क्या 1970 के बाद भी भारत को सहायता देने के लिये कोलम्बो प्रस्तावों को नवजीवन देने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) कोलम्बो आयोजना की सलाहकार समिति की 20वीं बैठक विक्टोरिया, कनाडा में 28 अक्तूबर, से 31 अक्तूबर 1969 तक हुई। सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक का उद्देश्य, कोलम्बो आयोजना के क्षेत्र में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा करना और कोलम्बो आयोजना की वार्षिक रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना है। कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत विशिष्ठ सहायता सम्बन्धी फैसले द्विपक्षीय बातचीत के जरिये किये जाते हैं, और उनपर सलाहकार समिति की बैठकों पर पुनर्विचार नहीं किया जाता। लेकिन सलाहकार समिति, कोलम्बो आयोजना के क्षेत्र में आर्थिक विकास और आर्थिक सहायता सम्बन्धी सामान्य हित के विषयों पर अवश्य चर्चा करती है। इस वर्ष जिन मुख्य विषयों पर चर्चा

की गई, वे ये हैं : कृषि-क्रान्ति की सम्भावनाएं और इससे उत्पन होने वाली समस्याएं ; सहायता की शर्तें आदि और ऋण-परिशोधन की समस्या ; कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक कारगर सहयोग ; विकास संसाधनों का पहले से बेहतर उपयोग, और कोलम्बो आयोजना के क्षेत्र में पूंजी-निवेश की मात्रा में वृद्धि करना। सलाहकार समिति को, अन्तर्राष्ट्रीय विकास आयोग के अध्यक्ष, श्री लेस्टर बी० पीयरसन के साथ पीयरसन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और उन्हें अमल में लाने के लिए किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में विचारों का आदान-प्रदान करनें का सुअवसर भी प्राप्त हुआ।

सलाहकार समिति कोलम्बो आयोजना के लिए संस्थात्मक प्रबन्धों के बारे में भी फैसले करती है। इसने इस वर्ष कार्य-विधि सम्बन्धी कई परिवर्तन स्वीकार किये जिन का उद्देश्य आगामी बैठकों की कार्य-विधि को दोषरहित बनाना और इसकी वार्षिक चर्चाओं को अधिक कारगार बनाना है। समिति ने कोलम्बो आयोजना परिषद और कोलम्बो आयोजना कार्यालय के कार्य में सम्भव सुधार करने के लिए सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से इनके कार्य की समीक्षा करने का काम भी शुरू किया।

(ख) और (ग). सलाहकार समिति कोलम्बो आयोजना की अवधि को 1976 तक और आगे बढ़ाने पर भी सहमत हो गयी। इसका सम्बन्ध विशेष रूप से भारत को मिलने वाली सहायता से नहीं था, बल्कि कोलम्बो आयोजना के क्षेत्र की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं से था।

नई दिल्ली स्थित 'सी' बिजलीघर को मट्टी के तेल की सप्लाई

97. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री क० हाल्दर :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री जि० मो० विस्वास :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा नई दिल्ली में 'सी' बिजली घर को मट्टी का तेल कम मात्रा में सप्लाई करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या कथित कम सप्लाई की जांए के लिये आदेश दिया गिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम से बिजली घर को मट्टी का तेल ठेकेदारों द्वारा भेजा जाता है ; और

(घ) भविष्य में कम मात्रा की सप्लाई को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मिट्टी के तेल की सप्लाई भारतीय तेल निगम की अपनी तथा किराये की टैंक लारियों द्वारा की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना

98. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री इसहाक सांमली : **श्री बि० मो० विस्वास :**
श्री क० हाल्दर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मकान किराया भत्ता देने के लिये एक विशेष अखिल भारतीय जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर 39 शहरों और नगरों का दर्जा बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जिन 38 शहरों/नगरों की आबादी 1961 की जनगणना के अनुसार, शहरों की अगली उच्चतर श्रेणी में जाने योग्य सीमा से 10 प्रतिशत तक कम थी, उनकी आबादी की वृद्धि का सर्वेक्षण नमूने के तौर पर किया गया था। परन्तु, भारत के रजिस्ट्रार जरनल द्वारा किये गये नमूने के सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि विभिन्न शहरों/नगरों की आबादी की वृद्धि में परस्पर बड़ा अन्तर है। इसी दरमियान, जिन कुछ अन्य नगरों की, आबादी की वृद्धि का नमूना-सर्वेक्षण नहीं किया गया था, वहाँ के कर्मचारियों की ओर से भी ग्रेड बढ़ाने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

मकानों के निर्माण के लिये नई विधियां

99. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर इंडस्ट्रीज के श्री जी० एम० नायडू ने हाल ही में हैदराबाद में 24 घण्टे में तीन कमरे का मकान एक बनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण में कौनसी नई विधि अपनाई गई थी ;

(ग) इस नई विधि से देश में कम लागत के मकान बनाने की दिशा में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) क्या सरकार इस नई विधि को प्रोत्साहन देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) श्री नायडू के द्वारा हैदराबाद में 4 कमरे वाले टैनमेंट (3 कमरे वाले नहीं) का 24 घण्टे में निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है ।

(ख) टैनमेंन्ट की टाईप तथा उसके निर्माण में उपयोग में लाई गई नई तकनीकी का ब्यौरा अध्ययन के लिए मांगा गया है ।

(ग) और (घ). तकनीक के अध्ययन के बाद ही इसका निर्धारण किया जा सकता है ।

राज्यों को कोयले पर स्वामित्व का भुगतान

100. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री जनार्दनन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० रानेन सेन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग ने राज्यों को कोयले पर स्वामित्व के भुगतान के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक नया फार्मूला प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त फार्मूले की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस विषय में बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों से मन्त्रणा की गई है और यदि हां, तो उनके इस बारे में क्या विचार है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

बम्बई में नया डी० डी० टी० कारखाना

101. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 6000 मीटरी टन क्षमता का एक नया डी० डी० टी० कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर कितना धन खर्च होगा ;

(घ) इसके कब चालू होने की सम्भावना है ; और

(ङ) इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ङ). तकनीकी डी० डी० टी० की वर्तमान स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नये डी० डी० टी० संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस समय इस से अधिक ब्यौरे देना संभव नहीं है ;

लोक भविष्य निधि योजना

102. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष जुलाई में आरम्भ की गई लोक भविष्य निधि योजना को जनता का सहयोग नहीं मिला है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिये कोई अन्य उपाय करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) से (घ). लोक भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अक्तूबर 1969 के अन्त तक कुल 3919 खाते खोले गये थे जिनमें कुल 141 लाख रुपया जमा था। शायद जनता इस योजना के लाभों को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पायी है। इसलिये, सिनेमा स्लाइड दिखाकर, समाचारपत्रों में और अधिक विज्ञापन देकर और आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारणों द्वारा इस योजना के प्रचार का काम तेज कर दिया गया है। राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्रीय कर्मचारियों को, जो देश के सभी जिलों में फैले हुए हैं, व्यक्तिगत सम्पर्क से इस योजना का प्रचार करने का काम भी सौंपा गया है। व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पहली नवम्बर, 1969 से अधिकृत एजेण्टों की योजना भी शुरू की गयी है जिसके अन्तर्गत लोगों को खाता खोलने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

खम्भात की खाड़ी में तट से दूर समुद्र में ड्रिलिंग के लिये संयंत्र

103. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस के अजरबेजान इंजीनियरों ने तेल निकालने के लिये तट-दूर समुद्र में सन्यन्त्र सम्बन्धी नमूना तैयार कर लिया है और उसे खम्भात की खाड़ी से तेल के उत्पादन के लिये भारत सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ;

(ग) उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा तथा तेल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) इस में बाकू की डिजाइन इन्स्टीट्यूट द्वारा तैयार किये गये एक स्थिर प्लेटफार्म का पहला चरण डिजाइन 21 अगस्त, 1969 को प्राप्त हुआ था।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उपलब्ध चार वैकल्पिक प्रस्तावों में से एक का चयन किया है।

(ग) स्थिर प्लेटफार्म में 7 ब्लाक शामिल हैं, जिनमें से 6 मुख्य छेदन उपकरण एवं मशीनरी और सातवां चालक मलाह के आवास एवं एक हेलीपैड (Helipad) के लिये है। एक तट-दूर कुएं के व्यधन और परीक्षण को शामिल करते हुए, पूर्ण परियोजना पर लगभग एक करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है। व्यधन-कार्य पूर्ण के होने से पहले तेल के प्रत्याशित उत्पादन की पूर्वानुमान करना सम्भव नहीं है।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, खम्भात की खाड़ी में तट-दूर पहले कुएं की 31 मार्च, 1970 तक खुदाई करने का कार्यक्रम है।

आयकर विभाग में अग्रिम योजना

104. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पिछले वर्ष से कुछ अमरीकी विशेषज्ञों की सलाह पर आयकर विभाग में एक नई योजना, जिस का अग्रिम योजना या अमरीकी योजना है, चालू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछली प्रणाली की तुलना में इस प्रणाली की विशिष्टतायें क्या हैं और किन किन बातों में इसके माध्यम से निपटान और/अथवा समाहार कार्य की गति तेज होने की आशा है ; और

(ग) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है कि क्या यह योजना सन्तोषजनक ढंग से चल रही है और क्या निपटान तथा समाहार कार्य में प्रत्याशित पर्याप्त प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां, वित्तीय वर्ष 1967 68 में कर्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की प्रणाली आय-कर विभाग में 75 एककों में लागू की गयी थी और 1968-69 में अन्य 3 एककों में लागू की गयी।

(ख) पहले प्रत्येक आय-कर अधिकारी, अपने अधिकार-क्षेत्र के मामलों के सम्बन्ध में सभी कार्य अर्थात, कर का प्रशासन, निर्धारण और उगाही करता था। कार्य की नयी प्रणाली के अन्तर्गत इन कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है। अब कर्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की प्रणाली के एक एकक में एक आय-कर अधिकारी प्रशासन का कार्य देखता है, एक अथवा दो आयकर अधिकारी उगाही का कार्य सम्हालते है और अनेक आय-कर अधिकारी कर-निर्धारण के काम पर तैनात रहते हैं। इसलिये अब काम आयकर अधिकारियों के बीच सौंपे गये कर्तव्य के अनुसार बंटा रहता है। इसी तरह, कार्यालय में काम के विभिन्न अंग जैसे विवरणियां दाखिल करवाने के लिये नोटिस तैयार करना, कर का हिसाब जोड़ना, अपीलों का प्रभाव, वापसियां,

नजरसानी दरख्वास्तें, भूल-सुधार आदि लिपिकों के अलग-अलग समूहों को सौंप दिये गये हैं। प्रत्येक समूह को कोष्ठक (Cell) कहा जाता है और प्रत्येक कोष्ठक उसे सौंपे गये एक विशिष्ट काम को करता है।

कार्य की इस प्रणाली के अन्तर्गत, प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी एक विशिष्ट कार्य पर ध्यान देता है और इससे इसके काम की मात्रा तथा गुण में सुधार की आशा की जाती है।

(ग) कर्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की प्रणाली सामान्यत: संतोषजनक रूप से चल रही है। इससे मामलों को निपटाने और कर की उगाही में कुल मिलकर सुधार ही हुआ है और अपीलीय आदेशों का प्रतिपालन, भूल-सुधार, लेखा-परीक्षा आपत्तियों आदि पर ध्यान देने जैसे काम के अन्य मुद्दों पर भी विशेष अच्छी तरह ध्यान दिया जाने लगा है, जिन पर पहले सामान्यत: पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था।

पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय ऋण

105. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिमी बंगाल को दिया गया कुल केन्द्रीय ऋण कितना है, जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा मांगा गया 20 करोड़ रुपया शामिल नहीं और जिसे ब्याज सहित राज्य सरकार ने वापिस करना है ;

(ख) ऋण की भुगतान की वार्षिक किश्त कितनी राशि की है ;

(ग) चालू वर्ष में कुल देय ऋण पर कुल ब्याज कितना है ;

(घ) राज्य सरकार चालू वर्ष की किश्त और ब्याज चुकाने के बाद शेष 20 करोड़ रुपये किन किन योजनाओं पर व्यय करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31 जुलाई, 1969 को यह रकम लगभग 51९.24 करोड़ रुपया थी।

(ख) और (ग). चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुमानत: 56.09 करोड़ रुपये की रकम दी जानी है जिस में 34.41 करोड़ रुपया मूलधन और 21.68 करोड़ रुपया ब्याज है। इनके अलावा, राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों की कुल 27.83 करोड़ रुपये की बकाया रकम भी चुकायी जानी है जिसमें 18.07 करोड़ रुपया मूलधन और 9.76 करोड़ रुपया ब्याज है।

(ग) बकाया रकम चुकाने के लिये सहायता माँगी गयी है।

बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

106. **श्रीमती इला पालचौधरी** : **श्री देवेन सेन** :
श्री बेणी शंकर शर्मा : **श्री बे० कृ० दास चौधरी** :

क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत

पहुंचाने तथा उन क्षेत्रों में, जहां इस वर्ष बाढ़ से बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, नहरों, सड़कों, बांधों, सिंचाई टैंकों और सहकारी भवनों की आवश्यक मरम्मत करने तथा बीजों के वितरण के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी-कितनी राशि की मांग की गई है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को ऋण या अनुदान के रूप में सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है तथा उसके भुगतान की यदि कोई शर्तें हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1960/69]

तूतीकोरिन, तमिलनाडु में उर्वरक कारखाना

107. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तूतीकोरिन, तमिलनाडु (मद्रास) में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करना मंजूर किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कारखाने पर कुल कितनी लागत आयेगी ; इसकी क्षमता कितनी होगी और इस कारखाने के पूरा होने में कितना समय लगेगा ;

(ग) निर्माण लागत समेत कुल पूंजी में केन्द्र तथा राज्य के अंश कितने-कितने प्रतिशत होंगे ;

(घ) यदि कोई विदेशी सहयोग है, तो किस देश का तथा यदि वित्तीय सहयोग है, तो कितने प्रतिशत ; और

(ङ) क्या यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के आधार पर होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) तूतीकोरिन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये मैसर्स (मद्रास) स्टेट इन्डस्ट्रीयल डिवैल्पमेंट कारपोरेशन लि० को एक आशय पत्र दे दिया गया है।

(ख) वर्तमान प्राकलन, जिनका पुनरीक्षण हो सकता, है, निम्नलिखत है ;

(1)	कुल लागत	43.00 करोड़ रुपये
(2)	क्षमता नाइट्रोजन	152,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष
	फोस्फोरस (पी 2 ओ० 5)	70,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष
	पोटाश (के 20)	42,350 मीटरी टन प्रतिवर्ष
(3)	मुकम्मल होने का समय	1973-74 के अन्त में

(ग) शेयर पूंजी में केन्द्र की ओर से कुछ दिये जाने की सम्भावना नहीं है। मद्रास स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेल्पमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा 1.5 करोड़ रुपये दिये जाने की आशा है।

(घ) किसी विदेशी वित्तीय सहयोग की सम्भावना नहीं है ।

(ङ) जी हां ।

धनबाद (बिहार) के समीप कोकर कोयला खाने में आग

108. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 के दूसरे सप्ताह में धनबाद (बिहार) के समीप कोकर कोयले की एक खान में आग लग गई थी, जिसमें लगभग 3 लाख टन कोयला होने का अनुमान था और जिसका लोवर अपर झरिया कोलियरी द्वारा खनन किया जा रहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला बोर्ड के विशेषज्ञ तथा खान सुरक्षा के महानिदेशक के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही आग से भारी हानि हो गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो आग लगने के कारणों समेत बातों का ब्यौरा क्या है, उस आग में कुल कितना कोयला जल गया, उसका मूल्य कितना है, आग बुझाने पर कुल कितना खर्च किया गया तथा ऐसे मामलों में भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह एक पुरानी आग है । सितम्बर, 1969 में खदान मुख पर दीर्घा-छिद्रो में से धुआं निकलता पाया गया । उस क्षेत्र में कोयले की कुल उपलभ्य राशि का अनुमान, जिस में आग के होने का पता लगा है 7.8 लाख मैट्रिक टन है । यह कोयला खान झरिया कोयला क्षेत्र के टिसरा क्षेत्र में धनबाद से लगभग 9 मील की दूरी पर है ।

(ख) और (ग). अग्नि प्रभावित क्षेत्र, 1964 में जब से आग लगी तब से कोयला बोर्ड तथा खान सुरक्षा के महानिदेशक के अधिकारियों की निरन्तर निगरानी में हैं और प्रयासों में कोई ढील नहीं हुई है । चुए के बाहर आने तक, जिसका पता सितम्बर 1969 में लगा, कोयले की हानि नगण्य थी । आग संभवत: सहज तापन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई । खानों के धंसाव तथा आग की एकीकृत समस्या का योजना आयोग के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरवलोकन किया गया है और इस समय, यदि आवश्यक हो तो और उपायों को प्रस्तुत करने के लिये, कोयला बोर्ड इसकी रिपोर्ट पर विचार कर रहा है ।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

109. **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रानेन सेन :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). इस मामले पर, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा तथा मोरारका समित द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के साथ विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

110. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **वित्त** मन्त्री 18 अगस्त 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3760 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई इन सिफारिशों पर कि ऐसी सभी देय बकाया राशियों को, जिन्हें स्पष्टतः वसूल नहीं किया जा सकता है, बट्टा खाते में डाल दिया जाये, इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : जी हां । प्रशासनिक सुधार आयोग ने, स्पष्टतः वसूली नहीं हो सकने योग्य बकाया रकमों को बट्टे खाते डालने के बारे में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं उन्हें कुछ कार्य-प्रणाली संबंधी संशोधनों के साथ, स्थूल रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग

111. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला क्षेत्र की एक कोयला खान में हाल ही में भूमि के नीचे आग लगी है जिसकी लपट 60 फीट की ऊंचाई तक उठ रही है और जिससे झरिया कोयला क्षेत्र के पूरे थीरा जोन को खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससे आग अन्य क्षेत्रों में न फैले ;

(ग) क्या यह सच है कि कोयला स्तम्भों को अनधिकृत ढंग से निकालने के कारण यह आग लगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस क्षेत्र से अनधिकृत ढंग से कोयला निकालने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कोयला खान में अगस्त 1964 से आग अस्तित्व में रही है और उससे मुकाबला किया जा रहा था । सितम्बर 1969 में खदान के मुंह के निकट कुछ दीर्घा-छिद्रों में से धुआं और

लपटें निकलती पाई गईं। आग को यदि नियन्त्रित न किया जा सका तो इस के निकटवर्ती खानों में फैल जाने की आशंका है।

(ख) खदान के सारे मुंह को मिट्टी और बाहर रखे मलबे से आवृत किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में सरकारी डाक्टरों का निजी चिकित्सा व्यवसाय

112. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री रवि राय :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन मैडिकल एसोसिएशन ने शहरी क्षेत्रों में सरकारी डाक्टरों के निजी चिकित्सा व्यवसाय के विरोध में सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इसने यह भी सुझाव दिया है कि सरकारी डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन सुझावों पर कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा संघ ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र में स्थापित उपक्रमों, खनिजों निगमों आदि के अधीन काम करने वाले डाक्टरों द्वारा निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय करने को समाप्त कर दिया जाना जाहिए तथा इस प्रकार के निजी चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति केवल विशेष मामलों में ही दी जाय जैसे ग्राम क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों को, बशर्ते संघ द्वारा सुझाये गये वेतनमान स्वीकार्य हों और वे क्रियान्वित किये जायें।

(ग) इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा राज्य स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले डाक्टरों के विभिन्न वेतनमान हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत जहां निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय करना वर्जित है वहां कुछ राज्यों में इसकी अभी भी अनुमति दी जाती है। निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय समाप्त करने की पूर्वशर्त के रूप में एसोसिएशन ने जो वेतन मान सुझाये हैं वे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में मिलने वाले वेतनमानों से अधिक हैं। सरकार ने इन वेतन मानों को नहीं माना है।

नई दिल्ली के बिड़ला हाउस का अधिग्रहण

113. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :

श्री मोगेन्द्र झा : श्री शशि भूषण :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री दिनांक 21 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, देश में जन-मत को देखते हुए, बिड़ला हाउस का अधिग्रहण करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

पदमा नदी में फरक्का बांध द्वारा पैदा हुई गाद के बारे में पाकिस्तानी समाचार पत्रों में समाचार

114. श्री रामावतार शास्त्री : श्री कं० हाल्दर :

श्री धीरेश्वर कलिता : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री जि० मो० विश्वास :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में सरकार द्वारा प्रोत्साहित उन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि फरक्का बांध के कारण पूर्वी पाकिस्तान में पाकसी तथा गोआलुण्डो स्थानों पर गाद जमा हो गई है जिससे कि नौवहन में बाधा पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ग) ये रिपोर्टें बिल्कुल असत्य हैं । वास्तव में अभी तक फरक्का पर किसी जल को नहीं मोड़ा गया है और यह कहना पूर्णत: गलत है कि फरक्का बराज के कारण पाकिस्तान में गाद जमा हो गई है । असल में, इस वर्ष अक्तूबर में फरक्का पर गंगा में बहाव पिछले दो वर्षों की अपेक्षा साधारणत: अधिक थे । वर्ष के इस समय में नदी के स्तर गिर जाने के कारण कुछ गाद का जमा हो जाना नदियों की सामान्य प्रकृति है । पाकिस्तान भूतकाल में भी गाद की समस्या को सुलझाने के उपाय प्रयोग में लाता रहा है और यह उनके लिये नि:संदेह आवश्यक था कि वे इस वर्ष भी उन उपायों का प्रयोग करें । पाकिस्तान की इन गलत रिपोर्टों का खंडन किया गया है और पाकिस्तान सरकार को भी वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

सरकारी क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

115. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री जि० मो० विश्वास :**
श्री कं० हल्दर : **श्री मोगेन्द्र झा :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता को और अधिक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने मुख्य क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). रिपोर्ट परीक्षणधीन है ।

जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विभिन्न संस्थाओं को ऋण

116. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री बृज भूषण लाल : **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री सूरज भान :

क्या **वित्त** मंत्री 21 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिनको जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक विकास बैंक ने गत तीन वित्तीय वर्षों में ऋण दिया है तथा प्रत्येक संस्था को कितना धन दिया गया है और प्रत्येक संस्था को ये ऋण किन शर्तों पर दिये गये ; और

(ख) कुल ऋण में छोटे उद्योगों और किसानों को दिये गये ऋणों का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

Group Housing Scheme for Citizens of Delhi

117. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarted Questions Nos. 2917 and 4076 on the 2nd December, 1968 and 24th March, 1969 respectively and to Starred Question No. 17 on the 21st July, 1969 and state :

(a) whether Government have accepted the Group Housing Scheme for the Citizens of Delhi ;

(b) whether any decisions regarding finances have been taken in this regard or any orders have been issued to Delhi Administration ;

(c) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the extraordinary delay ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Final decision has not yet been taken.

(c) Does not arise.

(d) The matter needs detailed examination.

Investment of Life Insurance Corporation Funds

118. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 17 per cent of the funds of the Life Insurance Corporation is invested in the private companies and 83 per cent in public companies ;

(b) whether it is also a fact that the Corporation, on an average, earns 3 per cent profit from the public companies and 7 per cent from private companies ;

(c) whether Government think it proper that, in the interest of poljcy-holders (the general public which is the owner of the capital of the Corporation), the Corporation should be given a minimum guarantee of 7 per cent profit from public companies ;

(d) if not, the reasons therefor ;

(e) whether the Corporation will be represented on the management of those companies in which the Corporation has 10 per cent or more shares ; and

(f) if so, the manner in which it would be represented and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance, (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (f). The information is being collected from the Life Insurance Corporation and will be laid on the Table of the House as soon as received.

Import of Defective Material from Japan for Farakka Barrage

119. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the 'Organiser' dated the 9th August, 1969 that Eye Steel Piles imported from Japan at a cost of Rs. 1 crore in foreign exchange have been found useless for the Farakka Barrage ;

(b) whether it is a fact that these sheets could be manufactured in India also ;

(c) the person held responsible for importing defective material ;

(d) the delay likely to be caused in the construction of the Barrage thereby ; and

(e) the names of the guilty persons and details of the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). No "Eye" sheet piles have been procured for the Farakka Barrage Project. However, if the reference is to "YAWATA YSPF" sheet piles, the position is that the 7,497 M-tons of flat web sheet piles were procured from Japan, as a part requirement for the construction of the Cellular Coffer Dam. These piles were obtained on deferred payment terms for a sum of Rs. 74,12,309 plus Rs. 14,64,425 interest. The construction of the Cellular Coffer Dam had earlier been considered essential to enclose the working area in the last stages of the construction of the Farakka Barrage. But during the 1968-69 working season due to favourable river conditions, it was possible to enclose all the remaining 40 bays of the Barrage within the Coffer Dam itself. Therefore, the necessity for construction of costly Cellular Dam with flat web sheet piles was fortunately obviated.

The total requirement of flat web sheet piles for the construction of the Cellular Coffer Dam had been estimated at 30,000 tons. As there was no indigenous manufacture of the piles of the required section, an initial quantity of 7,497 tons of sheet piles was imported and the question of indigenous manufacture of these sheet piles was taken up with the Bhilai works of the Hindustan Steel Ltd. A suitable section of the sheet piles was also developed in consultation with the authorities concerned Since, however, the subsequent developments referred to above obviated the need for these sheet piles, the question of manufacture of these piles by the Bhilai works was not pursued further.

Out of the total quantity of 7,497 M-tons of sheet piles imported from Japan, about 1200 tons were utilised satisfactorily for the construction of trial cells and for the protection of the earthen Coffer Dam The remaining sheet piles would to transferred to other projects.

(c) to (e). Do not arise.

Smuggling of Biscuits to China

120. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in 'Organiser' (Delhi) dated the 2nd August, 1969 to the effect that about 60 per cent of the biscuits i.e. about 4,000 maunds, manufactured in about 200 biscuit factories of Kanpur are smuggled to the Chinese soldiers in Tibet ; and

(b) if so, the action taken so far by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Enquiries made in this behalf show that some factories of Kanpur are sending biscuits to Nepal as there is no ban on the export of biscuits to Nepal. There is, however, no information that such biscuits are subsequently smuggled to Tibet for Chinese soldiers.

(b) Does not arise.

Shares held by Smt. Aruna Asaf Ali in "Link" and Patriot"

121. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Yajna Datt Sharma :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of shares held by Smt. Aruna Asaf Ali in the newspapers—'Link' and 'Patriot' and the total amount she has paid to these institutions in different manners ;

(b) the amount of Income-tax and Wealth-tax paid by Smt. Aruna Asaf Ali during the last 3 years ;

(c) the sources of income of Smt. Asaf Ali ;

(d) whether she owns certain wealth in some foreign countries also ; and

(e) if so, the extent thereof and the manner she acquired the wealth ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table.

हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड में अधिकारियों का तबादला

122. **श्री के० अनिरुद्धन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड त्रिवेन्द्रम के अधिकारी कितनी बार बदले गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन अधिकारियों को उसी पद पर 3 वर्ष से अधिक अवधि तक रखने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्र शेखर) : (क) एक बार भी नहीं ।

(ख) दो पदाधिकारी, अर्थात परियोजना अधिकारी और वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं । उनके अनुभव और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के हित में उन्हें उक्त पदों पर अभी तक रखा गया है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, केरल के विश्राम गृह

123. **श्री के० अनिरुद्धन :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, केरल के पास समस्त भारत में कितने विश्राम गृह हैं ;

(ख) इन विश्राम गृहों पर प्रतिवर्ष कुल कितना खर्च आता है ; और

(ग) इन विश्राम गृहों के रख-रखाव पर कुल कितना सालाना खर्च होता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का उद्योगमंडल में अतिथि गृह के अतिरिक्त ऐसा कोई विश्राम गृह नहीं है । किन्तु मद्रास, बम्बई और नई दिल्ली में प्रादेशिक कार्यालयों के साथ कुछ अतिथि कक्ष संलग्न है ।

(ख) 1968-69 में खर्च की गई कुल रकम निम्न प्रकार है :—

बम्बई	रुपये 17,841.30
दिल्ली	रुपये 25,241.12
मद्रास	रुपये 28,504.16

(ग) आय की कटौती के बाद व्यय की गई शुद्ध धनराशि निम्न प्रकार है :

बम्बई	रुपये 11,431.15
दिल्ली	रुपये 20,331.37
मद्रास	रुपये 18,949.26

यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा विकल्प ऋण योजना के अन्तर्गत रोजगार सुविधाएं

124. **श्री दे० अमात :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप सरकार देश में मध्यम वर्ग का एक दृढ़ आधार बनाने का विचार कर रही है और जिसके अनुसार यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने रोजगार सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकल्प ऋण योजना चलायी है ; और

(ख) इन योजना के अन्तर्गत ऐसे कितने डाक्टरों, इंजीनियरों, दर्जियों तथा कलाकारों को, वर्गवार, जो अपना स्वतन्त्र व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ऋण मिला है और अब तक उन्हें कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीयकरण के बाद, कई बैंकों ने छोटे उधार लेने वालों को, विशेष रूप से किसानों, खुदरा व्यापारियों, सड़क परिवहन चालकों और अपना काम खुद करने वाले लोगों को ऋण देने की नयी योजनाएं बनायी हैं । यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने भी छोटे उद्यमकर्ताओं, काश्तकारों, और छोटे व्यापारियों को, अपना काम खुद करने वाले लोगों जैसे इंजीनियरों, तकनीशनों आदि को तथा डाक्टरों, वकीलों आदि व्यावसायिक व्यक्तियों और दर्जियों, नक्शानवीसों आदि कारीगरों को रुपया देने की योजनाएं बनायी हैं ।

(ख) ये योजनाएं अभी हाल ही में शुरू हुई हैं और इनके अन्तर्गत उधार लेने वालों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है ।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के केराविल विमान द्वारा कथित तस्करी

125. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को 'कारण बताओ' नोटिस जारी करके यह पूछा है कि उस केराविल विमान को जिसका कथित उपयोग तस्करी के लिए किया जाता है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत क्यो न जब्त कर लिया जाये और यदि हां, तो कब ;

(ख) काबुल से दिल्ली तक की उडान वाले केरावित विमान में विद्यमान इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं, जिन पर तस्करी का आरोप है ;

(ग) इन कर्मचारियों की तलाशी लेने पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने उनसे क्या-क्या और कितने मूल्य का माल पकड़ा ; और

(घ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत विमान को जब्त करने के प्रस्ताव के अतिरिक्त विमान चालकों में से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन को 27 अगस्त, 1969 को एक कारण बताओ ज्ञापन जारी किया है जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है कि जिस केरेविल वायुयान के बारे में आरोप है कि उसे तस्कर आयात के लिए काम में लिया गया है, उसे, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्य-वाही के लिए क्यों नहीं लिया जाना चाहिए ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की 25 अगस्त, 1969 को काबुल से दिल्ली पहुंची केरेविल उड़ान सं० आई० सी० 452 के जिस कार्य-दल पर चोरी छिपे माल लाने का आरोप है, उनके नाम हैं :

1. श्री ओम कुमार (उड़ान इंजीनियर)
2. श्री एच० भट्टाचार्यजी (कप्तान)
3. श्री डी० के० मेहता (उड़ान स्ट्युअर्ड)
4. कुमारी एन० मलिक (नीलम मलिक वायुयान परिचारिका)
5. कुमारी चंचल कपूर (वायुयान परिचारिका)

(ग) पकड़े गये माल का ब्यौरा तथा मूल्य संलग्न अनुबन्ध में दिये गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1961/69]

(घ) कार्य-दल के एक एक सदस्य को अलग अलग कारण बताओ ज्ञापन जारी किये गये हैं तथा न्याय निर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

कोककर कोयले पर उपकर

126. **डा० प० मंडल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों के सचिवों की समिति ने कोककर कोयले पर विद्यमान उपकर को बढ़ाने अथवा विकल्प में कोककर कोयले पर प्रति मीटरी टन 80 पैसे शुल्क बढ़ाने और गैर-कोककर कोयले पर प्रति मीटरी टन 40 पैसे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) उद्योग से लाभ उठाने वालों पर उपकर का भार डालने की बजाये उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार विकास कार्यों के लिए कोई धन दे रही है अथवा देगी ; और

(घ) रेलवे मन्त्री ने इस सम्बन्ध मे जो वक्तव्य दिया है, कि रेलवे कोयले मूल्य में प्रति टन 1 रुपये 75 पैसे की वृद्धि की मांग के मुकाबले में 70 पैसे प्रति मीटरी टन से अधिक देने की स्थिति में नहीं है पर विचार किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

हैमिसिन औषधि पर लाक्षणिक परीक्षण

127. **डा० प० मंडल** :

श्री अबिचन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी द्वारा निर्मित और भारत में बेची जा रही फफूंद नाशक औषधि हैमिसिन पर विदेशी समवायों द्वारा जो लाक्षणिक परीक्षण किये गये हैं, क्या उनके परिणाम औषधि के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बाजार में इसकी बिक्री की क्या सम्भावनाएं है ; और

(ग) इस औषधि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अमरीका की मैसर्स कूपर/शरमेन प्रयगोशालाएं तत्परता से हेमिसिन का ला परीक्षण कर रही है ताकि वे शीघ्र ही अमरीका के प्राधिकारियों के समक्ष इस औषधि के रूप में सफल प्रयोग प्रस्तुत कर सकें । ज्योंही इसमें सफलता प्राप्त होगी इस उत्पाद को उस देश की मार्किट में भेज दिया जायेगा ।

(ख) कूपर/शरमेन पहले ही मैकसिको, पेरु, चाइल तथा दक्षिण अफरीका में प्रामामाइ-सिन' के ट्रेड नाम से हैमिसिन वेजिनल की टिकियां बेच रहे हैं हैमिसिन का चूजों पर भी प्रयोग किया जा रहा है और पशुओं के चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किये जाने की अच्छी सम्भावना है । पहले इस्तेमाल की जांच की जा रही है तथा विदेशों में दूसरे इस्तेमाल पर विचार हो रहा है । इन दिशाओं में प्राप्त सफलता से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इस उत्पाद तथा इसकी क्षमता का भविष्य बहुत उज्जवल हो जायेगा ।

(ग) जहां तक बाहरी प्रयोगों का सम्बन्ध है, हैमिसिन और इसके निरूपण कानडीडा अल्बीकान्स तथा त्रिचोमोन्स मूलच्छदों से सृजित फफूंद संक्रामण के लिए विशेष औषधि है ।

फेफड़ों और बहुत अन्दरूनी अंगों के फफूंद रोगों पर काबू पाने के लिए विशेष रूप से तपेदिक रोधी औषधियों से इलाज के बाद तपेदिक रोगियों के केसों में इसके खाने के इस्तेमाल का लाक्षणिक परीक्षण किया जा रहा है ।

परिचालन का सीमित क्षेत्र होने से, लगभग 25,000 डालर विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है । यदि यह अमरीका में बेची गई, तो अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा बहुत अधिक होगी ।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स में प्रोत्साहन योजना

128. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० राममूर्ति : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी फर्टिलाइजर्स में कोई प्रोत्साहन योजना है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां, बैगिंग प्लांट में बैगिंग से सम्बन्धित (With regard to bagging in the Bagging Plant.)

(ख) और (ग). कारखाने में 1952 से उत्पादन के प्रारम्भ से लेकर प्रोत्साहन बोनस स्कीम चालू है । पुराने बैगिंग प्लांट में 17 व्यक्तियों के दल को, जिसमें 8 लोडरस 2 फिल्लरस 1 स्टिचर, 2 हैल्परस और 4 लोडर-हैल्परस शामिल हैं, 400 बैगों में (जिसके प्रत्येक बैग में 100 किलोग्राम की मात्रा हो) न्यूनतम मात्रा लादने पर बोनस का अधिकार बनता है । प्रत्येक 100 बैगों पर, एक लीडर के लिए बोनस की दर 37 पैसे, एक फिल्लर और स्टिचर के लिए 28 पैसे तथा एक हैल्पर के लिए 19 पैसे है ।

1959 में नये बैगिंग प्लांट में भी, जो यूरिया और डब्बल साल्ट प्लांटस के चालन के साथ स्थापित किया गया था, मामूली तरमीमों के साथ प्रोत्साहन बोनस योजना चालू की गई थी ।

Loans Distributed by the Agricultural Refinance Corporation to States

129. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans so far distributed by the Agrisultural Refinance Corporation, State-wise ;

(b) the details regarding the agricultural work for which these loans were given ;

(c) whether the afforesaid Corporation has taken into account the economic backwardness of various States in the country while sanctioning the loans ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) A statement showing the distribution of schemes sanctioned and loans drawn form the Corporation is attached at Annexure I. [*Placed in Library. See* No. LT-1962/69.]

(b) A statement showing the purpose-wise distribution of the schemes sanctioned and loans drawn from the Corporation is attached at Annexure II. [*Placed in Library. See* No. LT-1962/69.]

(c) It is the Corporation's policy to give priority to schemes from economically backward areas. But the initiative for sending schemes to the Corporation rests with the State Government and/or the State Land Development Bank or other primary lender, as the case may be.

(d) Does not arise.

Establishment of Caustic Soda Unit in Korba (M. P.)

130. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation requested the Government of India in November, 1966 to issue licence for the establishment of a unit to produce caustic soda in Korba so as to meet the requirements of the Aluminium Plant to be established in the public sector ;

(b) whether it is also a fact that it was proved by the afforesaid Corporation that an annual saving of rupees 40 lakhs would be made by the proposed plant ; and

(c) if so, the time by which the licence would be issued ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes.

(b) The Corporation have estimated that a saving of approximately Rs. 30 lakhs will accrue annually to the Aluminium Plant on this account.

(c) The Corporation have been asked to submit a feasibility report specifying clearly how they propose to utilise their entire production of chlorine/caustic soda by 15th December, 1969. After receipt of the feasibility report the question of grant of industrial licence will be considered.

Smuggling of Fake Currency Notes into India from China

131. **Shri Ram Avtar Sharma** :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has given up military tactics and have started adopting new tactics to shetter the economy of India ;

(b) whether it is also a fact that China has started sending fake currency notes to India, particularly of the denomination of Rs. 100 and Rs. 10 ;

(c) whether it is also fact that these fake currency notes are smuggled by the smugglers through Chinese agents into Indian territory *via* Gorakhpur at Raxaul ;

(d) whether it is a fact that many Indian traders smuggle fake currency notes alongwith Chinese transistor sets, Radios, fountain pens and watches ; and

(e) whether it is also a fact that Chinese agents sell hundred rupee Indian currency note for Rs. 20 and ten rupee note Rs. 2 only ; and if so, the measures being adopted by Government to tackle this situation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). The Government have no such information.

(d) Although a few cases of smuggling of transistor, radios, fountain pens, watches etc. of Chinese origin by Indians from Nepal have been detected, no case of smuggling of fake currency notes has come to the notice of Government.

(e) No such cases has been noticed. However, anti-smuggling measures have been further intensified.

Import of Kerosene Oil from USSR

132. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 270 thousand tonnes of kerosene oil would be imported in India from Russia during 1969 ;

(b) whether it is also a fact that the demand for kerosene oil has increased by 10 per cent ; and

(c) if so, the sources being tapped by Government to meet the requirements and the time by which self-sufficiency would be achieved by them in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) A total quantity of 4 10,000 tonnes of kerosene oil is expected to be imported from the U. S. S. R. during 1969.

(b) The demand for kerosene oil during 1969 is expected to increase by 9% over the 1968 demand.

(c) To meet the requirements in full, some imports have been arranged from Japan and Middle-Eastern countries. To attain self-sufficiency in Kerosene (and other products), additional refining capacity is being established in the Fourth Plan period by expanding three of the existing refineries. Studies are already under way for additional capacities in the subsequent years to meet the growth in demand.

Arrears of Rent due from Political Parties in Delhi

133. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrears of rent are due from certain political parties in Delhi in respect of Government accommodation ; and

(b) if so, the names of the political parties concerned and the amounts of rent due from each party ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The names of the political parties and the amount due from them are indicated below :

Name of the political Party	Amount due as on 31st October, 1969
1. All India Congress Committee.	Rs. 1,158.88
2. Swatantra Party in Parliament	Rs. 919.91
3. Nirdaliya Sangathan Party.	Rs. 97 01
4. Praja Socialist Party.	Rs. 300.32
5. Samyukata Socialist Party. ...	Rs. 748.74
Total : ...	**Rs. 3,224,86**

Opening of more Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries in Delhi

134. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are only Allopathic dispensaries run by Government in Delhi area and the number of Homoeopathic dispensaries is only two ;

(b) whether it is also a fact that the majority of people have faith in Ayurvedic and Homoeopathic system of treatment, but they make use of allopathic medicines under compelling circumstances ;

(c) if so, whether Government propose to open more Ayurvedic and Homoeopathic dispensaries ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Besides the allopathic dispensaries, the Central Government, the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee run the following dispensaries under the indigenous systems of medicines ;

Central Government

Ayurvedic dispensaries	5
Homoeopathic dispensaries	2

Delhi Municipal Corporation

Ayurvedic	28
Unani Dispensaries	7
Homoeopathic Dispensaries	1

New Dilhi Municipal Committee

Ayurvedic dispensaries	3

(b) to (d). Subject to the availability of funds, steps are taken to provide increasing facilities for treatment under the indigenous systems of medicines and homoeopathy. Whether the majority of the people have faith in these systems is a matter of opinion.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को ऋण

135. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री कार्तिक उरांव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार राष्ट्रीयकृत बैंकों से बेरोजगार इंजीनियरों को कम ब्याज पर ऋण दिलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की क्या शर्तें होंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए छोटे उद्यमकर्ताओं, इंजीनियरों और तकनीशनों

को ऋण देने की सुविधाएं उपलब्ध करने की योजनाएं बनायी हैं। बैंकों को प्रायोजना की वित्तीय दृष्टि से लाभकारी होने की क्षमता, एकक की ऋण चुकाने की क्षमता और उद्यमकर्ता की ईमानदारी और योग्यता के संबंध में सन्तुष्ट होना पड़ता है। बेरोजगारी इंजीनियर इन योजनाओं से लाभ उठा सकेंगे।

(ख): मोटे तौर पर, प्राप्त परिसम्पत्तियों की जमानत पर, प्रारम्भिक कार्यचालन पूंजी के लिये और मशीनों और उपकरणों मूल्य के सौ-प्रतिशत तक ऋण दिया जाता है। प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुए, तीसरी पार्टी की गारण्टी या जीवन बीमा पालिसियों को भी सांपार्श्विक प्रतिभूति (कोलेटरल सिक्योरिटी) के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ब्याज की दर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत और $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच होती है।

डा० एस० सी० सील को अखिल भारतीय आरोग्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्था में अनुसन्धान कार्य करने की अनुमति

136. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री जनार्दनन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवस एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के एक विख्यात वैज्ञानिक डा० एस० सी० सील को भारत सरकार ने प्रोफेसर बनाया था और उन्हें अपना अनुसन्धान कार्य करने के लिये कोई भी स्थान चुनने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या यह सच है कि डा० सील ने अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्था को चुना था जहां उन्होंने पहले अनेक वर्षों तक कार्य किया था;

(ग) क्या उक्त संस्था के निदेशक ने उन्हें वहां पर अपना अनुसन्धान कार्य करने की अनुमति नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उन्होंने या उनकी ओर से उनको कोई अभ्यावेदन दिया गया है कि डा० सील को उक्त संस्था में कार्य करने की अनुमति दी जाये और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति :) (क) एक अवकाश प्राप्त चिकित्सा वैज्ञानिक होने के नाते डा० सील का चयन भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा किया गया है ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संस्थान में अनुसंधान कार्य कर सकें।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) : अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता ने डा० सील को आवश्यक सुविधाएं प्रधान करने की अनुमति दे दी है।

सिंचाई क्षमता का प्रयोग

137. श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
डा० रानेन सेन :
श्री झारखण्डे राय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निर्मित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस सम्बन्ध में ताजा स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सिंचाई परियोजनाओं से उत्पन्न शक्यता के पूर्ण समुपयोजन हेतु किसानों द्वारा क्षेत्रीय नालियां बनाने और भूमि तैयार करने आदि के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विकास की अवधि लगभग 10 वर्ष थी। यह अवधि अब बहुत कम कर दी गई है। राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे किसानों को ऋण सुविधाएं, अच्छे बीज, खाद सुविधाएं, कीटनाशक औषधियां, बाजार केन्द्रों तक यातायात सुविधाएं और कृषि (शस्य आयोजन) तथा पानी पीने के प्रयोग के वैज्ञानिक तरीकों पर मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिये क्षत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करें। सिंचाई विभाग से भी प्रार्थना की गई है कि यदि किसान देरी करें तो वे स्वयं ही 2 क्यूसेक तक के जल मार्ग खोदें और क्षेत्रीय नालियां बनाएं। कुछ राज्यों में अनिवार्य सिंचाई शुल्क लगाया जा रहा है। कुछ राज्यों ने जल के लिए प्रोत्साहनात्मक दरें नियत कर दी हैं। पानी के उपलब्ध होते ही उसके उपयोग में लाने के लिये किसानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

1968-69 के अन्त तक राज्यवार शक्यता और समुपयोजन का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	1967-68 के अन्त तक शक्यता	1968-69 के अन्त तक समुपयोजन	समुपयोजन की प्रतिशतता*
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1729	1412	81.7
असम	—	46	@
बिहार	2374	2022	85.2
गुजरात	1119	686	61.3
हरियाणा	2179	2223	@
जम्मू और कश्मीर	45	38	84.4
केरल	434	499	@
मध्य प्रदेश	941	456	48.5

1	2	3	4
महाराष्ट्र	758	499	65.8
मैसूर	1065	966	90.7
उड़ीसा	1636	1585	96.9
पंजाब	1681	1683	@
राजस्थान	1531	1500	98.0
तमिल नाडु	776	723	93.2
उत्तर प्रदेश	2398	2325	97.0
पश्चिम बंगाल	1550	1530	98.7
	20216	18193	90.0

@ 1968-69 में उत्पन्न शक्यता का भी समुपयोजन किया गया था।

* समुपयोजन का संबंध पिछले वर्ष तक उत्पन्न शक्यता के साथ दिखाया गया है। इस पिछड़ेपन का अनुमान 1968-69 के समुपयोजन और 1967-69 की शक्यता के अन्तर द्वारा लगाया गया है।

परियोजनाओं में निर्माण उपकरणों का अप्रयुक्त रहना

138. **डा० रानेन सेन :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री वी० नरिसम्हा राव :
श्री जनार्दनन :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मट्टी की ढुलाई करने वाली मशीनें तथा अन्य उपकरण फालतू पुर्जे के न होने के कारण विभिन्न सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं में बेकार पड़े हैं।

(ख) यदि हां, तो ऐसी मशीनों तथा उपकरणों का मूल्य कितना है ; और

(ग) उन्हें काम में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के पास निर्माण उपस्कर सम्बन्धी वार्षिक गणना आंकड़ों के

आधार पर, मिट्टी हटाने और खोदने वाली लगभग एक तिहाई मशीनें 31-12-1968 को बेकार पड़ी थीं, जिनमें से अधिकांश का कारण कुछ फालतू पुर्जों का अभाव है।

(ख) ऐसी मशीनों का मूल्य लगभग 23 करोड़ रुपये है।

(ग) तत्काल ही जरुरी फालतू पुर्जों के आयात में शीघ्रता लाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का विशेष आवंटन कर दिया गया है।

जीवन बीमा निगम की त्रिचूर शाखा से धन का गबन

139. **डा० रानेन सेन :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इसहाक सामली :
श्री जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यह पता लगा है कि जीवन बीमा निगम की त्रिचूर शाखा से 2 लाख रुपये का गबन हो गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले है ; और

(घ) इस मामले में अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क), (ख), (ग) तथा (घ). जीवन बीमा निगम के त्रिचूर शाखा कार्यालय में गबन के एक मामले का पता लगा है। प्रारभिक अनुमान के अनुसार, 28,000 रुपये का गबन हुआ लगता है। निगम द्वारा दायर की गई शिकायत पर, पुलिस ने कार्यालय के एक सहायक को गिरफ्तार किया है, जिसे मुअत्तल भी कर दिया गया है। मामले में ब्यौरेवार जांच-पड़ताल की जा रही है।

खम्भात-प्रदेश में तट-दूर क्षेत्र में छिद्रण के बारे में ब्रिटिश सलाहकार की रिपोर्ट

140. **श्री वासुदेवन नायर :**
डा० रानेन सेन :
श्री जानर्दनन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खम्भात प्रदेश में तट-दूर क्षेत्र में छिद्रण के बारे में ब्रिटिश सलाहकार की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या सख्त रिपोर्ट के आधार पर इस प्रदेश में तट-दूर छिद्रण के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य शिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

(1) एक स्वयं ऊठाऊ, तरजीहन स्वयं प्रेणादित चल व्यधन एकक (तरजीहन सैल्फ-प्रोपैलिड मोवाइल ड्रिलिंग यूनिट) ही केवल तट-दूर व्यधन एकक है, जो अरेबियन सागर और कारोमण्डल कोस्ट तट-दूर के निकट भाग, खम्भात की खाड़ी के गहरे पानी में सारे साल के आधार पर अन्वेषी व्यधन के न्यूनतम एवं सम्भाव्य कार्यक्रम की समस्त आवश्यकता को पूरा करने में योग्य समझा गया है ।

(2) IMINOCO (इमइनोको) ग्रुप में नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के साथ मिल कर भारत द्वारा प्रारम्भ की गई पालिसी (प्रक्रिया) का विकास करते हुए फारस की खाड़ी में तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

(3) प्रारम्भ में यूनिट के चालन के लिए 8 विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी । 3 या 4 कुओं के व्यधान के बाद । दो के सिवाये बाकी सभी विशेषज्ञों के स्थान पर उत्तरोत्तर भारतीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जायेगा ।

(ग) और (घ). आवश्यक विदेशी मुद्रा और तकनीकी सहायता की प्राप्ति के लिये IMEG (आइमेजी) की रिपोर्ट के आधार पर विदेशी ग्रुपों के साथ बातचीत शुरु की जायेगी ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्य में कटौती

141. **डा० रानेन सेन :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में काम करने वाली विदेशी तेल कम्पनियों ने आयातित कच्चे तेल की कीमत अभी तक नहीं घटाई है जैसा कि सरकार ने उनसे कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे तेल का मूल्य घटाने के लिए इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) : अधाजारी कच्चे तेल के प्रति बैरल के मूल्य में 1.38 डालर से 1.28 डालर तक कटौती करने के सरकारी सुझाव के मुकाबले में वर्मा शैल और कालटैक्स कम्पनियों ने प्रति बैरल का नया दर 1.34

डालर घोषित किया है : एस्सो कम्पनी ने अरेबियन मिक्स क्रूड (कच्चा तेल) को स्थानान्तरण किया है और उसका मूल्य प्रति बैरल 1.35 डालर है ।

(ख) सरकार विदेशी तेल कम्पनियों से मूल्यों में और कटौती करने के लिए अनुरोध करेगी ताकि मूल्य, अघजारी क्रूड के प्रति बैरल वर्तमान मार्किट मूल्य 1.28 डालर के बराबर किया जाए । इसी बीच में सरकार ने जून, 1969 से विदेशी तेल कम्पनियों के मासिक विदेशी मुद्रा आवंटनों को 7½ प्रतिशत तक कम कर दिया है, जो मई, 1969 तक तेल कम्पनियों द्वारा लिये गए 1.38 डालर तथा अब विद्यमान 1.28 डालर मूल्य के अन्तर के बराबर है ।

Capital of L. I. C. used for Farmers and Small Scale Industries

142. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Finance be pleased to state the amount of the capital of Life Insurance Corporation utilised for farmers, small scale industries and backward Communities year-wise, since its nationalisation ; the manner in which it was utilised and the percentage thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : Information is not available as the information for these categories is not separately compiled by the Life Insurance Corporation. Benefits accrue only indirectly to the rural areas through L. I. C.'s contribution to co-operatives and land mortage banks and similarly the small-scale industries benefit through State Finance Corporations and Industrial Co-operatives in which L. I. C. invests its funds.

अपंग सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

143. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तथा 'क' श्रेणी के अन्य नगरों में विभिन्न मंत्रालयों के अपंग सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या ऐसे अपंग/अक्षमर्थ कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का कोई कोटा निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के विकलांग/अपंग कर्मचारियों की ओर से उन्हें आवंटन के लिए सामान्य पूल से मकानों का कोटा निश्चित करने के लिए, सम्पदा निदेशालय में, ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । ऐसे कर्मचारियों को आवंटन के लिए मकानों का कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया है । ऐसे कर्मचारियों की ओर विकित्सा कारणों पर बिना बारी के आवंटन के व्यक्तिगत अनुरोधों पर, परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

Deficit Accounts of Dr. Bhagwan Das Trust and Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh

144. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any grant was given by his Ministry to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust and by Delhi Administration to Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh for running the Adarsh Netra Hospital, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether it is a fact that during the year 1966-67, Akhil Bharatiya Netra Sudhar Sangh and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust were in deficit to the tune of Rs. 1,02,076.07 and Rs. 12,356.55 respectively ; and

(c) if so, the names of the persons and institutions, who made good the above mentioned deficit and the amount paid by each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The following grants were given to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi, by the Ministry of Health :

1.	1955-56	Rs. 25,000/-
2.	1962-63	Rs. 50,000/-
3.	1963-64	Rs. 12,000/-
4.	1964-65	Rs. 1,000/-

Regarding grant paid by the Delhi Administration, they have requested to supply information. The information when received will be laid on the table of the Sabha.

(b) and (c). No information is available with the Government of India and the Delhi Administration has been requested to supply information on these points. The information when received will be laid on the table of the Sabha.

Grants to Dr. Bhagwan Das Memoriol Trust, Lajpat Nagar, New Delhi

145. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether his Ministry had been giving grants from 1961 to 1967 to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2-F, Lajpar Nagar, New Delhi for running an eye Hospital ; and

(b) if so, the amount of the grants, year-wise, and the purpose thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Ministry of Health had given grants to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi, from 1962-63 to 1964-65.

(b) The following grants were sanctioned to the Trust since 1962-63 :

(i)	1962-63	Rs. 50,000/-	For completion of general ward, sanitary installation and purchase of equipment.
(ii)	1963-64	Rs. 12,000/-	For construction of verandah, stair case, terrace and an out-patient pavillion (Rs. 6,000) and for the purchase of equipment (Rs. 6,000).
(iii)	1964-65	Rs. 1,000/-	For the purchase of equipment of Yoga Institute for Psycho-Physical Therapy, Bhagwan Das, Sewa Sadan, New Delhi.

Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi

146. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether his Ministry had been giving grants to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the said Trust and some other persons or Association are jointly running some social Educational Institute ;

(c) whether it is also a fact that the said Trust had advanced the following loans :

1961-62	Rs. 33,653.96	(The name of the loanee has not been given).
1962-63	(i) Rs. 10,000.00	(Anand Finance Pvt. Ltd.)
	(ii) Rs. 6,017.05	(Institute of Social Guidance.)
	(iii) Rs. 973.76	(Dr. Kumar Pal)
	(iv) Rs. 6,317.60	(The name of the loanee not given) ; and

(d) if so, the names and addresses of all the loanees, the amount of the loan advanced, the amount of the loan paid back by the loanees, the dates on which paid back and the amount of the loans yet to be paid back ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Department of Health gave grants to the Trust during 1962-65.

(b) to (d). No information is available with the Government of India. The information when received will be laid on the Table of the Sabha.

Auditing of Accounts of Adarsh Netra Hospital, New Delhi

147. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some grant was being given by his Ministry to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust and by Delhi Administration to Akhil Bharatiya Netra Sudhar Sangh for running the Adarsh Netra Hospital, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the Examiner, Local Fund Accounts, Delhi Administration audited the accounts of these organisations for the years 1967-68 and 1968-69 ; and

(c) if so, the objections raised in the said audit reports ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The following grants were given to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi by the Ministry of Health :

	Year	Rs.
1.	1955-56	25,000/-
2.	1962-63	50,000/-
3.	1963-64	12,000/-
4.	1964-65	1,000/-

Regarding grant paid by the Delhi Administration, they have been requested to supply information. The information when received will be laid on the Table of the Sabha.

(b) and (c). No information is available with the Government of India and the Delhi Administration has been requested to supply information on these points. The information when received will be laid on the Table of the Sabha.

फ्रांस की मुद्रा "फ्रैंक" के अवमूल्यन का अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव

149. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक के अवमूल्यन का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां तो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की रूपरेखा क्या है तथा सरकार ने हमारी अर्थ-व्यवस्था को ऐसे प्रभावों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) फ्रैंच फ्रैंक के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप फ्रांस को किया जाने वाला भारतीय निर्यात 12.5 प्रतिशत महंगा हो जायेगा। भारत द्वारा फ्रांस को किया जाने वाला निर्यात भारत के कुल निर्यात का लगभग 1.5 प्रतिशत है और हाल के वर्षों में यह निर्यात 15.5 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये वार्षिक के बीच रहा है। भारत से फ्रांस को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है वे ऐसी हैं कि मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, फ्रांस से आयात की जाने वाली वस्तुएं 11.11 प्रतिशत सस्ती हो जायेगी। फ्रांस से किया जाने वाला आयात, हमारे कुल आयात का लगभग 2 प्रतिशत है और हाल में यह आयात लगभग 35 करोड़ रुपये वार्षिक का रहा है। इसलिए इस आयात के सस्ता हो जाने से, हमारी अर्थ-व्यवस्था को बहुत अधिक लाभ नहीं होगा।

फ्रांस से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर, जो तीसरी आयोजना की अवधि में 11.0 करोड़ डालर और उसके बाद के तीन वर्षों में से प्रत्येक में 3 करोड़ डालर थी, अवमूल्यन का कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। यदि कुछ होगा तो यह कि अवमूल्यन के पश्चात फ्रांसीसी अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो जाने से फ्रांस की सहायता देने की सामर्थ्य पर कुछ लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि फ्रांसीसी फ्रैंकों के रूप में भारत के ऋण-भार पर अवमूल्यन का कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है, फिर भी रुपयों या डालरों के रूप में व्यक्त किये जाने वाले ऋणों का भार, अवमूल्यन के अनुपात में कम हो जायेगा।

कुल मिलाकर, फ्रैंच फ्रैंक के अवमूल्यन का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

असाम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और भूमि के कटाव को रोकने के लिए उपाय

150. **श्री हेम बरुआ :**

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किये गये भूमि के कटाव के निरीक्षण के लिये उन्होंने असाम के कुछ भागों का, जिसमें धुबरी भी शामिल है, दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार बाढ़ों और भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां । केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री ने 16-9-1969 को असम में धुबरी पर ब्रह्मपुत्र द्वारा अपक्षरित स्थल का और 17-9-1969 को राष्ट्रीय हाईवे के पास गंगाधर नदी द्वारा अपक्षरित स्थल का निरीक्षण किया ।

(ख) राज्य सरकार ने 1954 से निम्नलिखित अल्पकालीन बाढ़ नियंत्रण उपाय किये हैं :–

(1) मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों के साथ-साथ तटबंधों का निर्माण ।

(2) वर्तमान तटबंधों को ऊंचा उठाना और पक्का करना ।

(3) नगर सुरक्षा और नदी नियंत्रण कार्य ।

(4) तटबंधों में जलकपाटों की व्यवस्था करना ।

(5) बाढ़ों से प्रभावित व्यक्तियों को शरण देने के लिए ऊंचे प्लेटफार्मों की व्यवस्था करना ।

(6) जल-निकास नालियों का निर्माण ।

धुबरी के दौरे के दौरान सिंचाई और बिजली मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने धुबरी नगर की सुरक्षा के लिए एक स्कीम तैयार की है । गंगाधर नदी से उत्पन्न कटाव की समस्या को सुलझाने के लिए प्रारूप अध्ययन करने का प्रस्ताव किया गया है और इन पर आधारित ठोकर प्रोजेक्शनों की रूपरेखा बनाई जायेगी । अन्य कटाव समस्याएं नदी स्थिति को देखते हुए सुलझाई जाएंगी ।

उर्वरकों सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

151. **श्री उमानाथ :** **श्री प० गोपालन :**

श्री गणेश घोष : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को विशेषकर उर्वरक सम्बन्धी परियोजनाओं की, हर सम्भव सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने कोचीन उर्वरक परियोजना का विस्तार कार्यक्रम पूरा करने के लिए बैंक से सहायता माँगी है ;

(घ) विश्व बैंक की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या भारत और विश्व बैंक के बीच कोचीन फर्टिलाइजर्स के विस्तार के प्रश्न पर कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). विश्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र में उर्वरक प्रायोजनाएं शुरू किये जाने के बारे में ऋणों के रूप में सहायता देने के प्रस्तावों पर विचार करने की इच्छा प्रकट की है। विश्व बैंक समूह से कोचीन प्रायोजना के दूसरे दौर और नंगल विस्तार प्रायोजना के लिए सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव किये गये हैं। ये प्रस्ताव इस समय विश्व बैंक के विचाराधीन हैं।

National Filaria Control Programme

152. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the typhoid, cancer and filaria diseases are spreading in the country ;

(b) if so, the parts of the country where these diseases are spreading more ;

(c) whether it is also a fact that the typhoid and filaria are spreading more in Bundelkhand ; if so, the details in this regard ;

(d) the steps being taken by Government to destroy the filaria mosquitoes ; and

(e) whether the Government propose to give some grant for stopping the increasing menace of Filaria in Bundelkhand and whether filaria has spread more in Banda in Bundelkhand ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). There is no evidence indicating spread of typhoid and cancer in the country. As regards filaria, spread of the disease is reported along the coastal areas and along the banks of the big rivers, where ths climate is not and humid for the greater part of the year.

(c) The information regarding typhoid is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha. As regards filaria, except for the urban areas of Jhansi in Uttar Pradesh and Datia and Chhatarpur in Madhya Pradesh, where there is moderate endemicity, Bundelkhand is a low endemicity area. The details of endemicity in the districts in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are as under :

Uttar Pradesh—

District	Microfilaria rate
Jhansi	Urban 7.3%
	Rural 2.9%
Jalaun	5.7%
Hamirpur	Not surveyed.
Banda	3.9%
Allahabad	Not surveyed.

Madhya Pradesh—

Tikkamgarh	Urban	4.1%
Panna	Urban	0.6%
Datia	Urban	9.5%
Chhatarpur	Urban	10.4%

(d) Under the National Filaria Control Programme, the carrier mosquitoes are being controlled by recurrent anti-larval measuses using oil as a larvicide in 1967 cities and towns situated in different endemic States.

(e) Under the National Filaria Control Programme 100% Central assistance is given to the State Governments concerned for the implementation of the Programme. Thare is no evidence to show that Filaria is spreading more in Bundelkhand. There are no filaria units in the Bundelkhand area of Uttar Pradesh nor has the State Government asked for any units. In Madhya Pradesh, Tikkamgarh and Chhatarpur have one unit each and there is a Rural-cum-Training Centre at Panna The State Government has not asked for any more units.

Allocation to U. P. for Research in Pharmaceuticals during Fourth Plan

153. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount allocated to the Government of Uttar Pradesh in the Fourth Five Year Plan for research in pharmaceuticals ;

(b) the reasons for which the said amount is spent more in developed areas and less in backward areas in Uttar Pradesh ; and

(c) whether Government have incorporated any scheme in the Fourth Five Year Plan for spending a part of the said amount on improving the health of the people of Bundelkhand ; if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Central Assistance for Different Schemes in Uttar Pradesh

154. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the reasons for which the amount received as Central assistance for different schemes in Uttar Pradesh is spent more in developed areas and less in backward areas ;

(b) the programme incorporated by Government in Fourth Five year Plan for the development of backward areas and whether some amount is likely to be spent for the development of Bundelkhand under the said programme ;

(c) whether some amount has been asked for from the Central Government for construction of a bridge over Yamuna river between Banda and Allahabad ; if so, the extent thereof ; and

(d) the ghats out of Chilla Ghat, Augasi Ghat and Rajpur Ghat on which the said proposed bridge is likely to be constructed ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) During the Fourth Five Year Plan, Central assistance for State Plan schemes is being provided on an overall basis in the shape of block loans and grants. The determination of plan outlays for various regions is a matter for the State Governments to consider.

(b) According to information furnished by the State Government, out of the total

plan outlay of Rs. 951 crores approved for the Fourth Five Year Plan of Uttar Pradesh, the outlay proposed for the development of economically backward regions of the State is Rs. 338.66 crores. Out of this, an amount of Rs. 54.02 crores is proposed for schemes directly benefiting the Bundelkhand region.

(c) and (d). The State Government have not asked for Central assistance for the construction of a bridge on the Yamuna river between Banda and Allahabad.

Allocation of Funds for Irrigation Schemes in Uttar Pradesh

155. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the reasons for which the amount allocated by the Central Government in the Plans for the irrigation schemes is spent more in the developed areas and less in the backward areas in Uttar Pradesh ;

(b) the programme incorporated by Government in the Fourth Five Year Plan in respect of irrigation schemes in the backward areas and whether some irrigation schemes would be taken up under the said programme in the backward areas of Bundelkhand also ; if so, the details in this regard ; and

(c) whether some programme has been incorporated in the Fourth Five Year Plan for augmentation of the irrigation potentiality of the Ken Canal ; and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The information is being collocted from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House.

Allocation of Funds in Plans for Development of Electricity in Uttar Pradesh

156. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the amount allocated in the Plans is spent on the development of electricity also ;

(b) if so, the reasons for which the said amount is spent more in the developed areas and less in the backward areas in Uttar Pradesh ; and

(c) whether the electricity being produced from the Mata Tila Electric Station is utilized for the development of Bundelkhand or is also supplied to Kanpur ; if so, the quantity thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Amounts allocated for power development is being spent on Plan schemes approved by Planning Commission both for developed and backward areas.

(c) According to an agreement, one-third of electrical energy generated at Matatila is to be supplied to Madhya Pradesh. After allowing for the supply being made to Madhya Pradesh, the balance power is utilised mainly in the Bundelkhand area of Uttar Pradesh. No power is being supplied to Kanpur from Matatila.

भूमि के अर्जन विकास तथा नगरीय विस्तार के लिए आवर्तक निधियां

157. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि के अर्जन और विकास तथा नगरीय विस्तार के लिये आवर्तक निधियों की स्थापना के हेतु राज्य सरकारों को ऋण की सहायता देने के लिये स्वास्थ्य तथा नगरीय विकास सम्बन्धी मुख्य कार्यकारी दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपये के परिव्यय को शामिल करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भूमि अर्जन और नगर-विकास से संबंधित योजनाएं अब राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रारूप में नगर विकास तथा आवास योजनाओं के लिये 136.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के प्रारूप के अध्याय 18 में यह प्रस्ताव किया है कि राज्य (स्टेट्स) इन नियतनों का बड़ा भाग भूमि के अर्जन, विकास और विकसित भूमि के विक्रय परियोजनाओं में उपयोग कर सकती हैं।

चौथी योजना में मध्य प्रदेश की डिम्बा पन बिजली तथा बारगी परियोजनाओं को शामिल करना

158. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि डिम्बा पन बिजली परियोजना और बारगी योजना को जिन पर 90 करोड़ रुपये लागत आयेगी, चौथी योजना में शामिल कर लिया जाये जिस से इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ायी जा सकें ;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने इस के लिए अलग से कोई नियतन नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(क) चौथी योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्ययन अवकाश पर विदेशों में गये अधिकारी

159. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन अवकाश पर विदेशों में गये हुये अधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों को, सूचना भेजने के लिये, जुलाई 1969 में लिखा गया था । उनमें से अधिकांश से सूचना आ गयी है । शेष मन्त्रालयों आदि को बार-बार याद दिलाया जा रहा है और सूचना जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

160. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत-नेपाल सीमा से होने वाली तस्करी में कई कारण शामिल हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन बातों का अध्ययन करने तथा उस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिये एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भेजने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारत-नेपाल सीमा के आर-पार माल के तस्कर आयात-निर्यात में ग्रस्त तत्वों के अध्ययन के लिए कोई संसदीय प्रतिनिधि मण्डल भेजने का अभी कोई विचार नहीं है । इस समस्या के लिए आवश्यक रूप से जरूरत है भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक उपायों की तथा नेपाली सरकार द्वारा उचित सहयोग की । भारत सरकार के सभी सम्बंधित मंत्रालयों द्वारा इस समस्या की निरंतर समीक्षा की जाती है और उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पता लगाना

161. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने अगस्त, 1969 में दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले एक तस्कर गिरोह का पता लगाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अगस्त, 1969 में ऐसे किसी तस्कर आयात-निर्यात करने वाले गिरोह का पता नहीं चला, जो दिल्ली में काम करता हो और उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हों।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाना

163. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ने भारी रसायन तथा उर्वरक सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट के श्रमिकों पर इस समय, बिहार इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का पचाट लागू है। भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के हक में श्रमिकों द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद ही, उक्त सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। सिन्दरी की यूनियनों ने इस बारे में अभी तक अपनी इच्छा प्रकट नहीं की है। पर. प्रबन्धक इन सिफारिशों को लागू नहीं कर पाये हैं।

(ग) सिन्दरी के प्रबन्धकों ने पचाट को लागू करने में राज्य श्रम विभाग को उन की सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए लिखा है।

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम

164. **श्री स० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये आदर्श बनाया है कि 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या के पीछे प्रति वर्ष 25 शिशुओं का जन्म हो ;

(ख) क्या सरकार को देश में प्रत्येक राज्य की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार ने क्या-क्या फार्मूला अथवा नई योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) निर्धारित पैटर्न के अनुसार देश भर में ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों और उप-केन्द्रों के शीघ्र विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । इससे प्रोत्साहन और सेवा कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न राज्यों के मध्य मौजूद असमानता कम हो जायेगी । घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए 'सघन जिला' और 'चुने गये क्षेत्र कार्यक्रम' चालू किये गए हैं तथा उन राज्यों में जहां कार्य पिछड़ा हुआ है, इन कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है । विभिन्न राज्यों की अलग-अलग हालतों को विचारते हुए अब परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता और सम्बद्ध स्थानीय हालतों के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार कार्यों के लक्ष्यों को निर्धारित किया जा रहा है ।

बम्बई की फर्म मैसर्स प्रकाश काटन मिल्स के नाम आयकर की बकाया राशि

165. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स प्रकाश काटन मिल्स लिमिटेड, बम्बई के नाम आयकर की बहुत राशि बकाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी बकाया है तथा यह राशि कबसे बकाया है ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : आयकर की बकाया रकम 69,88,152 रुपये है जो 3-5-1965 से 28-4-1969 के बीच अलग-अलग तारीखों को देय हुई ।

(ग) निर्धारिती कम्पनी जालान समूह के मामलों में से है । कुल बकाया मांग का एक महत्वपूर्ण भाग का सम्बन्ध धारा 271(1)(सी) के अधीन लगाए गये दण्ड से है जिसकी वसूली, ऐसे दण्डों की वैधता के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने तक रोक दी गयी है । वसूली के लिए बकाया आयकर की रकम के सम्बन्ध में अपील की गयी है । वसूली किस्तों की एक योजना द्वारा की जा रही है जिसके अनुसार यह समूह नवम्बर 1969 से शुरू करके 2 लाख रुपये की मासिक किस्तों में, 31-3-1970 तक 10 लाख रुपये की अदायगी करेगा ।

फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के नाम बकाया आयकर की राशि

166. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के नाम आयकर की बहुत बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि बकाया है तथा यह राशि कब से बकाया है ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : आयकर की बकाया रकम 1,38,35,416 रु० है, जो 5 मई 1966 से 13 मई 1969 तक की अवधि में विभिन्न तारीखों को देय बनी।

(ग) निर्धारिती कम्पनी का मामला, जालान समूह के मामलों में से है। कर-निर्धारण में की गयी महत्वपूर्ण वृद्धियों के विरुद्ध अपीलें की गयी हैं। उस समूह को किस्तों में अदायगी करने की मंजूरी दी गयी है, जिसके अनुसार नवम्बर 1969 से आरम्भ होने वाली 2 लाख रुपये मासिक की किस्तों में 31 मार्च 1970 तक 10 लाख रुपये की रकम अदा की जायगी।

देश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

167. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहाँ ये विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) उनकी स्थापना में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा यह बताना सम्भव नहीं है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क की दरों में अन्तर

168. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में स्टाम्प शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें होने के क्या कारण हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस समय स्टाम्प शुल्क की क्या-क्या दरें हैं ; और

(ग) क्या सरकार देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क की दरें समान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राज्य सूची की प्रविष्टि 63 के अन्तर्गत आने वाले करारों/दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करने का अधिकार राज्य विधानमण्डलों को प्राप्त है और इसलिये उनके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दरें एकसमान नहीं हैं । लेकिन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट दस करारों/दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दरें संसद द्वारा नियत की जाती हैं और इन पर स्टाम्प शुल्क की दरें सारे भारतवर्ष में एक समान हैं ।

(ख) संघसूची की प्रविष्ट 91 में निर्दिष्ट प्रपत्रों के लिए स्टांम्प शुल्क की दरों का विवरण पत्र अनुबन्ध में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1963/69] राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले प्रपत्रों पर लगने योग्य शुल्क की दरें विभिन्न राज्यों के स्टाम्प अधिनियमों की अनुसूचियों में दी गई हैं ।

(ग) राज्य विधान मण्डलों के अधिकार क्षेत्र के स्टाम्प शुल्क की दरों में समानता लाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है क्योंकि राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले प्रपत्रों के लिए स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डलों में निहित है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान की पेय जल सम्भरण योजनाएं

169. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन नगरों में और कितने गांवों में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में 'पेय जल' की व्यवस्था करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने यह भी देखा है कि राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण गत तीन वर्षों में जल की अत्यधिक कमी रही है ; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में पेय जल की कमी को पूरा करने के लिये उस राज्य को वित्त सहायता देने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ड० सू० मूर्ति) : (क) चूंकि प्लान स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इसलिए ऐसी योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना तथा उनके लिए धन का नियतन करना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह किसी स्कीम/कार्यक्रम विशेष के सन्दर्भ में नहीं दी जाती।

(ख) जी हां।

(ग) 1968-69 में 158 14 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। 1969-70 में सहायता देने के लिए 160 लाख रुपये रखे गये हैं। यह योजना-परिव्यय के अतिरिक्त हैं।

खनिजों पर स्वामित्व

170. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में निकाले गये खनिजों की स्वामित्व राशि में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्तमान आंकड़े क्या ; हैं और

(ग) उन खनिजों का ब्यौरा क्या है जिन पर विभिन्न राज्यों को स्वामित्व प्राप्त होता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अशोधित तेल के मूल्य कम करना

171. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री कृ० मा० कोशिक :
श्री मीठालाल मीना :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री शिवप्पा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में अशोधित तेल के मूल्य कम करने के लिये तेल कम्पनियों को सहमत कराने के प्रयास किये हैं :

(ख) इस बारे में तेल कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया रही है ;

(स) क्या सरकार द्वारा ऐसी पहल किये जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भी भारी हानि हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में 7 सितम्बर, 1969 के 'इकानामिक टाइम्स' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) प्रति बैरल में 10 सैण्टस तक कटौती के लिए सरकार की मांग के मुकाबले में बर्मा शैल और कालटैक्स कम्पनियों ने अधाजारी कूड के आयात मूल्य में प्रति बैरल 1.38 डालर से 1.34 डालर तक कटौती की है ; एस्सो कम्पनी से अरेबियन मिक्स कूड को स्थानान्तरण किया है ; लेकिन उस कम्पनी ने 1-9-1969 से आयात मूल्य में प्रति बैरल 1.37 डालर से 1.35 डालर तक कमी की है ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित कच्चे तेल का मूल्य आयात साम्य आधार पर निर्धारित किया जाता है अतः आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में कटौती के परिणाम-स्वरूप, आयोग द्वारा उत्पादित देशीय कच्चे तेल के मूल्य में तदनुरुपी कटौती होती है ।

(घ) जी नहीं है ।

Allotment of Land to Yogashram near Gole Post Office, New Delhi

172. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(b) whether it is a fact that some land has been allotted for Yogashram near Gole Post Office in New Delhi ;

(b) if so, the area of the land, the price charged therefor and the conditions on which it has been allotted ;

(c) whether finances have also been provided by some other Department for purchasing the land ; and

(d) the specific utility for which this Ashram is being set up very close to the Parliament House whereas land has not been provided to certain institutions of Parliamentary Studies so near ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) Land measuring about 1.866 acres has been allotted to the Yogashram as under :

(i) Area	Rate	Purpose
1.393 acres	Rs. 5000/- per acres as premium plus 5% annual ground rent.	Office, library, class rooms and yogic therapeutic research laboratory.
0.463 acres	Rs. One lakh per acre as premium plus Rs. 1800/-per acre as ground rent per annum.	Staff quarters.

Other Terms and conditions of allotment

(ii) The existing structures on the site have been sold to the Yogashram for a sum of Rs. 62,674/-, if demolished before the expiry of two years. If the structures

are not demolished before the expiry of two years from the date of allotment, the Ashram shall pay a further sum of Rs. 86176/-.

(iii) The Yogashram shall complete its buildings within four years.

(iv) The Yogashram shall not use the land for purposes other than those for which it has been allotted and the buildings to be constructed on the land should not be surplus to their bonafide requirements. The Ashram shall not sub-let any part of the premises built on the land.

(c) No, Sir.

(d) The Yogashram has been rendering good service in the field of Yogic and physical education for the benefit of the community. The request of Institution of Parliamentary Studies for the allotment of land near Parliament House is receiving the consideration of Government.

Law for Family Planning Programme

173. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kartik Oraon :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government propose to make any law to make the Family Planning Scheme applicable to the followers of all the communities in a uniform manner ;

(b) whether it is also a fact that there is an adverse effect on the balance of population in the absence of such a law ;

(c) whether Government have carried out any survey also in this regard ; and

(d) if so, the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No, the Family Planning Movement in India is applicable and available to all communities. It has been founded on a rational, scientific and voluntary basis. The programme is essentially related to the socio-economic development of the people of all the communities.

(b) to (d). Though community-wise statistics regarding acceptance of the Programme on an all-India basis are not maintained, information available from several localised studies shows that the Family Planning services are being availed of by members of all the communities more or less in proportion to their population and there is no noticeable adverse effect on the balance of population.

राजस्थान में हाल की बाढ़ से हुई हानि

174. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री यशवन्त सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में आई बाढ़ के कारण हुई क्षति के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अध्ययन दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ।

(ख) क्या उक्त दल ने कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो उन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजस्थान में, अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क से (ग). चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय अध्ययन दलों ने सम्बन्द्ध राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दिये जाने के प्रयोजन से विभिन्न बाढ़ सहायता कार्यों के लिये धन की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये अब तक आंध्र प्रदेश, असम, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिये व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमाएं स्वीकार की है, जिनकी सिफारिश केन्द्रीय अध्ययन दलों द्वारा की गई थी :

राज्य	करोड़ रुपयों में
आन्ध्र प्रदेश	15.60
असम	3.55
केरल	2.16
उड़ीसा	3.64
राजस्थान	2.93
उत्तर प्रदेश	2.90
पश्चिम बंगाल	5.33

दैवी विपत्तियों में राहत-कार्यों पर होने वाले व्यय के लिये केन्द्रीय सहायता किये गये व्यय के आधार पर, जिसकी सूचना सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है, स्वीकृत अधिकतम सीमा के अन्दर-अन्दर दी जाती है। इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित राज्यों को उपर्युक्त तरीके से अब तक (15 नवम्बर, 1969 तक) कुल 10.20 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। राजस्थान सरकार को अब तक कोई धन-राशि नहीं दी गयी क्योंकि उसने बाढ़ संबंधी विभिन्न राहत कार्यों पर हुए व्यय के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी है।

दिल्ली में जनता के लिए दांतों की सुविधा

175. श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधायें पर्याप्त न होने के कारण दिल्ली में तथाकथित दन्त चिकित्सालय, दन्त चिकित्सक और नीम हकीम बहुत धन कमा रहे हैं ; और

(ख) जनता को उचित मूल्य पर दांत उपलब्ध कराने के हेतु सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दिल्ली में नीम हकीम बहुत धन कमा रहे हैं। दन्तचिकित्सा अधिनियम 1948 के अधीन दन्त चिकित्सक के रूप में पंजीकृत हुए बिना दन्त चिकित्सा की प्रैक्टिश करना एक अपराध है। सभी सरकारी अस्पतालों में दन्त चिकित्सा विभाग है जिनमें जनता को दन्त उपचार की सुविधाएं दी जाती हैं। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली तथा इर्विन अस्पताल दिल्ली से आम जनता को उचित दरों पर व्यक्ति विशेष की आय के आधार पर कृत्रिम दांत 20 रुपये से 175 रुपये के हिसाब से दिए जा रहे हैं।

पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें

176. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर लगाने की पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में आयोग की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखने का विचार है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच केन्द्रों का आवंटन

177. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों की जांच करने हेतु स्थापित संरक्षक समिति ने, बैंकों के मध्यम केन्द्रों के आवंटन के सम्बन्ध में पारस्परिक समंजन के लिये, मार्ग-दर्शी नियमावलि तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). समिति की रिपोर्ट जल्दी ही प्राप्त होने वाली है।

बर्मा शैल मार्केटिंग को रुपयों में पूंजी वाली कम्पनी में परिवर्तित करना

178. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच बर्मा आयल कम्पनी और शैल ने अपनी सहायक कम्पनी,

बर्मा शैल मार्केटिंग को रुपयों में पूंजी वाली कम्पनी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (श्री त्रिगुणा सेन) : (क) ऐसी कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

प्रधान मन्त्री आवास का नवीकरण

179. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री हु० चे० गौडा :**
श्री स० कुण्डू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के वर्तमान आवास का नवीकरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर आन्तरिक धन खर्च करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रधान मन्त्री के आवास का नवीकरण करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केवल नेमी अनुरक्षण के कार्य जैसे डिसटैम्परिंग, रंगाई, पेन्टिंग, आदि आरम्भ किये गये हैं तथा इस कार्य की कुल अनुमानित लागत 9,800 रुपये है ।

जीवन बीमा निगम दिल्ली क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यकर्ता

180. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री बेधर बेहेरा :**
श्री ज० अहमद :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम दिल्ली क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं में भारी असन्तोष है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में जीवन बीमा निगम कार्यालयों में परिसर के बाहर हाल में कुछ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

पूर्ति मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र के विकास अधिकारियों ने निम्नलिखित बातों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया है :

(i) निगम द्वारा विकास अधिकारियों के लिए निर्धारित कार्य-प्रतिमान ; तथा

(ii) बीमा क्षेत्रीय कार्यकर्ता राष्ट्रीय संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी ।

(ख) तथा (ग). निगम के एक शाखा प्रबन्धक द्वारा यह शिकायत दायर करने पर कि उसके साथ खींचातानी की गई थी, दिल्ली में कुछ विकास अधिकारी गिरफ्तार किये गये थे और बाद में जमानत पर छोड़ दिये गये ।

(घ) निर्धारित कार्य-प्रतिमान मोरारजी समिति द्वारा सुझाये गये प्रतिमानों की तुलना में उदार हैं । इसके अलावा, स्वयं योजना में ही संक्रमण अवधि की पर्याप्त व्यवस्था है ।

Improvement of Economic Condition of People after Bank Nationalisation

181. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the manner in which it is proposed to help improve the economic condition of poor people through banks, after the nationalisation of banks ;

(b) the basis on which loans would be advanced to persons who do not possess houses, land or jewellary to pledge ;

(c) whether there is any scheme to give special facilities to Scheduled Caste and Scheduled Tribes from the funds of the banks ;

(d) if so, the nature thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Several banks have, after nationalisation, come out with new schemes for lending to small borrowers in particular to farmers, retailers, road transport operators and self-employed persons. Most of the schemes are designed to meet the needs of small borrowers.

(b) If any borrower has any worthwhile scheme, a bank will take into consideration its purpose and economic viability in sanctioning the loan and not necessarily the security, such borrower has to offer.

(c) to (e). There are no special schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as such Banks extend credit to all deserving borrowers, irrespective of the caste they belong to.

मंगलौर में एमोनिया-यूरिया उद्योग-समूह की स्थापना

182. **श्री अदिचन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में एक एमोनिया-युरिया उद्योग-समूह स्थापित करने के प्रबन्धों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस उद्योग-समूह में तैयार की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की उत्पादन क्षमता कितनी होगी और इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस उद्योग-समूह परियोजना की क्रियान्विति के हेतु किये गये सहयोग का ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक योजना में विदेशी मुद्रा का अंश कितना होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) मंगलौर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं ।

(ख) निम्नलिखित उत्पादन क्षमता की संभावना है :

1. अमोनिया	198,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
2. यूरिया	340,000 मीटरी टन प्रति वर्ष

परियोजना पर 40 करोड़ रुपये के कुल लागत आने का अनुमान है ।

(ग) मैसर्स मालाबार कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने लन्दन के मैसर्ज हेम्फरीज एन्ड गलेस्पी लि०, तथा नीदरलैंड के मैसर्स स्टेमीकार्बन एन वी के साथ वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी समझौते कर लिये हैं । विदेशी सहयोगी साम्य पूंजी में विदेशी मुद्रा के रूप में 3.30 करोड़ रुपये देंगे तथा तकनीकी जानकारी की व्यवस्था करें और तकनीकी प्रबन्ध करेंगे । परियोजना पर 16.84 करोड़ रुपये की कुल विदेशी मुद्रा लागत का अनुमान है ।

कोचीन रिफाइनरी एर्णाकुलम के लिये रेलवे लाईन का निर्माण

183. **श्री अदिचन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और भारतीय तेल निगम के बीच इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया है कि तेल शोधक कारखाने से एर्णाकुलम के लिये रेलवे लाइन के निर्माण की लागत कोचीन रिफाइनरी अथवा भारतीय तेल निगम जो इस कारखाने का एक मात्र विक्रय एजेंट है, कौन वहन करे ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को किस प्रकार हल किया गया है ; और

(ग) कोचीन रिफाइनरी के निर्माण की पूर्ति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). विवाद इस बात पर हुआ कि क्या भारतीय तेल निगम तेल शोध कारखाने से एर्णाकुलम के लिए रेलवे लाइन के निर्माण की पूंजी लागत वहन करे या रेल द्वारा उत्पादों को ले जाने पर उन्हें किश्त-शमनीय लागत अदा करनी चाहिए परन्तु यह निम्नप्रकार से तय हुआ है ।

(1) 1-9-1969 से पहले की अदायगियों के लिए ; भारतीय तेल निगम को, कोचीन शोधनशाला लि० के खर्चे पर तैयार हुई रेलवे लाइन पर लाये गये उत्पादों के लिए 2.30 रुपये प्रतिटन की दर से उक्त शोधनशाला को अदायगी करनी पड़ेगी ।

(2) उत्तरोत्तर अवधियों के लिए, भारतीय तेल निगम कोचीन शोधनशाला लि० को

किसी विशेष वर्ष के दौरान मुख्य प्रतिस्थापनों पर खर्च की गई वास्तविक रकम (यदि कोई हुई), को अदा करेगी ;

(3) भारतीय तेल निगम, 1-9-1969 से पहले की अवधि के लिए पूंजी लागत की किश्त समनीय के बारे में पहले ही अदा की गई धनराशि को शामिल न करते हुए, शुद्ध पूंजी लागत पर 6½ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करेगी ।

(4) 1-9-1969 से प्रत्येक पांच वर्षों में व्यवस्था पुनरीक्षण किया जायेगा । स्थान का इस्तेमाल करने पर फर्टिलाइजरस एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर द्वारा अदा की गई धनराशि की कटौती हो सकती है ।

(ग) सितम्बर, 1969 से शोधन शाला चल रही है ।

मद्रास तेल शोधक कारखाने के निकट पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

184. **श्री अदिचन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा** मन्त्री **धातु** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मद्रास तेलशोधक कारखाने के निकट एक **पैट्रो-रसायन** उद्योग-समूह की योजना तैयार की है, जिस पर 20 करोड़ रुपये लागत आयेगी ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग-समूह की मुख्य बातें क्या होगी तथा वहां पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक उत्पाद के लिये उनकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मद्रास शोधनशाला के पास एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना की आवश्यकता के बारे में एक नोट (टिप्पण) भेजा है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

गंगा नदी को दक्षिण की नदियों के साथ मिलाना

185. **श्री अदिचन :** **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री श्री निवास मिश्र :**
श्री मंगलायुमाडम : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंचाई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने तथा सभी क्षेत्रों को पेय जल की सुविधायें प्रदान करने के एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में गंगा नदी को दक्षिण की नदियों से मिलाने की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर अब भी विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में आरम्भ किये जाने वाले चरणवद्ध कार्यक्रम की कोई मोटी रूप रेखा तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). प्रतिप्रवाह दिशा में सभी सम्भव विकास और अनुप्रवाह दिशा की आवश्यकताओं के लिए जल छोड़ने के पश्चात गंगा में जल की एक बडी मात्रा मानसून महीनों के दौरान व्यपवर्तन के लिये उपलब्ध होगी। दूसरी ओर, बहुत सी अन्य नदियों में, विशेष रूप से प्रायद्वीप में, जल प्रवाह अपर्याप्त और अनिश्चित होता है। ये अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर करती हैं जो अकसर देर से आती है अथवा शीघ्र लौट जाती हैं या लम्बा अवकाश कर लेती हैं जिसके परिणामस्वरूप इन बेसिनों में अभाव की स्थिति उत्पन हो जाती है। राजस्थान तथा प्रायद्वीप में क्षेत्रों को पानी देने के लिए गंगा को कावेरी के साथ-साथ कुछ और दक्षिण में पोषक नहरों द्वारा मिला कर गंगा के थोड़े से फालतू पानी के व्यपवर्तन की सम्भावना पर प्रारम्भिक तरीके से जांच गई है। गंगा से निकलने वाली लिंक नहरों को पटना के निकट से लेकर मैट्टूरबांध तट देश के विभिन्न वृहत् नदी बेसिनों नायश: सोन, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा और पालार, पैन्नार, इत्यादि जैसे छोटे बेसिनों को पार करना होगा। लिंक नहरों के लिये इनका निर्माण अपेक्षित होगा-पानी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न उप-बेसिनो पर कई एक बांधों और बराजों का निर्माण क्रास जल निकास कार्यों के साथ 2000 मील से अधिक नहरें, प्रर्याप्त पम्पिंग केन्द्र इत्यादि। इसमें शामिल कार्य काफी बड़ा है और इसमें काफी लागत लगानी पड़ेगी। सर्वप्रथम इस परियोजना का यदि आवश्यक हुआ तो चारणों में पूर्णतया अनुसंधान करना है इसमें लगभग 10 से 15 वर्ष तक लग जाएंगे।

इसके अतिरिक्त अनुसंधानों की व्यवहार्यता और चरणबद्धता पर विचार करने के लिए आर्थिक और इंजीनियरिंग अध्ययन किए जा रहे हैं।

बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को पैट्रोलपम्पों का नियतन

186. **श्री अदिचन** : **श्री हिम्मत सिंहका** :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों की सहायता करने के उद्देश्य से सहकारी समितियां अथवा साझेदारी की फर्में बनाने वाले बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों तथा अन्य विषयों के स्नातकों को पेट्रोल पम्पों का नियत करने तथा मिट्टी के तेल और इंडेन अथवा हल्के डीजल जैसे पैट्रोलियम उत्पादों खुदरा बिक्री एजेन्सी देने के लिये योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में इस योजना को किस प्राधिकार के द्वारा क्रियान्वित कराया जायेगा ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावन है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डॉ० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). सरकार ने भारतीय तेल निगम को सलाह दी है कि वे अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों (पम्पों), मिट्टी के

तेल तथा हल्के डीजल तेल और इंडेन गैस (केवल घरेलू एवं व्यापारिक इस्तेमाल) की ऐजन्सियां देने में बेरोजगार शिक्षित स्नातकों (जिन में इंजीनियर स्नातक भी शामिल हैं) को तरजीह दें। खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा इंडेन गैस वितरण की ऐजन्सियां देने में इंजीनियर स्नातक आवेदकों को साधारण स्नातकों के मुकाबले में तरजीह दी जायेगी। स्नातकों का चयन करते समय, भारतीय तेल निगम निम्न आय वर्ग के उन स्थानीय बेरोजगार नौजवान एक को तरजीह देगा जो इस और पूरे समय ध्यान दे सकते हैं। भारतीय तेल निगम इस योजना के और ब्यौरे तैयार कर रही है जिन्हें समय-समय पर प्रैस द्वारा सूचित कर दिया जायेगा। भारतीय तेल निगम ने इस योजना को 1-2-1970 से शुरू करने का अस्थायी तौर पर फैसला कर लिया है।

(ग) मोटे तौर पर हर वर्ष 1,000 से अधिक स्नातकों और 2,000 से अधिक कलीनरों परिचारकों तथा अन्य व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

Representation of Residents of Dujara against the Acquisition of Land by the Patna Improvement Trust

187. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of the residents of Dujara Patna Mohalla submitted a representation to the then Minister opposing the proposal of acquiring the land of the said Mohalla by the Patna Improvement Trust and giving it to the Budha Griha Nirman Sahyoga Samiti ;

(b) whether the then Minister held a meeting on the 10th June, 1968 of the representationists and the Secretary, Budha Griha Nirman Sahyoga Samiti ;

(c) whether the Minister had directed that a list of the original Members and of those who became Members after registration be called for ;

(d) whether the Secretary of the Samiti has given the list of Members ; and

(e) if the replies to above parts be in affairmative, whether the said list was scrutinised and if not, the reasons therefor ?

The Ministet of State in the Ministy of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Patna Improvement Trust

188. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the Patna Improvement Trust is acquiring 64 : 68 acres of land of Mohalla Dujara in Patna on the plea of 'Development of Patna City" ;

(b) if so, whether Government have taken any decision that out of the above land 32 : 64 acres of land would be given to the Budha House Building Co-operative Societies, Patna ;

(c) if so, the date when such a decision was taken and whether a copy of the Government order would be laid on the Table of the House ;

(d) if the answer to part (b) above be in the affairmative, whether such a decision would not violate the provisions of Section 85 of the Bihari Town Planning Improvement Trust Act, which provides that land owners should be given properties in the allotment of the land ; and

(e) if the answer to part (d) above be in the affairmative, whether Government would cancel the above decision and direct the Patna Improvement Trust to allot the land to land owners first ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बैंकों में केन्द्रीय मन्त्रियों के खाते

189. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री नारायण सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों में किसी भी समय अपने अथवा पत्नी सहित अपने आश्रितों के नाम में भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में एक लाख से अधिक रुपये जमा कराये ;

(ख) उनके विनियोजन के स्रोत क्या थे ;

(ग) इन बैंकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक बार कितनी राशि जमा कराई गई ; और

(घ) कौन सी राशि आयकर विभाग को नहीं बताई गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (घ). सदन को यह बात मालूम ही है कि बैंक के किसी खातेदार के खाते के बारे में सूचना नहीं दी जाती ।

विदेशी गैर सरकारी पूंजी

190. **श्री ई० के० नायर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने गत वर्ष सितम्बर में वाशिंगटन में उद्योगपतियों को यह आश्वासन दिया था कि भारत अभी भी विदेशी गैर-सरकारी पूंजी लेने के लिये तैयार है चाहे वह समाजवाद लाने के लिये वचनबद्ध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री ने 22 सितम्बर 1969 को अन्तर्राष्ट्रीय क्लब, वाशिंगटन, डी० स० में दोपहर के भोजन के समय भारतीय परिषद के सम्मुख जो भाषण किया था उसमें उन्होंने कहा था कि विकासशील देशों और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के बीच औद्योगिक क्षेत्र में बराबर अन्तर बना हुआ है और यद्यपि विदेशी सहयोग चयनात्मक आधार पर रखना पड़ता है । फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां विदेशी निवेश और विदेशी सहयोग का स्वागत किया जायेगा । उन्होंने यह भी कहा था कि भारत की योजनाओं में गैर-सरकारी विदेशी निवेशी के योगदान के महत्व को स्वीकार किया गया है और इस सम्बन्ध में भारत की नीतियां सुनिश्चित हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि जिन क्षेत्रों में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी का योगदान उपयोगी हो सकता है, उन क्षेत्रों में उस का स्वागत किया जायगा । मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया था उससे यह पता चलता है कि कि यह वक्तव्य सरकार की नीति के प्रतिकूल नहीं है ।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड

191. **श्री ई० के० नायनार : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय में राज्य मंत्री ने सितम्बर, 19 9 के दूसरे सप्ताह में केरल के अपने दौरे में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेट (अल्वाये) के प्रबन्ध निदेशक, के कार्य की प्रशंसा की थी और यह भी कहा था कि केन्द्रीय सरकार उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : गत सितम्बर में केरल के दौरे के दौरान राज्य मन्त्री ने फर्टिलाइजरम एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के कार्य की प्रशंसा की थी लेकिन यह नहीं कहा था कि केन्द्रीय सरकार उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में मितव्ययिता

192. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री 4 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2011 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में मितव्ययिता से काम करने के प्रश्न पर विचार करने के निदेशक-मंडल की समिति का गठन कब किया गया ;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और यदि हां, तो कब ;

(ग) समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) क्या प्रादेशिक कार्यालयों को बम्बई तथा दिल्ली में चालू के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और यदि हां, तो निर्णय क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 27-9-1968 को फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में तरीकों, पद्धतियों, बजट नियन्त्रण, मितव्ययिता उपायों तथा उनसे सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था ।

(ख) जी हां, 27-9-1969 को ।

(ग) परिशिष्ट 1 में महत्व पूर्ण सिफारिशें दी गई हैं ।

(घ) निदेशकों की समिति, जिसने इन कार्यालयों की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार किया था, इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि इन प्रादेशिक कार्यालयों को चालू रखना कम्पनी के हित में होगा ।

विवरण

1. बजट तथा वित्तीय नियन्त्रण के बारे में एक अधिक विस्तृत पद्धति का अनुसरण किया जाए ।

2. बोर्ड के सामने अधिक विस्तृत वित्तीय विवरण एवं लेखे पेश किए जाएं ।

3. 317 दिवस स्ट्रीम एफीशेन्सी (सरिता-दक्षता) के आधार पर उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

4. पुराने गन्धकीय संयन्त्रों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता की जांच की जाए ।

5. महत्वपूर्ण देख-रेख के पुर्जों के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा के एक मुश्त आवंटन के बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए ।

6. शीघ्र उत्पन्न होने वाली कड़ी स्पर्धा पर काबू पाने हेतु 4 वर्षों के लिए मार्किट-विकास एवं विक्रय-प्रगति के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए ।

7. दिल्ली और बम्बई में प्रादेशिक कार्यालयों को चालू रखना चाहिये क्योंकि ऐसा करना कम्पनी के हित में होगा ।

8. दिल्ली, बम्बई और मद्रास में अतिथि कक्षों का बनाये रखना कम्पनी के लिए कम-खर्चीला होगा ।

एक विदेशी नागरिक द्वारा आयात शुल्क न देकर सीमा शुल्क विभाग को ठगना

193. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री मंगलाथूमाडम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अगस्त को बम्बई फर्म का एक विदेशी कर्मचारी आयात शुल्क न देने के कारण सीमा शुल्क विभाग को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विदेशी नागरिक द्वारा आयात शुल्क का भुगतान न करने के कारण सीमा शुल्क को कितनी हानि हुई ; और

(ग) विदेशी नागरिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बम्बई की एक फर्म के एक विदेशी कार्यकारी अधिकारी को सीमा शुल्क का अपवंचन करने और विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम तथा आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के आरोप में 25 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था ।

(ख) लगभग 70,000 रु० तक के सीमाशुल्क की हानि होने का अनुमान है ।

(ग) पकड़े गये दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है तथा जांच पड़ताल जारी है । जांच पड़ताल पुरी होने पर उसके परिणामों के आधार पर, संगत कानूनों के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

चांदी शोधक कारखाने का कलकत्ते से खेतरी को स्थानान्तरण

194. **श्री पी० विश्वम्भरन् :** **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री मंगलाथुमाडम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चांदी शोधक कारखाने को कलकत्ते से राजस्थान स्थित खेतरी में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ; और

(ग) चांदी शोधक कारखाने के इस स्थानान्तरण से कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

विदेशी बैंकों पर नई शाखाएं खोलने पर प्रतिबन्ध

195. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री मंगलाथुमाडम : **श्री श्रीनिवास मिश्र :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई शाखायें खोलने तथा भारतीय बैंकों के साथ प्रतियोगिता करने के सम्बन्ध में देश में विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतकाल में भी ऐसे प्रतिबन्ध थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब इन प्रतिबन्धों को लगाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). वर्तमान नीति अनुसार, रिजर्व बैंक, बड़ी सीमित संख्या और वह भी आम तौर पर, बन्दरगाहों पर ही विदेशी बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के सम्बद्ध आवेदन पत्रों पर विचार करता है । इन पर विचार करते समय इन बैंकों द्वारा दी जाने वाली विदेश-व्यापार और पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है । अभी पिछले दिनों में इस संबंध में कोई नए प्रतिबन्ध नहीं लगाए गये हैं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बिड़ला की फर्मों पर छापे

196. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सोज़ियान : **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला की फर्मों पर छापे डालने के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सत्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो छापे किस उद्देश्य से डाले गये थे और क्या ऐसे दस्तावेज मिले, जिनसे पता लगता हो कि कुछ गड़बड़िया हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच कार्यवाही में कितना समय लगने की संभावना है और क्या अभियोग चलाने के लिए सरकार को पर्याप्त सामग्री मिल गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). बिड़ला समूह की कुछ फर्मों के विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन की दोषी होने की जो सूचना मिली थी, उसके अनुसरण में अक्टूबर 1969 में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियमन के उपबन्धों के अधीन उन फर्मों के स्थानों तथा उनसे सम्बन्ध अन्य स्थानों की तलाशियां ली गई थी । इन तलाशियों में बहुत सारे दस्तावेज पकड़े गये हैं ।

(ग) पकड़े गये दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है तथा मामले में आगे जांच-पड़ताल चल रही है । जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने पर यह देखा जा सकेगा कि कानून के जो उल्लंघन होने पाये गये हैं उनके संबंध में इस्तगासे की कार्यवाही करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही करने के लिए प्रमाणादि हैं अथवा नहीं । जिन दस्तवेजों की छान-बीन की जा रही है वे परिणाम में बहुत अधिक हैं और इस समय थोड़ी सी भी निश्चितता के साथ यह कह सकना सम्भव नहीं है कि जांच-पड़ताल कब पूरी हो सकेगी । परन्तु इन दस्तवेजों की शीघ्र जांच करने के संबंध में सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों की सेवा की शर्तें

197. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण से पूर्व 14 बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक कौन थे और उनकी सेवा की शर्तें, वेतन तथा अन्य सुविधायें क्या थीं ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के संरक्षक बन कर क्या उनकी शक्तियों तथा उपलब्धियों में कोई परिवर्तन किये गये हैं और यदि हां तो वे परिवर्तन क्या हैं ?

(ग) इन बैंकों के प्रधान कार्यालय कहां है और क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों को दिल्ली लाने का विचार है ; और

(घ) राष्ट्रीयकरण के पश्चात किन बैंकों ने ऐसी योजनाएं बनाई है, जिनसे किसानों, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा निम्न और निम्न-मध्य श्रेणियों के लोगों को लाभ होगा ; यदि हां, तो वे योजनायें कौनसी हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम, उन्हें पंजीकृत कार्यालयों और उनके अभिरक्षकों (केस्टोडियन) के नाम, उनके वेतन और अन्य सुख सुविधाओं की जानकारी दी गई है [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1964/69**] सभी बैंकों के पंजीकृत कार्यालयों को दिल्ली में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) बैंकिंग सरकारी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1969 की धारा

10(3) में यह व्यवस्था है कि किसी अभिरक्षक को वही परिलब्धियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पहले मिलती थीं। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल का गठन होने तक, बैंकों के कार्यों और व्यवसाय के सामान्य अधीक्षण और निदेशन का अधिकार अब सम्बद्ध अभिरक्षक के पास है और बैंक जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या जो कार्य कर सकते हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने और उन सभी कार्यों को करने का अधिकार अभिरक्षकों को प्राप्त है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और एक विवरण सभा की मेज पर यथासमय रख दिया जायेगा।

संसद सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन

198. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री सीता राम केसरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति को बताया था कि दिल्ली विकास अधिकरण उन संसद सदस्यों को मकानों के लिये भूखण्डों का आवंटन करेगा, जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भूखण्ड का आकार कितना है और इसके लिए कितना मूल्य देना होगा ; और

(ग) संसद सदस्यों को यह रियायत दी जाने के क्या कारण हैं और क्या यह रियायत सदा जारी रहेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। आवंटित किये जाने वाले प्लाट मध्यम आय वर्ग योजना के अधीन होंगे और प्रत्येक का क्षेत्रफल 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होगा।

(ख) और (ग). प्लाटों का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व-निश्चित दर पर उन लोगों को किया जाना प्रस्तावित है, जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये तक है, जो अन्य बातों के साथ इस शर्त को पूरा करते हैं कि उनका दिल्ली में कोई मकान या भूमि नहीं है तथा वे भूमि के दखल लेने के दो वर्ष के भीतर मकान बनवाएंगे और उन्हें आवंटित किया गया सरकारी आवास खाली कर देना होगा। यह एक अनन्तरिम दृष्टिकोण है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकासित प्रत्येक योजना में प्लाटों का कोटा संसद सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। जब तक नई योजनाएं विकासाधीन हैं, यह आरक्षण उपलब्ध रहेगा। सरकार का मत है कि यह प्रस्ताव दिल्ली में उपलब्ध मकानों की संख्या की वृद्धि में सहायक हो सकता है और सरकारी आवास पर दबाव को कम कर सकता है।

प्रस्ताव के पूरे ब्यौरे को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

कपड़ा व्यापार पर पण्यावर्त कर

199. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने कपड़ा व्यापार पर पण्यावर्त कर लगाये जाने का विरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1 जुलाई, 1969 का विरोध दिवस

200. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के डाक्टरों, चिकित्सकों, और शल्य चिकित्सकों ने 1 जुलाई, 1969 को निर्माण भवन तक देश में गिरते हुए स्वास्थ्य और जनता के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की उपेक्षा के विरोध में मौन जुलूस निकाला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा संघ एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आया था और उसने स्वास्थ्य मंत्री को 1 जुलाई, 1969 को ज्ञापन प्रस्तुत किया था। ज्ञापन में डाक्टरों के हितों की रक्षा करने और विभिन्न साधनों से अधिक पारिश्रमिक देने की दलील दी है। ज्ञापन में देश में गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में या सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । संघ ने सुझाव दिया है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की नीति के निर्धारण, आयोजन और प्रशासन के बारे में सरकार द्वारा उन्हें अधिक निकटता से सहयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिये । ये प्रश्न विचाराधीन है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान नियम 199 की ओर दिलाना चाहता हूँ । इसके अन्तर्गत यह आवश्यक है कि यदि कोई मंत्री मंत्रीपरिषद् से त्यागपत्र देता है तो उसे सभा में वक्तव्य देना होता है । चार मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मंत्री ऐसा करना चाहते हों तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : पूर्व इसके कि इस विषय का उत्तर दिया जाये मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस लोक महत्व के विषय पर प्रस्ताव के रूप में सदन में विचार करने के हेतु, आपकी अनुमति मांगी थी । अतः मेरा अनुरोध है कि इस बारे में हमें पूरी सुविधाएं दी जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले सरकार अपना वक्तव्य देगी और इसके बाद यदि हमारे पास समय रहा तो मैं समझता हूँ हम इस पर विचार कर लेंगे । परन्तु यह सदन के कार्य पर निर्भर करता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने इस विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । इस प्रस्ताव पर विचार अवश्य होना चाहिए ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (काजी कोड) : देश की बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति का सदन में विचार होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाएं मैंने श्री मधुलिमये को सदन में अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाने की अनुमति दी है । श्री स० मो० बनर्जी का नाम भी उसमें जोड़ दिया गया है । तो अब खड़े होने का क्या अर्थ है ।

Shri Madhu Limaye : I stand to read my calling-attention notice.

Mr. Speakar : I am addressing him and not you.

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने केवल यही कहा है कि इस विषय पर मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । इस पर आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर स्थगन प्रस्ताव के आने पर विचार किया जायेगा । इस समय हमारे समक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री प्र० के० देव : श्री फेरूमान की मृत्यु से सम्बन्धित हमने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I draw the attention of the hon. Home Minister to the following matter of urgent importance and request him to make a statement in this regard :

"Outbreak of communal riots on a large scale in Ahmedabad and other parts of Gujarat."

गृह-कार्य मंत्री (श्री **यशवन्तराव चव्हाण**) : गुजरात सरकार से समय समय पर प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर इस विषय पर इस विषय पर मैं एक ब्यौरे वार विवरण सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1954/69**] । हाल ही में गुजरात में हुये साम्प्रदायिक दंगों के प्रति जिनके कारण साम्प्रदायिक एकता तथा सद्भावना को जो हमारी

धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली का आधार है, भारी धक्का लगा है मैं अपना दुःख प्रकट करना चाहता हूँ ।

2. यह प्रसन्नता की बात है कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली के लिए सम्प्रदायिक समस्या से उत्पन्न खतरे को स्वीकार किया है तथा उन्होंने अनुभव किया है कि साम्प्रदायिक बन्धुत्व तथा एकता लाने के लिये सभी राजनीतिक दलों को सम्मिलित रूप से बड़े स्तर पर अभियान चलाना चाहिए ; साम्प्रदायिक मतभेद तथा फूट को समाप्त करने के लिए केवल यही एक प्रभावोत्पादक-अस्त्र है । मुझे विश्वास है कि 4 नवम्बर, 1969 को नई दिल्ली में हुये सर्वदलीय सम्मेलन में इस व्यापक अभियान को चलाने के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम से देश में सद्भावना तथा एकता की शक्तियों को भारी बल मिलेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, he has said that whatever information was received from the Gujarat Government he was speaking on the basis of that. May I know whether the Government did not try to get informations through various sources which are available with the Central Government ? I want to say in all seriousness that after 1947, riots on such a large scale were never seen in any part of the country except at Ahmedabad in Gujarat. According to the best of my knowledge, no less than four-five thousands persons have been killed there.

May I know whether the Central Bureau of Investigation or the Government of Gujarat made it known to the Government that organised riots were likely to be broken out at Ahmedabad in Gujarat ? As I have come to know 22 persons from Ahmedabad and 9 persons from Palanpur got themselves insured against riots, which shows that the people had serious apprehensions about it May I know the steps taken by the State and the Central Governments at that time in this matter ?

May I know the reasons for which the Government of Gujarat was not sacked when the law and order was disturbed in the State and the members of the minority Communities were killed on a large scale ? There were cases of arson and there was no safety of life and property in the State. May I khow whether the Central Government did not do their duty because they did not want to disturb the position of Shri Hitu Bhai Desai with the view to the fact that Shrimati Indira Gandhi wanted to keep him in her group ?

May I know whether it is not a fact that the Ministers of the State Government did not go to the secretariat for ten days during the riots and the held their meetings at their residents ? I have also come to know that both the States as well as Central Government, deliberately delayed the utilization of Military forces at that occasion. Therefore, I condemn both the Governments. It is also to be mentioned that when the General Secretary of our party, Shri George Fernandes, went to Ahmedabad and urged the Governor of that State to come out of his bungalow, only then he came out to maintain law and order. I also come to know that the Government of the State had instructed the Press not to publish anything about the activities of their Governor so as to keep them from the public. Was it not the duty of the State Government to arrest goonda elements involved in the incident of Jagdish Temple which occurred on the 18th instant ? Miscreants must have been arrested. No doubt, one of them was arrested but it is quite strange that as a protest against his arrest strike was observed in that area at the instance of Ministers.

I want to invite the attention of the hon Minister to one thing particularly. Refugee camps were removed before Khan Abdul Gaffar Khan reached Ahemdabad and the refugees were asked to leave for their respective places with the allurement that free tickets would be given them. It is quite strange that on the one-hand Government try to get the votes from the members of the minority Community and appease them by trying to attend the Rabat Conference and on the other hand they are unable, rather reluctant, to save the

lives and property of these helpless people. Secularism is a good policy but it should also be followed within the country.

I demand that the Enquiry Committee appointed by the State Government should be replaced by a Committee of the Central Government. That Committe should consist of a judge of the Supreme Court and two more judges from outside. Apart from this their findings should be placed before the House before taking further steps thereon.

I suggest that the hon. Minister should do away with the force of national integration and tell the State Governments that it is their duty to maintain law and order in their respective States. In case, any State Government are not in a position to maintain law and order they should be sacked because constitutionally they have no right to exist any more in this situation.

अध्यक्ष महोदय : आपने इसको वाद-विवाद बना लिया। आपको सीधे प्रश्न करना चाहिए था। अब मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार किसी वाद-विवाद को टालना नहीं चाहती। ...(व्यवधान)... मुझे आशा थी कि माननीय सदस्य कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे किन्तु उन्होंने तो बहुत से प्रश्नों को परस्पर मिला दिया है।

जहां तक गुजरात सरकार से मिली सूचना के आधार पर बोलने का प्रश्न है यद्यपि सूचना एकत्र करने के केन्द्र सरकार के साधन हैं किन्तु उनसे मिली सूचना के आधार पर सभा में वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। इस बात के लिए सरकार को राज्य सरकार से प्राप्त सूचना को ही आधार बनाना पड़ता है।

माननीय सदस्य का यह कहना भी सच नहीं है कि वहां पर 4000 या 5000 व्यक्ति मारे गये हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना में इस सम्बन्ध में दिये गये आंकड़ों का वक्तव्य में उल्लेख कर दिया गया है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : But at that time you said that those figures were not correct. You were there for two days and therefore you are aware of the facts. You should make a factual statement.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं दी थी कि अहमदाबाद में कोई दंगा-फिसाद होने वाला है। संसद सदस्यों की सलाहकार समिति में मैंने यह कहा था कि 1969 के प्रारम्भ में गुजरात में होने वाली घटनाओं का रुख देखते हुए गृह-कार्य मंत्रालय के सचिव ने गुजरात सरकार को लिखा है कि वहां पर तनाव की स्थिति के उभरने की संभावना है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मरने वालों की संख्या कितनी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था कि गुजरात सरकार ने लगभग 400 व्यक्तियों के मरने की सूचना दी है किन्तु सम्भव है कि मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई है। मैंने कहा था गुजरात सरकार से यही सूचना मिली है तथा मैं इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता।

जहां तक दंगा-फिसाद के भय से बीमा कराने की बात है इसकी मुझे कोई सूचना नहीं

है। साथ ही कुछ व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का बीमा कराने का तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पूर्व सूचना थी। संभव है उन्होंने यह बीमा इसलिए कराया हो कि वहां पर राजनीतिक स्थिति तनावपूर्ण रही हो तथा राजनीतिक दल बन्ध आदि के लिये संगठित प्रयास कर रहे हों।

जहां तक सेवा का प्रश्न है उसे पहले दिन ही अर्थात् 20 तारीख को ही सचेत कर दिया गया था। सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वास्तव में 21 तारीख को ही तैनात हो गई थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से सेना के कमान्डर से पूना में बातचीत की थी। बाद में सेना ने सारी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था।

शरणार्थियों की समस्या भी बड़ी विकट थी। वे लोग विभिन्न इलाकों में अपने कैम्प लगाये हुए थे। एक स्थान पर एक पुलिस स्टेडियम में लगभग 15,000 शरणार्थियों के कैम्प थे। सम्भवत: कुछ शरणार्थियों को रेल भाड़ा देकर उनके स्थानों को भेजने का भी समाचार मिला था।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजाकोड) : उनके घर तो जला दिये गये फिर वे लोग कहां गये होंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं राज्य सरकार से मिली सूचना के आधार पर बोल रहा हूँ। मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णत: सहमत हूं कि इन अल्पसंख्यकों के पुनर्वास तथा सहायता की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु मुझे सूचित किया गया है कि गुजरात सरकार अब भी इसकी व्यवस्था कर रही है। सहायता और पुनर्वास कार्यों के बारे में जो जानकारी उन्होंने दी है वह विवरण में दी गई है।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैं गुजरात के राज्यपाल तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की पक्षपात हित रिपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। गुजरात सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता ?

श्री च० चु० देसाई (साबरकंठा) : क्या माननीय प्रधान मंत्री को यह ज्ञात है कि देश भर में यह विचारधारा पाई जाती है कि साम्प्रदायिक दंगों के कारण गुजरात सरकार वहां विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने और गुजरात के नागरिकों के जन, धन की रक्षा करने में असफल रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधान मन्त्री को चाहिए कि वह गुजरात के मुख्य मन्त्री को सलाह दें कि इन सब घटनाओं की जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री अपने ऊपर लें और स्वस्थ प्रजातन्त्रीय परम्परा की दृष्टि से मुख्य मन्त्री पद से त्याग पत्र दें।

दूसरे, क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने गुजरात सरकार की जासूसी करने के लिए यहां से एक शिष्टमण्डल भेजा था तथा अपने उपमन्त्री अथवा विधि मंत्रालय से किसी व्यक्ति को गुजरात सरकार तथा मुख्य मन्त्री की जासूसी करने के लिए भेजा था ? यदि यह ठीक है तो क्यों केन्द्रीय सरकार के लिए ऐसा करना उचित था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य को किसी भी व्यक्ति को सलाह देने का पूर्ण

अधिकार है परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह उद्देश्य नहीं है कि वह किसी सरकार को त्याग-पत्र देने अथवा ना देने का सुझाव दे। अहमदाबाद की स्थिति वास्तव में खेद जनक तथा अभूतपूर्व थी। वहां किसी सीमा तक विधि तथा व्यवस्था कायम नहीं रही, परन्तु यह सब जांच का विषम है। जाँच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् गुजरात सरकार निस्सन्देह आयोग की सिफारिशों को मानेगी।

जहां तक किसी व्यक्ति की जासूसी करने का प्रश्न है भारत सरकार ने इस कार्य के लिए किसी मन्त्री अथवा उप मन्त्री को वहां नहीं भेजा। संसद सदस्य कहीं भी जाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : On a point of order. I want to know from the hon. Home Minister the reasons why he did not dismiss such a hopeless Government which is responsible for the sad incidents and for Communal riots ?

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : I want to know whether we can discuss this matter in a cursory manner in the Parliament when a Commission of Enquiry has already been appointed ?

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना देने वाले माननीय सदस्य को दिये गये उत्तर से सम्बन्धित प्रत्येक स्पष्टीकरण कराने का अधिकार है।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : It is, no doubt, a matter of pity and shame on our part and even for the country that in the Gandhi Centenary Year itself innumerable members of minorities Community were killed during the Communal riots in Gujarat and grave injustice done to the minorities. I want to know from the hon. Minister whether he had made a statement in the month of March, 1969, just before the outbreak of Communal riots that disturbances might occur because of Communal feelings and that he had given instructions to the respective State Governments, particularly to Gujarat State Government, for taking pre-cautionary measures to check the outbreak of disturbances ? If so, had Gujurat State Government taken any precautions so that such dreadful Communal riots could have been checked ?

Secondly, whether during his speech on 29th September at Ahmedabad Shri Jaya Prakash Narayan had stated that the cause of those sad incidents was that Shri Madhok had refused to give credit to Mahatma Gandhi for the attainment of independence.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अपने उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत सरकार ने गुजरात में उस समय उभर रही इस प्रकार की भावनाओं के बारे में गुजरात सरकार को बता दिया था। इस सूचना का हमें कोई उत्तर नहीं मिला। श्री जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है अत मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री बलराज मधोक : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। संसदीय सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सिलसिले में मैं 14 सितम्बर को अहमदाबाद गया था और वहां मैंने राइफल एसोसियेशन के द्वारा आयोजित मोडक मैमोरियल लैक्चर माला शीर्षक के अन्तर्गत एक संस्मरणात्मक भाषण दिया जिसका विषय था "पाकिस्तान से खतरा" इस भाषण के दौरान मैंने बताया था कि जिस समय भारत को स्वतन्त्रता मिली उस समय तीनों सेनाओं में विद्रोह था और इसी कारणवश अंग्रेजों ने इस देश से जाने का निर्णय किया था। मैंने बताया था कि भारत को

स्वतन्त्र कराने का सबसे अधिक योगदान सुभाषचन्द्र बोस का था। इस तथ्य को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : महात्मा गाँधी को अपकीर्ति देने का श्री मघोक को कोई अधिकार नहीं है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The hon. Minister has not ennumerated real facts and causes of the riots at Ahmedabad in his report. It is a fact that Gujarat Government did not care for the report of the intelligence sources to the effect that there the Communal feelings were developing in Gujarat and riots could spread. As a result of the carelessness on the part of Gujarat Government about four thousand people including women and children were killed. Even Badshah Khan confirmed this when he was awarded Nehru Award. Badshah Khan had stated that a Gujarat Muslim girl had told him that Muslims were being asked..... *(Interrnption.)*

श्री म० ला० सोन्धी (नई दिल्ली) : मुझे इस कथन पर आपत्ति है। बादशाह खान को हम यहां सुनाना चाहते हैं परन्तु ये लोग उन्हें यहां नहीं आने देते।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन की मजबूरी है। वह सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : बादशाह खां को यहां अवश्य बुलाया जाना चाहिए। वह दिल्ली में ही हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे मार्शल को बुलाना पड़ेगा, हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : हिन्दु-मुस्लिम एकता बनाये रखने के लिए हमें जब तक मृतकों की संख्या यहां नहीं बतानी चाहिये जब तक कि इस बारे में जाँच न हो जाय क्योंकि इससे स्थिति भयानक हो जायेगी और हिन्दु-मुसलमानों में तनाव बढ़ जायेगा।

Shri S. M. Banerjee : The Agents of foreign and imperialist forces and Communal elements are responsible for all these sad incidents. The intention of these elements was that the Government of India should be insulted at the Rabat Conference. I want that this matter should be got investigated through Central Investigation Agency and an Inquiry Commission should be appointed headed by a Judge of the Supreme Court, so that minorities may have faith in the Government and they may feel safe in the country.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अहमदाबाद में हुई घटनाओं का पता दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो गुजरात सरकार के प्रतिवेदन से और दूसरे निष्पक्ष न्यायिक जांच के द्वारा। गुजरात सरकार से जो सूचना मिली वह मैंने सदन के समक्ष पेश कर दी है। दूसरा तरीका भी स्वीकार कर लिया गया है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : साम्प्रदायिक अथवा अन्य प्रकार के दंगों की घटनाएं जो देश में होती हैं मैं बहुत निन्दनीय है क्योंकि इनसे राष्ट्रीय कार्यों में बाधा पड़ती है। गुजरात राज्य सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों की जांच कराने का आदेश दे दिया है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि यदि अहमदाबाद में ये साम्प्रदायिक दंगे ना होते तो रबात में यह झगड़ा अथवा विरोध ना होता।

भारत सरकार को जब रबात सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये सम्मेलन में भाग लेने वाले सब देशों की सर्व सम्मति से निमंत्रण मिला था तो उस समय अहमदाबाद की समस्या नहीं थी। श्री जयप्रकाश नारायण ने यह बताया है कि इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है तो क्या सरकार ने उन विदेशी एजेंटों का पता लगा लिया है तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? केन्द्रीय सरकार के उपमंत्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम के कथन पर क्या गुजरात राज्य सरकार ने कोई आपत्ति की है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विदेशी जासूसों आदि के बारे में मेरे लोगों ने अनुमान लगाये हैं क्योंकि किसी को भी कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। परन्तु जब ऐसी बातें कही जाती हैं तो ऐसे विदेशी तत्वों का पता लगाने का सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है और सरकार निश्चय ही इस की जांच करेगी।

अन्य हस्तक्षेप करने वाले तत्वों के बारे में यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट सूचना है तो वह जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दें जिससे वह उसकी निष्पक्ष जाँच कर सके।

श्री हेम बरुआ : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह तो सच है कि रबात सम्मेलन में झगड़ा हो गया था परन्तु उस समय ब्यौरे-बार सूचना वहां उपलब्ध नहीं थी।

उपमन्त्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम के बारे में मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री जी को कुछ लिखा था। मैं समझता हूँ कि उपमन्त्री महोदय को वहां जाने का अधिकार था। अतः उनको पदच्युत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्ताव

ADJOURNMENT MOTION

भारत का रबात में हुए इस्लामिक सम्मेलन में भाग लेना

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलु मोदी अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मांगे।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : मैं अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

प्रस्ताव इस प्रकार है :

"भारत सरकार की विदेश नीति की असफलता जो रबात में हुए इस्लामिक सम्मेलन की घटनाओं से साबित होती है, जिसके लिए कि भारत सरकार ने अन्तिम क्षणों में प्रयास कर के निमंत्रण प्राप्त किया और जिसके परिणामस्वरूप उसमें अपमान जनक ढंग से निकाले जाने पर भारत को व्यर्थ ही लज्जित होना पड़ा।"

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री पीलु मोदी द्वारा पाठित स्थगन प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : हम इसका विरोध करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि 50 से अधिक सदस्यों ने इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन किया है, अत: इसके लिए अनुमति दी जाती है और इसे सायं चार बजे लिया जायेगा । अन्य सभी सूचनाएं इसी में आ जाती हैं ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEDGE

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा से दुर्व्यवहार तथा उनकी गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीचन्द गोयल तथा अन्य सदस्यों ने विशेषाधिकार के एक प्रश्न की सूचना दी जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ और जो श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा से दुर्व्यवहार तथा उनकी गिरफ्तारी से सम्बन्धित है :—

"श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा संसद सदस्य, के साथ संसद भवन के बाहर 13 नवम्बर 1969 को किए गए कथित दुर्व्यवहार तथा उनकी गिरफ्तारी तथा पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली स्थित न्यायालय के एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा कथित गलत जानकारी प्रस्तुत करना ।"

सदन की अनुमति से इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं !

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1967-68 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये** संख्या एल०टी० 1938/69]

(2) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956, की धारा 19 के अन्तर्गत, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल०टी० 1939/69]

(1) (एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1533 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) दिनांक 14 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 2163, जिसमें दिनांक 24 अगस्त, 1968 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1533 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ग) दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1764, जिसमें दिनांक 24 अगस्त, 1968 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1533 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) उपरोक्त (क) से (ग) तक उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 1940/69**]

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (**श्री रघुरमैया**) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत, विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 9) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो राष्ट्रपति द्वारा 13 नवम्बर 1969, को प्रख्यापित किया गया था, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1941/69**]

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (**श्री र० के० खाडिलकर**) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, की धारा 29 के अन्तर्गत, भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1969, को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 1942/69**]

(2) कृषि पुनर्वित्तीकरण निगम अधिनियम, 1963, की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, कृषि पुनर्वित्तीकरण निगम, बम्बई, के 30 जून, 1969, को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 1943/69**]

(3) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में प्रवृत बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, 1941, की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली बिक्री-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 23 सितम्बर, 1969 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(144)/

68 फिन०(जी०) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1944/69]

(4) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री) (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनाँक 30 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 2364 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2365 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1945/69]

(5) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934, की धारा 11-क के अन्तर्गत, अतिरिक्त शुल्क नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2133 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1946/69]

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 16 अगस्त, 1969 के जी० एस० आर० 1968 और 1969 (अंग्रेजी संस्करण) तथा 1970 और 1971 (हिन्दी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 2007 और 2008 (हिन्दी संस्करण), जो दिनाँक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 2085 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 2095 (अंग्रेजी संस्करण), और जी० एस० आर० 2095—क (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 27 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) जी० एस० आर० 2137 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 2273, जो दिनाँक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1947/69]

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 35 वां संशोधन नियम 1969 जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2148 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2149 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 36वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2150 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2151 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 38वाँ संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2212 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2213 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 37वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2214 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2215 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 39वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2274 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2275 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1948/69]

(8) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 16 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1960 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ग्याहरवां संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2138 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2382 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1949/69]

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1964 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 16 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1965 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 16 अगस्त, 1969 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 2086 जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 2088 जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 2089 जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० आर० 2132 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 2135 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 2142 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2143 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी० एस० आर० 2144 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस आर० 2145 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) जी० एस० आर० 2146 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2147 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 2152 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) जी० एस० आर० 2153 को दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) उल्लिखित माल (अवैध निर्यात का निवारण) संशोधन नियम, 1969 को दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2154 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2155 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) जी० एस० आर० 2156 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 2216 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2217 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) जी० एस० आर० 2218 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) जी० एस० आर० 2267 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2270 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) जी० एस० आर० 2268 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2269 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 2271 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) जी० एस० आर० 2289 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (दूसरा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2292 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) जी० एस० आर० 2383 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेईस) जी० एस० आर० 2437 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 27 सितम्बर, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2292 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) जी० एस० आर० 2512 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2514 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 2513 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2515 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) एस० ओ० 4073 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 4074 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1950/69**] ;

(10) आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे करारोपण से बचने के लिए भारत सरकार और संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के बीच परिपाटी को लागू करने के बारे में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24-क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2363 की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्ब , 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1951/69**]।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक सेवायें संधारण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2366 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2367 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1969 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें भारतीय खाद्य नियम की सेवा को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक अत्य वश्यक सेवा घोषित किया गया था, सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1952/69**]।

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं अत्यावश्यक सेवाये संधारण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2610 की एक प्रति, जो कि दिनांक 7 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें बम्बई पत्तन अथवा गोदी में, अथवा उसकें कार्य संचालन से सम्बन्धित, सेवा को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया था, सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1952/69**]।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री अनिल कु० चन्दा (भोलपुर) : मैं कतिपय जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियों के अन्तर्गत और से वहिर्गत करने का, जहां तक कि ऐसे

अन्तर्गत या बहिर्गत करने के कारण संसदीय और विधान सभाई निर्वाचन-क्षत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन और पुनः परिसीमन आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन और पुनः परिसीमन का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन करता हूँ।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री अनिल कु० चन्दा (भोलपुर) : कतिपय जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियों के अन्तर्गत और से बहिर्गत करने का, जहां तक कि ऐसे अन्तर्गत या बहिर्गत करने के कारण संसदीय और विधान सभाई निर्वाचन-क्षत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन और पुनः रिसीमन आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन और पुनः परिसीमन का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

ज्ञापन/अभ्यावेदन

श्री अनिल कु० चन्दा (भोलपुर) : मैं कतिपय जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियों के अन्तर्गत और से बहिर्गत करने का जहां तक कि ऐसे अन्तर्गत या बहिर्गत करने के कारण संसदीय और विधान-सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन और पुनः परिसीमन आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन और पुनः परिसीमन का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञापन/अभ्यावेदनों की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं।

अध्ययन टिप्पणियां

श्री अनिल कु० चन्दा : मैं कतिपय जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सूचियों के अन्तर्गत और से बहिर्गत करने का, जहां तक कि ऐसे अन्तर्गत या बहिर्गत करने के कारण संसदीय और विधान-सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन और पुनः परिसीमन आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन और पुनः परिसीमन का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के अध्ययन दलों द्वारा किये गये दौरों के सम्बन्ध में अध्ययन टिप्पणियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक
INDIAN MEDICINE AND HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजनगर) : मैं भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखने तथा

तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री ग्र० त्रि० शर्मा (भंजनगर) : मैं भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी को एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखने तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक (श्री आनन्द नारायण मुल्ला का)

ENLARGEMENT OF THE APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME COURT BILL (BY SHRI ANAND NARAIN MULLA)

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

साक्ष्य

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

ज्ञापन/अभ्यावेदन

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञापनों/अभ्यावेदनों की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूँ ।

भुसावल-झांसी यात्री गाड़ी और डीजल मालगाड़ी के बीच दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : COLLISION BETWEEN BHUSAWAL-JHANSI PASSENGER AND DIESEL GOODS TRAIN

विधि तथा रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री मान मैं आपकी अनुमति से एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 1953/69]

उपाध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र

RESIGNATION BY DEPUTY SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री खाडिलकर ने लोक सभा के उपाध्यक्ष पद से 1 नवम्बर, 1969 से त्याग पत्र दे दिया है।

संसद् कार्य मंत्री द्वारा उनका पहले ही परिचय दिया जा चुका है। मैं उनके नये कार्य की सफलता की कामना करता हूँ।

पेटेन्ट विधेयक

PATENTS BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा पेटेन्टों के बारे में विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के लिये नियत किए गए समय को बजट अधिवेशन (1970) के तीसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा पेटेन्टों के बारे में विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के लिये नियत किए गये समय को बजट अधिवेशन (1970) के तीसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक

CENTRAL EXCISE BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत किये गये समय का बढ़ाया जाना

श्री मोहसिन (धारवाड दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के समय को मानसून अधिवेशन (1970) के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित विधि को समेकित और

संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के समय को मानसून अधिवेशन (1970) के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं विधेयक को पुन: स्थापित करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 10 मिनट तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till ten Minutes past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 13 मिनट पर पुन:समवेत हुई ।

The Lok Sabha Reassembled after lunch at thirteen minutes past fourteen of the Clock.

[श्री एम० बी राणा पीठासीन हुए]
[Shri M. B. Rana *in the Chair*]

बेरोजगार व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने के बारे में

RE : PRESENTATION OF PETITION BY UNEMPLOYED PERSONS AND STUDENT'S

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : संसद में याचिका प्रस्तुत करने के लिये देश के विभिन्न भागों से युवक दिल्ली आये हैं । वे बेरोजगारी को समाप्त करने के बारे में प्रधान मंत्री का हस्तक्षेप चाहते हैं । प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग के एक सदस्य ने शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी

को समाप्त करने का वचन दिया था । वे इस बारे में एक याचिका प्रस्तुत करना चाहते थे । लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया जा सका । अतः मैं याचिका की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं श्री स० मो० बनर्जी का समर्थन करता हूँ : सरकार को बेरोजगार व्यक्तियों को 100 रुपये महीना देना चाहिये ! सरकार ने इस सम्बन्ध में वचन दिया था और उसे अपने वचन का पालन करना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संसद्-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इन हजारों युवकों की भावनाओं से प्रधान मंत्री को अवगत करायें । और मुझे याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

श्री शिव नारायण : सरकार ने इस बारे में जनता को आश्वासन दिया था और सरकार को अपने आश्वासनों को पूरा करना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : सरकार को इस समस्या को यशा शीघ्र हल करना चाहिये ।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : I support Shri Banerjee's memorandum. The Prime Minister should provide employment for these youths. So that the problem of unemployment in the country may be solved.

सभापति महोदय : याचिका को पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या प्रधान मंत्री इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे ।

सभापति महोदय : मैं सरकार की ओर से इस बारे में कोई वचन नहीं दे सकता । मैंने इस बारे में अपने कर्त्तव्य का पालन किया है ।

श्री शिव नारायण : सरकार को इस बारे में कोई वक्तव्य अवश्य देना चाहिये । क्या प्रधान मंत्री इस बारे कोई वक्तव्य देंगे ?

सभापति महोदय : याचिका सभा के सामने है । अब हम सभा की कार्यवाही आरम्भ करते हैं ।

खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक
KHUDA BAKHSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY BILL

शिक्षा और युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि पटना स्थित खुदा बख्श ओरियण्टयल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके प्रशासन तथा कतिपय अन्य संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

श्रीमान् खुदा बख्श ओरियण्टल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक सबसे पहले 1965 में पेश किया गया था परन्तु तीसरी लोक सभा के विघटन के पश्चात् यह विधेयक व्यपगत हो गया था और 21 फरवरी, 1968 को इसे पुनः पुरःस्थापित किया गया था।

उक्त लाइब्रेरी का निर्माण दिवंगत मौलवी मुहम्मद बख्श खां के अरबी और फारसी के मूल्यवान पांडुलिपियों के व्यक्तिगत संग्रह और पुस्तकों के आधार पर किया गया था। उन्होंने इन पांडुलिपियों को अपने पुत्र खुदा बख्श को सौंप दिया था और उसे उन पाँडुलिपियों और पुस्तकों के लाभ के लिये पब्लिक लाइब्रेरी आरम्भ करने का अनुदेश दिया था। खुदाबख्श 1891 में पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करने में सफल हुए। लाइब्रेरी चहुंमुखी प्रगति कर रही है। इसकी लगभग 52,000 पांडुलिपियाँ, पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। सरकार इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना चाहती है। बिहार सरकार लाइब्रेरी के लिये प्रतिवर्ष 50,000 रुपये दे रही है। बाकी व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

मुझे आशा है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : This Bill has not been introduced so far : This Bill was in the name of Shri P. C. Sethi. He has not introduced it yet. I wanted to oppose the Bill at that stage.

सभापति महोदय : इस विधेयक को मध्याह्न भोजन से पूर्व ही पुरःस्थापित कर दिया गया था। माननीय सदस्य की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सभा द्वारा विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : आज कांग्रेस का विभाजन हो गया है। एक कांग्रेस आपके दायें बैठी है तथा दूसरी आपके बांये। एक की नेता श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा हैं तथा दूसरे के डा० राम सुभग सिंह। इसलिए एक को दाई कांग्रेस तथा दूसरी को बांई कांग्रेस कहा जाना चाहिए। अब मैं आपको आकाशवाणी के बारे में बताना चाहती हूँ। आकाशवाणी का प्रयोग सरकार द्वारा अपने प्रचार के लिये किया जा रहा है। आकाशवाणी का प्रयोग जनता की आवाज को जानने के लिए किया जाना चाहिए।

मैं समझती हूँ कि जो व्यक्ति लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने जाते हैं और आकाशवाणी द्वारा तोड़मरोड़ कर प्रसारित की जाने वाले समाचारों को सुनते हैं, वे इन समाचारों से प्रभावित होते हैं।

बिहार के लोगों को इस लाइब्रेरी पर गर्व है। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय है और मैं श्री शिव चन्द्र झा और श्री यशपाल द्वारा दिये गये उन संशोधनों से सहमत हूँ कि लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी घोषित किया जाना चाहिये। यह लाइब्रेरी कला और संस्कृति का ऐतिहासिक स्मारक है। लाइब्रेरी की कुछ पुस्तकों को दीमक खा गई है। लाइब्रेरी को उचित तरीके से बनाये रखना चाहिये। लाइब्रेरी में बहुत गन्दगी है। लाइब्रेरी का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिये। लाइब्रेरी में बहुत मूल्यवान पुस्तकों को सुरक्षित रखना चाहिये। लाइब्रेरी में ऐतिहासिक

दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। खुदा बख्श लाइब्रेरी भवन का पुनः निर्माण किया जाना चाहिये। यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो इसे किसी और भवन में ले जाया जाना चाहिये।

मैं समझती हूँ कि ये संस्थाएं राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली माध्यम हो सकती हैं।

हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है। पुस्तकालयों के शक्तिशाली माध्यम द्वारा जनता में विशेषकर विद्यार्थियों में धर्मनिरपेक्षता की भावना पैदा की जा सकती है। इससे राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलेगा। यह विधेयक असंतोषजनक है।

सलाहकार समिति की स्थापना मात्र से क्या देश के एकता कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है? राष्ट्रीय एकता की स्थापना सरकार द्वारा किये गये कार्यों से ही हो सकती है। यदि सरकार अपने वचनों का पालन करती है तो हो हम उसे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं।

Shri D. N. Tiwary (Gopalgani) : Khuda Bakhsh Library is a very old library Government has done praise worthy work by introducing this Bill. This library has got very valuable books. They are being destroyed. The valuable manuscripts in this library should be preserved. If it is not done valuable books will be destroyed. This library is situated in the centre of the city. Its building should be built at such a place which should be most convenient to the public. I do not think that it is an unimportant Bill and it will not help in national integration. I support the Bill.

श्री लोबो प्रभू (उदीपी) : यह लाइब्रेरी इस समय बहुत खराब हालत में है। लाईब्रेरी की बहुत सी पुस्तकों को दीमक खा गई है। विधेयक में लाइब्रेरी पर 3 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। मैं श्री तिवारी क उक्त सुझाव से सहमत हूँ कि उक्त लाइब्रेरी की स्थापना किसी उपयुक्त स्थान पर की जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे मेरा संशोधन स्वीकार करें। हम चाहते हैं कि वे लोग जिन्हें पुस्तकों से प्रेम है, लाइब्रेरी के लिये कुछ न कुछ करें।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि पुस्तकाध्यक्ष के पद पर न्यासी की नियुक्ति की जानी चाहिये उसके बाद उस पद पर उसके पुत्रों और उसके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये। मेरी राय में यह उचित है।

मैंने कोई मूलभूत परिवर्तनों का सुझाव नहीं दिया है। अतः मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे।

हमारे देश में पुस्तकालयों की स्थिति बहुत शोचनीय है। जहां तक खुदा बख्श पुस्तकालय का सम्बन्ध है मैंने इसको देखा तो नहीं है परन्तु इसकी कुछ पुस्तकों को अवश्य देखा है। हमें ऐसे पुस्तकालयों के राष्ट्रीयकरण पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की जब 1968 में जांच की गई थी तो उसमें लगभग 12,000 पुस्तकें गुम पाई गई थीं। राष्ट्रीयकृत पुस्तकालयों की ऐसी ही स्थिति है।

जहाँ तक पुस्तकालयों पर किये जाने वाले व्यय का सम्बन्ध है, शिक्षा मन्त्रालय के कुल बजट का एक प्रतिशत भाग भी उन पर व्यय नहीं किया जाता है। देश के पुस्तकालयों में 50

व्यक्तियों के लिए एक पुस्तक उपलब्ध होती है। गांवों के पुस्तकालयों में स्थिति और भी खराब है। वहां पर कुछ समाचार पत्रों के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध ही नहीं होता। यदि सरकार चाहती है कि गांवों के लोग देश के सांस्कृतिक जीवन में अधिक भाग लें तो उसको इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। पुस्तकालयों की स्थिति को सुधारना बहुत ही आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की जो पुस्तकें बिक नहीं पातीं, उनको गाँवो के पुस्तकालयों को दे देना चाहिए।

इन दो संशोधनों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : I rise to support the Bill. We should try to improve the condition of this library and convert it with a National Library. We should also try to add more books of Arabic and Pursian languages to it. We should try to make it an international library.

The books containing teachings of the prominent Sages like Ramkrishna, Gunanand and Mehr Baba should also be kept in this library if they are not already being kept there.

Shri Beni Shankar Sharma (Baulca) : I congratulate the Government for introducing this Bill. It should have been brought forward long before.

Khuda Bakhsh Library is in a very deplorable condition. We should improve its condition and try to convert it into an institution of national importance. It is said that books of Arabic and Pursian languages are in abundance in this library. In my view it should be so because Khuda Bakhsh and his father were great scholars of Pursian and Arabic languages. But now when we are trying to convert it into a national library, books of Sanskrit, Hindi, Maithili and other Indian languages should also be kept in it. Scholars of all languages should be given facilities for research in the library. The name of this library should also be changed into the National Library of Bihar. This should be done in the larger interest of the nation.

I would also request the Government to hold an enquiry into the use of the grants which are given to the various libraries in the villages of Bihar with a view to see whether the grants given for the purchase of books are being actually spent for the purpose. Communalism and such other nefarious things should be kept away from these libraries. Our libraries should infact, represent our true culture.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Through my amendment I have suggested that office bearers of this library should be duly elected. It should not be run by the Governor. Mahatma Gandhi had once said that that Government is the best which governs the least. So the administration of this library should be entrusted in the hands of the representatives of the public.

Teachings of Geeta and Quran should be popularised to remove the existing Communal hatred.

We should also teach the people about secularism through such public libraries.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : This is a very old library which is rich not only in Arabic and Pursian books but also in old manuscripts and valuable pieces of literature which represent our old culture and civilization. Several important books of Urdu literature are also available there.

We cannot change its nomenclature because of the Deed but we can make it rich so that it may become an invaluable thing for the nation and a model not only for India but also for the whole world.

The Central Government should have taken over this library long back. The Government of Bihar is not able to spend huge money on the improvement of this library, Due to the paucity of further Bihar Government could not make much headway in adding new books in this library. I hope the Central Government will now help this library and add new books to it. I also hope that Central Government will collect various old manuscripts which are lying in various places in India and keep them in this library.

Scholars of Urdu, Arabic or Pursian languages should be represented in the Board of Management. During the last session I Tabled an amendment to this effect.

We should not raise Communal things in such matter. With their words I support the Bill.

श्री एस० कण्डप्पन (मैंदूर) : मैं इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहता। परन्तु मुझे एक शंका है कि इस विधेयक से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात भी हमने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। रुचि के अभाव के कारण ही हम अपने भूतकाल के शानदार रिकार्ड को ठीक नहीं रख सके। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है। केवल इसी संग्रहालय में ही मूल्यवान वस्तुएं नहीं हैं, परन्तु अनेक मूल्यवान वस्तुएं जिनके पीछे इतिहास भरा है ; देश के विभिन्न भागों में बिखरी पड़ी हैं।

तमिलनाडु राज्य में सरस्वती महल पुस्तकालय में साहित्य के मूल्यवान ग्रंथ रखे हैं और अनेक पांडुलिपियां भी हैं। परन्तु तमिलनाडु सरकार धन के अभाव के कारण इनको प्रकाशित नहीं कर पा रही है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस समूची समस्या पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। हमारे यहां अर्हताप्राप्त व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। मैं श्री लोबो प्रभु की इस बात से सहमत हूं कि पंचवर्षीय योजनाओं में पुस्तकालयों के सुधार के लिए बहुत कम धन रखा जाता है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I welcome this Bill. I raised this matter first of all in 1967. I would like to request the Government that while taking over this library it should also be seek that mismanagement is not allowed to prevail there as is prevailent in other libraries . Parliament Library and National Library of Calcutta can be quoted as examples of mismanagement. Poor people and students cannot take advantage National Library of Calcutta because they have to deposit the price of the book they want to have. . Gross mismanagement is also prevailing in the reading room of this library. You cannot get a book within a specified time of 20 minutes. One has to give reminder twice or thrice. States are not up-to-date in that library. Such mismanagement should not be allowed to prevail in Khuda Bakhsh Library which Government is going to take over by this Bill. A good building should also be provided for this library.

The name of Khuda Bakhsh should not be removed from this nomenclature of the library as he has rendered very valuable service to the nation as a whole.

The library should also be removed from its original place. Nearby shops can be removed and so vacated space can be given to this library.

Many important books and manuscripts pertaining to India are lying in other libraries in the world. These books and manuscripts should be brought here and kept in this library. If it is not possible to bring those books and manuscripts then their microfilms should be prepared and kept in this library.

Through my amendment I have suggested that it should be named as National

Library. It should be converted into an research institution. Urdu and Pursian Scholars should be represented in the Board of Management.

With these words I welcome this Bill.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : I welcome the Bill. I agree with the hon. Members that mismanagement should not be allowed to prevail in that library. I deadly oppose the changing of name of this library. Its name should not be changed.

If the present place is not sufficient to accommodate all departments of the library, I think it is better to shift it to some other proper place. All facilities should be made available in this library.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस विधेयक को बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं इस विधेयक को तीसरी लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया था परन्तु समय न मिलने के कारण इसको पास नहीं किया जा सका।

इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने का विचार नहीं है इसको राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था घोषित करने का विचार है। इस प्रकार न केवल इसके रखरखाव बल्कि इसके विकास की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय सरकार पर आ जाती हैं। हम इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था इस कारण बनाना चाहते हैं कि राज्य सरकार साधनों के अभाव के कारण इसको अच्छी हालत में नहीं रख सकी और इसकी स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। खुदा बख्श पुस्तकालय के एक राष्ट्रीय संस्था बन जाने के पश्चात् इस पर न केवल बिहार को बल्कि समूचे देश को गर्व होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया था कि इस पुस्तकालय का नाम बदल दिया जाये। मेरे विचार में ऐसा करना न तो सम्भव है और न ही वांछनीय हैं।

दो परस्पर विरोधी सुझाव भी दिये गये थे। एक यह था कि इस परिवार के किसी सदस्य को बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए और दूसरा सुझाव यह था कि यदि इस परिवार के किसी सदस्य के द्वारा उपयुक्त अर्हता हो तो उसको लाइब्रेरियन का पद दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में इस परिवार को जिसने इस पुस्तकालय को बढ़ाने तथा इसके विकास में निजी साधन लगाये है इस पुस्तकालय में स्थान देना उचित ही है। हमने इस परिवार को केवल एक स्थान दिया है। इस परिवार का इस पर नियंत्रण नहीं होगा। मेरे विचार में मेरे मित्र श्री शिवचन्द्र झा को इस पर कोई गम्भीर आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक पुस्तकालय की इमारत का सम्बन्ध हैं यह मामला विधेयक के बहस हो जाने के पश्चात लिया जायेगा। इस बारे से बिहार सरकार के साथ एक समझौता हुआ है कि हम इस पुस्तकालय को पटना शहर से बाहर नहीं ले जायेंगे। परन्तु पटना शहर के अन्दर इसके लिए दूसरा स्थान देखा जा सकता है।

जहां तक सरस्वती महल पुस्तकालय का सम्बन्ध है हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पुस्तकालय के लिए 10 लाख रुपये नियत किये हैं ताकि सभी दस्तावेजों को ठीक हालत में रखा जा सके। मैं अपने देश के पुराने रिकार्ड को ठीक स्थिति में बनाये रखने के लिए उत्सुक हूँ ताकि हमारी प्राचीन भूमि का उचित इतिहास लिखा जा सके।

मुझे प्रसन्नता है कि अनेक माननीय सदस्यों ने पुस्तकालयों को राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा का माध्यम बताया है और इनके विकास के लिए धन जुटाने के महत्व पर जोर दिया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों के विकास के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये रखे गये है जबकि योजना आयोग ने केवल एक करोड़ रुपये ही मंजूर किये थे। राज्य क्षेत्र में लगभग एक करोड़ 20 लाख रुपये रखे गये थे जबकि 90 लाख रुपये ही मंजूर किये गये हैं। अत चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए लगभग दो करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। मैं सभा के समर्थन से देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए और अधिक धन जुटाने का प्रयत्न करूंगा।

मैं माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र झा से इस बात पर सहमत हूं कि माइक्रो-फिल्म्स तैयार की जानी चाहिए। आधुनिक पुस्तकालयों का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि पुरानी पाण्डुलिपियों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाये जाने चाहिएं।

पुस्तकालय में अन्य भाषाओं की पुस्तकें रखने का प्रयास किया जायेगा। उर्दू के विकास के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्दू साहित्य के विकास के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। इस प्रयोजन हेतु एक बोर्ड स्थापित किया है। इस पुस्तकालय में उर्दू की और अधिक पुस्तकें रखने की व्यवस्था की जायेगी।

माननीय सदस्य श्री यशपाल सिंह ने धर्म तथा ईश्वर की बात कही है। मेरे विचार में इन सब बातों का विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे विचार में यह एक धर्म निरपेक्ष पुस्तकालय होगा।

विधेयक में पुस्तकालय प्रशासन आदि में अनुभव रखने वाले आठ व्यक्तियों के नामांकन की व्यवस्था है। परन्तु ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा। यहां "यथासम्भव" शब्द का प्रयोग किया गया है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत साहित्य में निपुण व्यक्तियों को बोर्ड का सदस्य बनाया जाये। मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि वहां पर कुप्रबन्ध न हो। परन्तु मैं इसकी शत प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकता। मैं इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था बनाने का पूरा प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पटना स्थित खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके प्रशासन तथा कतिपय अन्य संसक्त विषयों का उप्रबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ]

[The motion was adopted]

खण्ड 2

Clause 2

खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

I want that the word "Public should be substituted by the word" National", as we are going to declare it as an institution of national importance. This is quite compatible.

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह पुस्तकालय पहले ही राष्ट्रीय महत्व की संस्था है । अतः इसके पुराने नाम को बनाये रखना ही उचित है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 6 was put and negatived.

खण्ड 2 तथा 3

Clauses 2 and 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 4

Clause 4

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 7 में प्रस्तुत करता हूँ ।

By this amendment also I want the word "Public" to be substiuted by the word "National".

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस बारे में अपनी राय पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 7 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

Clause 5

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 8, 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं ।

In my amendment No. 8 I have stated that Union Education Minister should also be a member of the Board of the Library.

In my other amendment I have stated that no member of the Khuda Baksh family should be nominated to the Board as it will be a national library.

In my third amendment No. 10 I have stated that only prominent Scholars should be nominated to the Board irrespective of the fact whether the Scholar has the experience of administration or not.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं श्री शिवचन्द्र झा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री के बजाय केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किये जाने वाले व्यक्ति पुस्तकालय के काम में अधिक रुचि लेंगे ।

खुदाबख्श परिवार के किसी सदस्य को बोर्ड का सदस्य बनाना एक अच्छी बात होगी ।

जैसाकि मैं पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ मैं श्री झा के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता । परन्तु मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि पुस्तकालय का प्रबन्ध पुस्तकालय विशेषज्ञों तथा विद्वानों के हाथ में ही होगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8, 9 और 10 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 8, 9 and 10 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

Clause 6

श्री शिवचन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 3 पंक्ति 16

"सरकार" "Government" शब्द के पश्चात "और राज्य सरकार को" "and to the State government" शब्द रखे जायें ।"

मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूँ ।

सभापति महोदय : ये संशोधन तथा खण्ड सभा के समक्ष हैं ।

Shri Shiv Chandra Jha : In my amendment No. 11 I have stated that any out going member of the Board should send a copy of his resignation to the State Government also.

In the other amendment I have stated that no person should by renominated to the Board as it will be a wrong practice.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे संशोधन संख्या 11 स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मूल विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति को पुनः नामांकित किया ही जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3 पंक्ति 16

"सरकार" "Government" शब्द के पश्चात "और राज्य सरकार को" "and to the State Government" शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 12 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 और 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गये।

Clanse 7 and 8 were added to the Bill.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी।

स्थगन प्रस्ताव—जारी

MOTION FOR ADJOURNMENT—*Contd.*

भारत का रबात में हुए इस्लामिक सम्मेलन में भाग लेना

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

मैं चाहता हूँ कि मेरा समय श्री आचार्य कृपालानी को दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस अनुरोध को स्वीकार करता हूं।

श्री जी० बी० कृपालानी (गुना) : मैं यहां जो कुछ कहूँगा उसको मुस्लिम देशों तथा अरब लीग के विरुद्ध नहीं समझा जाना चाहिए। हमारा झगड़ा केवल अपनी सरकार से है। रबात में जो सम्मेलन हुआ वह मुस्लिम देशों का एक शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन को बुलाने के पीछे सऊदी अरब का हाथ था।

इस सम्मेलन में मुस्लिम देशों के नरेशों तथा उनकी सरकारों को ही आमंत्रित किया गया था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी सरकार स्वयं को मुस्लिम क्षेत्र का बताती है परन्तु यह देश मुस्लिम क्षेत्र में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि नेपाल में कोई हिन्दू सम्मेलन होता है तो क्या हमारी सरकार वहाँ पर कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजेगी ? रबात सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश की मुस्लिम जनता भी जोर नहीं दे सकती।

इस सम्मेलन में आमंत्रित सीरिया तथा ईराक जैसे शुद्ध अरब देशों ने भी अपनी राष्ट्रीयता के कारण इस सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया था। इनके अतिरिक्त युगोस्लाविया, नाइजीरिया तथा तंजानिया ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने से इंकार कर दिया था।

दो गैर-मुस्लिम देशों, अर्थात सेनीगाल तथा सिआरा लिओन ने कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ही इसमें भाग लिया था। क्या हमारी सरकार भी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहती थी ?

हमारे देश को पहले आमंत्रित नहीं किया गया था। नई दिल्ली स्थित उनके दूतावासों से सम्पर्क स्थापित कर निमंत्रण प्राप्त किया गया। इसके बाद मुस्लिम देशों में स्थित अपने दूतावासों को तार दिये गये कि वे सम्बन्धित सरकारों से सम्पर्क स्थापित कर निमंत्रण पत्र प्राप्त करें।

शाह हुसैन का कहना है कि "भारत ने निमंत्रण के लिए हमें विवश कर दिया।" यह भी कहा गया है कि निमंत्रण सर्वसम्मति से दिया गया था। किन्तु यह कैसे कहा जा सकता है कि निमंत्रण सर्व सम्मति से ही दिया गया था। यदि किसी बात पर 10 व्यक्ति हर्ष प्रकट करते हैं तो लगता है कि सम्पूर्ण सदन उनके साथ है किन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस प्रकार जय ध्वनि करना उपयुक्त नहीं है। साथ ही यदि भारत को निमंत्रित किया था तो कोई लिखित निमंत्रण पत्र होना चाहिए। किन्तु इस मामले में तो केवल राजदूत को यह सूचना दी गई थी कि भारत को निमंत्रित किया गया है।

यह भी कहा जाता है कि हमारे प्रतिनिधियों ने अरबों को यह विश्वास दिलाया था कि सम्मेलन में जो भी संकल्प पारित किया जायेगा भारत को वह मान्य होगा। बड़े आश्चर्य तथा दुःख की बात है कि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित होने वाले किसी भी संकल्प को कोई देश मानने के लिए बाध्य हो। यह तो हमारी प्रभुसत्ता का अपहरण है। कहा जाता है कि इससे इंकार किया गया था और यदि किया गया था तो उस इंकार का क्या हुआ। कहते हैं इसको प्रकाशित नहीं किया गया। आश्चर्य है कि फिर भी आप इस सम्मेलन में भाग लेने को लालायित थे।

हमारे प्रतिनिधि श्री फखरुद्दीन अली अहमद का औपचारिक रूप से स्वागत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि उनको अन्य प्रतिनिधियों के साथ ही रहने को स्थान नहीं दिया गया। मलयेशिया के प्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मेलन में भाग न लेने की भी सलाह दी थी किन्तु उन्होंने कहा कि 'मुझे निमंत्रण मिला है अतः मैं अवश्य जाऊंगा। बाद में अचानक उन्होंने सम्मेलन में जाने से इंकार कर दिया। कहा जाता है कि उनको समय पर भोजन भी नहीं मिला। वह भारत भी इंगलैंड के रास्ते से आये।

सरकार का तर्क है कि हम इस सम्मेलन में इस कारण गये थे कि वहाँ राजनीतिक संकल्प पारित होने की सम्भावना थी। किन्तु क्या हम ऐसे अन्य सम्मेलनों में भाग लेते हैं। श्री जवाहर लाल नेहरू के ही समय से सरकार यह घोषणा करती आ रही है कि हम किसी भी सैनिक संधि या क्षेत्रीय स्तर की संधियों में भाग नहीं लेना चाहते। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सम्मेलन को बुलाने का यह ध्येय नहीं था कि इजराइल के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई संधि की जाय ? वास्तव में यह कार्यवाही भी वारसा संधि या 'सीटो' या 'सेन्टो' आदि की श्रेणी में ही आती है यदि सरकार इन संधियों में भाग लेने को तत्पर होती तो उसका वहां अच्छा स्वागत हुआ होता।

हमारे प्रतिनिधि ने जो वक्तव्य दिया है उससे प्रतीत होता है कि उनका वहां अपमान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी विदेश नीति का पुनर्निर्धारण होना चाहिए किन्तु क्या यह उनके सामर्थ्य की बात है कि वह ऐसा कह सकें ? इस बात पर उन्हें उनके एक कनिष्ट साथी ने रोक लिया क्योंकि यह युग ही युवकों का है।

सरकार का कहना है कि सम्मेलन में जाने से उन्हें लाभ हुआ है किन्तु क्या लाभ हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता है।

यदि घोषणापत्र को ध्यान से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्मेलन नितांत साम्प्रदायिक सम्मेलन था तथा इस्लाम धर्मावलम्बियों का था। किन्तु सरकार ने इस दस्तावेज को अभी तक प्रकाशित नहीं किया है। वास्तव में भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था।

प्रधान मंत्री का कहना है कि हमारा रबात सम्मेलन में जाना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना गाँधी जी का खिलाफत आन्दोलन में भाग लेना था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा जैसे सिद्धान्तों के समान ही मूल्यवान बताया गया था।

गांधी जी ने कहा था कि 'मेरे पड़ौसी संकट में हैं तथा उनकी सहायता करना मेरा कर्त्तव्य है।' उनका यह भी कहना था कि राजनीति में किये गये वायदों को तोड़ना नहीं चाहिए किन्तु आज संसार में तथा स्वयं काँग्रेस में भी 1951 से वायदों को तोड़ा जा रहा है। यह देखा गया है कि यदि आज व्यक्ति इस ओर है तो कल उस ओर हो जाता है।

गांधी जी खिलाफत आन्दोलन में भाग लेने से पूर्व मौलानाओं आदि से कहा कि यदि वे सत्य और अहिंसा को अपनाते हुए आन्दोलन चलाने को तैयार हैं तो मैं आपका प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। किन्तु उन लोगों ने कहा कि हमारे कुरान में कहा गया है कि यदि सद कार्य के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़े तो यह अनुचित नहीं है अतः हम इस शर्त को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इस पर गांधी जी ने उन्हें समझाया कि कुरान में यह भी नहीं कहा गया कि हिंसा का सहारा लेना आवश्यक है और इससे वे लोग सहमत हो गये। प्रधान मंत्री स्वयं की महात्मा गांधी के साथ तुलना करती हैं। परन्तु उनमें गांधी जी जैसे गुण नहीं हैं।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी तथा सिंडीकेट में गठबन्धन हो गया है। यह सांठगांठ सम्भवतः राहू नक्षत्र में हुई थी।

आचार्य कृपालानी जी ने कांग्रेस के विरुद्ध बहुत सी बातें कहीं हैं। किन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि जब गांधी जी मुसलमानों के साथ मिलकर खिलाफत आन्दोलन में भाग ले सकते थे तो मुसलमान देशों के सम्मेलन में हमारा भाग लेना असंगत कैसे कहा जा सकता है। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 600 लाख मुसलमान बसते हैं।

यह कोई पहला अवसर नहीं है जब भारत ने ऐसे सम्मेलन में भाग लिया है। हम इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग इसलिए लेते हैं कि कहीं पाकिस्तान, जो कि हमारा निकटतम शत्रु हैं, ऐसे सम्मेलनों में भारत के विरुद्ध कोई अनुचित प्रचार न कर सके। पाकिस्तान इस प्रकार से बहुत बार प्रचार करता रहा है। मक्का में एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ था तथा उसमें दिल्ली के महापौर श्री नूरुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में एक गैर-सरकारी शिष्टमण्डल गया था जिसके कारण काश्मीर समस्या के संबंध में भारत के विरुद्ध कोई संकल्प पारित नहीं किया जा सका। पंडित नेहरू तथा मौलाना आजाद द्वारा निर्धारित मार्ग के अनुसार हम इस प्रकार के धार्मिक सम्मेलनों में व्यक्तिगतरूप से भाग ले सकते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अन्य ऐसे सम्मेलनों में भी भारत की ओर से सरकारी शिष्टमण्डल भेजा जा सकता है। **(व्यवधान)**

महोदय ? भारत के इस सम्मेलन में भाग लेने का परीक्षण इस आधार पर होना चाहिये कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय सम्मान का क्या हुआ। बहुत से देशों में इस्लाम धर्म है तथा यह हमारे हित की बात है कि उन देशों से धर्म निरपेक्षता तथा प्रगति को ध्यान में रख कर मित्रता बनाई जाय। हमें यह देखना है कि कहीं पाकिस्तान उन देशों का अगुआ बनकर उनमें भारत के विरुद्ध कोई द्वेष भावना न भरे। ये धर्म निरपेक्षता के दामी उस समय कहां थे जब भारत ने बुद्ध भगवान की 2000वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था। गुरु नानक की 500वीं वर्षगांठ मनाने वाली संस्था के प्रधान मंत्री अध्यक्ष हैं। डा० कर्ण सिंह ने हिन्दू धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था। किन्तु इन अवसरों पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। स्पष्ट है ये लोग भारत को प्रगतिशील आर्थिक नीतियों से हटाना चाहते हैं।

अन्य कई ऐसे राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में भाग लिया जहां मुसलमान जनता बहुत कम है।

अहमदाबाद में हुई घटना के कारण ही पाकिस्तान को हमारा अपमान करने का अवसर मिला। अतः अहमदाबाद की समस्या का प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों के समाचार पत्र तथा सिंडीकेट और स्वतन्त्र तथा जनसंघ दलों के सदस्यों का ध्येय भारत सरकार को नीचा दिखाना है तथा भारत के सम्मान को कलूषित करना है।

पाकिस्तान 'सीटो' और 'सेन्टो' का सदस्य है तथा वह गुट रहित राष्ट्रों के सम्मेलन में भी भाग लेना चाहता है। वह चाहता है कि भारत विश्व के सभी राष्ट्रों से पृथक होकर रहे किन्तु वह स्वयं चीन, रूस तथा अमरीका आदि देशों से मित्रता बनाये रखना चाहता है। मुझे खेद है कि इन लोगों ने जो इजरायल के मित्र हैं उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई जब गांधीजी के बारे में 'न्यू यार्क टाइम्स' में बड़ी भद्दी कहानी गढ़ी गई। उसमें यह भी प्रकाशित किया गया था कि यदि गांधी जी भारत में न होते तो भारत को बहुत पहले स्वतन्त्रता मिल गई होती। ये लोग इजरायल के इस कार्य की निन्दा नहीं करते कि अल अक्स मस्जिद को फूंक दिया गया। अन्त में मैं इन लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ कि यदि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की इसी तरह हिमायत की गई तो इनकी भी वही दशा होगी जो विश्व के अन्य ऐसे ही व्यक्तियों की हुई है।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) रबात सम्मेलन को पहला इस्लामी शिखर सम्मेलन कहा गया था। भारत ने वहाँ पर जो भी भूमिका अदा की हो हम आज केवल उसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं अपितु हमें चिंता इस बात की भी है कि भविष्य में हमारे लिए जो खतरा आ सकता है उसको टाला जाय। ज्ञात हुआ है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्रियों की अगले वर्ष मार्च के महीने में फिर बैठक होने वाली है तथा प्रश्न यह है कि क्या भारत उस बैठक में भी भाग लेगा ? यद्यपि अब प्रधान मन्त्री को लज्जित होना पड़ा परन्तु ऐसा अन्य देशों में भी होता है। अब यहां प्रश्न तो यह है कि सरकार ने अब तक किस नीति का अनुसरण किया है तथा वह भविष्य में किस नीति का अनुसरण करेगी।

इस इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो कसोटियां निर्धारित की गई थीं। इनके अनुसार इस सम्मेलन में वही देश भाग ले सकता था जिसका राज्याध्यक्ष मुसलमान धर्मावलम्बी हो या उसकी बहुसंख्यक जनता मुसलमान हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा देश इन कसौटियों पर खरा उतरता है ?

महोदय ! कार्य सूची में दो मुख्य बातें थीं। एक प्रश्न अल अक्स मस्जिद के अपवित्र किये जाने के बारे में था तथा दूसरा प्रश्न पश्चिम एशियाई देशों के संकट के बारे में था।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है इस बारे में काला कंकर के राजा साहेब ने इस सदन की राय भली-भांति व्यक्त कर दी है। मस्जिद को अपवित्र किये जाने का प्रश्न बड़ा ही गम्भीर है। वह स्थान हम सभी के लिए पावन है तथा हमें इस बारे में समान दुःख है। भारत की आवाज को संयुक्त राष्ट्र में भी प्रभावपूर्ण ढंग से उठाया जा चुका है।

जहां तक अरब और इजरायल के पारस्परिक विवाद का प्रश्न है इस बारे में हमारी

स्थिति स्पष्ट है। हमने अपनी स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ही इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो इस सम्मेलन में ही कौन से नये सुझाव प्रस्तुत करने थे? आप अधिक से अधिक इतना ही कर सकते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किये गये संकल्प पर फिर से बल देते। संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार से विश्व-संसद है जिसमें संकल्प पास किया गया था और उसे कार्यान्वित कराने के बारे में भी पूरा बल दिया गया था। किन्तु जिस कार्य को रूस, अमरीका तथा फ्रांस जैसे देश नहीं कर पाये क्या उसको इस सम्मेलन द्वारा पूरा करने की सम्भावना थी?

इस सन्दर्भ में यह भी बताया गया कि अरब में प्रगतिशील शक्तियां कार्य कर रही हैं और चूंकि उन्होंने हमें नियन्त्रण दिया है और चूंकि वे हमारे मित्र हैं अतः हमें सम्मेलन में भाग लेना ही चाहिये था। किन्तु इस बारे में मेरा अनुरोध है कि ईराक तथा सीरिया ने इसमें भाग नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वे देश प्रगतिशील नहीं हैं? प्रधान मन्त्री केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रगतिशील मानती हैं जो उसके विचारों से सहमत हों। शेष व्यक्ति चाहे जितने प्रगतिशील हों उनको वह इस श्रेणी में नहीं रखती। श्रीमती गांधी अपनी इस नीति को न केवल अपने देश में ही अपना रही है अपितु विश्व राजनीति में भी इसी नीति का अनुशरण करना चाहती हैं।

घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया था कि "हमें विश्वास है कि धर्म एक धर्मावलम्बियों को परस्पर लाने में तथा उनमें समान भावनाओं को तीव्र करने में एक शसक्त आधार है।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां कितनी आश्चर्यपूर्ण प्रगतिशीलता थी। जो इस प्रगतिशीलता का अनुमोदन करते हैं उनकी विचारधारा पर आश्चर्य है।

सम्मेलन में 19 गणराज्यों के प्रतिनिधियों ने तथा 6 बादशाही देशों ने भाग लिया किन्तु वास्तव में यह सम्मेलन बादशाहों का सम्मेलन था तथा वे प्रगतिशील देशों तथा गणराज्यों को जाल में फंसाना चाहते थे। भारत की ओर से श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने भाग लिया तथा उनको भारत की मुसलमान जनता का प्रतिनिधि बताया गया।

जहां तक गुजरात में घटी घटना का प्रश्न है यह हम सभी के लिए गहन दुःख तथा लज्जा की बात है किन्तु दुःखद घटना केवल भारत में नहीं घटी। नाइजीरिया तथा मलेशिया के प्रतिनिधि में जिस समय श्री फखरूद्दीन को अपनी सलाह दे रहे थे उसी समय नाइजीरिया में मुसलमानों तथा ईसाइयों की हत्या की जा रही थी तथा अब भी उनकी हत्या की जा रही है। इसके अतिरिक्त चाड गणराज्य नीगरों लोगों के हाथ में है तथा वे लोग अरब भी चाडों की हत्या कर रहे है। मेरे कहने का आशय यही है कि इस प्रकार की दुःखद घटनाएं विश्व के अन्य देशों में भी हो रही हैं। किन्तु हमें अपने दे ा की दुःखद घटना के बारे में अत्यन्त कष्ट हुआ है तथा हमने इस घटना को लज्जाजनक माना है।

अरब की शरणार्थी समस्या के प्रति हमें गहन चिंता है। वहां शरणार्थियों की संख्या लगभग 800,000 हैं। हमारे यहां की शरणार्थियों की समस्या है तथा हमारे देश में भी लगभग 150 लाख शरणार्थियों हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे निज देश में से कितने देशों ने हमारी

इस समस्या के प्रति चिंता व्यक्त की है ? हमारे यहां गुजरात में जो कुछ हुआ वह लज्जाजनक है किन्तु हम यह नहीं सह सकते कि उसके बारे में अन्य देश कोई निर्णय दें ।

इस प्रकार की घटनाएं बैलजियम तथा कनाडा जैसे पूर्णतः विकसित देशों में भी हो रही हैं । कीनिया में आदिम जातियां परस्पर लड़ रही हैं । हम ऐसी घटनाओं को रोकने के बारे में दृढ़ संकल्प है किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि यह घटना सरकार की गलत तथा मूर्खतापूर्ण नीति के कारण हुई है ।

अरब-इजराइल विवाद के बारे में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है । यह कहा गया कि हम इजरायली आक्रमण का विरोध करते हैं । इजरायल को हथिया गया इलाका खाली कर देना चाहिए । साथ ही हमारा यह भी कहना है कि इजराइल को अपनी सीमाओं में सुरक्षित रहने का पूर्ण अधिकार है । यह तो दोहरी नीति हुई एक ओर हम उत्तर वियतनाम में अपना राजदूत नियुक्त करना चाहते हैं और दूसरी ओर दक्षिण तथा उत्तर वियतमान दोनों को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना चाहते हैं लाओस के प्रधान मन्त्री हमारे देश में सहायता प्राप्त करने के लिए आये किन्तु उन्हें क्या सहायता देने का वचन दिया गया उसके बारे में प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री ने हमें कुछ नहीं बताया । मैं स्वीकार करता हूँ कि वियतनाम के लोगों को अपने भविष्य के बारे में फैसला करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा किसी भी राष्ट्र को इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । किन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर वियतनाम की सेना भी लाओस में नहीं रहनी चाहिए ।

आज अल फतह वाले क्या चाहते हैं वह यह चाहते हैं सम्पूर्ण फिलस्तीन का पुनर्निर्माण हो तथा इजरायल समाप्त हो जाय । इजराइल को हम पसंद करें या न करें किन्तु चूंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है अतः क्या हमारी भी उसके बारे में ऐसी ही नीति होनी चाहिए ? हम इजरायली आक्रमण की निन्दा करते हैं किन्तु क्या हम यह भी चाहते हैं कि उस देश को विश्व के मानचित्र से समाप्त कर दिया जाय ?

पाकिस्तान ने जोर्डन में अपनी सेना भेज रखी है मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार भी अरब में अपने सैनिक सलाहकार भेजना चाहेगी तथा इजरायल के विरुद्ध लड़ने में रूसी सलाहकारों की सहायता करेगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : वास्तव में उन्होंने ईजरायल के विदेश मंत्री से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी ।

श्री अशोक मेहता : उन्होंने ठीक ही किया । वास्तव में उन्हें सभी विदेश मंत्रियों को मिलना चाहिये । रबात की घटना के बाद ही बातचीत की सम्भावनाएं पैदा हो गई । वस्तुस्थिति यह है कि हमारे विदेश मत्री रबात में जो जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते और न ही वह जिम्मेदारी से बच सकते हैं । इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है परन्तु दंड जोर्डन को दिया जा रहा है । यह अजीब नीति है । कुछ भी हो; यह एक गलती थी ।

मुसलमानों के प्रति हमारी सहानुभूति और सद्भावना है । इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान

हमारे लिये भी पवित्र हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हम इस प्रकार के सम्मेलन में भाग लेते हैं तो भारत के धर्मनिरपेक्ष रहने के सिद्धान्त और भारत की एकता पर कुठाराघात होता। अतः रबात के सम्मेलन में जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी यह कोई मामूली हार नहीं थी। सरकार को इस गम्भीर गलती को स्वीकार करना चाहिये और कहना चाहिये कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

श्री सन्त बख्श सिंह (फतेहपुर) : श्री अशोक मेहता का कहना है कि ईराक और सीरिया की अनुपस्थिति का हमारे निर्णय के साथ कोई सम्बन्ध है। वस्तुतः ईरान की उपस्थिति के कारण ईराक सम्मेलन में नहीं गया था और फेलस्टाइन लिब्रेशन आर्गनाइजेशन को छोड़ दिये जाने के कारण सीरिया ने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारत के आसपास बहुत से मुसलमान देश हैं जिनके साथ भारत की मित्रता है। अल अक्स मस्जिद के जलने से हमें बहुत दुखः हुआ हमें सर्व सम्पति से निमंत्रण-पत्र भेजा गया था। हमारे राजदूत सरकार गुरबख्श सिंह ने मुसलमान देशों के राज्याध्यक्षों के समक्ष भाषण भी दिया था और उनमें पाकिस्तान के राष्टपति भी उपस्थित थे उस समय सम्मेलन में हमारे भाग लेने का किसी ने विरोध नहीं किया था। वर्ष 1947 से पाकिस्तान मुसलमान देशों के सम्मेलन करने के लिये प्रयत्नशील रहा है और भारत के विरुद्ध प्रचार करता रहा है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर राजनीतिक मामलों की चर्चा करने का प्रयत्न करता रहता है। अतः भारत ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने के प्रयत्न करता रहेगा।

पश्चिम एशिया में दो प्रकार की शक्तियां हैं साम्प्रदायिता वादी तथा प्रतिक्रियावादी जहां तक रबात सम्मेलन का सम्बन्ध है इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि सम्मेलन के अन्त में जारी की गई विज्ञप्ति में हम शामिल नहीं थे। प्रगतिशील शक्तियों के लिये यह दुर्भाग्य की बात है और यह प्रोत्साहन उनके लिये है जो सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हुए और मुसलमानों को अलग-अलग समुदाय समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो उसमें कसूर किसका है ? इन परिस्थितियों में भारत का दृष्टिकोण सही था।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Government should have apologised to the people of this country for inviting this humiliation to the nation, because our policy is responsible for this situation. The conference of Rabat was an Islamic conference which was convened to discuss the problems of Islamic countries. India was not an Islamic country and her participation in that conference cannot be justified. India have been sending unofficial delegations to such conference. But this is the first occasion when Government of India sent a Government delegation. The Government should clasify as to why the policy of sending non-official delegations to similar Islamic conferences has been given up.

There is a huge number of Muslims living in India, enjoying rights of citizenship like others and in case they have any problems, these can be discussed within the country but there is no need of sending Government delegations to such conferences.

When an Islamic conference was convened in Cairo after the Suez crisis in 1955-56, Pandit Jawahar Lal Nehru said that we should not send a Government delegation there. Even when Dr. Zakir Hussain was approached to send a Government delegation to Islamic conference, he told the conveners of the conference : Ours is a secular country. May I know the basis on which that policy has been changed ? In fact our policy was that there should be no muslim block but now we want to get into it. In case of Rabat we asked for invitation, but it is now being said that we were invited unanimously. But how this

unanimous invitation was changed ? We have been told that there was over-night pressure on the President of Pakistan that India should not be invited. How can it be possible in a country where there is dictatorship and not democracy and when in our democratic country we cannot get things done like that ? In fact this unanimous invitation was a conspirary to humiliate us. Had we not gone there, we should have not been humiliated.

It is a wrong to suggest that we would not have been humiliated had there been no riots in Ahmedabad. There were riots in Ahmedabad on 19th and Rabat conference was held on 25th when the riots had been over. Is it not possible that the same elements may be responsible for the riots in Ahmedabad who wanted to humiliate India in Rabat ? It is a matter of profound regret that even our best friends, for which we have given up our basic policy, could not come to our rescue when we were humiliated in Rabat. May I know what United Arab Republic had done in Rabat conference ?

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

Did they say even once that a country, which had been invited unanimously, could not be sent back and if it was done they would also leave the conference ? I am sorry that U. A. R. have not kept up their friendship. We are not against our friendship with United Arab Republic, but at the same time we should not have enmity with Israel. Regional Groupism is allowed in U. N. Charter but not religious groupism.

The Prime Minister has stated that we want to attend Rabat conference because political issues were to be discussed there but when Islamic countries discuss political issues then we should not attend that conference, because it is against the policy of secularism. The people of this country cannot tolerate this humiliation.

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : यह कहा गया है कि रबात सम्मेलन में जाना हमारी नीति के विरुद्ध था।...(व्यवधान) हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर बनाई गई है। ...(व्यवधान) हमारा एक बुनियादी सिद्धान्त है और वह यह कि आंतरिक राजनीति तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हमें धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिये। दूसरा बुनियादी सिद्धान्त यह है कि यदि कोई देश किसी अन्य देश पर आक्रमण करता है तो हमें उसकी निन्दा करनी चाहिये। अतः हमारी नीति कोई नई नीति नहीं है। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन चलाया था तो उनके सामने कोई धार्मिक पहलू न होकर मानवता का पहलू था। हम इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इस सम्मेलन के सम्बन्ध में यह आश्वासन प्राप्त कर लिया गया था...

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : निमंत्रण भेजे जाने से पहले।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या आप निमंत्रण-पत्र सभा-पटल पर रख सकते हैं ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद :...कि यदि निमंत्रण दिया गया तभी भारत सरकार सरकारी स्तर पर भाग ले सकेगी क्योंकि यह सम्मेलन ऐसा था जिसमें देशों के राज्याध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री भाग ले रहे थे। वे किसी सरकारी प्रतिनिधिमंडल को सम्बद्ध नहीं करना चाहते थे। इस लिये माननीय सदस्य का यह कहना अनुचित है कि हमें केवल एक समुदाय विशेष के सदस्यों के

रूप में भाग लेना चाहिये था न कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इसका कारण उनको जानकारी न होना है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गौंडा) : यदि देशों के अध्यक्ष भाग ले रहे थे तो प्रधान मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल क्यों नहीं भेजा गया ? क्या उन्हें मुसलमान होने के नाते चुना गया था ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसका निर्णय तो प्रधान मन्त्री ने करना था कि वह स्वयं जायें अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भेजें ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : आश्वासन किस ने दिया था ? क्या वह उसे सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक इन विशिष्ट मामलों का सम्बन्ध है मेरे विचार में वैदेशिक-कार्य मन्त्री जानकारी दे सकेंगे ...(व्यवधान) ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : यह सम्मेलन सरकारी स्तर पर हुआ था । दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम्मेलन की कार्य-सूची को देख कर माननीय सदस्यों को पता चल गया होगा कि सम्मेलन में किसी धार्मिक मामले पर विचार नहीं किया गया था । उसमें तो केवल अल अक्स मस्जिद के जलाये जाने और युरोशलम की स्थिति के परिवर्तन के प्रश्नों पर चर्चा की गई थी । इसके साथ-साथ अन्य मामले भी थे, परन्तु मुख्य प्रश्न यही दो थे । मेरा स्पष्ट रूप से यही कहना है कि इन दोनों मामलों के अलावा अन्य किसी मामले पर विचार नहीं हुआ था ।

श्री कृपालानी जी द्वारा उठाए गए मेरे साथ दुर्व्यवहार के प्रश्न के बारे में मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें या तो इस बात की जानकारी नहीं है या वह इस मामले से सम्बद्ध जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं । मुझे वहाँ आदर और सम्मान मिला है ।

कहा गया है कि मुझे एक मकान में रखा गया । इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो मकान दिए गए थे वे सब प्रत्येक राष्ट्र के प्रमुख को उसकी अपनी इच्छा के अनुसार ही दिए गए थे । शिष्ट मण्डल के अन्य सदस्यों को होटलों में ठहराया गया था । शिष्टमण्डलों के प्रमुखों को बंगले दिए गए थे, और मुझे भी वही सुविधाएं प्रदान की गई थीं । माननीय सदस्य का कहना है कि मुझे मकान नहीं दिया गया, पानी देने से इन्कार किया गया । मैं नहीं जानता कि उन्हें इस प्रकार के समाचार कहां से और कैसे मिले । इनमें कोई सत्यता नहीं है और मैं इनका स्पष्ट रूप से खण्डन करता हूँ ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : श्री दिनेश सिंह द्वारा अपनाई गई विदेश नीति और मेरे कथन में कोई मतभेद नहीं था । मैंने कहा था कि हमें उत्तेजित होकर कोई निर्णय नहीं करना

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

चाहिए। हमें अपनी आधार भूत नीतियों को गुस्से में आकर छोड़ना नहीं चाहिए। रबात के सम्बन्ध में मैंने कहा कि में कुछ देशों के व्यवहार के प्रति अपने रुख का पुन निर्धारण करना चाहिए। यह बात हमारी नीति के तथा श्री दिनेश सिंह जी के वक्तव्य के प्रतिकूल नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों का यह कथन गलत है कि मैं वहां जाने को बहुत उत्सुक था अथवा वहां जाने के लिए मैंने किसी न किसी प्रकार से निमंत्रण प्राप्त किया। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि जब मेरे मित्र, वैदेशिक-कार्य मंत्री ने मुझे वहां जाने के लिए कहा तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे डाक्टरों ने मुझे इतनी लम्बी यात्रा करने को मना किया था, फिर भी मुझे वहां जाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि मेरा वहां जाना लाभदायक ही रहा। अन्यथा वहां भारत के विरुद्ध बहुत सी बातें कही जातीं और अहमदाबाद की घटना से फायदा उठाया जाता। ...(व्यवधान) संयुक्त अरब गणराज्य ने हमारा साथ दिया। मैं यह भी कह हूँ, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी आरोप लगाएं हैं ...(व्यवधान) सम्मेलन के दूसरे दिन प्रातः ही भारत को सम्मेलन में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ और हमारे राजदूत को इस निमंत्रण की सूचना दे दी गई थी।

मेरे वहाँ पहुँचते ही सर्वप्रथम मोरक्कों के नरेश का मंत्री मुझसे मिला और मुझ से कहा कि मैं सम्मेलन की बैठक में शामिल न होऊं। और मोरक्को के नरेश की ओर से एक शिष्ट मण्डल मेरे पास आया, जिसमें अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री, संयुक्त अरब गणराज्य के उप-प्रधान मंत्री भी शामिल थे, और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं सम्मेलन में शामिल होऊं। उन्होंने मेरे सम्मुख चार प्रस्ताव रखे पहला था कि मैं स्वेच्छा पूर्वक सम्मेलन में शामिल न होऊं। दूसरा था कि यदि मैं शामिल होता हूँ तो प्रेक्षक की हैसियत से, तीसरा था कि मैं बीमारी का बहाना कर लूं और चौथा था कि यदि मैं मुस्लिम प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मेलन में शामिल होता हूँ तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने सारी शर्तों को मानने से इंकार कर दिया क्योंकि यह निमंत्रण धर्मनिरपेक्ष भारत सरकार को दिया गया था। यदि निमंत्रण को अस्वीकार किया जाता है तो सम्पूर्ण सम्मेलन इस आशय का प्रस्ताव पास करे। केवल नरेश अथवा कुछ व्यक्तियों को मुझे सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु मुझे बताया गया था कि यह अनुरोध केवल मेहमान नवाज मोरक्को के नरेश की ओर से है और यह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं इसे मानूं अथवा नहीं। मैंने इस मामले को सम्मेलन में रखने को कहा था परन्तु ऐसा हुआ नहीं। यदि यह मामला सम्मेलन में रखा जाता तो इस प्रस्ताव को बहुमत से ठुकरा दिया गया होता।

श्री बलराज मधोक : क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने इस मामले को सम्मेलन में रखने पर जोर दिया था?

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the final declaration adopted by the conference, reference was made to "Indian Muslims". Did U.A.R. object to that?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जब प्रस्ताव स्वीकृत किया गया उस समय संयुक्त अरब गणराज्य का प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित नहीं था, क्योंकि वह बैठक से बहुत रोष में आकर उठकर चला गया था और 15 या 20 मिनट बाद प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। इसमें हमारे लिए लज्जा की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारी वहां उपस्थिति से वह लोग हमारे आन्तरिक मामलों पर चर्चा नहीं कर पाये।

संयुक्त अरब गणराज्य के स्पष्टीकरण को वैदेशिक कार्य मंत्री आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हमारे विदेश मंत्री कोई पैगम्बर नहीं हैं कि उन्हें यह पता पहले से चल जाता कि निमंत्रण देकर वे हमें सम्मेलन में शामिल नहीं होने देंगे। अन्त में मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारा वहां जाना कोई लज्जा की बात नहीं थी और ना ही यह गलती थी और इसीलिए हमारे क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : आप ने पहले कहा था मंत्री महोदय के भाषण के पश्चात् हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायगी...

सभापति महोदय : अब मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। जो बातें आप अपने भाषणों के दौरान कहेंगे उनका उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्री दे देंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये हैं। जब हमने उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहा तो हमें उस समय रोक दिया गया था। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय उनका स्पष्टीकरण करें।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी के भाषण से यह तो स्पष्ट हो गया है कि रबात में अवश्य ही कुछ कुटनीतिक गड़बड़ हुई थी। इस सम्बन्ध में जो मुख्य आपत्ति यहां उठाई गई है कि वह एक इस्लामी अथवा मुस्लिम सम्मेलन था। और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश को वहाँ जाना नहीं चाहिए था। परन्तु भारत सरकार के दावे के अनुसार भारत को सम्मेलन ने सर्व सम्मति से निमंत्रण दिया था। जिसके आधार पर हमारे राजदूत तथा श्री फखरुद्दीन अली अहमद सम्मेलन में गए।

सम्मेलन की कार्यसूची के बारे में बताया गया है कि यह सम्मेलन केवल अल अक्स मस्जिद के जलाये जाने और युरोशलम की स्थिति से ही सम्बन्धित था परन्तु जब सम्मेलन आरम्भ हुआ तो कार्य-सूची में फेर बदल कर दिया गया। हम पश्चिम एशियाई राजनीति तथा अरब के हितों के लिए दूसरे देशों से लड़ते आ रहे हैं। सम्मेलन में उस कार्य-सूची पर चर्चा की जानी थी जिसके लिए यदि भारत निमंत्रण स्वीकार करता तो भी भारत की गलती थी और स्वीकार नहीं करता तो भी उसकी गलती थी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

दूसरी बात यह है कि क्या सम्मेलन ने भारत को निमंत्रण लिखित रूप में दिया था। इस प्रश्न पर सरकार का दावा है कि निमंत्रण मिला था। परन्तु तर्क दिया गया है कि निमंत्रण दिया ही नहीं गया। भारत सरकार इसकी पुष्टि करे। यह भी बताया गया है कि हमारे राजदूत ने रबात सम्मेलन में भाषण दिया था। परन्तु राज्य सभा के एक माननीय सदस्य ने भी सम्मेलन में भाग लिया था और उनके अनुसार हमारे राजदूत ने कोई भाषण नहीं दिया। यदि यह सच है

तो भारत सरकार के द्वारा धोखा देने वाले और प्रवंचनात्मक व व्य देना शोभाजनक बात नहीं है। यह बहुत ही खेद जनक और आपत्ति जनक है। मुझे पता लगा है कि बी० बी० सी० रेडियो और फ्रांसीसी रेडियो ने सम्मेलन में प्रति आधे घन्टे के बाद सूचना दी थी कि अहमदाबाद में अल्पसंख्यकों अमानुषिक कत्लेआम तथा साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे। ऐसी स्थिति में यह कहना गलत होगा कि सरकार को सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण अस्वीकार कर देना चाहिए था। इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे निश्चय ही राजनीतिक दलों का हाथ है जिसके कारण मृत्यु की घटनाएं हुई और पाकिस्तान ने इन घटनाओं से रबात में लाभ उठाया। निस्सन्देह भारत ने सम्मेलन में भाग लेकर कोई गलत कार्य नहीं किया। परन्तु यह भारत सरकार का कर्त्तव्य था कि वह सम्मेलन में सरकार तथा अपने देश वासियों की स्थिति को स्पष्ट करती। परन्तु यहां लोगों में इसलिए रोष है कि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को इस इस्लामी सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिए था परन्तु इस विषय में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नितान्त भिन्न है। पाकिस्तान के 'मार्निंग न्यूज' समाचार पत्र का कहना है :-

"The seating of India at the Islamic summit has shocked the people of Pakistan beyond word."

अतः इससे स्पष्ट है कि देश में जो ऐसी भावनाएं फैलायी गई हैं उनके पीछे स्वार्थी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे दल हैं जो अपने आप को राजनीतिक दल घोषित करते हैं परन्तु वे पूर्णरूपेण साम्प्रदायिक दल है और देश की स्थिति को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। कई राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं के भाषणों से देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है, और देश में हुए इन साम्प्रदायिक दगों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं।

देश के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक, तथा संवैधानिक दायित्व ही नहीं है बल्कि उनकी भावनाओं और राजनीतिक धारणाओं का भी आदर करना हमारा कर्त्तव्य है अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ बैठकर देश में साम्प्रदायिक सहिष्णुता कायम रखने के लिए विचार करें। देश में छः करोड़ मुसलमान हैं और उन्हें इस बात का गर्व है कि वे भारतीय हैं और संसार भर में भारत तीसरा देश है जिसमें मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या है। परन्तु यहां जो कुछ हुआ वह देश के लिए अपमान जनक था। हम संसार की आंखों में गिर गए। देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और इस सबके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। वैदेशिक नीति के बारे में मैं यही कहूँगा कि अब समय आ गया है कि सरकार अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करें : प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सरकार इस मामले को ठीक करने के के लिए कटिबद्ध हो गई है क्योंकि सिंडीकेट अब सरकार से अलग हो गया है। हमें प्रधान मन्त्री की वर्तमान सरकार में, इसके समाजवादी कार्य-क्रमों में पूर्ण विश्वास है।

डा० राम सुभग सिंह (बकसर) : हमें देश के हित का ख्याल है। सरकार की कोई नीति सिद्धान्त कार्यक्रम नहीं है।

श्री मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : हमें आप से सहानुभूति है। इस सरकार को हमारा समर्थन सशर्त है।

डा० राम सुभग सिंह : बिना शर्त समर्थन दीजिये ।

श्री मनोहरन यदि प्रधान मन्त्री अपने मार्ग से हट जाती है तो हम समर्थन करना बन्द कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य लम्बे भाषण देने की बजाय सुसंगत वक्तव्य दें तो अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सकता है ।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : Participation of Indian delegation in the Rabat conference has been a subject of criticism. I am glad that the people of the country are alive to the self respect of their country. Our Prime Minister has also termed the happening in Rabat as sad incidents. It is very sad that our delegates were given this sort of treatment. I am sorry that some political parties are using this issue for their own political ends.

The first question is whether it was necessary for India to participate in Rabat conference ? Secondly, whether the treatment given to our delegates lowers the prestige of our country ?

Respectful treatment was not given to the Indian delegates in Rabat. It is for this very reason that the Government of India decided to sever diplomatic relation with Jordan and Morocco.

Some of our friends did not co-operate there.

The conference was not of any military group. India is still sticking to its policies. It is the duty of the Government to respect the feelings of 6 crore muslims living in India. I want to support the Government's policy in this matter.

It is very sad that our political parties have given it a communal colour. We will stick to our foreign policy. It will not be proper if we do not criticise Israel for attacking Egypt. Instead of criticizing Pakistan we are criticizing the Government of India. I am, therefore, of the view that the censure motion against the Government is not proper and it should be rejected.

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : गत चार महीनों में देश में दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं । पहली बात राष्ट्रपति का चुनाव और दूसरी बात भारत द्वारा रबात सम्मेलन में भाग लेना । मैं निर्दलीय संसदीय ग्रुप से सम्बद्ध हूँ और मैं घोषणा करूंगा कि हमारा ग्रुप किसी भी पक्ष के साथ सदा के लिए सम्बद्ध नहीं रहेगा बल्कि हम प्रत्येक स्थिति का गुणदोषों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे।

आचार्य कृपालानी ने इस सम्मेलन में भाग लेने का विरोध इस लिये किया था कि यह एक इस्लामी सम्मेलन था । क्या वास्तव में यह इस्लामी सम्मेलन था ?

सम्मेलन की विषय सूची में निम्नलिखित चार मुख्य विषयों को सम्मिलित किया गया था :—

(1) अत: अक्सा मस्जिद का जलाया जाना (2) जेरूसलम का दर्जा (3) इज़रायल द्वारा कब्जे में किये गये सब क्षेत्रों का वापिस किया जाना (4) फिलस्तीन के शरणार्थियों के अधिकार उन्हें दिया जाना । अब सभा ही इस विषय पर विचार करे कि क्या विषय सूची में दिये गये विषय धार्मिक हैं या राजनीतिक हैं ।

कोला लुम्पुर में हुआ सम्मेलन धार्मिक सम्मेलन था और सरकार ने उक्त सम्मेलन में भाग न लेकर उचित ही किया। लेकिन रबात सम्मेलन एक राजनीतिक सम्मेलन था।

सम्मेलन के लिये निमंत्रण प्राप्त करने के लिये दो कसौटियां थीं एक यह कि देश का राज्याध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए और दूसरे उस देश में मुसलमानों का बहुमत होना चाहिये। इस सम्मेलन की प्रारम्भिक समिति ने इन दो कसौटियों के आधार पर निर्णय किया लेकिन पूर्ण अधिवेशन में भारत को एक मत से आमंत्रण भेजने का निर्णय किया गया। इस निर्णय के अनुसार जिन देशों को निमंत्रण भेजे गये उन सब के राज्याध्यक्ष मुसलमान नहीं थे और ना ही उन सब देशों में मुसलमानों का बहुमत था। यूगोस्लाविया और टनजानिया और अन्य देशों को, जो मुस्लिम देश नहीं हैं, निमंत्रण भेजा गया था। अतः यह कहना कि भारत का रबात-सम्मेलन में भाग लेना अनुचित था, उचित नहीं है।

हमें यह विचार करना होगा कि क्या हम प्रगतिशील शक्तियों और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं अथवा नहीं। यदि हमारा देश प्रगतिशील शक्तियों और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है तो क्या अपने निकटवर्ती देशों की सहायता करना हमारा कर्तव्य नहीं हो जाता? यदि हमारे देश का प्रगतिशील शक्तियों और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है तो हमारा यह कर्तव्य और अधिकार था कि हम रबात सम्मेलन में भाग लें और उन देशों की सहायता करें।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : Some hon. Members were of the view that India had committed a mistake by trying to attend the Rabat conference. But I am of the view that India did nothing wrong by trying to attend the Rabat Conference. It was beneficial to attend the conference.

It was not for the first time that India decided to attend a Muslim conference. It had attended the World Muslim Conference in 1965, Afro-Asian Islamic conference, Muslim World League and the 1969 International Islamic Conference.

It is true that those countries have hurt the feelings of our country.

The first item on the agenda was "the burning of Al Aqsa". All the 60 crores people of India protested against it.

The second item on the agenda was 'The status of Jerusalem'. We have always been trying in U. N. security council that its status should be restored.

The third item on the agenda was "The withdrawal of Israel from all occupied territories". It has been our policy since the very beginning not to allow any country to unlawfully occupy the territory of another country.

The fourth item on the agenda was "the restitution of the rights of Palestenian refugees". We have always been fighting for it.

Pakistan have been trying to defame India in the Arab World and Islamic countries. If India had not gone to Rabat it would have played in the hands of Pakistan.

It we have objection to the world 'Islamic', why we have full fledged deplomatic reletions with Islamic states like Saudi Arbia, Iran and Afghanistan.

It was not wrong on the part of Shri F. A. Ahmed to attend the Rabat conference. We should agree to the steps taken by the Government.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : We should give due respect to religious places. A question has been raised as to why India went to Rabat. This donates mere parochialism. I do not know what is wrong in taking a progressive step. It was proper for India to go to Rabat to take part in the discussion on an issue which had hurt the feelings of

our 6 crore people of this country. In fact Pakistan wanted to subotage the friendly relation between India and other Islamic countries but how can India allow them to do so. We have also felt strongly about one or two incidents, but we cannot change our foreign policy on that account. We have to think of national interest in the first instance. We have maintained our diplomatic relations with Pakistan and China in spite of the fact that they attacked our territorry. In the end I want to say that our foreign policy has been successful and therefore I oppose this adjournment motion.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : इस स्थगन प्रस्ताव पर असाधारण परिस्थितियों में विचार हो रहा है। आज स्थिति यह है कि सरकारी पक्ष की अपेक्षा विरोधी पक्ष में अधिक सदस्य हैं। रबात के मामले में इस सरकार की विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी गई है। श्री अशोक मेहता ने राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न उठाया हैं। जब अमरीका ने भारत को क्यूबा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर न करने और क्यबा के साथ व्यापार बन्द करने के लिये कहा था तब उन्हें सहायता चाहिये थी—क्या उस समय हमारे राष्ट्रीय सम्मान तथा प्रभु सत्ता को धक्का लगा था या नहीं ? जब सरकार का विचार वियतनाम के साथ वाणिज्य दूतावास के स्थान पर पूर्ण दूतावास के स्तर पर संबंध कायम करने का था और इस पर अमरीका ने आपत्ति की थी तो क्या हमारे सम्मान को धक्का लगा था या नहीं ? मैं कहना चाहता हूँ कि सदस्य अपने गुटों के झगड़े के कारण रबात के मामले पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं और वे कांग्रेस मंत्रिमंडल को समाप्त कर के त्रिपक्षीय समझौता करना चाहते हैं। हमारे भी उनके साथ मतभेद हैं परन्तु हम उन्हें हटा कर अधिक प्रतिक्रियावादी समझौतों को प्रश्रय नहीं देना चाहते। यह सम्भव है कि रबात के मामले में कुछ गड़बड हुई हो परन्तु इस संकल्प का किसी को भी समर्थन नहीं करना चाहिये। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय सम्मान पर आधारित नहीं है। उन्हें अपमान पर आपत्ति नहीं है परन्तु अनावश्यक अपमान पर है। हमारी विदेश नीति में कमियां होते हुए भी वह समाजवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों शान्ति और गुट-निरपेक्षता पर आधारित है। वास्तव में झगडा यह है कि जन संघ, स्वतन्त्र और सिंडीकेट मिल करके सत्तारूढ़ होना चाहते हैं। इस देश की प्रगतिशील शक्तियां इस षडयन्त्र को दबा देंगी, चाहे हमें उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। (व्यवधान) हमारा अपमान पाकिस्तान तथा मोरक्को के बादशाह ने किया था और हम उसका गुस्सा विदेश मन्त्री पर निकाल रहे हैं। यदि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान की चिन्ता है तो उन्हें इस संकल्प में मोरक्को के बादशाह की निन्दा करनी चाहिये थी। हमें राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करनी चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूँ। हमें उनकी निन्दा करनी चाहिये जिन्होंने हमें रबात सम्मेलन से बाहर निकाला है।

श्री जी० मा कृपालानी (गुना) : क्या सरकार अपने आप को अपमानित समझती है ? नहीं, वे इस बात को स्वीकार नहीं करते।

श्री श्री० अ० डांगे : प्रश्न यह नहीं है कि सरकार क्या कहती है प्रश्न तो यह है कि यह सभा क्या कहती है। यह प्रस्ताव एक राजनीतिक प्रस्ताव है और मैं इसका समर्थन नहीं करता। रबात के नाम पर यह एक राजनीतिक संघर्ष है। रबात के नाम पर साम्प्रदायिकता फैलाई जा रही है और प्रत्येक प्रगतिशील शक्ति इसका विरोध करने का प्रयत्न करेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने यह स्वीकार किया है

कि उनका और समस्त देश का अपमान हुआ है। उनके अतिरिक्त सभी सदस्य सिंडीकेट, इंडीकेट स्वतन्त्र, जनसंघ आदि के मामलों को बीच में ले आये हैं। श्री डांगे ने इस प्रश्न के गुणदोष पर विचार किये बिना कह दिया है कि इस प्रस्ताव का राजनीतिक उद्देश्य है और इस लिये वह इस अपमान को बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसी लिये मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था कि यह राष्ट्रीय अपमान है जिसे देश का प्रत्येक नागरिक महसूस करता है। मैंने यह भी लिखा था कि हमें संसद में इस विषय को किसी एक दल का विषय नहीं बनाना चाहिये। नेफा की हार के बाद इस प्रकार के अपमान का और कोई उदाहरण नहीं मिलता यदि हम इस अपमान को स्वीकार करते तो संसद ने इस ओर ध्यान दिया होता और हम इस बात पर विचार करते कि भविष्य में हमें किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिये जिस से देश का अपमान न हो। जब नेफा में हार हुई थी तो इस प्रकार का कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया गया था और न ही सरकार को हटाये जाने की मांग की गई थी। देश ने मांग की थी कि इस हार के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को त्याग-पत्र दे देना चाहिये। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। परन्तु इस मामले में प्रधान मंत्री अपने विदेश मंत्री की रक्षा करना चाहती है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने स्वीकार किया है कि विदेश मंत्री ने उन्हें भेजा था, उनका अपमान हुआ और उन्होंने कहा कि इस नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये। परन्तु विदेश मंत्री कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर जा कर लाभ हुआ है, इस अपमान के लिये पूरा कांग्रेस दल जिम्मेदार है।

श्री आर० के० नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा है कि रबात सम्मेलन में भाग लेने से कोई तत्काल लाभ भले ही हुआ हो, परन्तु वहां पर जाना देश के सम्मान और मूल सिद्धातों के प्रतिकूल था मेरे विचार में इनका स्वतंत्र अथवा जनसंघ या सिंडीकेट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

रबात सम्मेलन में जा कर उन्होंने बता दिया है कि उनके उद्देश्य साम्प्रदायिक थे। संसद इस कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करती। श्री चागला ने इस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि सार्वजनिक मामलों में साम्प्रदायिक पक्ष को हर बार प्रोत्साहन देने से एकता की बजाय विखण्डता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समझती है कि इस कार्यवाही से हमारे देश के मुसलमानों का एक वर्ग संतुष्ट हो जायेगा तो वे देश के अन्य बड़े हितों का बलिदान करके ही ऐसा कर सकेंगे।

जहां तक निमंत्रण का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि श्री दिनेश सिंह इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

मलयेशिया के प्रधान मंत्री श्री टुंकू अब्दुल रहमान ने भी कहा है कि बिना परिणाम सोचे ही भारत रबात सम्मेलन में ज़बरदस्ती भाग लेने गया और वह भी केवल इस लिये कि मोरक्को के बादशाह हसन ने उनको आमंत्रण दिया था। फिर यदि सरकार अल्प संख्यक समुदाय की रक्षा करने में असमर्थ है तो उन्हें मुसलमानों के सम्मेलन में जाना ही नहीं चाहिये था। मैं इस बात का भी स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जो अन्तिम प्रस्ताव पारित किया गया

था क्या उसपर संयुक्त अरब गणराज्य ने हस्ताक्षर किये थे ? हमें इस पक्ष की ओर आँखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिये । हमारी सरकार को तब पता चला जब मोरक्को सरकार के कहने पर रबात सम्मेलन के बारे में एक दस्तावेज़ परिचालित किया गया जिसमें लिखा था कि उस सम्मेलन में मुस्लिम देशों तथा भारत के मुसलमान समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । तब सरकार ने कहा कि यह बात ठीक नहीं है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद पक्के राष्ट्रवादी हैं और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हर प्रकार से भाग लिया था । उन्हें जनता के समक्ष साम्प्रदायिक व्यक्ति के रूप में और मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में लाया जा रहा है । हालांकि डाक्टरों ने उन्हें रबात में न जाने की सलाह दी थी परन्तु फिर भी मुसलमान होने के कारण उन्हीं को भेजा गया । लन्दन के समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक समाचार में जब यह कहा गया था कि श्री दिनेश सिंह ने कहा था वह आगामी सम्मेलन में, वह जहां भी होगा भाग लेंगे और जब यह समाचार भारतीय समाचारों में प्रकाशित हुआ था तो हम लोगों ने श्री दिनेश सिंह से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है । अपनी विदेश नीति के अनुसार हम सैनिक गठबन्धनों तथा धार्मिक गुटों के विरुद्ध हैं ।

मेरे विचार में इस सरकार को इस प्रकार के सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिये था । अत: इस सरकार की निन्दा की जानी चाहिये । अत: मैं अब भी प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिये और जो कुछ हुआ है उसके लिये सभा तथा राष्ट्र से क्षमा याचना करनी चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I want to ask a few questions from the Minister of Home Affairs...

श्री नम्बियार : हमारे दल का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपके दल की उपेक्षा नहीं की जा रही है ।

श्री नम्बियार : प्रत्येक "डिक और हैरी" पश्चात आप हमें अवसर दे रहें हैं ।

श्री शिव नारायण : उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें यह शब्द वापस लेने चाहिए ।

श्री समर गुह : इन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री जो० भा० कृपालानी : मैं इन शब्दों पर आपत्ति करता हूँ ।

श्री बलराज मधोक : क्या इन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जायगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विवेक पर निर्भर करता है । मैं सब को अवसर दूंगा । परन्तु अवसर की मांग करने का यह तरीका नहीं है ।

श्री शिव नारायण : वह या क्षमा मांगे या इन शब्दों को वापस लें ।

Shri Prakash Vir Shastri : As to Shri Nambiar's comments I can only say that he has already been severely criticised by all sections of the House and there is not much for me to add now.

As regards the Rabat affair, I want to ask three or four questions from the Minister of Foreign Affairs. Firstly, may I know whether the Ahmedabad riots had been directly or indirectly placed on the agenda of the Conference and if not, the basis of the Government's apprehension that Pakistan was likely to raise this issue and that for countering that India's presence was warranted ? May I also know whether there are some such elements in our country who were dancing to the tune of the organisers of the Conference and who forced the Government of India in taking a decision to attend the conference and who also asked the organisers to send the invitation ?

Secondly, may I know whether it is a fact that some U. A. R. men advised our Government to seek admission to the Conference and that when India was humiliated there, the U. A. R. delegates kept mum and did not stage a walk out in protest against that move and they came here to show lip sympathy ?

Thirdly, may I now the basis on which the Government accepted the invitation while the king of Moracco had specifically stated in his letter that only those nations were being invited to the conference whose heads of the state and majority population happened to be Muslims ?

Fourthly, our Government has been in the habit of exploiting Gandhi's name to justify their acts of commissions and ommissions. They have been quoting Gandhiji in reason and out of season for his supporting the Khilafat movement. But they conveniently forget that Gandhiji exacted some tangible gains out of that. In view of this may I know benefits which weighed with the Government in their gate-crossing the Rabat conference which only brought humiliation and dishonour to our nation ?

When Shri Fakhruddin Ahmed landed on the Delhi airport he had stated before the Press reporters that India should review its policy towards the West Asian countries, but the very next day he withdrew his statement, I should like to know whether he was pressur-wised by the External Affairs Ministry or the Prime Minister into changing his statement.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : गांधी जी के बारे में एक गलत बयानी की गई है जिसको मैं शुद्ध करना चाहता हूं । गांधी जी ने यह कहा था कि हिन्दुओं के लिए यह कहना की शान के शापां नहीं कि वे मुसलमान भाइयों के खिलाफत आन्दोलन में तभी सहायता करेंगे जब गौ-हत्या बन्द हो जायेगी ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : रबात सम्मेलन में भाग लेने के पक्ष में सभी दलीलों को सुनने के पश्चात मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हमारी सरकार द्वारा उसमें भाग लिया जाना वांछनीय नहीं था ।

यह सब होते हुए भी, यदि इस चर्चा का उद्देश्य सरकार को सही रास्ते पर लाना था, तो स्थगन प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं थी । शांत-वातावरण में भी इस प्रश्न पर चर्चा की जा सकती थी इस चर्चा में देश के सम्मान का प्रश्न उठाया गया है । जब अमरीका के कहने पर रुपये का अवमूल्यन किया गया था तो इन्होंने चुप्पी साध ली थी । जहां तक अमरीका का प्रश्न है वे कुछ भी कर सकते हैं । अतः इस स्थगन प्रस्ताव को देश के सम्मान से प्रेरित होकर नहीं लाया गया है । जब अहमदाबाद में मुसलमानों का कत्ले आम हुआ तो इन्होंने उसे उचित ठहराया ।

इस स्थगन प्रस्ताव के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है ? पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ लोग अपनी पसन्द का राष्ट्रपति चाहते थे । किन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली और अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिये उन्होंने रबात के मामले को उठाना उचित समझा । पहले वे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे, किन्तु उनके कुछ मित्र इसके लिये तैयार नहीं थे और फिर उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाने का निश्चय किया । मैं नहीं समझता कि इसके लिये कोई मंत्री विशेष जिम्मेदार हैं । जब सरकार यह कहती है कि यह सरकार का निर्णय था, तो समूची सरकार ही इसके लिये जिम्मेदार है । यह प्रश्न उठाना आवश्यक नहीं है कि किस मंत्री ने निर्णय किया ।

जनसंघ-स्वतन्त्र-सिंडिकेट मिलकर प्रतिक्रियावादी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये लोग हमारी विदेश नीति में परिवर्तन चाहते है । ये लोग चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति में अमरीका के पक्ष में परिवर्तन किया जाये । अविश्वास प्रस्ताव लाने का उनमें साहस नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी । अतः अवांछनीय तरीके से इस सरकार को गिराने का प्रयत्न किया जा रहा है । यदि यह सरकार सही रास्ते पर नहीं आती तो हम इसे सही रास्ते पर ला सकते हैं ।

अतः इन परिस्थितियों में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Shri Dange has made the best speech on behalf of the ruling party and therefore the External Affairs Minister need not make a speech and waste time of the House. It would be better if he gives a little of his time to me. Much has already been said about the dishonour and humiliation suffered at Rabat Conference and therefore I do not wish to dilate on this point. Shri Dange said that we should not condemn those whose policies led to the sufferance of insults but those should be condemned who insulted the Indian delegates. My contention is that insult is always related to one who has some self-respect and Government of India has no self-respect. Is this House not aware that last time when Shri Bali Ram Bhagat visited Kenya, not a dog came to receive him ?

The President of Kenya refused to see the representative of India. We were told here that we were not insulted thereby.

This question is to be considered whether India's participation in the Rabat Conference was consistent with the basic principles cherished by our country. The principle of secularism is one of them. I will criticise the Government whenever the principle of secularism is violated.

Now I would like to say something about the objective for which this Conference was convened. The Conference was not initiated by the progressive countries like U. A R., Syria and Iraq but it was convened by reactionary Arab countries headed by kings and others who want to arrest the progressive forces in West Asia. Among the conveners were Turkey, Iran and Pakistan, who are members of a military pacts. It was not proper for India to participate in such a Conference. By going to Rabat the Government have discredited our policy of non-alignment, anti-colonialism and of encouraging progressive forces.

There is a basic difference between the policies of India and Pakistan. Pakistan, Iran, Turkey and other reactionary Arab States have made an attempt to form a separate reactionary bloc so that the politics in countries in Asia and Africa is based on religion, whereas secularism is one of the basic principles of our policy. Therefore I again say that instead of getting humiliated at Rabat, India should have tried to sabotage such a reactionary conference in co-operation with Iraq, Syria and U. A. R. The Government

should apologise for their mistake in this matter and give an assurance not to repeat such a mistake in future.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri P. K. Vasudevan Nair *in the Chair*]

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : रबात में जो कुछ हुआ है, हम उसे किसी प्रकार छिपाना नहीं चाहते हैं। यह अत्यन्त खेद की बात है कि इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सर्वमान्य सिद्धान्तों की उपेक्षा करके भारत को अन्तिम समय में भाग लेने से मना कर दिया गया। हमने इस सम्बन्ध में हमारे साथ हुए व्यवहार के बारे में सम्बन्धित देशों को तथा विश्व को अवगत करा दिया है। कुछ देशों के विरुद्ध हमने न चाहते हुए भी जो कुछ कार्यवाही की है, वह भी सबको मालूम ही है। यह कार्यवाही हमें इसलिये करनी पड़ी क्योंकि हम उन देशों को वह बताना चाहते थे कि किसी देश को सर्वसम्मति से सम्मेलन में आमंत्रित करके...।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : निमंत्रण कहा है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पहले अपने स्थान पर बैठ जायें। मंत्री महोदय ने अभी अपना भाषण आरम्भ किया है। मंत्री महोदय के भाषण के बाद माननीय सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे मेरे साथ सहयोग करें।

श्री दिनेश सिंह : हमारे दृष्टिकोण से यह एक असाधारण बात है कि पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मान्य सिद्धान्तों का उल्लंघन करके रबात में इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति दी गई। पाकिस्तान की पहल पर न केवल भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने से वंचित रखा गया अपितु उसमें उन विषयों पर भी चर्चा न हो सकी जिनके लिये यह सम्मेलन बुलाया गया था।

माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता का कहना है कि हम जिन विषयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करना चाहते हैं उन्हें अन्य सम्मेलनों में न उठाया जाये। मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य ने अनेक सम्मेलनों में उन विषयों पर विचार विमर्श किया था जो उन सम्मेलनों से बड़े सम्मेलनों में उठाये जाने थे। अब उनके लिये इस प्रकार की चर्चा के अवसर कम हो गये इसलिए वह यहां पर इस प्रकार की बात उठा रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने निमंत्रण का प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में मोरक्को के विदेश मंत्री, जो अब प्रधान मंत्री हैं, द्वारा संवाददाता सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य का एक अंश सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि राज्याध्यक्षों ने विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया है कि भारत को राजकीय स्तर पर प्रतिनिधि भेजने के लिये निमंत्रण दिया जाये। भारत के मंत्रि-स्तर के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने तक भारत के राजदूत भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को यह नहीं कहना चाहिए कि निमंत्रण लिखित रूप में ही मिलना चाहिए। निमंत्रण का अर्थ तो यही है कि सम्मेलन में भाग लिया जाय।

श्री चं० चु० देसाई : क्या आपको निमंत्रण-पत्र मिला था ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य देश के राजदूत के रूप में सेवा कर चुके हैं और उन्हें पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या होती हैं।

एक माननीय सदस्य : किन्तु क्या निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे सामने कठिनाई यह है कि मैं वह बातें नहीं कह सकता, जो माननीय सदस्य मेरे से कहलवाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक समाचारपत्र से पढ़ना चाहता हूं जिसके अनुसार मोरक्को नरेश ने कहा था कि :

"हमने भारत सरकार को नहीं बुलाया है क्योंकि वहां मुस्लिम सरकार या मुसलमानों का बहुमत नहीं है। इसी आधार पर हम चीन, रूस, युगोस्लाविया और अलबिनिया के मुसलमानों को भी निमंत्रण न देने के लिए सहमत हुए हैं।"

"सम्मेलन में हमने विचार-विमर्श किया और यह निर्णय किया गया कि 6 करोड़ की मुस्लिम जनसंख्या वाले देश को निमंत्रण दिया जाये।"

यह कथन मोरक्को के नरेश का है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : किन्तु वह निमंत्रण-पत्र को यहां पढ़ने से क्यों डर रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो कार्ड दिया गया था, वह अब भी मेरे पास है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें निमंत्रण दिया जाय तो वे सम्मेलन के निर्णय को मानने पर बाध्य होंगे ?

श्री समर गुह : आपने जो कार्ड दिखाया है, वह तो कार का पास है, निमन्त्रण-पत्र नहीं।

श्री दिनेश सिंह : सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोई शर्त नहीं थी। यह संदेह निराधार है कि हमने सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौता किया।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मोरक्को के विदेश मन्त्री ने जो अब वहां के प्रधान मन्त्री हैं, कहा था कि भारत को निमंत्रित करने का आधार यह है कि वहां के राजदूत ने सऊदी अरब के नरेश को आश्वासन दिया है कि सम्मेलन में किये गये निर्णय भारत को मान्य होंगे।

श्री दिनेश सिंह : मोरक्को या जेद्दाह या किसी अन्य स्थान पर भारतीय राजदूत ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैं ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर बाद में देना चाहता हूँ।

श्री मधु लिमये ने यह पूछा है कि क्या हमारा रबात के सम्मेलन में भाग लेना उचित था। वह इस बात की चिन्ता नहीं करते कि वहां हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ। कम से कम वह एक बात तो हमारी ही तरह सोचते हैं ?

धर्म निरपेक्ष नीति का यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार का सम्बन्ध धर्म से है ही नहीं। सरकार पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह धार्मिक समारोह में भाग नहीं ले सकती। धर्म निरपेक्षता का अर्थ तो यह है कि धार्मिक मामले में हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर किसी को तरजीह नहीं दी जायेगी, बल्कि सभी नागरिक समान समझे

जायेंगे। हम सदा ऐसा ही प्रयत्न करते हैं । हम धार्मिक मामलों को राजनीति से पृथक रखते हैं।

यह स्पष्ट है कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि राजनीतिक मामलों का निर्णय धर्म के आधार पर किया जाये। परन्तु साथ ही हमें सम्पूर्ण विश्व, विशेष कर अपने पड़ौस की राजनीतिक स्थिति के प्रति भी जागरुक रहना चाहिये, क्योंकि उनका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे पर पड़ता ही है। अतः ऐसी घटनाओं में भागीदार होने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि हमने धार्मिक लेबिल वाले राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया तो इससे हमारी धर्म-निरपेक्षता समाप्त नहीं हो जाती। धर्म-निरपेक्षता की रक्षा तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर करनी है। साम्प्रदायिक दंगे चाहे अहमदाबाद में हों या रांची में, हमें उनके साथ संघर्ष करना है। पहले हमें अपने घर में धर्म-निरपेक्ष होना है उसी आधार पर विश्व हमें धर्म निरपेक्ष समझेगा। इस पृष्ट भूमि में हमें उक्त सम्मेलन में भाग लेने पर विचार करना चाहिए। रबात सम्मेलन में भाग लेने की बात उसके गुण-दोषों के आधार पर विचारणीय है। रबात सम्मेलन के कार्यक्रम में अधिकतर बातें राजनीतिक थीं। दूसरे, ऐसे सम्मेलनों में भाग लेना हमारी विदेश नीति के लिए नई बात नहीं है। 1955 में इस बात पर विचार किया गया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में विचार विमर्श के बाद निर्णय किया था कि यदि धार्मिक सम्मेलन हों तो उनमें भाग लेना भारत के हित में होगा। मैं सम्बन्धित फाइल से उद्धरण नहीं दे सकता क्योंकि वह गोपनीय है। ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने का उद्देश्य यह होता है कि विश्व के समक्ष इस बात को स्पष्ट किया कि भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है और यहां सब समान है, सबको समान अवसर प्राप्त हैं। जो भारतीय व्यक्ति ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने गये उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता और समता के अवसर प्राप्त हैं। श्री अटल विहारी वाजपेयी की बात के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो नीति पंडित नेहरू ने निर्धारित की थी, उससे हम दूर नहीं हटे हैं। उन्होंने यह निर्णय किया था कि इस्लामी सम्मेलन के रूप में जो भी राजनीतिक या आर्थिक सम्मेलन हों, उसमें भाग लेने या न लेने का निर्णय उसके गुण-दोषों के आधार पर किया जाना चाहिए।

जहां तक आचार्य कृपालानी द्वारा उठाई गई इस बात का सम्बन्ध है कि मंत्रीमंडल का निर्णय कब लिया गया था सम्मेलन में भाग लेने वालों के बारे में निर्णय किसने किया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब परम्परागत नीति का अनुसरण किया जाता है तो हर बार मंत्रिमंडलीय स्तर पर निर्णय नहीं किया जाता। मुझे श्री अशोक मेहता का आज का भाषण सुनकर दुख हुआ। उन्होंने कहा कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद को मनाने के लिए 'नाईजीरिया' ने प्रयास किया था। किन्तु सम्मेलन में नाइजीरिया ने तो भाग ही नहीं लिया। उन्होंने 'नाइजर' को 'नाइजीरिया' समझ लिया होगा। ऐसा करके वह अहमदाबाद के दंगों को उचित ठहराना चाहते थे क्योंकि नाइजीरिया में भी साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे। उन्होंने

हमारी नीति को बेहूदा बताया जब वह सत्ताधारी दल में थे तो यह नीति सही थी और अब यह नीति बेहूदा हो गई है . . . (व्यवधान)

इस सम्मेलन के सम्बन्ध में मुझे यह करना कि पश्चिम एशिया में जो कुछ होता है वह हमारे लिए बहुत महत्त्व रखता है। हमें न केवल इजरायल और अरब देशों के बीच संघर्ष से अवगत रहना है बल्कि पश्चिम एशिया में जो घटना घटती है उससे परिचित रहना है, क्योंकि हम उनसे घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। पश्चिम एशिया के अधिकतर देश तटस्थ हैं। वे सभी विकासोन्मुख देश हैं। हम उनसे अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। हमारा सदा यह प्रयत्न रहता है कि पश्चिम एशिया के देशों से हमारे सम्बन्द दृढ़ हों। हम न केवल उनके साथ काम करना चाहते हैं बल्कि उनके साथ आर्थिक सम्बन्ध भी स्थापित करना चाहते हैं।

'पाकिस्तान टाइम्स' ने इस सम्बन्ध में लिखा कि "इस्लामी सम्मेलन ने भारत सरकार को त्रिदिवसीय वार्ता में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया।" किन्तु इस निर्णय से पाकिस्तान के लोग क्षुब्ध हुए। उन्हें इस बात से ईर्ष्या हुई कि भारत की विदेश नीति को पश्चिम एशिया में मान्यता प्राप्त हो गई है। पाकिस्तान में इस की प्रतिक्रिया हुई। पाकिस्तान के समाचारपत्रों ने राष्ट्रपति याहया खां पर दबाव डालना शुरू किया। उन्होंने इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को निमंत्रित करने के उसके निर्णय को खेदजनक बताया पाकिस्तान टाइम्स' ने लिखा कि "बडे आश्चर्य की बात है कि भारत को उक्त सम्मेलन में न केवल पर्यवेक्षक के रूप में बल्कि पूर्ण प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया है इस प्रकार भारत के रबात सम्मेलन में उपस्थित होने से इस्लामी शिखर सम्मेलन की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी, उसमें मुसलमानों को अपने संकल्प से पिछे हटना पड़ेगा, उसमें ठोस कार्य की वैसी स्वतंत्रता नहीं रहेगी जैसी पाकिस्तान चाहता है।" अतः ऐसे सम्मेलनों में भाग लेते समय हमें इन बातों पर विचार करना होगा।

मैं सभा में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी भी धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने की भारत सरकार की इच्छा नहीं है किन्तु यदि सम्मेलन केवल नाम से ही धार्मिक हो और उसमें राजनीतिक विषयों पर विचार-विमर्श होना हो तो उसमें भाग लेने से हमें नहीं शर्माना चाहिए। यदि ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने से भारत का हित होता तो उनमें हमें अवश्य भाग लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। श्री वाजपेयी ने एक अन्य प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा इज़रायल के साथ शत्रुता पूर्ण व्यवहार क्यों है ? हम सभा में तथा इसके बाहर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी इज़रायल के साथ शत्रुता नहीं है। हमने समय आने पर इज़रायल को मान्यता भी दी थी। हम नहीं चाहते कि इज़रायल बिल्कुल समाप्त हो जाये। किन्तु हम इज़रायल की नीति से सहमत नहीं हैं। हम उसकी इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते कि आक्रमण के लाभ आक्रामक को मिलें। हम स्वयं अपने देश की भूमि को दो आक्रामक देशों से छुड़ाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में अरब देशों की नीति प्रगतिशील है जिसका हम समर्थन करते हैं।

राष्ट्र की प्रगति में बहुत बाधायें तो आती ही हैं परन्तु उनको दूर करना सम्बन्धित अधि-

कारियों का काम होता है। हमारे कार्यों को देखने से पता चलेगा कि हमने विरोधी दलों की आशा से बहुत अधिक काम किया है।

श्री अशोक मेहता : वैदेशिक-कार्य मंत्री ने मेरे विरुद्ध गलत बयानी का आरोप लगाया था और कई उदाहरण देने का वचन दिया था परन्तु उन्होंने केवल एक ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं ने नाइजेरिया का उल्लेख किया है। जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मेरे अधीन कोई सचिवालय तो है नहीं, मेरा विचार था कि एक प्रसिद्ध पत्रकार श्री प्रान चोपड़ा की पुस्तिका जो उन्होंने रबात पर लिखी है विश्वसनीय होगी। अतः सभा को गुमराह करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। अतः मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वह इसके लिए और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री पीलु मोदी : मेरा ख्याल था कि इस अवसर पर प्रधान मन्त्री बोलेंगी परन्तु वह चुप रहीं। अब मैं श्री दिनेश सिंह पर आता हूँ। उन्होंने उन लोगों की बड़ी आलोचना प्रकट की है जिन्होंने रबात में उनके प्रतिनिधिमण्डल को इस प्रकार से अपमान किया। उनका कहना था कि निमंत्रण दिये जाने पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। मैं सरकार तथा विरोधी सदस्यों की ओर से सम्पूर्ण सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि औपचारिक रूप से निमंत्रण नहीं दिया था। सच्चाई यही है, जिसे सरकार बताने से इंकार करती आ रही है। जहां तक श्री दिनेश सिंह की धर्म निरपेक्षता का सम्बन्ध है मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद को ही रबात में भेजने का निश्चय क्यों किया गया ? इस काम के लिए उनकी अर्हतायें क्या थीं। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने अल फतह के प्रतिनिधियों का स्वागत किया था जिसका कोई खास प्रयोजन नहीं था। अतः मुझे धर्म निरपेक्षता के नाम से चिड़ सी हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि अहदामबाद में क्या हुआ था।

हम कहते हैं कि हमें आमंत्रित किया गया था परन्तु वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में इस सम्बन्ध में मतभेद हो गया था तथा उन्होंने सम्मेलन में भाग न लेने की सलाह दी थी। किसी ने भी स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की उस टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत को ऐसे सम्मेलनों में सरकारी स्तर पर भाग नहीं लेना चाहिए।

मेरा आगे निवेदन यह है कि भारत सरकार से तो सीरिया सरकार ही अधिक समझदार रही जिसने सम्मेलन में यह कह कर भाग नहीं लिया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है।

जहां तक रूस और चीन का सम्बन्ध है उन्होंने भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया यद्यपि उन देशों में काफी संख्या में मुसलमान रहते है। हमें ऐसे सम्मेलनों में बहुत सोच समझकर भाग लेना चाहिए तथा उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

यह तो मुस्लिम शिविर सम्मेलन था परन्तु यदि यह हिन्दू शिविर सम्मेलन होता तो मैं इसका तिगुना या चार गुना अधिक विरोध करता। यदि सरकार मुसलमानों को प्रसन्न करना चाहती थी तो इसका बिल्कुल उलट हुआ है क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि हमें भारत के 6 करोड़ मुसलमानों को कोई लाभ नहीं है। इससे तो उनका अपमान हुआ है। यही कारण है कि मैं उन का अपमान होने के कारण अपने देश का अपमान समझता हूं।

हमारी सरकार को सब से पहले अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिये। उसे देश में बार बार होने वाले साम्प्रदायिक दंगों को बन्द करके उनकी सुरक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था करनी चाहिये। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि यदि इस्लामी शिविर सम्मेलन उस समय होता जब हजरतबल घटना हुई थी तो वह क्या करती। मैं इन दोनों घटनाओं में समानता देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि तब भारत सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न होती। अतः हमारी सरकार को दोरंगी चाल नहीं चलनी चाहिए।

अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हम रबात में गये क्यों ? पहली बात तो यह है कि हम अरबों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके बहुत मत हैं। दूसरे हम पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले भारत-विरोधी प्रचार का खण्डन करना चाहते थे। परन्तु हमें सफलता के बजाय असफलता मिली है। यदि हम सम्मेलन में भाग न लेते तथा पाकिस्तान भारत-विरोधी प्रचार करता भी तो भी हमें दूसरे देशों से, जो उसमें भाग ले रहे थे सहानुभूति प्राप्त होती। इसके अतिरिक्त हमें दो देशों से अपने राजदूत वापस बुलाने पड़े और ईरान के साथ अपने सम्बन्ध खराब करने पड़े। इसे मैं सफलता नहीं कह सकता।

रबात सम्मेलन में भाग लेने से हमारा अपमान ही हुआ है। श्री अहमद का हवाई अड्डे पर ही मन्त्री स्वागत करने के लिये आये। वापस आते समय श्री अहमद से लंदन में पुनर्विचार किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें अपने देश की विदेश नीति पर पुनः विचार करना चाहिए। परन्तु हमारी सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया।

अब मैं श्री जवाहर लाल नेहरू की नीति तथा उसी महत्वपूर्ण नोट पर कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई नोट था, क्या उसे फाइल में से निकाल लिया गया था, उसे निकालने का उद्देश्य क्या था तथा क्या प्रधान और वैदेशिक-कार्य मन्त्री को इस की जानकारी थी ? इससे क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है और यदि हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी विदेश नीति बिल्कुल असफल रही है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे प्रतिनिधि डा० नगेन्द्र की असफलता, कनाडा और रूस में हमारे प्रतिनिधियों के साथ अशिष्टता का व्यवहार तथा न्यूयार्क में हुए तटस्थ देशों के सम्मेलन से भारतीय प्रतिनिधि का बाहर चले जाना हमारी नीति की असफलता के उदाहरण हैं।

गत कुछ महीनों से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति घुस गई है। राष्ट्रपति के चुनाव से देश में राजनीतिज्ञों का सम्मान बहुत कम हो गया है। इन सब चीजों का असर यह हुआ है कि इससे प्रशासन शिथिल हो गया है। वर्तमान सरकार को साम्यवादियों की सहायता से सरकार बनाये रखनी पड़ रही है। मेरा यह दावा है कि प्रधान मंत्री साम्यवादियों की सहायता के बिना इस सभा का बहुमत प्राप्त नहीं कर सकतीं।

हमें रबात सम्मेलन के लिए आखरी समय में बुलाया गया तथा हमने उस निमंत्रण को बड़ी खुशी से स्वीकार किया। हम विमानों का निर्धारित समय में भी परिवर्तन करा कर वहां दौड़े। परन्तु जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें अन्दर नहीं जाने दिया गया। तब हमने अपनी इज्जत

बचाने के लिए अपनी कार्यवाही को उचित ठहराया । अतः हमारी गैर-जिम्मेदार सरकार गलती पर गलती करती गई जिससे हमारे देश का सिर शर्म से झुक गया है । परन्तु दुख की बात तो यह है कि इन बातों की परवाह कौन करता है । इन बातों की जनता भी तो नहीं परवाह करती । यदि जनता भी परवाह करने वाली होती तो यह सरकार अब यहां न होती । यदि समाचार-पत्र भी इसकी परवाह करते तो वे इस सरकार के समर्थन में कुछ न लिखते । यदि राजनीतिज्ञ लोग इस बारे में ध्यान देते तो पल भर भी सरकार का समर्थन न करते । रबात से हमारी वापसी उन बुजदिलों की भांति थी जो बिना लड़ाई किये लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं ।

मुझे पता है कि समाचार पत्रों में कल क्या छपा होगा । वे लिखेंगे कि स्थगन प्रस्ताव असफल रहा तथा श्रीमती इंदिरा गांधी को विजय प्राप्त हुई ।

हमने रबात सम्मेलन में भाग लेने की जो गलती की है उसका नतीजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा चाहे उसके लिए हमें कोई भेंट क्यों न करनी पड़े ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित होती है ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 140 विपक्ष में 306

Ayes 140 Noes 306

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

डा० बी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब हम खुदा बक्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी विधेयक पर अग्रेतर चर्चा आरंभ करें ।

सभापति महोदय : यह कार्य हम कल करेंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 18 नवम्बर, 1969/27 कार्तिक, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, November 18, 1969/Kartika 27, 1891 (Saka).

———

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 ।